VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

जनवरी, 2023

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066

www.visionias.in

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

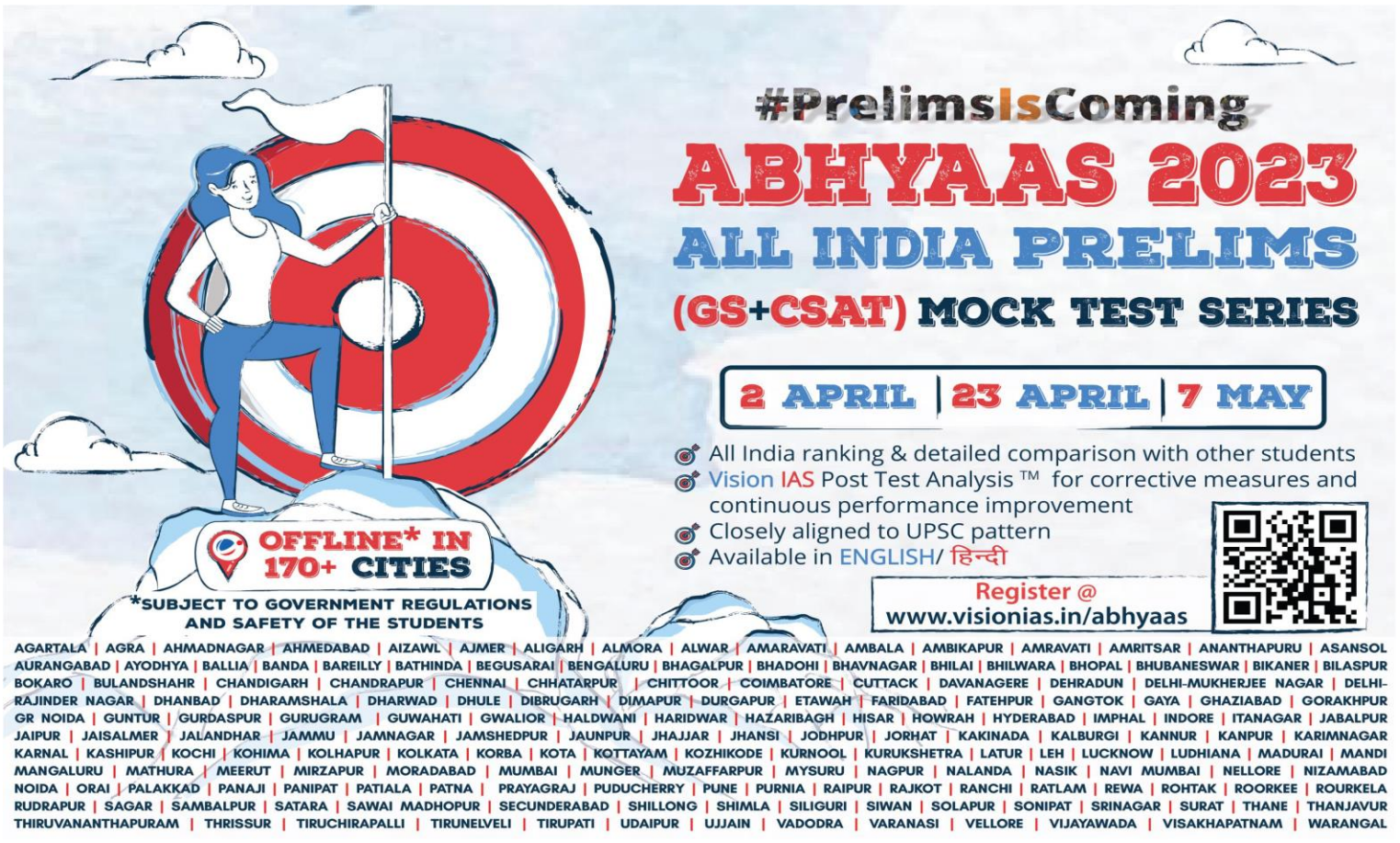

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2024
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI
15 मार्च, 1 PM | 10 जनवरी, 9 AM
JAIPUR
5 अप्रैल, 3 PM
LUCKNOW
7 जून
BHOPAL
5 जुलाई

#PrelimsIsComing
ABHYAAS 2023
ALL INDIA PRELIMS
(GS+CSAT) MOCK TEST SERIES
2 APRIL | 23 APRIL | 7 MAY
All India ranking & detailed comparison with other students
Vision IAS Post Test Analysis ™ for corrective measures and continuous performance improvement
Closely aligned to UPSC pattern
Available in ENGLISH/ हिन्दी
Register @ www.visionias.in/abhyaas
OFFLINE* IN 170+ CITIES
*SUBJECT TO GOVERNMENT REGULATIONS AND SAFETY OF THE STUDENTS
AGARTALA | AGRA | AHMADNAGAR | AHMEDABAD | AIZAWL | AJMER | ALIGARH | ALMORA | ALWAR | AMARAVATI | AMBALA | AMBIKAPUR | AMRAVATI | AMRITSAR | ANANTHAPURU | ASANSOL
AURANGABAD | AYODHYA | BALLIA | BANDA | BAREILLY | BATHINDA | BEGUSARAI | BENGALURU | BHAGALPUR | BHADOHI | BHAVNAGAR | BHILAI | BHILWARA | BHOPAL | BHUBANESWAR | BIKANER | BILASPUR
BOKARO | BULANDSHAHR | CHANDIGARH | CHANDRAPUR | CHENNAI | CHHATARPUR | CHITTOOR | COIMBATORE | CUTTACK | DAVANAGERE | DEHRADUN | DELHI-MUKHERJEE NAGAR | DELHI-
RAJINDER NAGAR | DHANBAD | DHARAMSHALA | DHARWAD | DHULE | DIBRUGARH | DIMAPUR | DURGAPUR | ETAWAH | FARIDABAD | FATEHPUR | GANGTOK | GAYA | GHAZIABAD | GORAKHPUR
GR NOIDA | GUNTUR | GURDASPUR | GURUGRAM | GUWAHATI | GWALIOR | HALDWANI | HARIDWAR | HAZARIBAGH | HISAR | HOWRAH | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE | ITANAGAR | JABALPUR
JAIPUR | JAISALMER | JALANDHAR | JAMMU | JAMNAGAR | JAMSHEDPUR | JAUNPUR | JHAJJAR | JHANSI | JODHPUR | JORHAT | KAKINADA | KALBURGI | KANNUR | KANPUR | KARIMNAGAR
KARNAL | KASHIPUR | KOCHI | KOHIMA | KOLHAPUR | KOLKATA | KORBA | KOTA | KOTTAYAM | KOZHIKODE | KURNOOL | KURUKSHETRA | LATUR | LEH | LUCKNOW | LUDHIANA | MADURAI | MANDI
MANGALURU | MATHURA | MEERUT | MIRZAPUR | MORADABAD | MUMBAI | MUNGER | MUZAFFARPUR | MYSURU | NAGPUR | NALANDA | NASIK | NAVI MUMBAI | NELLORE | NIZAMABAD
NOIDA | ORAI | PALAKKAD | PANAJI | PANIPAT | PATIALA | PATNA | PRAYAGRAJ | PUDUCHERRY | PUNE | PURNIA | RAIPUR | RAJKOT | RANCHI | RATLAM | REWA | ROHTAK | ROORKEE | ROURKELA
RUDRAPUR | SAGAR | SAMBALPUR | SATARA | SAWAI MADHOPUR | SECUNDERABAD | SHILLONG | SHIMLA | SILIGURI | SIWAN | SOLAPUR | SONIPAT | SRINAGAR | SURAT | THANE | THANJAVUR
THIRUVANANTHAPURAM | THRISSUR | TIRUCHIRAPALLI | TIRUNELVELI | TIRUPATI | UDAIPUR | UJJAIN | VADODRA | VARANASI | VELLORE | VIJAYAWADA | VISAKHAPATNAM | WARANGAL

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) 7

1.1. शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Power) 7

1.2. संघवाद: दिल्ली का विशिष्ट दर्जा (Federalism: Unique Status of Delhi) 9

1.3. चुनाव और प्रौद्योगिकी (Elections & Technology) 12

1.4. न्यायपालिका में महिलाएं (Women in Judiciary) 14

1.5. आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Block Programme: ABP) 15

1.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 17

1.6.1. लोक सेवा कंटेंट (Public Service Content) 17

1.6.2. रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स (Rule of Law Index) 18

1.6.3. मंत्रियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Free Speech of Ministers) 18

1.6.4. इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (e-SCR) परियोजना {Electronic Supreme Court Reports (E-SCR) Project} 18

1.6.5. चार्जशीट (Charge Sheets) 19

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 20

2.1. भारत और ग्लोबल साउथ (India and Global South) 20

2.2. भारत-मिस्र (India-Egypt) 22

2.3.भारत-यूरेशिया (India-Eurasia) 24

2.4. भारत-चीन व्यापार संबंध (India-China Trade Relations) 26

2.5. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य व्यापारिक संबंध (India-United States Trade Relation) 28

2.6. लैटिन अमेरिका में भारतीय प्रवासी (Indian Diaspora in Latin America) 31

2.7. भारत और यू.एन. पीसकीपिंग अर्थात् संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (India and UN Peacekeeping) 34

2.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 37

2.8.1. एशियाई प्रशांत डाक संघ {Asian Pacific Postal Union (APPU)} 37

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 38

3.1. विश्व व्यापार संगठन: मत्स्य सब्सिडी पर नया समझौता (WTO: New Agreement on Fisheries Subsidies) 38

3.2. भारत में असमानता (Inequality in India) 40

3.3. डिजिटल भुगतान को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना (Scheme for Financial Support to Digital Payments) 42

3.4. राज्य वित्त (State Finances) 45
3.5. सूक्ष्म वित्त क्षेत्रक (Microfinance Sector) 49
3.6. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC) 51
3.7. लोन-लॉस प्रोविजन (Loan-Loss Provisions: LLPs) 55
3.7.1. तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण (SSAF) का फ्रेमवर्क {Securitization of Stressed Assets Framework (SSAF)} 59
3.8. भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways in India) 60
3.9. तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles) 63
3.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 66
3.10.1. बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 {Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, 2002} 66
3.10.2. विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट (Global Economic Prospects Report by World Bank) 67
3.10.3. वर्ल्ड इकनोमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, 2023 (World Economic Situation and Prospects 2023 Report) 67
3.10.4. विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की {World Economic Forum (WEF) Releases Global Risk Report 2023} 68
3.10.5. सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड्स {Sovereign Green Bonds (SGRBS)} 69
3.10.6. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक {Domestic Systemically Important Banks (D-SIBS)} 70
3.10.7. उत्कर्ष 2.0 (Utkarsh 2.0) 71
3.10.8. T+1 निपटान प्रणाली (T+1 Settlement) 71
3.10.9. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक: ट्रेंड्स 2023" रिपोर्ट (World Employment and Social Outlook: Trends 2023 Report) 72
3.10.10. प्रज्ज्वला चैलेंज (Prajjwala Challenge) 72
3.10.11. वाहन स्क्रैपिंग के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम {National Single Window System (NSWS) For Vehicle Scrapping} 72
3.10.12. प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना {Broadcasting Infrastructure And Network Development (BIND) Scheme} 73

4. सुरक्षा (Security) 74

4.1. पुलिस सुधार (Police Reforms) 74
4.2. ड्रोन का सैन्य इस्तेमाल (Military Applications of Drones) 76
4.3. वासेनार अरेंजमेंट (Wassenaar Arrangement) 79
4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 80
4.4.1. अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) 80
4.4.2. INS वागीर (INS Vagir) 80

4.4.3. पृथ्वी-II (Prithvi-II) 81
4.4.4. हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल {Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle (HSTDV)} 81
4.4.5. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercise in News) 81
4.4.6. डूम्सडे क्लॉक (Doomsday Clock) 82

5. पर्यावरण (Environment) 83

5.1. ओजोन छिद्र का भरना (Ozone Hole Recovery) 83
5.2. क्लाउड फॉरेस्ट एसेट्स (Cloud Forest Assets) 86
5.3. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 {The Wildlife (Protection) Amendment Act, 2022} 88
5.4. वन (संरक्षण) नियम, 2022 {Forest (Conservation) Rules, 2022} 91
5.5. मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict: HWC) 93
5.6. फ्लाई ऐश का उपयोग (Fly Ash Utilization) 95
5.7. समुद्रयान मिशन (Samudrayaan Mission) 98
5.8. जोशीमठ भू-धंसाव (Joshimath Land Subsidence) 101
5.9. भारत में बड़े बांध (Large Dams in India) 103
5.10. अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (International Container Transhipment Port: ICTP) 105
5.11. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 108
5.11.1. अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राई लैंड्स' शीर्षक से रिपोर्ट (Urban Forestry and Urban Greening In Drylands Report) 108
5.11.2. मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में संधारणीय जलीय कृषि पहल {Sustainable Aquaculture In Mangrove Ecosystem (Saime) Initiative} 109
5.11.3. राज्यों के मंत्रियों का प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन (1st All India Annual States' Ministers Conference) 109
5.11.4. नेचर रिस्क प्रोफाइल {Nature Risk Profile (NRP)} 110
5.11.5. वन्यजीव संरक्षण बॉण्ड {Wildlife Conservation Bond (WCB)} 110
5.11.6. एशियाई जलपक्षी गणना {Asian Waterbird Census (AWC)} 110
5.11.7. सुर्ख़ियों में रही प्रजातियां (Species in News) 111
5.11.8. नीलकुरिंजी (स्ट्रोबिलैंथेस कुंतियाना) {Neelakurinji (Strobilanthes Kunthiana) 111
5.11.9. रामसेतु (Ram Setu) 112
5.11.10. मनरो तुरुतु द्वीप (Munroe Thuruthu Island) 112
5.11.11. डार्क स्काई रिज़र्व (Dark Sky Reserve) 113
5.11.12. भूजल में यूरेनियम संदूषण (Uranium Contamination In Groundwater) 113
5.11.13. सुर्ख़ियों में रही झीलें (Lakes In News) 113
5.11.14. हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी (Hawaii's Kilauea Volcano) 113

5.11.15. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का "मानक और लेबलिंग कार्यक्रम" {Standards And Labeling Program (SLP) Of Bureau Of Energy Efficiency (BEE)}....114
5.11.16. वर्चुअल पॉवर प्लांट्स {Virtual Power Plants (VPPS)}....114
5.11.17. विद्युत क्षेत्रक के लिए आपदा प्रबंधन योजना {Disaster Management Plan (DMP) For Power Sector}....114
5.11.18. ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन {Global Overturning Circulation (Goc)}....115
5.11.19. महाराष्ट्र में एक अलग प्रकार का पठार खोजा गया (New Plateau Type Discovered From Maharashtra) 115

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 117

6.1. भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थान {Foreign Higher Educational Institutions (FHEIs) in India}....117
6.2. राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (National Digital University: NDU)....120
6.3. सुर्ख़ियों में रही शैक्षिक रिपोर्ट (Educational Reports In News)....122
6.3.1. उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2020-2021 {All India Survey on Higher Education (AISHE) 2020-2021}....122
6.3.2. शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2022 {Annual Status of Education Report (ASER) 2022}....123
6.4. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (संशोधन) विधेयक 2022 का मसौदा {Draft National Medical Commission (Amendment) Bill-2022}....124
6.5. इच्छामृत्यु {Euthanasia}....126
6.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)....129
6.6.1. वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023: लीविंग नो वन बिहाइंड इन ए एजिंग वर्ल्ड (World Social Report 2023: Leaving No One Behind in an Ageing World)....129

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 130

7.1. चौथी औद्योगिक क्रांति- उद्योग 4.0 (Fourth Industrial Revolution- Industry 4.0)....130
7.2. जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) {Generative Artificial Intelligence (AI)}....132
7.3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission)....134
7.4. ट्रांस फैट (Trans Fat)....137
7.5. उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Diseases: NTDs)....139
7.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)....143
7.6.1. लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (Large Hadron Collider)....143
7.6.2. स्मार्ट कार्यक्रम (Smart Program)....143
7.6.3. डिजिटल इंडिया अवार्ड्स (Digital India Awards: DIA)....144
7.6.4. XR (एक्सटेंडेड रियलिटी) स्टार्ट-अप प्रोग्राम {XR (Extended Reality) Startup Program}....144
7.6.5. क्वांटम सुसंगतता (Quantum Coherence)....145
7.6.6. BharOS ऑपरेटिंग सिस्टम (BharOS)....145

7.6.7. एकाकी तरंगें {Solitary Winds (SW)} 145
7.6.8. C/2022 E3 (ZTF) धूमकेतु {C/2022 E3 (ZTF) Comet} 146
7.6.9. आर.आर. लिराए तारे (RR Lyrae Stars) 146
7.6.10. इम्यून इम्प्रिंटिंग (Immune Imprinting) 146

8. कला और संस्कृति **147**

8.1. राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक (Monuments of National Importance: MNI) 147

8.2. चराइदेव मोइदाम (अहोम राजवंश की टीले वाली शवाधान प्रणाली) {Charaideo Maidams (Ahom Burial Mounds)} 150

8.3. सम्मेद शिखर और शत्रुंजय पहाड़ी (SAMMED Shikhar and Shetrunjay Hill) 151

8.4. भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें (Roots of Democratic Values in India) 153

8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 155
8.5.1. गुजरात में हड़प्पा स्थल पर उत्खनन (Excavation at Harappan Site in Gujarat) 155
8.5.2. नालंदा महाविहार (Nalanda Mahavihara) 155
8.5.3. फसल कटाई त्यौहार (Harvest Festivals) 156
8.5.4. थुल्लाल (Thullal) 158
8.5.5. राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए (Padma Awards Presented by the President) 158
8.5.6. परमवीर चक्र {Param Vir Chakra (PVC)} 159
8.5.7. खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2022 {Kehlo India Youth Games (KYIG), 2022} 159
8.5.8. जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार-2022 (Jeevan Raksha Padak Series of Awards-2022) 159

9. नीतिशास्त्र (Ethics) **160**

9.1 उत्पादों के विज्ञापन में इन्फ्लुएंसर की नैतिकता (Ethics of Influencer Endorsements) 160

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) **163**

10.1. पी.एम. स्वनिधि (PM Svanidhi) 163

10.2. जल जीवन मिशन {Jal Jeevan Mission (JJM)} 164

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना लेखों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।

पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं।

विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।

सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Power)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कॉलेजियम प्रणाली में **कार्यकारी प्रतिनिधित्व** की मांग ने भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में **"शक्तियों का पृथक्करण" के सिद्धांत** पर बहस को जन्म दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- कानून और न्याय मंत्रालय ने अपने पत्र में सुझाव दिया है कि **केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल** किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, **राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को हाई कोर्ट कॉलेजियम में शामिल** करना चाहिए।
- उप-राष्ट्रपति ने भी कहा था कि वह **1973 के ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती वाद' के निर्णय** से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने **"मूल ढांचे (Basic Structure)"** की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। उप-राष्ट्रपति के अनुसार, इस वाद में न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा (या पुनर्विलोकन) को तो बरकरार रखा था, लेकिन **अनुच्छेद 368** के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कॉलेजियम की सिफारिश के बाद सरकार द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी करने के मुद्दे पर पर कहा है कि संविधान के तहत **सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी के लिए बाध्यकारी है।**

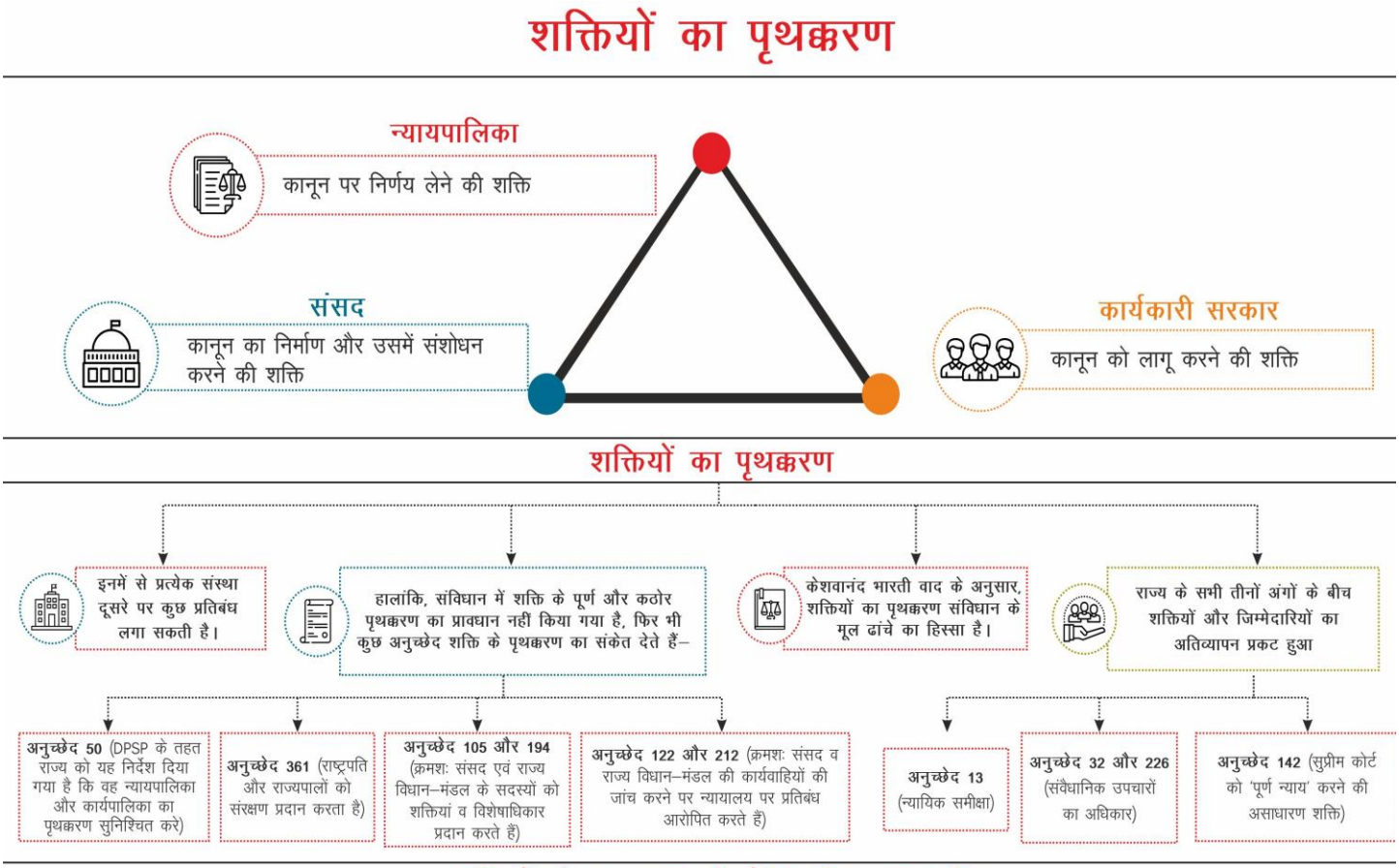

भारत में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का महत्त्व

- **नागरिक अधिकारों का संरक्षण:** न्यायपालिका संविधान की अंतिम व्याख्याकार है। इस प्रकार वह **नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा** करती है।
  - उदाहरण के लिए- **न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ वाद** में सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से **'निजता के अधिकार'** की भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की थी।
- **शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है:** शक्तियों को अलग-अलग संस्थानों के बीच विभाजित किया गया है, लेकिन इन संस्थानों को सीमित शक्तियां ही दी गई हैं। यह व्यवस्था तानाशाही या अराजकता के उद्भव को रोकती है तथा संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखती है।
- **न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है:** शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा न्यायपालिका को अपने कार्यों के संपादन के लिए मिली स्वतंत्रता को मजबूत करने में मदद करती है।
- **कार्यात्मक विशेषज्ञता का निर्माण करता है:** यह अलग-अलग संस्थानों के बीच कार्यात्मक विशेषज्ञता सृजित करता है। साथ ही, यह शासन में दक्षता सुनिश्चित करता है।
- **सरकारी संस्थानों के बीच संघर्ष को कम करता है:** इसका उद्देश्य सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच टकराव के किसी भी कारण से शांतिपूर्ण ढंग से निपटना है। यह न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था के साथ-साथ विभिन्न संस्थानों के कार्यक्षेत्रों की सुपरिभाषित सीमाएं भी नियत करता है।

शक्तियों के पृथक्करण पर न्यायपालिका के निर्णय

केशवानंद भारती और अन्य बनाम केरल राज्य वाद

इस वाद में शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान के **मूल ढांचे** के अधीन है। इसलिए, मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले किसी भी संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा।

आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य वाद

इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि नौवीं सूची कुछ कानूनों को **न्यायिक समीक्षा** से पूर्ण संरक्षण प्रदान करती है। यह मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन है।

राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य वाद

इस वाद में न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान ने वास्तव में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को उसकी पूर्ण कठोरता में मान्यता नहीं दी है। हालांकि, सरकार के अलग–अलग भागों या शाखाओं के कार्यों में पर्याप्त अंतर किया गया है।

पी. कन्नदासन बनाम तमिलनाडु राज्य वाद

इस वाद में न्यायालय ने कहा था कि "संविधान ने संवैधानिक न्यायालयों को संसद और राज्य विधान–मंडलों द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों को अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की है, जो संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करते हैं।

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद

इस वाद में न्यायालय ने कहा था कि सरकार के तीनों अंगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों को अपने दायरों के भीतर और संविधान द्वारा निर्दिष्ट कुछ अतिक्रमणों को ध्यान में रखकर करेंगे।

करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद

न्यायालय ने कहा था कि संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर "कानून का निर्माण करना विधायिका का काम है और कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का है तथा कानून की व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका का है।

भारत में शक्ति के पृथक्करण से संबंधित मुद्दे

- **कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच गतिरोध:** शीर्ष न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एक **प्रक्रिया ज्ञापन (MoP)**[1] द्वारा शासित होती है। इस MoP को 1947 में जारी किया गया था तथा इसे 1999 में अपडेट किया गया था।
  - न्यायपालिका ने 2015 में **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)**[2] **को असंवैधानिक घोषित** कर दिया था।
  - न्यायालय ने 2015 में केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह कॉलेजियम की कार्यवाही को पारदर्शी बनाने के लिए **एक नया MoP जारी करे।**
  - **2017 में, नए MoP को अंतिम रूप** दे दिया गया था, परंतु इसे **अभी तक अपनाया नहीं गया है।** सरकार ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर पुनर्विचार कर रही है।
- **कार्य विभाजन में चुनौतियां:** यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि सरकार के तीनों अंग (कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका) स्वतंत्र हैं तथा ये एक दूसरे से अलग हैं।
  - हालांकि, व्यवहार में उनके **कार्यों और शक्तियों में ओवरलैप** हो सकता है। इससे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करने में संघर्ष और चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

[1] Memorandum of Procedure

[2] National Judicial Appointments Commission

- उदाहरण के लिए- **यदि विधायिका के पास केवल कानून बनाने की ही शक्ति हो, तो उसे अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।** इसका कारण यह है कि विधायिका की दंडित करने की इस शक्ति को **अर्ध-न्यायिक कार्य** के रूप में देखा जा सकता है।

- **दूसरे अंग के अतिक्रमण की ओर ले जाता है:** इस सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या के अनुसार सरकार का एक अंग दूसरे अंग के आवश्यक कार्यों का अतिक्रमण किए बिना अपने आकस्मिक कार्यों का संपादन कर सकता है।
  - हालांकि, इस मामले में अतिक्रमण का जोखिम फिर भी बना रहता है। इससे सत्ता संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, जिससे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कमजोर पड़ सकता है।

आगे की राह

- अलग-अलग **संस्थानों के बीच उचित नियंत्रण और संतुलन को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।
- **समयसीमा: PLR प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड (2021) मामले में,** सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह के गतिरोध से बचने के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र द्वारा 3-4 सप्ताह के भीतर मंजूरी दे देनी चाहिए।
- नागरिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करके **संवैधानिक सर्वोच्चता को बढ़ावा** देना चाहिए।

अन्य संबंधित तथ्य

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (National Judicial Commission: NJC) विधेयक 2022

- हाल ही में, **राज्य सभा में एक गैर-सरकारी सदस्य ने NJC विधेयक, 2022 पेश** किया है।
- NJC विधेयक, 2022 का उद्देश्य **राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित** करना है।
- **यह विधेयक NJC द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रियाओं को विनियमित करने का प्रयास करता है:**
  - **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों तथा सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति** के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने हेतु;
  - उनके **स्थानांतरण के लिए तथा न्यायिक मानकों को निर्धारित करने** और न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए;
  - सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के दुर्व्यवहार या अक्षमता से संबंधित व्यक्तिगत शिकायतों की जांच के लिए **विश्वसनीय और उचित तंत्र स्थापित करने का प्रावधान** करने के लिए; तथा
  - किसी न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही के संबंध में **संसद द्वारा राष्ट्रपति को दिए जाने वाले समाधान की प्रस्तुति के लिए।**

1.2. संघवाद: दिल्ली का विशिष्ट दर्जा (Federalism: Unique Status of Delhi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के दिनों में केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच टकराव चल रहा है। इसका कारण कार्यों का अतिव्यापन है, जो केंद्र शासित प्रदेशों में नियमित प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित कर रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट में **दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव** का एक मामला चल रहा है। यह मामला दिल्ली में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के **सिविल सेवकों के पदस्थापन और स्थानांतरण के प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित है।**
- केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश और कुछ नहीं बल्कि संघ (भारत का) का ही विस्तार है।

केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की वर्तमान स्थिति

- वर्ष 1991 में संविधान में **69वां संशोधन** किया गया था। इसके माध्यम से दिल्ली को **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का विशेष दर्जा** दिया गया था। साथ ही, इसकी अपनी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार और विधान सभा का भी प्रावधान किया गया था।
  - संविधान के **अनुच्छेद 239A के बाद दो नए अनुच्छेद 239AA और 239AB** को जोड़ा गया था।
  - विधान सभा के पास **राज्य सूची या समवर्ती सूची** में कुछ भी सूचीबद्ध करने की शक्ति होगी, यहां तक कि ऐसा कोई मामला जो केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होता हो।
    - लेकिन, कुछ मामलों में विधान सभा को शक्ति प्राप्त नहीं है। ऐसे मामलों में शामिल हैं-
      - ✓ राज्य सूची की **प्रविष्टि 1, 2 और 18** से संबंधित मामले; तथा
      - ✓ राज्य सूची की ही **प्रविष्टि 64, 65 और 66** से संबंधित मामले जब तक कि वे उक्त प्रविष्टि 1, 2 और 18 से संबंधित हैं।
  - यदि उप-राज्यपाल (L-G) और उसके मंत्रियों के बीच किसी मामले पर मतभेद हो जाता है, तो उप-राज्यपाल इस मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा। साथ ही, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार काम करेंगे।
  - NCT दिल्ली में **लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि** के विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

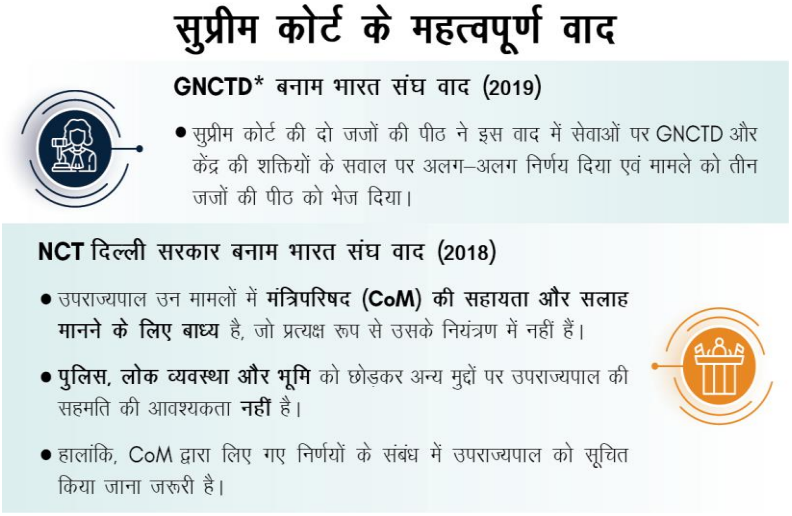

- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम (GNCTD), 2021**[3]
  - विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में **'सरकार'** शब्द का अर्थ L-G होगा।
  - दिल्ली के मंत्रिमंडल या किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णयों पर **किसी भी कार्यकारी कार्रवाई से पूर्व उप-राज्यपाल का मत प्राप्त किया जाएगा।**
  - उप-राज्यपाल को उन विधेयकों पर स्वीकृति को लंबित करने या उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुरक्षित रखने की शक्ति प्रदान की गई है, जो संयोगवश किसी ऐसे मामले को शामिल करते हैं, जो विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर हैं।

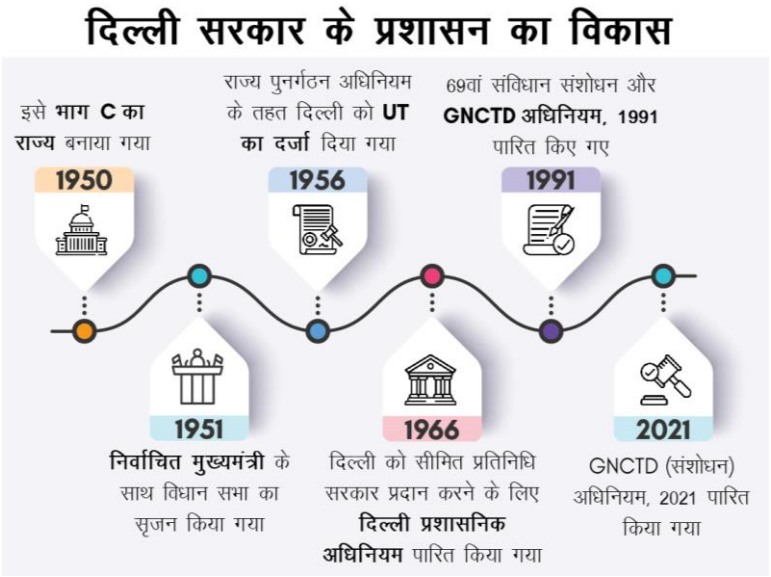

मौजूदा व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं

- **विधायिका के विशेषाधिकार के विरुद्ध:** विधान-मंडल को अपनी कार्यवाहियों के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति उसे मिले विशेषाधिकारों का भाग है। ये विशेषाधिकार विधान-मंडल के दोनों सदनों को प्राप्त हैं।
- **L-G की कार्रवाई की जवाबदेही नहीं:** प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में जांच पड़ताल करने के लिए विधान सभा द्वारा कोई नियम नहीं बनाया जाएगा। कार्यकारी जवाबदेही सरकार की संसदीय प्रणाली का सार है। यह संविधान के **मूल ढांचे** का एक हिस्सा है।

[3] Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act (GNCTD) 2021

- **चुनी हुई सरकार को कमजोर करना:** 'सरकार' के रूप में L-G, विधान सभा द्वारा पारित किसी भी कानून को लागू करने या सदन के निर्देशों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। इसका कारण यह है कि L-G विधान सभा के प्रति जवाबदेह नहीं है।
- **शक्ति का संकेंद्रण:** जैसा कि GNCTD अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि विधान सभा द्वारा निर्मित किसी भी कानून में **"सरकार" शब्द का अर्थ उप-राज्यपाल होगा।**
    - यदि दिल्ली का प्रशासन **अनुच्छेद 239AA के प्रावधानों** के अनुसार नहीं चलाया जाता है, तब L-G की एक रिपोर्ट के आधार पर **अनुच्छेद 239AB** के तहत इस क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब यदि L-G ही सरकार है, तो क्या उसे स्वयं अपने खिलाफ रिपोर्ट देनी होगी या नहीं।
- **सहकारी संघवाद के खिलाफ:** यह अधिनियम **सहकारी संघवाद की भावना की उपेक्षा** करता है। साथ ही, **NCT दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ मामले (2018)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मूलभूत सिद्धांतों के भी विपरीत है।
- **सेवा विभाग पर नियंत्रण:** चूंकि, दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए यहां गवर्नेंस हमेशा एक विवादास्पद मुद्दा रहा है और सेवा विभाग भी L-G के अधीन आता है।

दिल्ली और पुडुचेरी में L-G की शक्तियों के बीच अंतर

- दिल्ली के L-G को पुडुचेरी के L-G से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं।
    - दिल्ली के L-G को **"कार्यकारी कार्य"** सौंपे गए हैं। ये L-G को मुख्यमंत्री के परामर्श से **"लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि"** से जुड़े मामलों में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं, यदि संविधान के **अनुच्छेद 239** के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के तहत ऐसा उपबंध किया गया है।
- दिल्ली का उप-राज्यपाल **GNCTD (संशोधन) अधिनियम 2021 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य संचालन नियम, 1993** द्वारा भी निर्देशित है। वहीं दूसरी तरफ पुडुचेरी का L-G अधिकतर मामलों में **संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963** द्वारा निर्देशित है।
- **संविधान के अनुच्छेद 239AA सहित GNCTD (संशोधन) अधिनियम 2021** द्वारा यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इसी कारण, यहां केंद्र सरकार की भूमिका पुडुचेरी की तुलना में कहीं अधिक है।

आगे की राह

- **सहयोगात्मक संरचना:** शीर्ष न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला था कि संविधान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में निर्धारित योजना एक सहयोगी संरचना की परिकल्पना करती है। इसे केवल संवैधानिक विश्वास के माध्यम से ही साकार किया जा सकता है।
- **बेहतर मिश्रित संतुलन को अपनाना:** इसे दिल्ली के विशेष दर्जे और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते मूलभूत चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाना चाहिए।
- **राजनीतिकरण को कम करना:** दो राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करना अंतत: **प्रतिनिधिमूलक शासन** के आदर्शों पर हमला करने के समान है।
- **सुस्पष्ट व्याख्या:** प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के व्यापक हित में मौजूदा कानूनों की उसी तरह स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए, जिस उद्देश्य को लेकर उन्हें बनाया गया था।

संघवाद के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे "वीकली फोकस" डॉक्यूमेंट का संदर्भ ले सकते हैं।

अनूठा भारतीय संघवाद: विकसित होते आयाम और उभरते सरोकार

भारतीय संविधान के संस्थापकों ने भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अनूठे संघीय ढांचे की कल्पना की थी। संघीय अभिशासन की एक सुव्यवस्थित संरचना और अच्छी तरह से कार्य करने वाली प्रणाली होती है। यह प्रणाली अपने कई गुना लाभों के आधार पर, किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, पिछले दशकों के दौरान भारतीय संघ की कार्यप्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में होने वाले टकराव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यह दस्तावेज़ भारत के संघीय ढांचे की उभरती हुई प्रकृति और महत्व को सूचीबद्ध करता है। इसके अलावा, यह उभरते खतरों और इसे प्रभावित करने वाले परिवर्तनों पर भी प्रकाश डालता है। आगे बढ़ते हुए, यह भारतीय संघवाद के ताने-बाने को मजबूत करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव देता है, जो इसकी अनूठी विशेषताओं को बरकरार रखेंगे।

1.3. चुनाव और प्रौद्योगिकी (Elections & Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई दिल्ली में **"यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी"** विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। **भारतीय निर्वाचन आयोग** (ECI)[4] ने इस सम्मेलन की मेजबानी की थी।

चुनाव और प्रौद्योगिकी के बारे में

- चुनावी प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की शुरुआत दुनिया भर में मतदाताओं के साथ-साथ विशेषज्ञों के बीच रुचि तथा चिंता दोनों पैदा कर रही है।
- दुनिया भर में अधिकांश चुनाव प्रबंधन निकाय (EMBs) चुनावी प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से नई तकनीकों का उपयोग करते हैं।

ICT गतिविधियों को कई स्तरों पर निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

चुनाव पूर्व गतिविधियां

- मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली:
  - मानकीकृत इस्तेमाल और डेटा फॉर्मेट के जरिए **ECI के फील्ड कार्यों को स्वचालित करना।**
  - मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान-पत्र (EPIC) का डिजिटलीकरण करना।
- मतदान कर्मियों के चयन, EVMs और माइक्रो आब्जर्वर्स का यादृच्छिकीकरण (Randomization) करना।

चुनाव के दिन की गतिविधियां

- कम्युनिकेशन प्लान फॉर इलेक्शन ट्रैकिंग (कॉमेट/ComET):
  - इसे देश के सभी मतदान केंद्रों के संचार विवरणों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए लागू किया गया है।
  - कॉमेट को पहली बार 2008 के राज्य विधान सभा चुनावों के दौरान मध्य प्रदेश में लागू किया गया था।
- मतदान केंद्रों से मतदान की कार्यवाही की वेब कास्टिंग/ वीडियो स्ट्रीमिंग।
- लोक सभा चुनाव 2009 के दौरान पहली बार तमिलनाडु ने लाइव-रिकॉर्डिंग की थी।

चुनाव के बाद

- परिणाम/रुझानों का प्रसार:
  - अधिकतम थ्रूपुट के लिए मानकीकृत और अनुकूलित रिपोर्ट का उपयोग करके दुनिया भर में हितधारकों के लिए चुनाव परिणामों का प्रसार किया जा सकता है।

चुनाव से संबंधित अन्य गतिविधियां

- अन्य गतिविधियों में प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसे- CEO वेबसाइट का डिजाइन और होस्टिंग, मतदाता सूची की मेजबानी, लोक शिकायतों के निवारण के लिए वेबसाइट, अनुकूलित वेब पोर्टल आदि।

अन्य संबंधित तथ्य

- **ECI 'डेमोक्रेसी कॉहोर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी'** का नेतृत्व कर रहा है। इसे **'समिट फॉर डेमोक्रेसी' के अनुवर्ती के रूप में** स्थापित किया गया था।
  - 'समिट फॉर डेमोक्रेसी', **अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पहल है।** इस पहल की शुरुआत दिसंबर 2021 में की गई थी।
- **भारत** ECI के माध्यम से,**'समिट फॉर डेमोक्रेसी' के ईयर ऑफ एक्शन प्रोग्राम के रूप में** 'डेमोक्रेसी कॉहोर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी' का नेतृत्व कर रहा है। इसके तहत ECI दुनिया भर के अन्य लोकतंत्रों के साथ अपने ज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञता व अनुभवों को साझा कर रहा है।
- कॉहोर्ट के नेतृत्वकर्ता के रूप में ECI ने दुनिया भर में चुनाव प्रबंधन निकायों (EMBs)[5] को **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान** करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त, **अन्य EMBs की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी परामर्श प्रदान** करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है।

[4] Election Commission of India

[5] Election Management Bodies

चुनावों में प्रौद्योगिकी का महत्त्व

- **चुनाव में धोखाधड़ी में कमी:** प्रौद्योगिकी जनता के लिए पहले ही और अधिक विस्तृत रूप में परिणाम जारी करने हेतु एक सक्षमकारी परिवेश प्रदान करती है।
    - यह पारदर्शिता **धोखाधड़ी को रोकती है। इस प्रकार यह एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित** करती है।
- **मतदाता रजिस्टर की सटीकता में सुधार करने में मदद मिलती है:** उदाहरण के लिए- ब्राजील में इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पंजीकरण प्रणाली बनाई गई है। इसका उद्देश्य मतदाताओं का एक से अधिक स्थानीय रजिस्ट्रियों में पंजीकरण होने से रोकना है।
- **पहुंच में सुधार:** उदाहरण के लिए- भारत ने **इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ETPBS)**[6] की शुरुआत की है। यह प्रणाली सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्रों का एक तरफा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है।
    - इसने उन सेवा मतदाताओं के लिए मतदान को **अधिक सुलभ बना दिया है, जो अपने पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्र में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं** हो सकते हैं।
- **दक्षता में सुधार:** प्रौद्योगिकी के माध्यम से चुनाव कार्यालय प्रबंधन प्रक्रियाओं में प्राप्त दक्षता सभी मतदाताओं की सेवाओं में सुधार करती है। इसके अंतर्गत चुनाव कार्यालयों में कर्मचारियों की गतिविधियों का समन्वय भी शामिल है।
- **मतदान प्रतिशत में सुधार:** इंटरनेट विशेष रूप से मतदाता पहुंच के लिए उपयोगी है। यह विशेष रूप से युवा मतदाताओं के लिए उपयोगी है, जो अपनी अधिकांश जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करते हैं।
- **चुनाव से संबंधित जानकारी का प्रसार करना:** एजेंसियां वेब साइट्स, ई-न्यूजलेटर्स, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट आदि के माध्यम से जानकारी का प्रसार कर सकती हैं।

चुनाव में प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित चुनौतियां

- **डीप फेक का उपयोग:** इसके ज़रिए विघटनकारी तत्व लोक धारणा को बदलने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा, ऐसे तत्त्व डीप फेक को बार-बार तथ्य के रूप में पेश करके उपयोगकर्ता को भ्रमित कर सकते हैं।
    - उदाहरण के लिए- चुनाव से ठीक पहले EVM हैकिंग पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, टी. एस. कृष्णमूर्ति का एक डीप फेक वीडियो प्रसारित हुआ था।
- **मतदाताओं का हेर-फेर:** उदाहरण के लिए- **कैम्ब्रिज एनालिटिका** ने 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति अभियान के लिए कार्य किया था। इसके लिए एनालिटिका ने मतदाता प्रोफाइलिंग एवं लक्ष्यीकरण के उद्देश्यों से लाखों फेसबुक खातों से व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त की थी।
- **साइबर सुरक्षा जोखिम:** साइबर सुरक्षा जोखिम चुनावी प्रक्रिया के समक्ष एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए- रूस पर यह आरोप लगा था कि उसने वोट डेटा वाले कंप्यूटरों में हैकिंग के माध्यम से 2016 के संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की थी।
- **प्रौद्योगिकियों की सार्वभौमिक पहुंच:** प्रौद्योगिकियां कम या बिना किसी लागत के सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध हैं।
    - इसका अर्थ है कि कोई भी इन प्रौद्योगिकियों का देश के भीतर या बाहर से उपयोग कर सकता है और उनमें हेर-फेर कर सकता है। इसके माध्यम से संरक्षित समूहों को लक्षित किया जा सकता है और लोकतंत्र की शुचिता को कम किया जा सकता है।
- **मतदाताओं में जागरूकता की कमी:** मतदाताओं का इस पर नियंत्रण बहुत कम है कि उन्हें सोशल मीडिया द्वारा कैसे प्रोफाइल किया जाता है और इसका उनके फ़ीड पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर क्या असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त, उनका इस पर भी बहुत कम नियंत्रण है कि वे अन्य उपयोगकर्ताओं की तुलना में क्या देखते हैं।

आगे की राह

- **ऑनलाइन स्पेस में मतदाता सुरक्षा:** डेटा स्थानीयकरण से ऑनलाइन स्पेस पर मतदाता सुरक्षा का विस्तार करने में मदद मिलती है। यदि देश के भीतर मतदाता डेटा का भंडारण आवश्यक बना दिया जाता है, तो इससे विदेशी अभिकर्ताओं के लिए चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना अधिक कठिन हो जाता है।
- **बिग टेक कंपनियों के लिए जवाबदेही तंत्र:** विनियामकों द्वारा उन्हें अपनी मूल कंपनियों के साथ डेटा साझा करने से रोकने का आदेश दिया जाना चाहिए, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में किया गया है।
- **साइबर हस्तक्षेप को पहचानना एवं दंडित करना:** यह आवश्यक है कि **घरेलू कानून** चुनावों में साइबर हस्तक्षेप की पहचान करें और उसे दंडित करें।

[6] Electronically Transmitted Postal Ballot System

- यह दुर्भावनापूर्ण अभिकर्ताओं को चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से रोकेगा। साथ ही, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

- **चुनाव संचालन संस्थान में समर्पित साइबर सुरक्षा इकाई:** साइबर खतरों से बचाने के लिए समर्पित साइबर सुरक्षा इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए। इन इकाइयों द्वारा अधिकारियों और राजनीतिक कर्मचारियों को बुनियादी साइबर सुरक्षा प्रणालियों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जैसे कि पासवर्ड अपडेट करना, फिशिंग प्रयासों को पहचानना आदि।

1.4. न्यायपालिका में महिलाएं (Women in Judiciary)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में **तीसरी बार पूर्ण महिला पीठ** का गठन किया गया है।

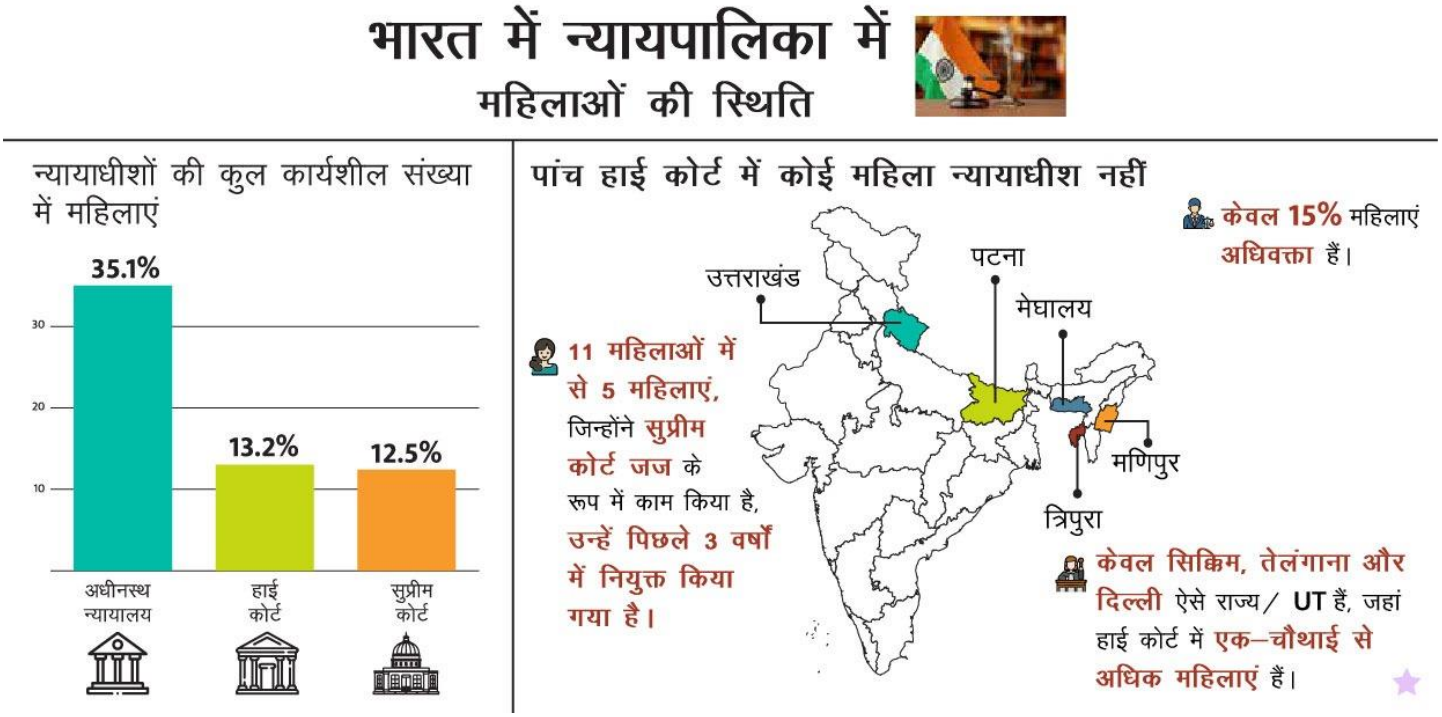

अन्य संबंधित तथ्य

- **सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में केवल तीन बार (2013, 2018 व 2022)** पूर्ण महिला पीठों का गठन किया गया था।
- इस तीसरी पूर्ण महिला पीठ ने **वैवाहिक विवादों और जमानत से जुड़े मामलों से संबंधित स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई** की थी।
- सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में केवल **3 महिला न्यायाधीश** हैं। इस संख्या को देखते हुए देश को 2027 में ही अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलेगी।

न्यायपालिका में महिलाओं का महत्त्व

- **विविधता:** विशेषकर महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में न्यायपालिका में विविधता लाने की आवश्यकता है।
  - यह लैंगिक परिप्रेक्ष्य को प्रासंगिक बनाएगा, क्योंकि **महिला न्यायाधीश न्यायपालिका में अलग अनुभव और प्रभाव का समावेश करती हैं।** ये अनुभव व प्रभाव महिलाओं की सोच को आकार देते हैं। साथ ही, ये उनके निर्णयों में उनके तर्कों के रूप में परिलक्षित भी होते हैं।
- **लोक विश्वास का निर्माण:** महिला न्यायाधीश, न्यायालयों की वैधता में वृद्धि करने और न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।
  - यह एक शक्तिशाली संकेत है कि न्यायालय न्याय मांगने वालों के लिए खुले हैं और सुलभ भी हैं।
- **आधुनिकीकरण और सुधार:** एक न्यायालय की लंबे समय से स्थापित जनसांख्यिकी को बदलने से उस न्यायालय को स्वयं को एक नए आलोक में विचार करने के लिए अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकता है। साथ ही, संभावित रूप से आगे और भी आधुनिकीकरण एवं सुधार हो सकता है।

- **महिलाओं की विज़िबिलिटी:** न्यायपालिका में महिलाओं के आने से इस क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त वे महिलाओं एवं अन्य लिंगों के बीच अपनेपन की भावना भी पैदा करती हैं।
    - इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि न्याय प्रणाली अधिक समावेशी है और समग्र रूप से समाज का प्रतिनिधित्व करती है।

न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व हेतु उत्तरदायी कारण

- **सामाजिक कारक:** कानून में लंबा और अनम्य कार्य समय तथा इसी के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां जैसे कारण विधि व्यवसाय में संलग्न महिलाओं को अपना पेशा छोड़ने के लिए बाध्य कर देते हैं। इसके कारण वे निरंतर प्रैक्टिस की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रह जाती हैं।
    - **एक महिला के करियर के सबसे रचनात्मक और निर्णायक वर्ष** के समय ही उसके द्वारा अपना परिवार बढ़ाने के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण समयावधि होती है।
    - कुछ महिलाएं पूरी तरह से प्रैक्टिस छोड़ देती हैं। **अन्य महिलाएं अंशकालिक या अधिक स्थिर विकल्पों को चुनती हैं।**
    - **महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व** से न्यायिक प्रणाली **न केवल विविधता से बल्कि उस क्षमता और गुणवत्ता से भी वंचित हो जाती है,** जिनका ये महिलाएं कानून व न्याय प्रदान करने में समावेश कर सकती हैं।
- **प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड:** जिला न्यायाधीशों के रूप में महिलाओं की भर्ती के समक्ष एक प्रमुख बाधा प्रवेश परीक्षा के पात्रता मानदंड हैं।
    - जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ताओं/ वकीलों द्वारा **7 वर्ष तक लगातार कानूनी प्रैक्टिस करना और 35-45 वर्ष के आयु वर्ग में होना** आवश्यक है।
- **न्यायपालिका में लैंगिक असमानता:** अब तक केवल एक महिला न्यायाधीश को छोड़कर, कोई भी महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट में नियुक्तियों की देख-रेख करने वाले शीर्ष तीन न्यायाधीशों के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जगह नहीं बना पाई है।
    - **महिलाओं के अधिवक्ता से न्यायाधीश बनने के उदाहरण भी बहुत कम हैं।**

आगे की राह

- **अनुकूल कार्यस्थल** तब सुनिश्चित होगा जब सभी स्तरों पर पुरुष, कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में भाग लेंगे। साथ ही, जब महिलाओं की समस्याओं को सभी वर्गों (लैंगिक) की समस्याओं के रूप में माना जाएगा।
- **न्यायिक पीठों** को महिला वकीलों की योग्यताओं और क्षमताओं के खिलाफ व्याप्त मिथकों या धारणाओं का खंडन करना चाहिए। इसके लिए न्यायालयों में युवा महिला वकीलों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- अधिक से अधिक महिलाओं को वरिष्ठ अधिवक्ता/ वकील बनाकर **बार में सकारात्मक कार्रवाई** सुनिश्चित करनी चाहिए। इससे अधिक महिला वकीलों की भागीदारी का परिवेश निर्मित होगा।
- देश के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने यह सुझाव दिया था कि महिलाओं को **उच्च न्यायपालिका में 50% तक आरक्षण** प्रदान करना चाहिए।
- निचली अदालतों से उच्चतर न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की **पदोन्नति की दर उच्च होनी चाहिए।**
- **शिक्षा प्रणाली को इस तरह से पुनर्निर्देशित करना** चाहिए कि यह कार्य और जीवन संतुलन को प्रेरित कर सके। उदाहरण के लिए- बच्चे की परवरिश तथा घरेलू जिम्मेदारियों को पुरुषों एवं महिलाओं दोनों द्वारा सार्थक रूप से साझा किया जाना।

1.5. आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Block Programme: ABP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य **अलग-अलग विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉक्स (प्रखंडों) के प्रदर्शन में सुधार** करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसकी घोषणा पहली बार केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी, किंतु **इसका स्पष्ट उल्लेख केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है।**

- यह **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)**[7] के मॉडल पर आधारित है। **इसे 2018 में शुरू किया गया था**। इस कार्यक्रम के तहत देश भर के 112 जिलों को शामिल किया गया है।

ABP की मुख्य विशेषताएं

- **कवरेज:** शुरुआत में इस कार्यक्रम के तहत 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के **500 प्रखंडों (Blocks) को ही शामिल** किया जाएगा।
  - इनमें से **आधे से अधिक प्रखंड 6 राज्यों** में हैं। ये राज्य हैं- (घटते क्रम में) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। हालांकि, राज्य बाद में इस कार्यक्रम में और प्रखंडों को जोड़ सकते हैं।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे **कई क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की पर्याप्तता सुनिश्चित करना है।**
- **महत्वपूर्ण संकेतक:** सरकार ने इस तरह के कई क्षेत्रों के अंतर्गत **15 प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों** (KSIs)[8] की पहचान की है।
  - राज्यों के पास **स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए अतिरिक्त राज्य-विशिष्ट KSIs को शामिल** करने की छूट है।
- **समय-समय पर रैंकिंग:** KSIs को रीयल-टाइम आधार पर ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा, प्रखंडों के बीच एक स्वस्थ और गतिशील प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में समय-समय पर रैंकिंग जारी की जाएगी।
- **कार्यक्रम का फोकस:** यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम भारत के सबसे दुर्गम और अविकसित प्रखंडों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए **गवर्नेंस में सुधार लाने** पर केंद्रित है। ऐसा **मौजूदा योजनाओं को मिलाकर,** आउटकम्स को परिभाषित करके और निरंतर आधार पर उनकी निगरानी करके किया जाएगा।

प्रखंडों के विकास पर फोकस क्यों किया जा रहा है?

भारत में प्रखंडों के समग्र विकास के लिए **सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत 1952 में** प्रखंड आधारित विकास की शुरुआत की गई थी। तब से उनका महत्त्व बढ़ गया है, क्योंकि वे निम्नलिखित को सक्षम करते हैं-

- **समावेशी विकास:** प्रखंड स्तर पर सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि **विकास का एक बड़ा हिस्सा आबादी के सीमांत और कमजोर वर्गों तक पहुंचे।**
- **स्थानीय रूप से अनुकूलन योग्य योजना निर्माण:** एक प्रशासनिक और निगरानी इकाई के रूप में, प्रखंड यह सुनिश्चित करता है कि देश के हर भाग में **"वन-साइज़-फिट्स-ऑल" दृष्टिकोण लागू नहीं** होता है।
  - प्रखंड प्रशासन सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार की दिशा में अनुकूलित दृष्टिकोण अपना सकता है।
- **जमीनी स्तर पर भागीदारी:** यह तरीका निर्णय लेने की प्रक्रिया को जमीनी स्तर के करीब लाता है।
- **अभिसरण और लक्ष्य की प्राप्ति:** प्रखंड प्रशासन के कई लाइन विभागों का अभिसरण सतत विकास में महत्वपूर्ण प्रशासनिक अंतराल को समाप्त करता है। इसके परिणामस्वरूप, SDGs के तहत महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)

- **उद्देश्य:** इसे जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। ADP का लक्ष्य देश भर के 26 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 112 सबसे कम विकसित जिलों का शीघ्रता से एवं प्रभावी ढंग से विकास करना है।
- **कार्यक्रम का फोकस:** मुख्य संचालकों के रूप में राज्यों के साथ यह प्रत्येक ज़िले की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही, तत्काल सुधार के लिए प्रभावी कारकों की पहचान करता है। यह मासिक आधार पर ज़िलों की **रैंकिंग करके इनकी प्रगति को मापता** है।
- **महत्वपूर्ण संकेतक:** ADP **5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों के तहत** 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) पर ध्यान केंद्रित करता है। **ये 5 विषय हैं- स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संसाधन, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास तथा अवसंरचना।**
  - **डेल्टा रैंकिंग** इन KPIs के आधार पर जिला रैंकिंग में वृद्धिशील परिवर्तन को दर्शाती है।
  - **बेसलाइन रैंकिंग** आधार रेखा वर्ष की तुलना में जिले के प्रदर्शन को दर्शाती है।

[7] Aspirational District Programme

[8] key socio-economic indicators

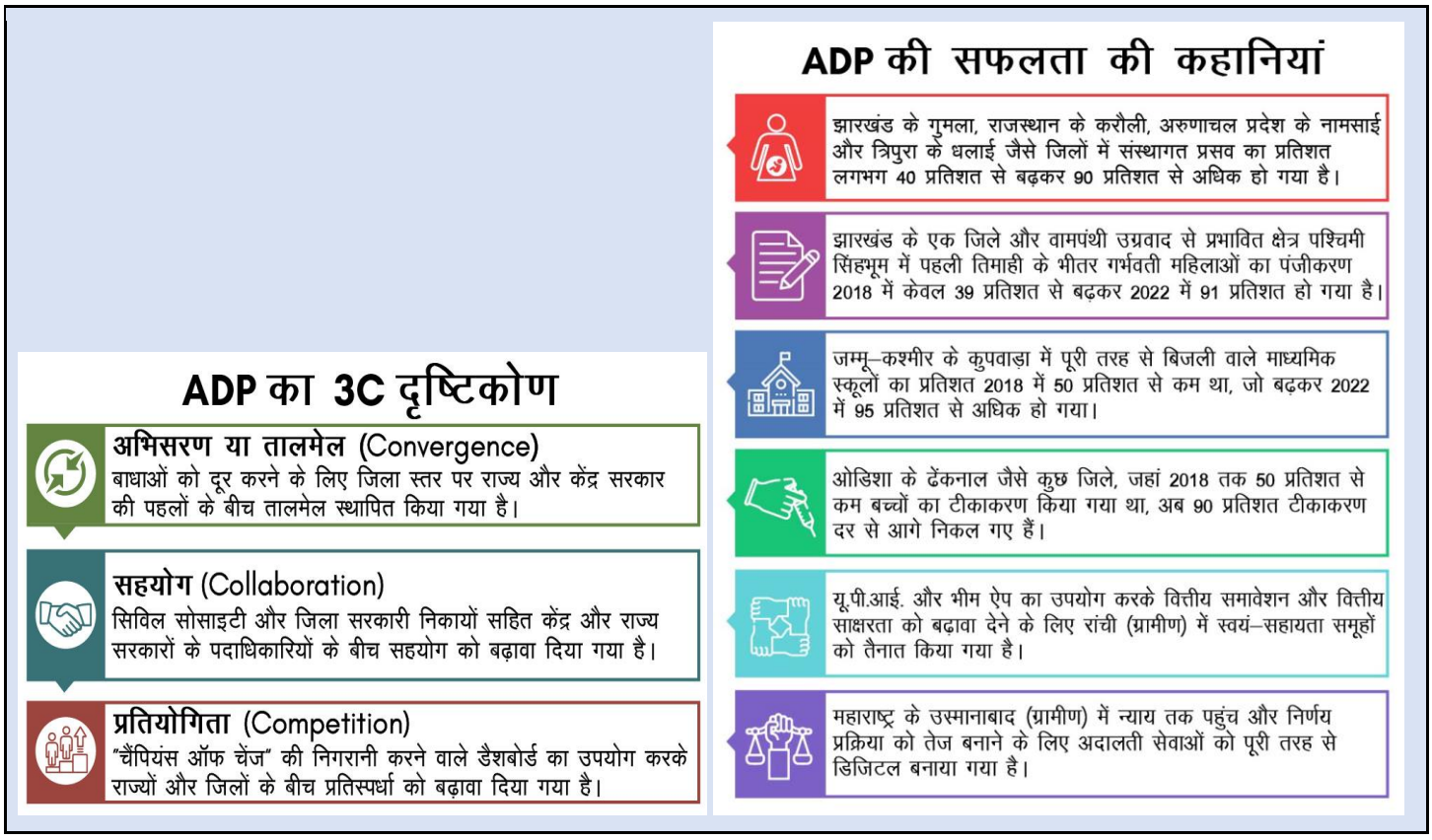

1.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.6.1. लोक सेवा कंटेंट (Public Service Content)

- हाल ही में, **सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा "लोक सेवा कंटेंट" प्रसारित करने की सलाह जारी** की गई थी।
- इस संबंध में दिशा-निर्देश पिछले साल 9 नवंबर को मंत्रालय द्वारा निर्मित **नए अपलिंकिंग-डाउनलिंकिंग नियमों** में निर्धारित किए गए थे।
    - नई एडवाइजरी, निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों और उनके एसोसिएशंस के साथ विचार-विमर्श के बाद जारी की गई है।
- **मुख्य विशेषताएं:**

कंटेंट	• चैनल **दिन में कम-से-कम 30 मिनट की अवधि के लिए लोक सेवाओं का प्रसारण** करेंगे। इसके तहत **राष्ट्रीय महत्त्व और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों को प्रसारित** किया जाएगा। इन विषयों में **शिक्षा, महिलाओं का कल्याण, पर्यावरण की सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत** आदि शामिल हैं। • प्रसारकों को अपने **कंटेंट में बदलाव करने की स्वतंत्रता** है। • **प्रसारकों के बीच कंटेंट साझा** किया जा सकता है।
प्रसारण समय	• चैनल **प्रत्येक महीने 15 घंटों के लिए राष्ट्रीय हित से संबद्ध कंटेंट** को प्रसारित करेंगे। • प्रसारित होने वाले कंटेंट को **लगातार 30 मिनट का होना जरूरी नहीं** है। इसे छोटी अवधियों के स्लॉट में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन आधी रात से सुबह 6 बजे तक इनका प्रसारण नहीं किया जा सकता है।
रिपोर्टिंग	• **स्वैच्छिक अनुपालन और स्व-प्रमाणन** इसके मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। • प्रसारक अगले महीने की 7 तारीख तक **ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल** पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। • **मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से छूट के लिए शर्तें:** ○ भारत में डाउनलिंकिंग (उपग्रह से जमीन की ओर संचार) करने (संविधान की **आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं** में प्रसारण) वाले विदेशी चैनल। ○ मुख्य रूप से ऐसे चैनल जो 12 घंटे से अधिक समय तक खेल, भक्ति, आध्यात्मिक और योग से संबंधित कंटेंट को प्रसारित करते हैं, उन्हें मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से छूट दी जाएगी।

पहचान	• सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर** 90 दिनों की अवधि के लिए प्रसारित कंटेंट का रिकॉर्ड रखेगा।

1.6.2. रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स (Rule of Law Index)

- **विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग** में सुधार के बाद अब **सरकार का ध्यान रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में बेहतर स्कोर प्राप्त करने पर है।**
- इस सूचकांक को **वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) प्रकाशित** करता है। WJP, **अमेरिका** स्थित एक नागरिक समाज समूह है।
  - **2022 के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 140 देशों में 77वें स्थान** पर था।
- **रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स का निर्धारण निम्नलिखित आठ कारकों पर आधारित है:**
  - सरकारी शक्तियों के उपयोग में बाधा,
  - भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति,
  - सरकार का खुला स्वरूप,
  - मौलिक अधिकार,
  - कानून व्यवस्था और सुरक्षा,
  - विनियामक प्रवर्तन,
  - नागरिक न्याय, तथा
  - आपराधिक न्याय।

1.6.3. मंत्रियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Free Speech of Ministers)

- सार्वजनिक पद धारण करने वाले लोगों को उपलब्ध **'वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' की सीमा** से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिए हैं:
  - संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत गारंटीकृत **वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार** पर अनुच्छेद 19(2) में दिए गए आधारों के अलावा **अन्य आधारों पर प्रतिबंध नहीं** लगाया जा सकता है।
  - **किसी मंत्री के बयान** (भले ही वह आधिकारिक क्षमता से दिया गया हो) **को सामूहिक जवाबदेही के सिद्धांत को लागू करके अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का बयान घोषित नहीं किया जा सकता।**
    - **अनुच्छेद 75(3) के तहत केंद्रीय मंत्री-परिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी** होती है। इसी प्रकार **अनुच्छेद 164(2)** के अंतर्गत **राज्य मंत्री-परिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी** होती है।
    - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **सामूहिक जवाबदेही मंत्री-परिषद से व्यक्तिगत मंत्रियों तक जाती है,** न कि इसके विपरीत अर्थात् यह व्यक्तिगत मंत्रियों से मंत्री-परिषद की ओर नहीं जाती है।
  - **अनुच्छेद 19 व 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों** को राज्य या उसके संगठनों के अलावा **अन्य व्यक्तियों के ऊपर भी लागू किया** जा सकता है।
  - **किसी मंत्री द्वारा दिया गया केवल कोई बयान (भले ही वह नागरिकों के अधिकारों के संगत नहीं हो) संवैधानिक अपकृत्य (Tort) के रूप में कार्रवाई योग्य नहीं हो जाता।**
    - हालांकि, यदि ऐसा बयान किसी लोक पदाधिकारी द्वारा **चूक या लापरवाही का कारण बनता है, तो यह संवैधानिक अपकृत्य है।**
      - ✓ 'संवैधानिक अपकृत्य' **सरकार के किसी अभिकर्ता द्वारा** अपने आधिकारिक सामर्थ्य में कार्य करते हुए, **किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों (विशेष रूप से मौलिक अधिकारों) का उल्लंघन है।**
  - ऐसे मामले में **अदालत, पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देने का आदेश** दे सकती है।

1.6.4. इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (e-SCR) परियोजना {Electronic Supreme Court Reports (E-SCR) Project}

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने e-SCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य आम जनता को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों तक पहुंच प्रदान करना है।
- e-SCR **शीर्ष अदालत के निर्णयों का डिजिटल संस्करण** उपलब्ध कराने की एक पहल है। इसमें **आधिकारिक कानून रिपोर्ट 'सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स'** में दर्ज निर्णय उपलब्ध कराए जाएंगे।

- इसकी सहायता से वर्ष 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर आज तक के सभी निर्णय **वकीलों और कानून के छात्रों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होंगे।**
- ये निर्णय **सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के जजमेंट पोर्टल** पर उपलब्ध होंगे।

1.6.5. चार्जशीट (Charge Sheets)

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत **चार्जशीट "सार्वजनिक दस्तावेज"** नहीं है।
  - न्यायालय ने कहा है कि **चार्जशीट को सार्वजनिक करने से पीड़ित, आरोपी और जांच एजेंसियों के अधिकारों का हनन** होता है।
- चार्जशीट एक **औपचारिक पुलिस रिकॉर्ड** होता है। इसमें **हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति के नाम, आरोपों की प्रकृति और आरोपियों की पहचान दर्ज** की जाती है।
- **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)**[9] पुलिस द्वारा तैयार किया गया एक **लिखित दस्तावेज** होता है। इसे तब तैयार किया जाता है, जब पुलिस को किसी **संज्ञेय अपराध के घटित** हो जाने की सूचना मिलती है।
  - **यूथ बार एसोसिएशन वाद (2016)** में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को बलात्कार जैसे संवेदनशील मामलों को छोड़कर **24 घंटे के भीतर FIR को वेबसाइट पर अपलोड** करने का निर्देश जारी किया था।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

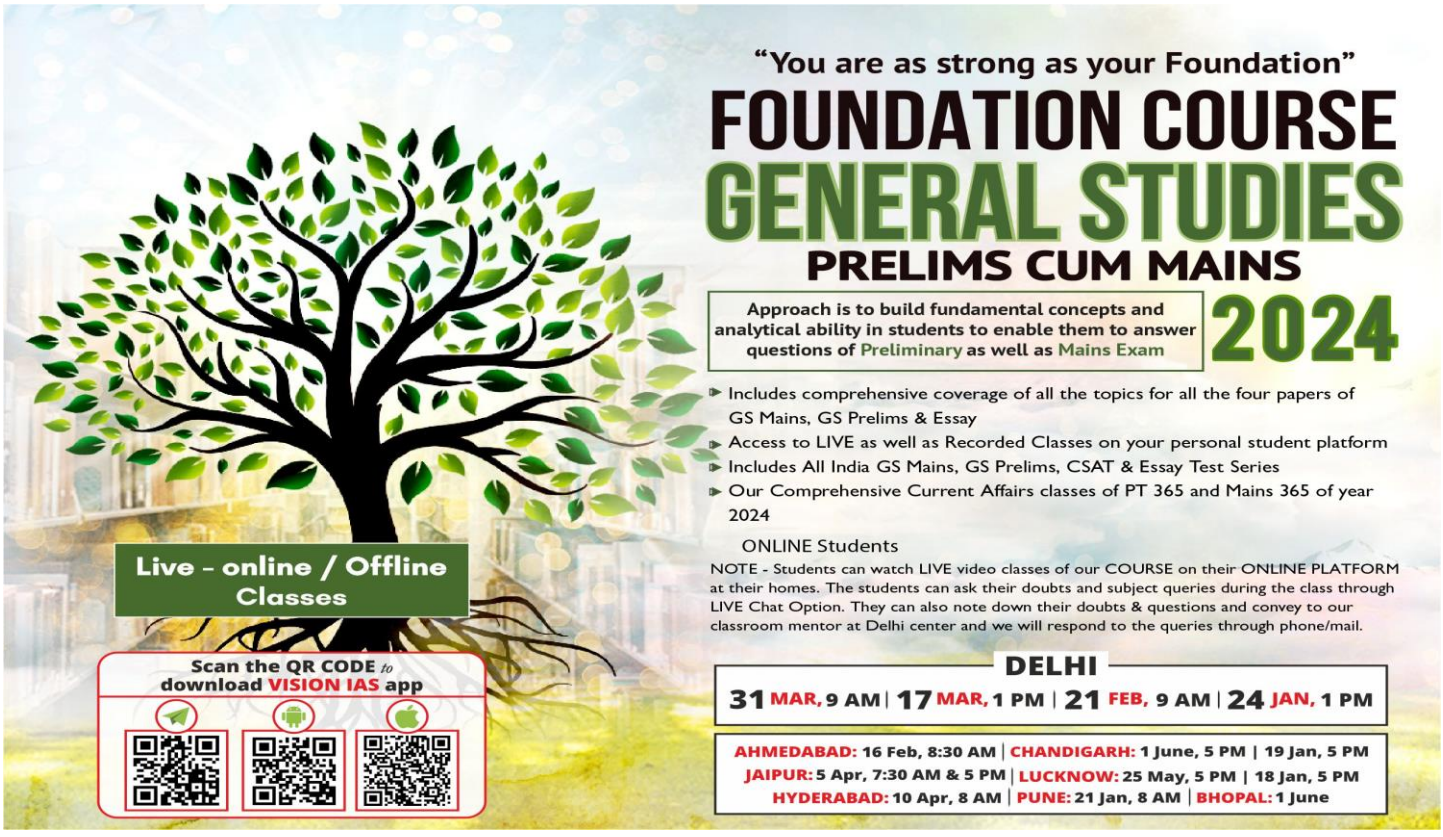

[9] First Information Report

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत और ग्लोबल साउथ (India and Global South)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने एक विशेष वर्चुअल समिट **वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन** की मेजबानी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारत द्वारा G-20 की अध्यक्षता इसे उन देशों के विचारों और आकांक्षाओं को साझा करने** का अवसर प्रदान करती है, **जिनका G-20 में प्रतिनिधित्व नहीं है।**
  - G-20 की अध्यक्षता के एजेंडे को **न केवल G-20 भागीदारों के साथ बल्कि ग्लोबल साउथ** के साथ भी परामर्श करके आकार दिया जाएगा।
  - इसने भारत के **वसुधैव कुटुम्बकम** के दर्शन को प्रतिबिंबित किया है।
- इसमें 120 से अधिक देशों ने भाग लिया है।
- इस शिखर सम्मेलन में **विश्व को फिर से सक्रिय करने के लिए 'प्रतिक्रिया, पहचान, सम्मान और सुधार' के एक वैश्विक एजेंडे का आह्वान** किया गया था।

शिखर सम्मेलन में शुरू की गई पहलें

- **आरोग्य मैत्री (वेलनेस फ्रेंडशिप):** भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा।
- **ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस:** यह ग्लोबल साउथ के किसी भी देश के विकास समाधानों या सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध करेगा। इसे ग्लोबल साउथ के अन्य सदस्य देशों में भी बढ़ाया और लागू किया जा सकता है।
- **ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव:** भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करेगा।
- **ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट्स फोरम:** यह विदेश मंत्रालयों के युवा अधिकारियों को जोड़ेगा।
- **ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप्स:** इसके ज़रिए विकासशील देशों के विद्यार्थियों को भारत में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

ग्लोबल साउथ के साथ संलग्नता में चुनौतियां

- **ग्लोबल साउथ को एकजुट करना:** विकासशील देशों के बीच गहरे आर्थिक भेदभाव और तीव्र राजनीतिक विभाजन के कारण ग्लोबल साउथ के अनुमानित सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करना मुश्किल है।
  - यह एक सुसंगत समूह नहीं है और इसका कोई साझा एजेंडा भी नहीं है।
- **घरेलू मुद्दे:** भारत प्रभावशाली समग्र सकल घरेलू उत्पाद और बढ़ती आर्थिक, औद्योगिक एवं तकनीकी क्षमताओं के बावजूद स्वयं कई विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है। साथ ही, बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है।
- **पिछले अनुभव:** गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM), G77 जैसे समूह विकासशील देशों की आवाज उठाने में ज्यादा प्रभावी नहीं रहे हैं।

विश्व को फिर से सक्रिय करने के लिए 'प्रतिक्रिया (Respond), पहचान (Recognize), सम्मान (Respect) और सुधार (Reform)' का वैश्विक एजेंडा

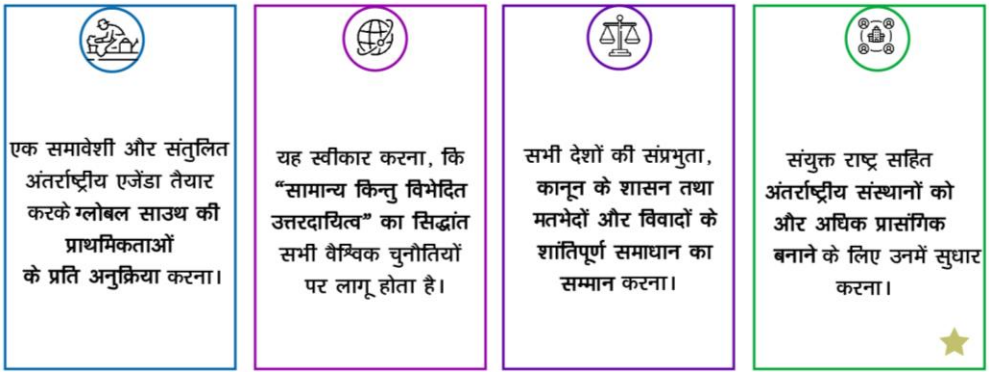

ग्लोबल साऊथ के साथ जुड़ने के लिए शुरू की गई पहलें

वैश्विक

- **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM):** यह **एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और विश्व के अन्य क्षेत्रों से संबंधित मुख्य रूप से तीसरी दुनिया के देशों** का एक समूह है। इसकी औपचारिक रूप से स्थापना **1961** में हुई थी। इस समूह के मुख्य उद्देश्य थे- **सामाजिक-आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का पुनर्गठन, समान स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** आदि।
- **समूह-77 (G-77):** इसकी स्थापना **15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों** द्वारा की गई थी। यह दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को व्यक्त करने और बढ़ावा देने के साधन प्रदान करता है। साथ ही, यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर अपनी संयुक्त वार्ता करने की क्षमता को बढ़ाने और विकास के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी साधन उपलब्ध करवाता है।

भारत

- **वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम:** भारत ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए अपने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के माध्यम से वैक्सीन की आपूर्ति की है।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief: HADR):** भारत अन्य विकासशील देशों को HADR सहायता प्रदान करता है।
- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (1964):** यह गरीब विकासशील देशों को विकास की उन अलग-अलग परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिन पर सहमति व्यक्त की गई है।

- **वित्त के क्षेत्र में पश्चिमी आधिपत्य:** भारत विकासशील देशों की विकासात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से अधिक मजबूत नहीं है।
  - पश्चिमी देश जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस आदि अपने वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाते हैं।
- **गैर-समावेशी:** वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में चीन, पाकिस्तान आदि देशों को आमंत्रित नहीं किया गया था। इससे ग्लोबल साउथ में दरार दिखाई दे रही है।

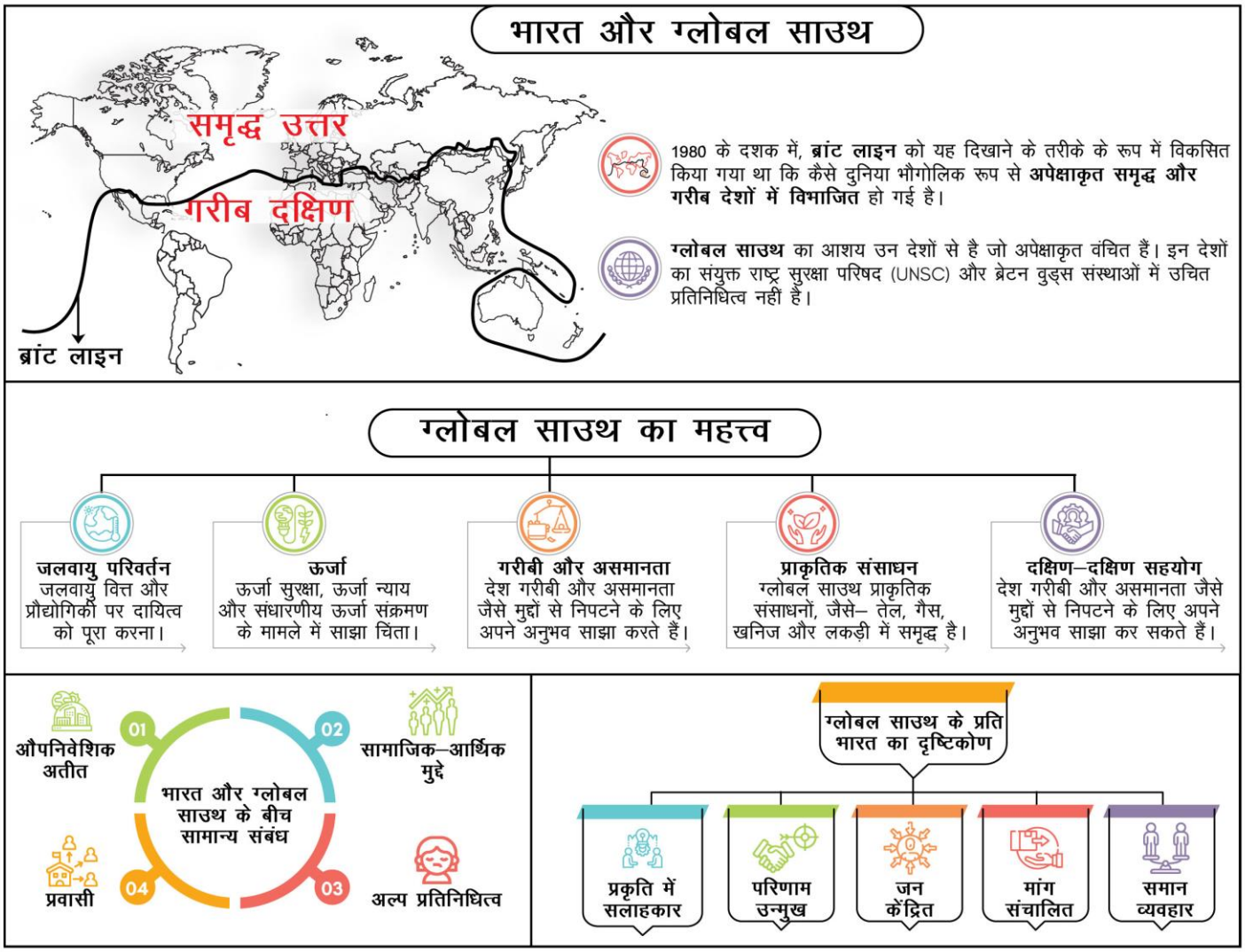

ग्लोबल साउथ के साथ संपर्क को बढ़ाना:

- **सहयोग:** ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए नियमित अवधियों पर शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए।
- **आपसी विश्वास:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और विश्वास बहाली के उपाय आपसी विश्वास को बढ़ाने में मदद करेंगे।
- **विकास परियोजनाएं:** समान विचारधारा वाले देशों की मदद से भारत ग्लोबल साउथ के अन्य देशों में विकास परियोजनाओं को लागू कर सकता है।
- **हितों को बढ़ावा देना:** भारत द्वारा ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को G-20 जैसे मंचों पर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

2023 में भारत का लक्ष्य ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करना और यह घोषित करना है कि **"उनकी आवाज़ भारत की आवाज़ है। उनकी प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकताएं हैं।"** विश्व गुरु (वैश्विक नेता) के रूप में उभरने हेतु भारत के लिए अन्य विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ग्लोबल साउथ के साथ घनिष्ठ सहयोग भारत को नई वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में मदद करेगा।

ग्लोबल साउथ से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां

- **उत्तर-दक्षिण की बहस विकसित उत्तर और विकासशील एवं अल्पविकसित दक्षिण** के बीच एक शीत युद्ध के समान है। ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर उनका अलग दृष्टिकोण है।
  - **UNFCCC (यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उत्तर और दक्षिण के बीच की बहस देखी जा सकती है।
  - इसी प्रकार, विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सब्सिडी आदि के मुद्दे पर उत्तर-दक्षिण की बहस देखी जा सकती है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation):** दक्षिण-दक्षिण सहयोग दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के बीच **सहयोग और आदान-प्रदान** के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। यह सहयोग **राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और तकनीकी क्षेत्रों** से संबंधित है।
  - **विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए ब्यूनस आयर्स एक्शन प्लान (BAPA)** को 1978 में अर्जेंटीना में 138 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था।
- **त्रिकोणीय सहयोग:** इसमें दो या दो से अधिक विकासशील देशों के बीच दक्षिण-संचालित साझेदारी शामिल है। इसमें विकास सहयोग कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करने के लिए विकसित देशों /या बहुपक्षीय संगठनों द्वारा समर्थन की आवश्यकता है।
  - भारत उत्तर और दक्षिण को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संबंधित सुर्ख़ियां

भोपाल घोषणा-पत्र

- इसे **थिंक 20 (T20) बैठक के बाद जारी** किया गया था। थिंक20 G20 का आधिकारिक संलग्नता समूह है। यह **दुनिया भर के प्रमुख थिंक टैंक्स और अनुसंधान केंद्रों** को एक साथ लाता है।
- **भोपाल घोषणा-पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - इसमें सभी हितधारकों से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए **समावेशी विकास देखभाल पर अधिक ध्यान** देने की अपील की गई है।
  - **महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास मॉडल को प्रोत्साहित** करने की बात कही गई है।
  - **उत्तर और दक्षिण के बीच विद्यमान अंतराल को समाप्त** करने की अपील की गई है।
  - आयुष जैसी **पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा** देने का आह्वान किया गया है।

2.2. भारत-मिस्र (India-Egypt)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मिस्र के राष्ट्रपति 24 से 26 जनवरी 2023 तक भारत की यात्रा पर थे। वह नई दिल्ली में आयोजित होने वाले **74वें गणतंत्र दिवस समारोह में 'मुख्य अतिथि'** रूप में शामिल हुए थे।

संबंधों में हालिया विकास

- भारत और मिस्र अपने द्विपक्षीय संबंधों को **"रणनीतिक साझेदारी"** के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया है।
- भारत-मिस्र संबंधों की स्थापना के **75 वर्ष** पूरे होने के अवसर पर दोनों पक्षों के बीच **स्मारक डाक टिकटों** का भी आदान-प्रदान किया गया।
- **G-20 के अध्यक्ष** के रूप में, **भारत ने मिस्र को** 2023 में होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन के लिए **अतिथि देश** के रूप में आमंत्रित किया है।

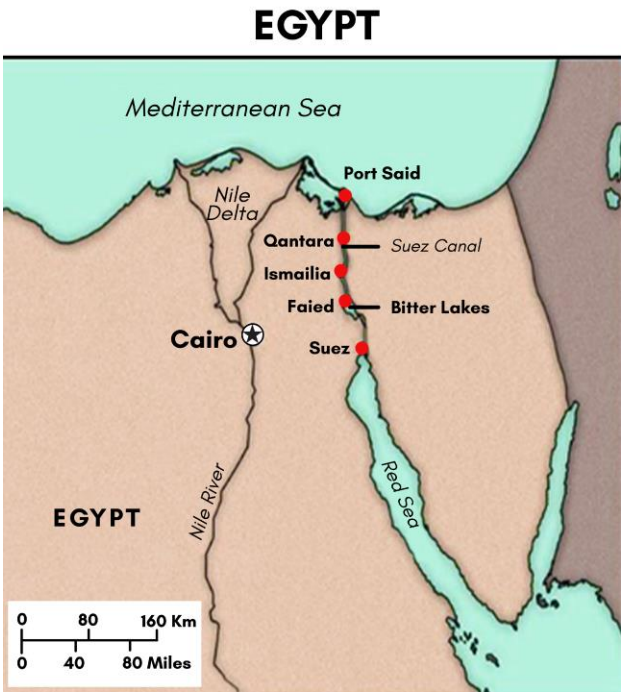

भारत के लिए मिस्र का महत्त्व

- **भू-राजनीतिक:** मिस्र पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण देश और अरब जगत की एक प्रभावशाली अभिव्यक्ति है।
  - अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में मिस्र एक महत्वपूर्ण भागीदार की भूमिका निभाता है। **भारत पश्चिम एशिया पर नए सिरे से फोकस कर रहा है और इस संदर्भ में मिस्र के साथ घनिष्ठ संबंध बहुत महत्वपूर्ण** है।
  - मिस्र उन **बहुपक्षीय मंचों को बहुत महत्त्व देता है, जिनमें विकासशील देश शामिल हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) और G77** के माध्यम से दक्षिण-दक्षिण सहयोग में उसके योगदान को देखा जा सकता है।
- **भू-रणनीतिक:** मिस्र रणनीतिक रूप से **यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच व्यापार मार्गों के केंद्र** पर स्थित है।
  - मिस्र स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणालियों** के एक भाग के रूप में भारत के लिए महत्वपूर्ण है।
  - लगभग **12% वैश्विक व्यापार स्वेज नहर के माध्यम** से होता है।
- **आर्थिक:** द्विपक्षीय व्यापार 75% बढ़कर लगभग 4 बिलियन डॉलर से 2021-22 में 7.26 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुँच गया था।
  - मिस्र, रूस और यूक्रेन से गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद मिस्र ने भारत से गेहूं की खरीद की थी।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** मिस्र ऊर्जा क्षेत्रक में एक महत्वपूर्ण भागीदार है तथा भारत तेल और गैस का एक प्रमुख आयातक देश है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मिस्र के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। दोनों देशों ने इस संदर्भ में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **रक्षा क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देना:** मिस्र भारत से रक्षा उपकरण खरीदने में रुचि रखता है। इनमें LCA तेजस, आकाश जैसी मिसाइलें, DRDO के स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन्स और रडार शामिल हैं।
- **आतंकवाद:** आतंकवाद से निपटने के लिए दोनों देश खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं और संयुक्त अभियान चला रहे हैं।

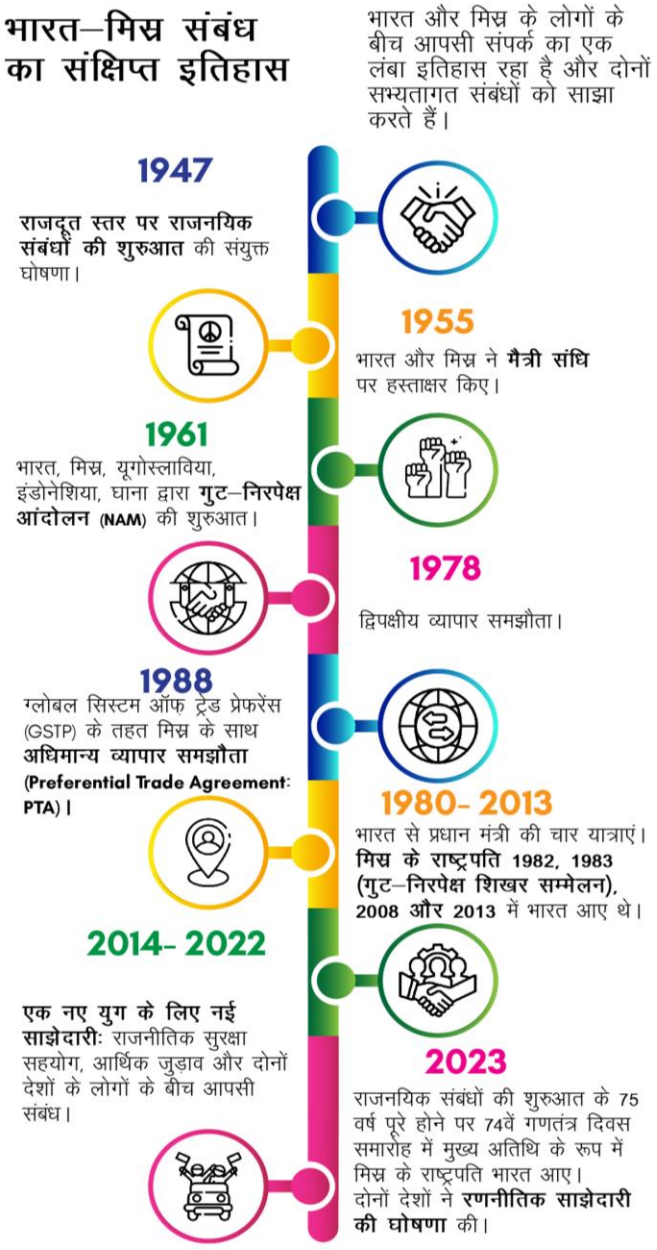

भारत-मिस्र संबंध के विकास से जुड़ी चुनौतियां

- **आर्थिक संकट:** मिस्र आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और मुद्रास्फीति में भी वृद्धि से जूझ रहा है। इससे देश में निवेश कम आकर्षक होता जा रहा है।
  - मिस्र ने भी छह वर्षों में चौथी बार बेलआउट पैकेज के लिए IMF से संपर्क किया है।
- **चीन की उपस्थिति:** चीन स्वेज नहर को अपनी बेल्ट एंड रोड और मैरीटाइम सिल्क रोड परियोजनाओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखता है तथा इसमें निवेश कर रहा है।
  - वर्तमान में मिस्र के साथ चीन का द्विपक्षीय व्यापार 15 बिलियन डॉलर है। यह 2021-22 में भारत के 7.26 बिलियन डॉलर से दोगुना है।
- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** उदाहरण के लिए- 2013 में, मिस्र में रबा नरसंहार हुआ था। इसमें सुरक्षा बलों ने 800 से अधिक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मार डाला था। वहीं, भारत दुनिया में मानवाधिकारों का प्रबल समर्थक है।
- **राजनीतिक गतिशीलता:** खाड़ी क्षेत्र की राजनीतिक गतिशीलता बदलती रहती है। उदाहरण के लिए- अब्राहम एकॉर्ड, न्यू क्वाड और भारत के संतुलनकारी दृष्टिकोण का इस गतिशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है।

संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव

- **NAM का उपयोग:** भारत और मिस्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का लाभ उठा सकते हैं, ताकि दोनों को एक साझा आधार मिल सके तथा UNSC और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधारों की प्रबल मांग की जा सके।

- **समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग:** चीन के प्रभुत्व को कम करने और एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) मॉडल पर आगे बढ़ने के लिए भारत जापान सहित समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग कर सकता है।
- **भारत-अफ्रीका मंच का उपयोग:** भारत मित्र के साथ बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत-अफ्रीका मंच का उपयोग कर सकता है।
- **लोगों के बीच संपर्क (People-to-people contact):** दोनों देश शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और शैक्षणिक आदान-प्रदान जैसी पहलों के माध्यम से घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं।

2.3.भारत-यूरेशिया (India-Eurasia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया** जैसे देशों ने कई पहलें शुरू की हैं। इन पहलों से यह संकेत मिलता है कि **यूरोपीय और एशियाई देशों के बीच बेहतर संबंधों पर बल** दिया जा रहा है।

यूरेशिया के बारे में

- यूरेशिया पृथ्वी पर **सबसे बड़ा महाद्वीपीय क्षेत्र है।** इसमें **यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के 93 देश** शामिल हैं। यूरेशियाई क्षेत्र में 5 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं।
- यूरेशिया क्षेत्र **भौगोलिक रूप से यूरेशियन टेक्टॉनिक प्लेट** का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्लेट पृथ्वी के आंतरिक भाग में फैली कई बड़ी प्लेट्स में से एक है।
  - हालांकि, इस क्षेत्र में कौन-से भाग शामिल हैं, **इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझ पर सहमति का अभाव है।**
- **संसाधन: यूरेशिया प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है:**
  - प्रमाणित वैश्विक प्राकृतिक गैस भंडार का 31 प्रतिशत यहीं पर मौजूद है,
  - कच्चे तेल के भंडार का 17 प्रतिशत,
  - लौह अयस्क का 23 प्रतिशत,
  - सोने का 14 प्रतिशत और
  - तांबे का 7 प्रतिशत भंडार इसी क्षेत्र में मौजूद है।

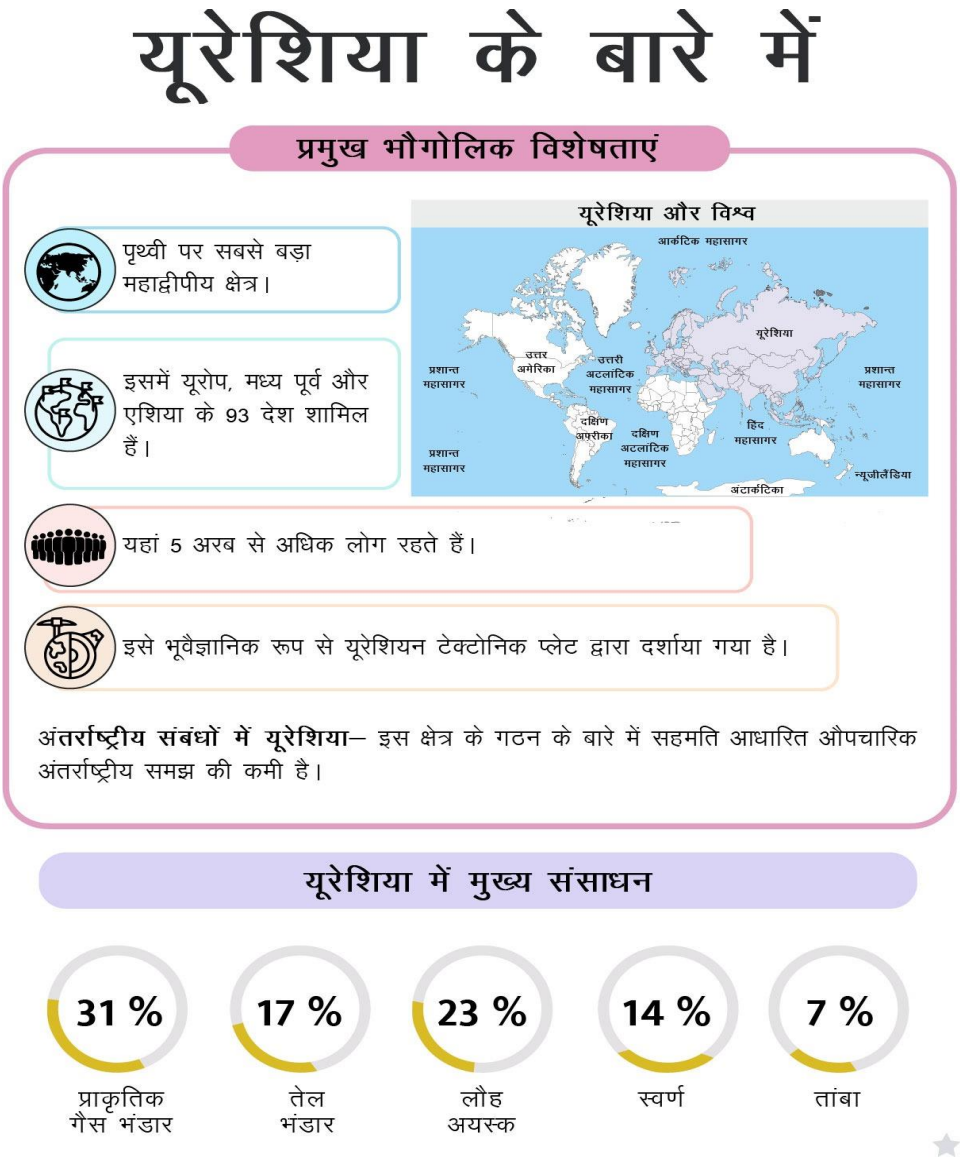

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में यूरेशिया का महत्त्व

- **चीन की आक्रामकता:** BRI जैसी परियोजनाओं के साथ चीन एक महान शक्ति का दर्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार **यूरेशियाई क्षेत्र के भीतर चीन की सक्रियता काफी बढ़ी है।**
- **बदलते भू-सामरिक गठबंधन: चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते द्वेष से** चीन-रूस संबंध मजबूत हुए हैं, जैसा कि 2022 में रक्षा अभ्यास **"मैरीटाइम कोऑपरेशन"** से स्पष्ट होता है।

- उदाहरण के लिए- चीन और रूस ने 2015 में **"ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप"** घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य **BRI और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EEU) को आपस में जोड़ना था।**

- **क्षेत्रीय गठबंधन:** रूस और ईरान ने अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते अपने परस्पर राजनयिक एवं आर्थिक संबंधों को और गहरा किया है। ये प्रतिबंध उन पर क्रमशः परमाणु कार्यक्रम और यूक्रेन युद्ध के कारण लगाए गए हैं।
  - **चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के बीच एक संभावित क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था** आकार ले रही है। इसका उद्देश्य **क्वाड के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित** करना है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र का प्रतिसंतुलनकारी विकल्प:** जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र के विकास पर अत्यधिक बल दे रहे हैं। चीन और रूस एक प्रतिसंतुलनकारी विकल्प के रूप में यूरेशिया को एक शक्ति क्षेत्र के रूप में विकसित कर रहे हैं।

यूरेशियाई क्षेत्र में भारत के लिए कौन-सी चुनौतियां हैं?

- **परियोजनाओं को पूरा करने में होने वाला विलंब: INSTC से जुड़ी हुई अधिकांश परियोजनाओं,** चाबहार बंदरगाह और अश्गाबात समझौता परिवहन गलियारे को विश्व बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक जैसे **प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थानों से वित्त-पोषण प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, अजरबैजान और KTI यानी कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान रेलवे कॉरिडोर इसके अपवाद हैं।**
- **प्रतिबंधों के बीच चीन का आगे आना:** रूस-चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों ने भारत के समक्ष एक चुनौती पेश की है। इसके निम्नलिखित कारण हैं-
  - BRI पहल के माध्यम से चीन की यूरेशियाई क्षेत्र में बढ़ती उपस्थिति तथा
  - यूक्रेन युद्ध के कारण विशेष रूप से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद चीन और रूस के मध्य बढ़ती घनिष्ठता।
- **भारत के समक्ष व्याप्त ये चुनौतियां निम्नलिखित हैं-**
  - ईरान और रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने **इस क्षेत्र में चीन के प्रभावी होने का** मार्ग प्रशस्त किया है। साथ ही, इसने चाबहार बंदरगाह में **भारतीय निवेश की गति को भी धीमा** कर दिया है।
  - भारत ने ईरान से तेल का आयात करना भी बंद कर दिया है। इसके अतिरिक्त, चाबहार के लिए 2018-19 के बजटीय आवंटन को भी संशोधित आवंटन में शून्य कर दिया गया था।

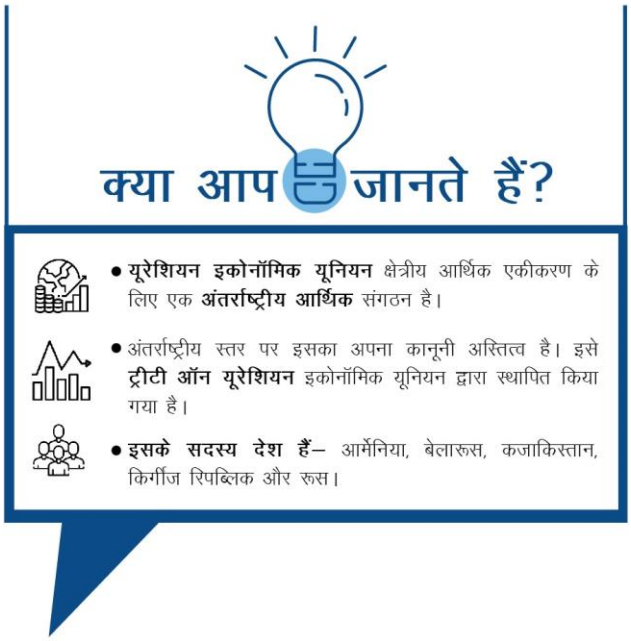

- **क्षेत्रीय अशांति:** 2009 में यूरोज़ोन संकट की शुरुआत के बाद से, यूरोपीय संघ ने कई चुनौतियों का सामना किया है। उदाहरण के लिए- **शरणार्थियों का आगमन, ब्रेक्जिट, कोविड महामारी, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण आदि।**
- **कूटनीतिक चुनौती:** पश्चिम (अमेरिका और नाटो) तथा पूर्व (रूस) के मध्य संतुलन स्थापित करने के प्रयास ने भारत के समक्ष एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक चुनौती पेश की है। यूरेशिया के बढ़ते भू-राजनीतिक महत्त्व के साथ, यह चुनौती भारत के लिए और कठिन हो सकती है।

भारत के लिए आगे की राह

- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** भारत को **यूरेशिया में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए और FTAs में तेजी लानी** चाहिए। यूरेशियाई क्षेत्र की मानव और आर्थिक पूंजी को देखते हुए भारत एवं EEU के बीच लंबे समय से लंबित FTA का जल्दी पूरा होना ही भारत के सर्वोत्तम हित में है।

- **नाटो और यूरोपीय संघ से जुड़ना:** भारत को अपनी यूरेशिया नीति में यूरोपीय संघ (EU) और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) दोनों के साथ अधिक संलग्नता को शामिल करना चाहिए।
- **क्षेत्रीय मंच:** भारत को **अलग-अलग क्षेत्रीय मंचों का उपयोग करके रूस और चीन के साथ नियमित संलग्नता की दिशा में प्रयास** करना चाहिए। इससे महाद्वीपीय यूरेशियाई सुरक्षा पर व्यापक सहयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। ये मंच हैं- शंघाई सहयोग संगठन **(SCO)**, **ब्रिक्स** (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) तथा **RIC** (रूस, भारत एवं चीन)।
- **कनेक्टिविटी में सुधार करना:** यूरेशियन क्षेत्र के साथ बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने तथा संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए INSTC जैसी फास्ट ट्रैक परियोजनाओं को लागू करने की आवश्कता है। भारत को सुदूर पूर्व और यहां तक कि जापान से भी जुड़ने के लिए **रूस के "ग्रेटर यूरेशियन" कॉरिडोर तथा नॉर्थईस्ट पैसेज़** में शामिल होने का प्रयास करना चाहिए।
- **ईरान और अरब के साथ सहयोग:** ईरान की अवस्थिति इसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। साथ ही, अरब का धार्मिक प्रभाव भी इस क्षेत्र में एक अहम कारक है। इन देशों के साथ भारत की साझेदारी पाकिस्तान के साथ तुर्की के गठजोड़ को प्रतिसंतुलित करने में महत्वपूर्ण है।

भारत के लिए यूरेशिया का महत्त्व

- **BRI का विकल्प:** INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा) **अश्गाबात समझौते** के साथ लंबे समय तक अपारदर्शी BRI के लिए एक प्रतिसंतुलक के रूप में कार्य कर सकता है। अश्गाबात समझौता यूरेशियाई क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी बढ़ाने से संबंधित है।
- **आर्थिक:** यूरेशिया के साथ अपने संपर्कों को आगे बढ़ाने के लिए भारत EEU में शामिल होने की दिशा में कार्य कर रहा है। यह एक ही शुल्क के माध्यम से **पूरे भौगोलिक क्षेत्र में भारतीय उत्पादों को पहुंच** प्रदान करेगा। परिणामस्वरूप, इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और समग्र आर्थिक संवृद्धि में भी योगदान होगा।
- **सामाजिक:** भारत ने मध्य एशियाई ई-नेटवर्क का गठन किया है। यह आई.टी. क्षेत्रक में भारत द्वारा अपनी क्षमता का लाभ उठाने का एक प्रयास है। ऐसा भारत के शीर्ष अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को यूरेशियाई क्षेत्र में अलग-अलग केंद्रों से जोड़कर किया जाएगा।
  - यह पहल **इस क्षेत्र में डिजिटल विभाजन को समाप्त करेगी तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनकी क्षमता में वृद्धि** करेगी।
- **स्वेज नहर का विकल्प:** यूरो-एशियाई अंतर्देशीय परिवहन लिंक भीड़भाड़ वाली स्वेज नहर के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। यह लिंक अंतर-महाद्वीपीय व्यापार प्रवाह की लोचशीलता में बढ़ोतरी करेगा।

2.4. भारत-चीन व्यापार संबंध (India-China Trade Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन के साथ भारत का **व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार** कर गया है। यह भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के **इतिहास में पहली बार हुआ** है।

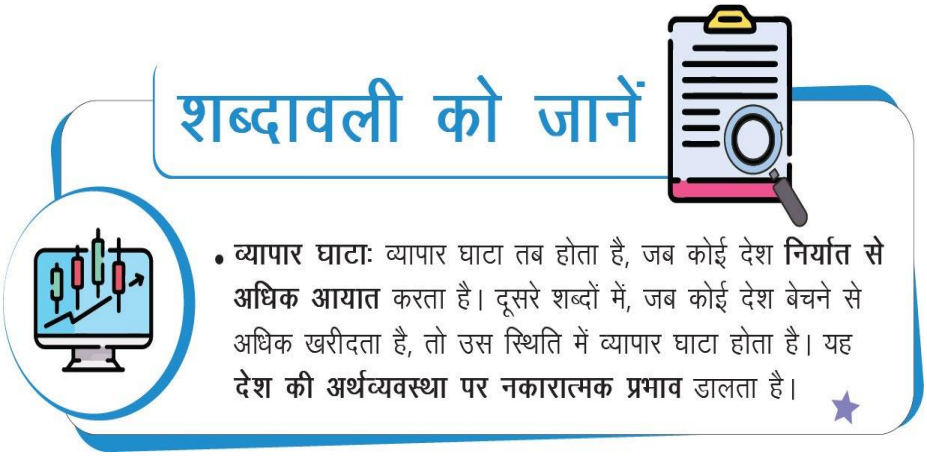

दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों का अवलोकन

- दोनों देशों के बीच **व्यापार और आर्थिक संबंध** 2022 में 135.98 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। इसमें **भारत का आयात 118.5 बिलियन डॉलर** का था।
- **चीन भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है।** इस संदर्भ में इसकी स्थिति आम तौर पर **पहले या दूसरे स्थान** पर बनी रहती है।
  - दूसरी ओर, **संयुक्त राज्य अमेरिका चीन का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।**

बढ़ते व्यापार घाटे हेतु उत्तरदायी कारण

- **बढ़ता आयात:** हाल के वर्षों में, चीन से आयात में वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी जैसे कई तैयार और मध्यवर्ती उत्पादों के लिए, भारत चीन पर बहुत अधिक निर्भर है।

- **कम मूल्य का निर्यात:** भारत द्वारा चीन को किए जाने वाले निर्यात में मुख्य रूप से लौह अयस्क जैसे प्राथमिक उत्पाद शामिल हैं। चीन के तैयार उत्पाद की तुलना में इनका मौद्रिक मूल्य बहुत कम है।
    - इसके अलावा, भारत के पास निर्यात के लिए वस्तुओं की एक संकीर्ण बास्केट (Narrow Basket) है।
- **बाजार पहुंच:** चीन भारत के उच्च निर्यात क्षमता वाले क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल्स, IT./ITES, आदि के समक्ष टैक्स बैरियर और नॉन-टैक्स बैरियर लगाता है।
    - सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, मानकों, प्रमाणन और विनियामक प्रथाओं तथा मात्रात्मक प्रतिबंधों जैसे बहुत सारे अनौपचारिक प्रतिबंध हैं।
- **उत्पादों की डंपिंग:** चीन ने कम लागत पर भारतीय बाजार में वस्तुओं को डंप करने की नीति का उपयोग किया है। इससे वह अलग-अलग उत्पादों के बाजार पर अपना अधिकार जमा सकता है।
- **चीन की विनिमय दर नीति:** इसने अमेरिकी डॉलर के संबंध में रेनमिनबी का पुनर्मूल्यांकन किया है। इससे भारत के लिए निर्यात महंगा हो गया है।
- **मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता:** चीनी उत्पाद भारतीय उत्पादों की तुलना में सस्ते हैं। इस कारण, भारतीय बाजारों में उनकी मांग अधिक है।

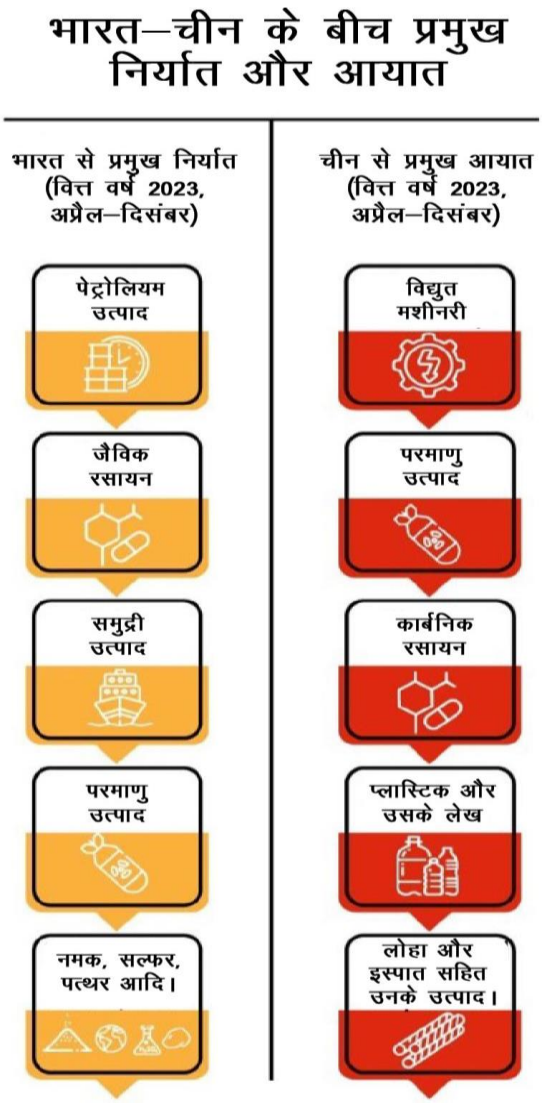

व्यापार घाटे को रोकने के लिए भारत द्वारा की गई पहलें:

आयात को कम करना:

- **सुरक्षात्मक उपाय:** व्यापार नियमों का उल्लंघन करने वाले चीनी उत्पादों पर **एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी** लगाई जा रही है।
- **आत्मनिर्भर भारत:** इस पहल के तहत, सरकार **घरेलू उत्पादों को बढ़ावा** दे रही है। उदाहरण के लिए- भारत में **सक्रिय दवा सामग्रियों (APIs)[10] के निर्माण को बढ़ावा** दिया जा रहा है।
    - साथ ही, भारत द्वारा **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में शामिल नहीं होने का निर्णय** भी एक अन्य उदाहरण है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन:** जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे समान विचारधारा वाले देशों की मदद से भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है।
- **कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध:** भारत ने कुछ उत्पादों जैसे कई **चीनी ऐप्लिकेशन्स, बिजली उपकरणों आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है।**

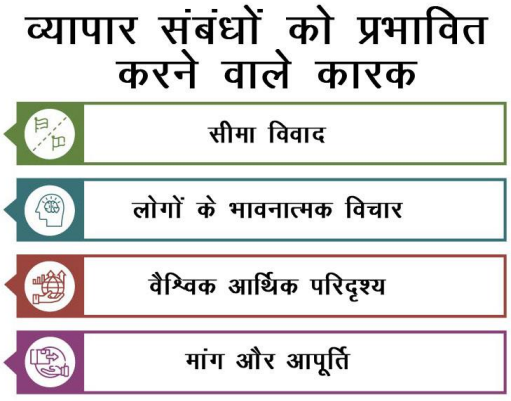

निर्यात में वृद्धि:

- **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)[11] (2020):** इसके तहत सरकार भारतीय कंपनियों को उनके उत्पादों की बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- **मेक इन इंडिया (2014):** इसका उद्देश्य **भारत को दुनिया में विनिर्माण का केंद्र/ हब** बनाना है।

[10] Active Pharmaceutical Ingredients

[11] Production Linked Incentive

- **विशिष्ट क्षेत्रकों को बढ़ावा देना:** 2020 में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत को वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने तथा आयात बिलों में कटौती करने के लिए 12 क्षेत्रकों की पहचान की थी।

आगे की राह

- **आत्मनिर्भर:** इलेक्ट्रिकल, APIs आदि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक उपयुक्त नीति तैयार करने की आवश्यकता है। 'वोकल फॉर लोकल' जैसी पहलों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
- **बाजार पहुंच:** राजनयिक माध्यमों और सॉफ्ट पावर का उपयोग करके, उच्च मूल्य के निर्यात तक अधिक पहुंच प्रदान की जा सकती है।
- **आयात प्रतिस्थापन:** भारत घरेलू उत्पादों द्वारा चीनी आयात को प्रभावी ढंग से प्रतिस्थापित कर सकता है।
- **भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता:** यदि हम भारतीय उत्पादों की लागत-प्रभावशीलता बढ़ाते हैं, तो चीनी उत्पादों की मांग को रोका जा सकता है।

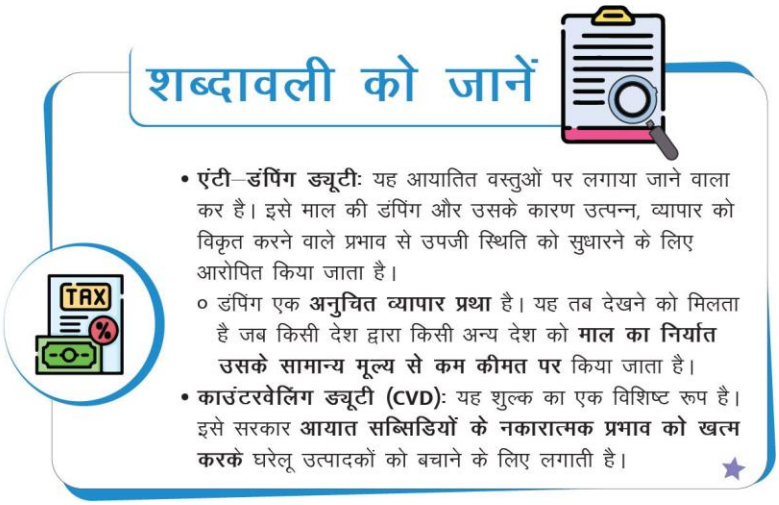

चीन से निवेश

- हाल के वर्षों में, **चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)[12] और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)[13]** तेजी से बढ़ा है। FPI के रूप में अंतर्वाह अधिक है, जो चिंता का एक प्रमुख कारण है।
- यह निवेश मुख्य रूप से **प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप खंड** पर केंद्रित है।
- **2020 में, भारतीय कंपनियों के अवसरवादी नियंत्रण या अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए भारत की FDI नीति को संशोधित किया गया था।**
- संशोधित नीति में यह उपबंध किया गया है कि **भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश की कंपनी,** या वहां के ऐसे निवेशक या नागरिक जो अपने निवेश से मुख्य लाभ अर्जक की भूमिका में हैं, यदि वे भारत में निवेश करेंगे, तो उन्हें केवल **सरकारी मार्ग के तहत निवेश की अनुमति होगी।**

निष्कर्ष

भारत को व्यापार घाटे को कम करने के लिए रणनीतिक नीति बनानी चाहिए। साथ ही, उसे चीन के समक्ष विषम व्यापार घाटे के बारे में अपनी चिंताओं को उठाना चाहिए, ताकि बाजार पहुंच के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

2.5. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य व्यापारिक संबंध (India-United States Trade Relation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति मंच (TPF)[14] की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक** आयोजित की गई। इस बैठक में व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

इंडिया-यू.एस. TPF के बारे में

- TPF की **स्थापना 2005** में की गई थी।
- TPF व्यापार के क्षेत्र में **दोनों देशों के बीच निरंतर जुड़ाव तथा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने** का एक मंच है।
- TPF के तहत **कृषि, गैर-कृषि वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा** सहित पांच व्यापक क्षेत्रों पर कार्य समूह हैं।

बैठक के मुख्य परिणाम

- बैठक में अमेरिका ने **लचीले व्यापार पर एक नए TPF कार्यकारी समूह के निर्माण पर बल** दिया।
- इसका उद्देश्य **अलग-अलग मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता को घनिष्ठ बनाना है,** जो व्यापार सुविधा, श्रमिकों को लाभान्वित करने और संधारणीय एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने सहित व्यापार संबंधों के लचीलेपन व स्थिरता को बढ़ा सकते हैं।

[12] Foreign Direct Investment

[13] Foreign Portfolio Investment

[14] Trade Policy Forum

भारत-यू.एस.ए. व्यापार संबंध

महत्वपूर्ण तथ्य

- 2021-22 में भारत और यू.एस.ए. के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- यह **चीन के बाद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** है।
- 2013-14 से यू.एस.ए. लगातार भारत का **शीर्ष निर्यात गंतव्य** रहा है।

भारत क्या निर्यात करता है?	भारत क्या आयात करता है?
पॉलिश किए गए हीरे, फार्मास्युटिकल उत्पाद, आभूषण, लाइट ऑयल और पेट्रोलियम, फ्रोजन झींगे, सौंदर्य प्रसाधन आदि।	तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, सोना, कोयला, पुनर्चक्रित उत्पाद और स्क्रैप आयरन, बड़े बादाम, आदि।

भारत-यू.एस.ए. व्यापार संबंधों के चरण

आजादी के बाद

इस चरण (1947-1991) में समाजवादी नीतियों के कारण व्यापारिक संबंध मजबूत नहीं थे।

LPG सुधारों के बाद

1991 के आर्थिक (LPG) सुधारों के बाद, यू.एस.ए. से भारत में निवेश में वृद्धि हुई।

2000 के बाद

2000 के बाद और हाल के समय में व्यवसाय करने में सुगमता के उपाय किए गए हैं। इससे व्यापार संबंधों में वृद्धि हुई है।

व्यापार क्षमता का उपयोग करने के लिए की गई पहलें

- **इंडिया-यू.एस.ए. कमर्शियल डायलॉग:** यह मानकों में सहयोग, व्यवसाय करने में सुगमता, यात्रा और पर्यटन तथा वाणिज्यिक महत्त्व के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है।
- **यू.एस.ए.-इंडिया बिजनेस काउंसिल:** इसे 1975 में स्थापित किया गया था। **यह सरकारों को व्यवसायों से जोड़ता है और दीर्घकालिक वाणिज्यिक साझेदारी** का समर्थन करता है।
- **इंडिया-यू.एस.ए. इकोनॉमिक एंड फाइनेंसियल पार्टनरशिप (EFP) डायलॉग:** भारत के वित्त मंत्री और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव के नेतृत्व में।
- **इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी (IPEF):** आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार-रोधी तथा स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित समझौते पर वार्ता चल रही है।

भारत-अमेरिका व्यापार का महत्त्व

- **निर्यात:** भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष है। यह भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में से एक है।
- **निवेश:** अमेरिकी कंपनियां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एप्पल, गूगल आदि) और विदेशी संस्थागत निवेश के रूप में भारत में भारी मात्रा में पूंजी का निवेश कर रही हैं।
  - इससे भारत में रोजगार सृजन में मदद मिली है।
- **सूचना और प्रौद्योगिकी हब:** संयुक्त राज्य अमेरिका की सिलिकॉन वैली से प्रेरणा लेकर भारत आई.टी. हब के रूप में उभरा है।
- **लोगों के मध्य संबंध:** व्यापारिक संबंधों में सुधार के कारण दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ा है।
- **विप्रेषण:** संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को विप्रेषण का एक प्रमुख स्रोत है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद मिली है।
- **प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण:** घनिष्ठ व्यापार साझेदारी के कारण प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना पहले के समय की तुलना में आसान हो गया है।

भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा व्यापार संबंध

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रमशः 2016 और 2018 में भारत को एक **प्रमुख रक्षा भागीदार तथा सामरिक व्यापार प्राधिकरण (टियर 1 दर्जा)** के रूप में नामित किया था।
- **रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह** के तहत, दोनों देश **रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन एवं सह-विकास** के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
  - रक्षा व्यापार मुख्य रूप से अमेरिका के पक्ष में बना हुआ है।
- **रक्षा व्यापार एवं सहयोग** को निम्नलिखित चार मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर करने के साथ और बढ़ाया गया है। **इनमें शामिल हैं:**
  - **जनरल सिक्योरिटी ऑफ़ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA) (2002),**
  - **लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) (2016),**
  - **कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (COMCASA) (2018), और**
  - **बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) (2020).**

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में चुनौतियां

- **टैरिफ बैरियर:** दोनों एक दूसरे पर उच्च टैरिफ दरें लगाने का आरोप लगाते हैं।
    - उदाहरण के लिए- 2018 में, अमेरिका ने भारत के कुछ इस्पात उत्पादों और कुछ एल्युमीनियम उत्पादों पर शुल्क लगाया था। इसके बाद, भारत ने भी जवाबी प्रतिक्रिया में कुछ उत्पादों पर शुल्क लगा दिया था।
- **नॉन-टैरिफ बैरियर:** संयुक्त राज्य अमेरिका का दावा है कि अमेरिकी कृषि निर्यात को सीमित करने के लिए भारत द्वारा सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (Sanitary and phytosanitary: SPS) बैरियर लगाए जाते हैं।
- **आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत:** अमेरिका **आत्मनिर्भर भारत पहल को संरक्षणवादी कदम** के रूप में देखता है।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार, भारत ने इस पहल के तहत टैरिफ, स्थानीयकरण आवश्यकताओं, स्वदेशी मानकों की जरूरतों व लेबलिंग प्रथाओं, मूल्य नियंत्रण और आयात प्रतिबंधों के रूप में बाजार पहुंच बाधाएं आरोपित की हैं।
- **वरीयताओं की सामान्यीकृत प्रणाली (GSP)[15]:** 2019 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को GSP से हटा दिया था।
    - GSP पात्र विकासशील देशों को अमेरिका को शुल्क मुक्त वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति देती है।
- **स्थानीयकरण की नीतियां:** देश में डेटा सेंटर बनाने के भारत के कदम की अमेरिकी कंपनियों द्वारा आलोचना की जा रही है।
- **डिजिटल टैक्स:** संयुक्त राज्य अमेरिका ने "अनिवासी" कंपनियों द्वारा भारत में प्रदान की जाने वाली डिजिटल सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला से उत्पन्न राजस्व पर 2 प्रतिशत कर लगाने के भारत के फैसले की आलोचना की है। यह कर 2020 के वित्तीय अधिनियम के माध्यम से निर्धारित किया गया था।
- **बौद्धिक संपदा (Intellectual Property: IP):** भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की "स्पेशल 301" रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में बना रहा है। इसमें भारत की पेटेंट संबंधी व्यवस्था, उच्च बौद्धिक संपदा चोरी दर और शिथिल व्यापार गोपनीयता संरक्षण के रूप में अमेरिकी चिंताओं का उल्लेख किया गया है।
- **पेशेवरों तक पहुंच:** अमेरिका ने एल-1 और एच-1 बी वीजा श्रेणियों के मानदंडों को कठोर कर दिया है।
    - भारत ने आरोप लगाया है कि अमेरिका **सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते (GATS)[16]** के साथ-साथ सेवाओं की आपूर्ति करने वाले नेचुरल पर्सन्स की आवाजाही पर GATS ऐनेक्स के तहत भी अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। इस दायित्व के अंतर्गत गैर-अमेरिकी सेवा प्रदाताओं के साथ या उनके बीच भेदभाव नहीं करना शामिल है।

भारत, अमेरिका और विश्व व्यापार संगठन (WTO)

- भारत विश्व व्यापार संगठन में अपने हितों के साथ-साथ **विकासशील देशों के हितों को भी प्रस्तुत** करता है। दूसरी ओर, **अमेरिका विकसित दुनिया का प्रतिनिधित्व** करता है। इसके कारण कई मुद्दों पर दोनों के विचारों में मतभेद पाया जाता है।

विश्व व्यापार संगठन में प्रमुख मुद्दे

- **कृषि पर समझौते के तहत हस्ताक्षरित समझौतों** पर दोनों देशों के विचार अलग-अलग हैं।
- **WTO के तहत विवाद निपटान तंत्र** में भारत और अमेरिका के बीच कई विवाद हैं। उदाहरण के लिए- भारत की निर्यात संवर्धन योजनाएं।
- **वार्ता के तहत अन्य WTO के मुद्दों पर** मतभेद बने हुए हैं, उदाहरण के लिए- **ई-कॉमर्स सीमा शुल्क, मत्स्य पालन सब्सिडी आदि।**

आगे की राह

- **विवाद समाधान:** सभी विवादों को जल्द से जल्द वार्ता द्वारा हल किया जाना चाहिए, ताकि व्यापार क्षमताओं का उपयोग किया जा सके।
- **आपसी विश्वास और सहयोग:** दोनों देशों को आपसी विश्वास दिखाना चाहिए। साथ ही, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर एक-दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए।
    - अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को दो वर्ष बाद अपनी प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया था।
- **बाधाओं को कम करना:** टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर्स दोनों को कम करने की आवश्यकता है। इससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500-600 बिलियन अमरीकी डॉलर तक ले जाने में मदद मिलेगी।

[15] Generalized System of Preferences

[16] General Agreement on Trade in Services

महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (Initiative on Critical and Emerging Technologies: iCET)

- हाल ही में, iCET का उद्घाटन संवाद आयोजित किया गया था।
- iCET **भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS)**[17] **और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC)**[18] के नेतृत्व में एक अनूठी पहल है।
- इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में साझेदारी का विस्तार करना है।
- **iCET का महत्त्व:**
  - **वैश्विक प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला में एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला भागीदार और योगदानकर्ता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है।**
  - यह **विघटनकारी डोमेन** से सीधे संबंधित है, जो अगली औद्योगिक क्रांति और भविष्य के युद्ध के केंद्र में हैं।
  - **भारत की गहन प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए नए बाजार खोलती है।**
    - चूंकि आज ज़्यादातर महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां दोहरे उपयोग वाली हैं, इसलिए इससे दोनों देशों के नवाचार परिवेश को बढ़ावा मिल सकता है।
  - यह अमेरिका द्वारा **मौजूदा निर्यात नियंत्रण प्रतिबंधों को हटाने का मार्ग प्रशस्त** करती है।

2.6. लैटिन अमेरिका में भारतीय प्रवासी (Indian Diaspora in Latin America)

सुर्ख़ियों में क्यों?

17वां प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) सम्मेलन लैटिन अमेरिकी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के साथ संपर्क स्थापित करने पर केंद्रित था। सम्मेलन में इस क्षेत्र के भारतीय मूल के दो राष्ट्रपतियों ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया था।

प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में

- प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) 9 जनवरी को मनाया जाता है।
- 9 जनवरी 1915 को **महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आये थे।** यह दिवस इसी की स्मृति में मनाया जाता है।
- प्रथम PBD सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2003 को किया गया था।
- 2015 से, PBD सम्मेलन **हर दो साल में एक बार आयोजित** किया जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने **मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 17वें PBD सम्मेलन** की मेजबानी की है।
- इस वर्ष के PBD सम्मेलन की थीम थी **"प्रवासी: अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार"।**
- PBD के तहत **प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार** दिए जाते हैं।
- इसका उद्देश्य भारत सरकार के साथ **प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव और संबंधों को मजबूत** करने में मदद करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

[17] Indian National Security Council Secretariat

[18] National Security Council

लैटिन अमेरिका में भारतीय प्रवासियों का योगदान

- **जनसांख्यिकी:** लैटिन अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की स्थिति एक देश से दूसरे देश में अलग-अलग है।
  - **त्रिनिदाद, सूरीनाम और गुयाना** की आबादी में भारतीय प्रवासियों का बड़ा हिस्सा है।
  - कालान्तर में **भारतीय व्यवसायियों और पेशेवरों द्वारा इस क्षेत्र के अन्य देशों में प्रवासन** किया गया। हालांकि, इनकी संख्या **बहुत कम** थी।
- **राजनीति:** भारतीयों के ज्ञान और शासन कौशल ने उन्हें महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया है। इन पदों में राष्ट्र व शासन प्रमुख के पद भी शामिल हैं।
  - उदाहरण के लिए- **क्रिस्टीन कंगालू** त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। **इरफ़ान अली** गुयाना के राष्ट्रपति हैं तथा **चान संतोखी** सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं।

क्या आप जानते हैं?

- **भारतीय डायस्पोरा** उन लोगों को कहा जाता है, जिनके जड़ भारत से जुड़े हैं। इसमें विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भी शामिल किया जाता है।
- इसमें **अनिवासी भारतीय (NRIs), भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)** और **ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया (OCI)** शामिल हैं।

- **संस्कृति:** प्रवासी भारतीयों ने लैटिन अमेरिका की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में नए आयाम जोड़े हैं। इन नवीन आयामों में संगीत, अलग-अलग धार्मिक विश्वास, नई शब्दावली, नृत्य, फैशन, कला और त्यौहार आदि शामिल हैं।
- **अर्थव्यवस्था:** वर्षों से लगातार किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप, भारतीय प्रवासी समुदाय इस क्षेत्र में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है।
  - वे प्राथमिक गतिविधियों से द्वितीयक और फिर तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियों में स्थानांतरित हो गए हैं। इसके अलावा, वे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा करते हैं।

भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का महत्त्व

- **ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबूत करने में** मदद करते हैं।
- प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए विप्रेषण (रेमिटेंस) **सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायक होते हैं।**
- अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर **सेतु, मध्यस्थ, सुविधा-प्रदाता, लॉबी और पक्ष समर्थक समूहों के रूप में** कार्य करते हैं।
- तकनीकी ज्ञान के हस्तांतरण और वित्त के रूप में **उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद** करते हैं।

शब्दावली को जानें

- **विप्रेषण (Remittance):** यह उस धन को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर **विदेशों में किसी अन्य पक्ष को भेजा या स्थानांतरित** किया जाता है। साधारण शब्दों में, विदेशों में रह रहे लोगों द्वारा द्वारा अपने मूल देश में अपने सगे–संबंधियों को भेजे गए पैसे को विप्रेषण कहते हैं। विप्रेषण वायर ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, ड्राफ्ट, चेक आदि के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रवासी भारतीयों के साथ प्रभावी संलग्नता में चुनौतियां

- **पॉलिसी पैरालिसिस:** विदेश मामलों की स्थायी समिति के अनुसार, देश के विकास में प्रवासी भारतीयों के सामाजिक-आर्थिक योगदान के बावजूद अभी भी उन से संबंधित एक स्पष्ट नीति का अभाव है।
- **सीमित जुड़ाव:** यद्यपि सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के साथ संलग्नता स्थापित करने के उद्देश्य से कई पहलें संचालित की जा रही हैं, परंतु इनके माध्यम से संलग्नता का स्तर अक्सर सीमित होता है।
- **प्रवासी भारतीयों पर डेटाबेस:** चूंकि, भारतीय दूतावासों में प्रवासियों द्वारा पंजीकरण कराना स्वैच्छिक है, इस कारण विदेश मंत्रालय के पास भारतीय प्रवासियों पर अपडेट किए गए डेटा मौजूद नहीं हैं।
- **शिकायत निवारण के लिए कई पोर्टल:** विदेशों में भारतीय नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए **ई-माइग्रेट तथा केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)**[19] जैसे कई पोर्टल मौजूद हैं। अधिक पोर्टल अक्सर शिकायत का समाधान देरी से करते हैं।
- **घरेलू मुद्दे:** सरकार कई घरेलू मुद्दों जैसे- निर्धनता उन्मूलन, विकास कार्यों आदि पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इसके परिणामस्वरूप, प्रवासी भारतीयों के साथ संलग्नता पर बेहतर तरीके से ध्यान नही दिया जाता है।

प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार

- प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित को दिया जाने वाला **सर्वोच्च सम्मान** है
  - **एक अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO) या**
  - **उनके द्वारा स्थापित और संचालित एक संगठन या संस्था।**
- इसके तहत विदेशों में भारत के बारे में बेहतर समझ बनाने, भारतीय हितों का समर्थन करने और स्थानीय भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए काम करने हेतु भारतीय प्रवासियों को पुरस्कृत किया जाता है।

[19] Centralised Public Grievance Redressal and Monitoring System

- **सीमित संसाधन:** भारत के पास एक विशाल प्रवासी समुदाय है। इसके कारण उनकी जरूरतों और मांगों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है।

प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव के लिए की गई सरकारी पहलें:

- 2016 में, विदेश मंत्रालय में **प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय (2004 में निर्मित) का विलय** किया गया था। इस कदम का उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीयों को प्रोत्साहित करना और उन्हें सुव्यवस्थित समर्थन प्रदान करना था।
- विदेशों में भारतीय समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **विदेशी राष्ट्रों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते** किए गए हैं।
- **भारत को जानो कार्यक्रम (KIP) (2003):** यह कार्यक्रम भारतीय मूल के छात्रों व युवा पेशेवरों को भारत आने और अपने विचार, उम्मीदें एवं अनुभव साझा करने तथा समकालीन भारत के साथ निकटता से जुड़ने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है।
- **जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017:** इस विधेयक के पारित होने के बाद यह एक विदेशी मतदाता को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रॉक्सी (प्रतिनिधि) द्वारा अपना वोट डालने की अनुमति प्रदान करेगा।
- **अन्य पहलें:** प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम"**(SPDC)**[20] (2007), स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम (SIP) (2012), ई-माइग्रेट सिस्टम (2014), प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY) (2017), महिलाओं के लिए समर्पित हेल्पलाइन (2021), इत्यादि।

आगे की राह

- **नीति निर्माण:** प्रवासी भारतीयों पर एक ऐसे स्पष्ट नीतिगत दस्तावेज का निर्माण करने की आवश्यकता है, जो समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम कर सके।
- **प्रवासी भारतीयों पर डेटाबेस:** भारतीय दूतावासों द्वारा प्रवासी भारतीयों को दूतावासों में पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह कदम कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करेगा।
- **जुड़ाव के लिए प्रोत्साहन:** प्रवासियों के साथ बेहतर तरीके से संलग्नता स्थापित करने के लिए उनके प्रवेश के दौरान मित्रवत व्यवहार तथा आव्रजन और सीमा शुल्क संबंधी अनुमोदन के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने की आवश्यकता है।
    - प्रवासी समुदाय को सामुदायिक कार्यक्रमों, मेंटरशिप कार्यक्रमों, इंटर्नशिप्स या स्वयंसेवी कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से **भागीदारी और जुड़ाव के अवसर प्रदान करने चाहिए।**

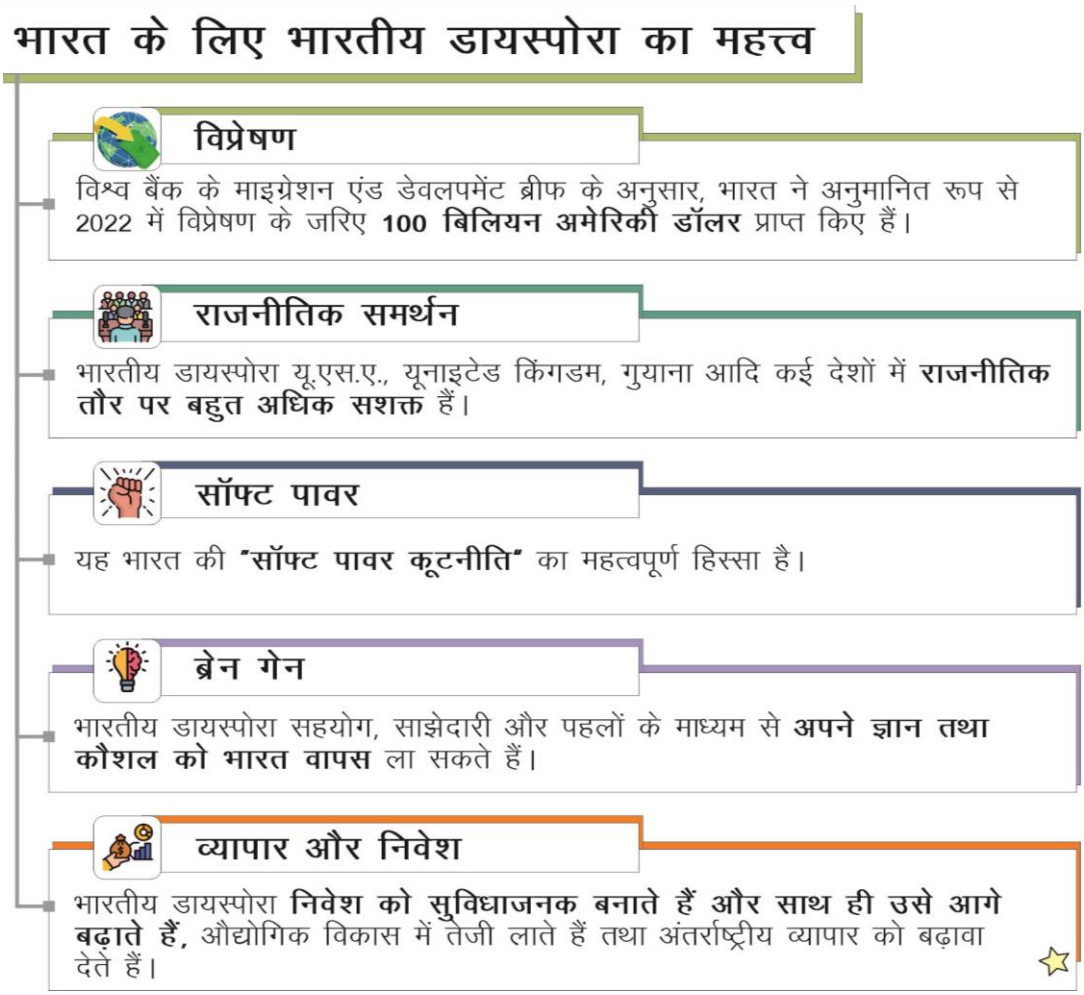

[20] Scholarship Programme for Diaspora Children

2.7. भारत और यू.एन. पीसकीपिंग अर्थात् संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (India and UN Peacekeeping)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने अबेई में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में **महिला शांति रक्षक सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात की है।** अबेई **सूडान और साउथ सूडान को विभाजित करने वाली सीमांकन रेखा** के निकट स्थित है। इस टुकड़ी को **संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल, अबेई (UNISFA)** में शामिल भारतीय बटालियन के एक हिस्से के रूप में तैनात किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का महत्त्व

- **वैश्विक शांति और सुरक्षा: शांति रक्षक स्थिरीकरण और सुरक्षा उपायों की एक श्रृंखला** को लागू करते हैं। साथ ही, यह कमजोर राष्ट्रों के पतन को रोकने, गृह युद्धों को रोकने और निष्क्रिय संघर्षों के भड़कने की संभावना को कम करने में मदद भी करते हैं।
- **लागत प्रभावी:** संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान सैन्य हस्तक्षेप के अन्य रूपों की तुलना में काफी **कम खर्चीले** होते हैं।

क्या आप जानते हैं?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2011 में सूडान के अबेई क्षेत्र में गंभीर स्थिति के विरुद्ध प्रतिक्रिया में अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल **(United Nations Interim Security Force for Abyei: UNISFA)** की स्थापना की थी।

- **बोझ साझा करने को बढ़ावा देना:** ये मिशन पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामूहिक संसाधनों का उपयोग करते हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इन मिशनों से जुड़ी लागतों की लगभग तीन-चौथाई राशि का भुगतान करते हैं। इसके अलावा, उनमें सेवा करने वाले सैनिकों और पुलिस के भी 99.9 प्रतिशत से अधिक सदस्य देशों से ही होते हैं।
- **हिंसक उग्रवाद का मुकाबला:** शांति रक्षक **कमजोर राष्ट्रों को स्थिरता प्रदान करने, समुदायों को शामिल करने, नागरिकों की रक्षा करने और इन क्षेत्रों को आतंकवादियों के सुरक्षित आश्रय बनने से रोकने के लिए शांति प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **मानवाधिकारों को बढ़ावा देना:** संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मानवाधिकारों के हनन की निगरानी और रिपोर्टिंग करके, इस तरह के हनन को रोकने के प्रयासों का समर्थन करती है। साथ ही, पिछले उल्लंघनों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करके मानवाधिकारों को बढ़ावा भी देती है।

यू.एन. पीसकीपिंग या संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना

मुख्य विशेषताएं

- यह दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक वैश्विक पहल है।
- किसी देश में पीसकीपिंग मिशन भेजने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लिया जाता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सचिवालय उक्त मिशन के लिए विस्तृत रणनीति विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से अनुरोध किया जाता है कि वे संयुक्त राष्ट्र कमान के तहत सैन्य और पुलिस कर्मियों का योगदान करें, जिसके लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र की निधि से भुगतान किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में अपने पीसकीपिंग प्रयासों की शुरुआत तब की थी, जब उसने पश्चिम एशिया में सैन्य पर्यवेक्षकों को तैनात किया था।
- यू.एन. पीसकीपिंग फ़ोर्स को 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

यू.एन. पीसकीपिंग के सिद्धांत

इसके **तीन बुनियादी सिद्धांत हैं।** ये सिद्धांत यू.एन. पीसकीपिंग अभियानों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करते हैं। ये हैं–

- पक्षकारों की सहमति
- निष्पक्षता
- आत्मरक्षा और अधिदेश के पालन को छोड़कर बल का प्रयोग न करना।

संबंधित जानकारी

- 2028 तक, यू.एन. पीसकीपिंग के उद्देश्य:
  - सैन्य टुकड़ियों में सेवारत महिलाओं की संख्या को तीन गुना करना; तथा
  - गठित पुलिस इकाइयों में सेवारत महिलाओं की संख्या को दोगुना करना।
- यू.एन. पीसकीपिंग फ़ोर्स में अधिक सैनिकों का अर्थ है कम नागरिक मृत्यु, कम हिंसा, और स्थायी शांति के उच्च अवसर।
- यू.एन. पीसकीपिंग फ़ोर्स लागत प्रभावी है, क्योंकि इसका बजट वैश्विक सैन्य खर्च के 0.5% से भी कम है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से जुड़ी चुनौतियां

- **सशस्त्र संघर्ष की बदलती प्रकृति:** शांति रक्षक सैनिकों को लक्षित करने सहित आतंकवादी रणनीति का उपयोग करने वाले सशस्त्र समूहों की प्रोफाइल में बदलाव चुनौतीपूर्ण है।
  - यह संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है और इसके कारण नई पीढ़ी के हथियारों का अनियमित प्रसार होता है।
- **आवाजाही की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध:** इससे जमीन पर होने वाली त्वरित कार्रवाई बाधित होती है और परिणामतः शांति स्थापना की प्रभावशीलता पर असर पड़ता है।
- **समन्वय:** शांति स्थापना मिशनों में संयुक्त राष्ट्र, मेजबान सरकारों, क्षेत्रीय संगठनों और अन्य हितधारकों सहित कई अभिकर्ता शामिल होते हैं। इस कारण उनके प्रयासों का समन्वय करना एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है।
- **सीमित संसाधन:** संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों को अक्सर संसाधनों की प्राप्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं में कार्मिक, रसद और वित्त-पोषण आदि संबंधी बाधाएं शामिल हैं।
- **सुरक्षा खतरे:** संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को अक्सर शत्रुतापूर्ण और खतरनाक परिवेश में तैनात किया जाता है, जहां उन्हें सशस्त्र समूहों से खतरों का सामना करना पड़ता है।

- **स्थानीय समर्थन का अभाव:** संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों को अक्सर स्थानीय आबादी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग शांति रक्षक सैनिकों को बाहरी या कुछ समूहों के प्रति पक्षपाती के रूप में देख सकते हैं।
- **प्रशिक्षण का अभाव:** शांति रक्षक सैनिकों को हमेशा उन विशिष्ट चुनौतियों के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है, जिनका वे किसी दिए गए मिशन में सामना करते हैं। इससे उनकी प्रभावशीलता और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत की सेवा का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत ने **किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक कार्मिकों का योगदान** दिया है।
- भारत ने 1948 के बाद से दुनिया भर में स्थापित **71 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में से 49 में अपनी सेवा दी है।**
- वर्तमान में, **भारत पांचवां सबसे बड़ा सैनिक योगदानकर्ता (TCC)[21] देश है।** भारत ने 13 सक्रिय संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में से 8 में 5,323 कर्मियों के ज़रिए अपना योगदान दिया है।
- भारतीय शांति रक्षक सैनिक समुदायों को चिकित्सा देखभाल, पशु चिकित्सा सहायता, इंजीनियरिंग सेवाओं जैसी **कई सेवाएं प्रदान** करते हैं।
- भारत **लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार पर ट्रस्ट फंड में योगदान देने वाला पहला देश था।** इसे 2016 में स्थापित किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में भारत की भागीदारी **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसकी प्रतिबद्धता से प्रेरित है। साथ ही, इस भागीदारी के ज़रिए भारत अपनी सॉफ्ट पावर को भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखता है।**

शांति स्थापना में भारतीय महिलाएं

- **भारत की महिला शांति रक्षकों ने कांगो, लाइबेरिया, दक्षिण सूडान और हैती सहित कई देशों में अपनी सेवाएं दी हैं।**
- 2007 में, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में एक पूर्ण महिला टुकड़ी तैनात करने वाला पहला देश बन गया था।
- 2014 में **जम्मू-कश्मीर पुलिस की भारतीय पुलिस अधिकारी शक्ति देवी को अंतर्राष्ट्रीय महिला पुलिस शांतिरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA)[22] में तैनात थी।**

आगे की राह

- **मजबूत प्रतिबद्धता:** राजनीतिक से लेकर परिचालन संबंधी मुद्दों तक शांति स्थापना प्रयासों के समर्थन में सभी अभिकर्ताओं द्वारा मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इससे शांति बनाए रखने में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है।
- **महिलाओं की भागीदारी:** महिला शांति रक्षक सैनिकों को स्थानीय महिलाओं और बच्चों के साथ बातचीत करने की उनकी क्षमता के लिए दुनिया भर के शांति मिशनों में अत्यधिक प्रशंसा प्राप्त होती है। महिला शांति रक्षक सैनिक विशेष रूप से संघर्षरत क्षेत्रों में लैंगिक हमलों की पीड़ितों से बातचीत करने में बहुत ही कुशल होती हैं।
- **सामुदायिक जुड़ाव:** शांति स्थापना मिशनों की सफलता के लिए प्रभावी सामुदायिक जुड़ाव महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र को स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए तथा उनके साथ संलग्नता प्रदर्शित करनी चाहिए। इसके अलावा, विश्वास और वैधता बनाने के लिए भी कार्य करना चाहिए।
- **उचित संसाधन:** संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों को उचित रूप से **संसाधन युक्त और सुसज्जित होना चाहिए।** साथ ही उन्हें स्पष्ट, विश्वसनीय और प्राप्त करने योग्य अधिदेशों के तहत संचालित होना चाहिए।
- **जवाबदेही:** शांति स्थापना मिशनों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही, मानवाधिकारों के हनन के अपराधियों को प्रभावी न्याय प्रणालियों के माध्यम से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
- **हितधारकों को शामिल करना:** यह महत्वपूर्ण है कि सेना और पुलिस का योगदान करने वाले देशों को सभी चरणों में और मिशन योजना के सभी पहलुओं में पूरी तरह से शामिल किया जाना चाहिए।

---

[21] Troop Contributor

[22] UN Assistance Mission in Afghanistan

2.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.8.1. एशियाई प्रशांत डाक संघ {Asian Pacific Postal Union (APPU)}

- **भारत चार वर्ष के कार्यकाल के लिए APPU के महासचिव का पदभार** ग्रहण करेगा।
- APPU **एशियाई-प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन** है।
- APPU का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच **डाक संबंधों को विस्तारित करना, सुविधाजनक बनाना और उनमें सुधार** करना है। इसके अलावा, यह संगठन **डाक सेवाओं के क्षेत्र में सदस्य देशों के मध्य सहयोग** को भी बढ़ावा देता है।
- यह इस क्षेत्र में **यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) का एकमात्र सीमित संघ** (restricted union) है। UPU **संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी** है।
    - सीमित संघ को सदस्य देशों या उनके पदनामित डाक परिचालकों द्वारा स्थापित किया जा सकता है।
- **मुख्यालय:** थाईलैंड के **बैंकॉक** में स्थित है।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

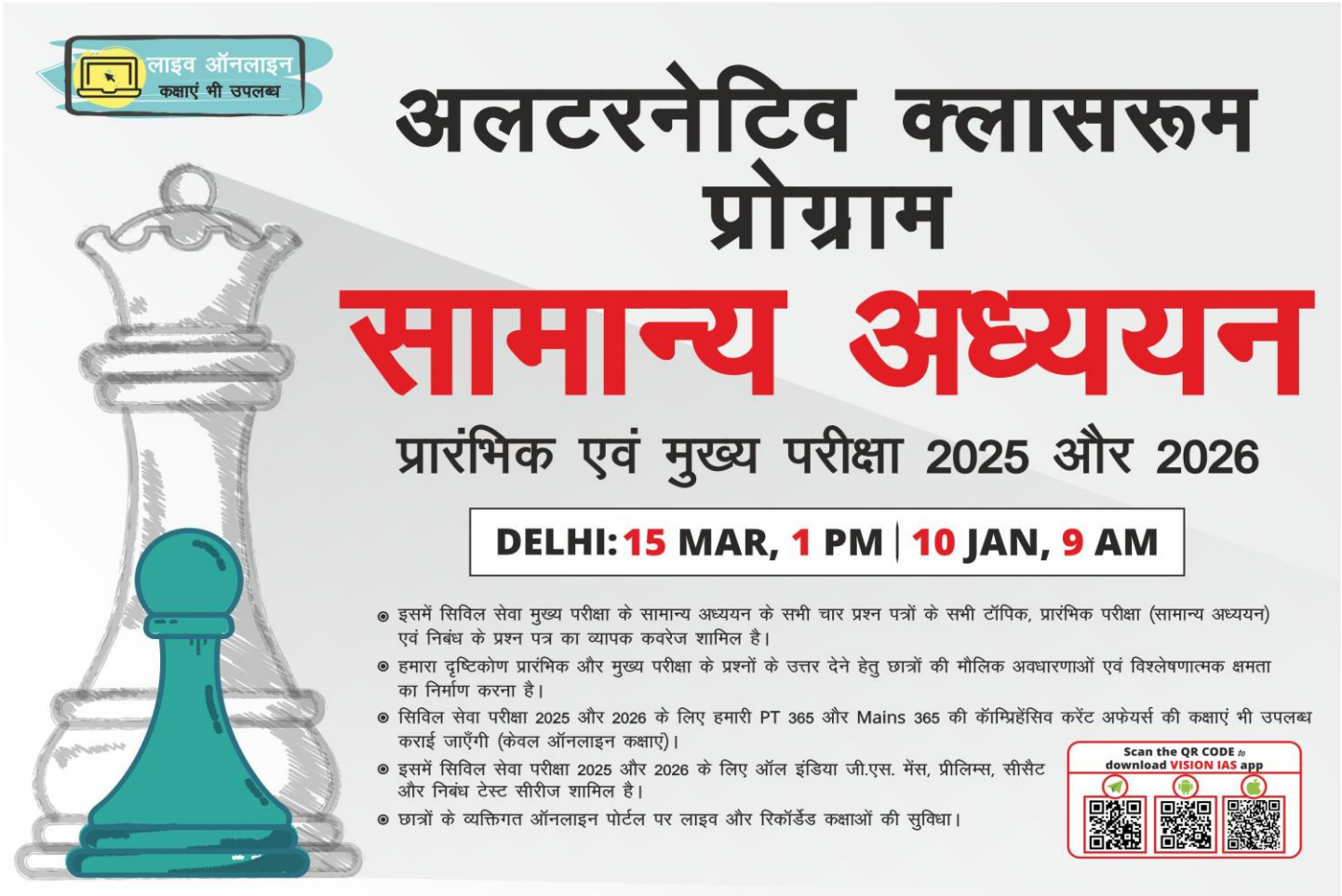

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. विश्व व्यापार संगठन: मत्स्य सब्सिडी पर नया समझौता (WTO: New Agreement on Fisheries Subsidies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **स्विट्जरलैंड ने मत्स्य सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन (WTO)[23] के नए समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। स्विट्जरलैंड WTO का पहला ऐसा सदस्य** है जिसने इस समझौते को स्वीकार किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- स्विट्जरलैंड ने इस संबंध में **WTO** के महानिदेशक को **स्वीकृति दस्तावेज (Instrument of Acceptance)** सौंप दिया है। यह दस्तावेज दावोस (स्विट्जरलैंड) में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान अनौपचारिक तौर पर आयोजित की गई 'WTO मंत्रिस्तरीय बैठक' में सौंपा गया।
- इस समझौते को **'जिनेवा पैकेज'** के तहत **जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (जून 2022) में अपनाया** गया था।
- हालांकि, इस समझौते को प्रभावी बनाने के लिए **WTO** के **दो-तिहाई सदस्यों** की स्वीकृति जरूरी है।

WTO के अंतर्गत मत्स्यन सब्सिडी पर नए समझौते के बारे में

अवैध, असूचित और अनियमित (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) मत्स्यन में योगदान करने वाली सब्सिडी पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 3)

- विशेष और विभेदक व्यवहार (Special and Differential Treatment: S&DT) के तहत, यह विकासशील देशों तथा अल्प विकसित सदस्य देशों (LDC) के लिए उनके EEZs के भीतर 2 वर्षों हेतु "पीस क्लॉज़" का प्रावधान करता है।

अत्यधिक दोहन कर लिए गए मत्स्य भंडार वाले क्षेत्र में मत्स्यन या मत्स्यन संबंधी गतिविधियों के लिए सब्सिडी पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 4)

- किसी मत्स्य भंडार क्षेत्र के अतिदोहित होने की पहचान करने की जिम्मेदारी उस तटीय देश की होती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह भंडार आता है।
- **क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन या व्यवस्था (Regional Fisheries Management Organization or Arrangement: RFMO/A)** इसकी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और प्रजातियों के लिए जिम्मेदार है।

तटीय सदस्यों और गैर–सदस्यों के अधिकार–क्षेत्र से बाहर स्थित क्षेत्रों में मत्स्यन या मत्स्यन से संबंधित गतिविधियों के लिए दी जाने वाली सभी प्रकार की सब्सिडियों पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 5.1):

- **"उचित प्रतिबंध (Due restraint)"** संबंधी दो खंड:
  - पहला, **सब्सिडी देने वाले सदस्य देश के ध्वज को नहीं लगाने वाले जहाजों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी** के लिए; तथा
  - दूसरा, **मत्स्य भंडार की स्थिति अज्ञात होने पर मत्स्यन हेतु सब्सिडी** के लिए।

अधिसूचना और पारदर्शिता:

- सदस्यों द्वारा मत्स्यन गतिविधि के उस तरीके या प्रकार के बारे में सूचना देना आवश्यक है, जिसे सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, जहां तक संभव हो सके कैच डेटा (Cached data) के साथ–साथ भंडार की स्थिति, संरक्षण उपायों तथा सब्सिडी वाले बेड़े व पोतों के बारे में जानकारी प्रदान करना भी जरूरी है।

[23] World Trade Organization

भारत और मत्स्यन क्षेत्रक

- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
- वैश्विक मत्स्य उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7.7% है।
- भारत मछली और मत्स्य उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
- यह सर्वाधिक जलीय कृषि करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश है।
- मछली और शेलफिश प्रजातियों के मामले में वैश्विक जैव विविधता का 10% हिस्सा भारत में मौजूद है।
- मत्स्यन सूची राज्य का विषय है। इसलिए राज्य मत्स्य पालन गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- अंतर्देशीय मत्स्यन को पूर्णतया राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- समुद्री मत्स्यन का प्रबंधन केंद्र और तटीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की एक साझा जिम्मेदारी है।

भारत में मत्स्य सब्सिडी की स्थिति

- भारत में लगभग 90 लाख मछुआरे परिवार रहते हैं, जो अपनी आजीविका के लिए सरकार की सहायता और समर्थन पर निर्भर हैं।
- भारत में प्रति मछुआरा परिवार को वार्षिक रूप से केवल 15 डॉलर की सब्सिडी दी जाती है।
- देश में मत्स्य क्षेत्रक को विकसित करने के लिए नीली क्रांति योजना, मात्स्यिकी एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF), प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), किसान क्रेडिट कार्ड आदि योजनाएं तथा नीतियां आदि लागू की गई हैं।

मत्स्य सब्सिडी समझौते पर भारत का पक्ष

- भारत का कहना है कि WTO के ऐसे सदस्य, जिन्होंने अतीत में भारी सब्सिडी प्रदान की है और बड़े पैमाने पर व औद्योगिक स्तर पर मत्स्यन में लगे हुए हैं, उन पर सब्सिडियों को प्रतिबंधित करने का दायित्व अधिक होना चाहिए। यह तर्क 'प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत' और 'साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व' पर आधारित है।
- यह मांग करनी चाहिए कि विकासशील देशों को उनके EEZ के भीतर OCOF (ओवरकैपिसिटी एंड ओवरफिशिंग) सब्सिडियों को समाप्त करने के लिए 25 वर्षों की एक संक्रमण अवधि दी जानी चाहिए।
- बड़े औद्योगिक पोतों वाले विकसित देशों द्वारा गैर-विशिष्ट ईंधन सब्सिडियों के रूप में दी जाने वाली सब्सिडी के संबंध में विनियमन लागू किया जाना चाहिए। ज्ञातव्य है कि गैर-विशिष्ट ईंधन सब्सिडी कुल मत्स्य सब्सिडी का 22 प्रतिशत है।

मत्स्य सब्सिडी पर नए समझौते के लाभ

- **अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) मत्स्यन पर नियंत्रण:** यह समझौता IUU मत्स्यन के लिए सब्सिडी पर अंकुश लगाता है। साथ ही, ऐसे मत्स्यन के खिलाफ **वैश्विक लड़ाई** में एक शक्तिशाली और नई व्यवस्था का निर्माण करता है।
- **अति दोहित मत्स्य भंडारों की सुरक्षा:** यह समझौता अत्यधिक दोहन का शिकार हो चुके मत्स्य भंडार में मत्स्यन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगाता है। साथ ही, उन स्थानों की सुरक्षा करता है जहां **प्रबंधन के उपाय अप्रभावी** हैं।
- **अविनियमित खुले समुद्रों की सुरक्षा:** यह समझौता अविनियमित खुले समुद्रों में मत्स्यन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगाता है। साथ ही, उन स्थानों की सुरक्षा करता है **जहां प्रबंधन के उपाय मौजूद नहीं** हैं।
- **विकास सब्सिडी पर कोई रोक नहीं:** WTO के सदस्यों पर अपने पोत या ऑपरेटर को

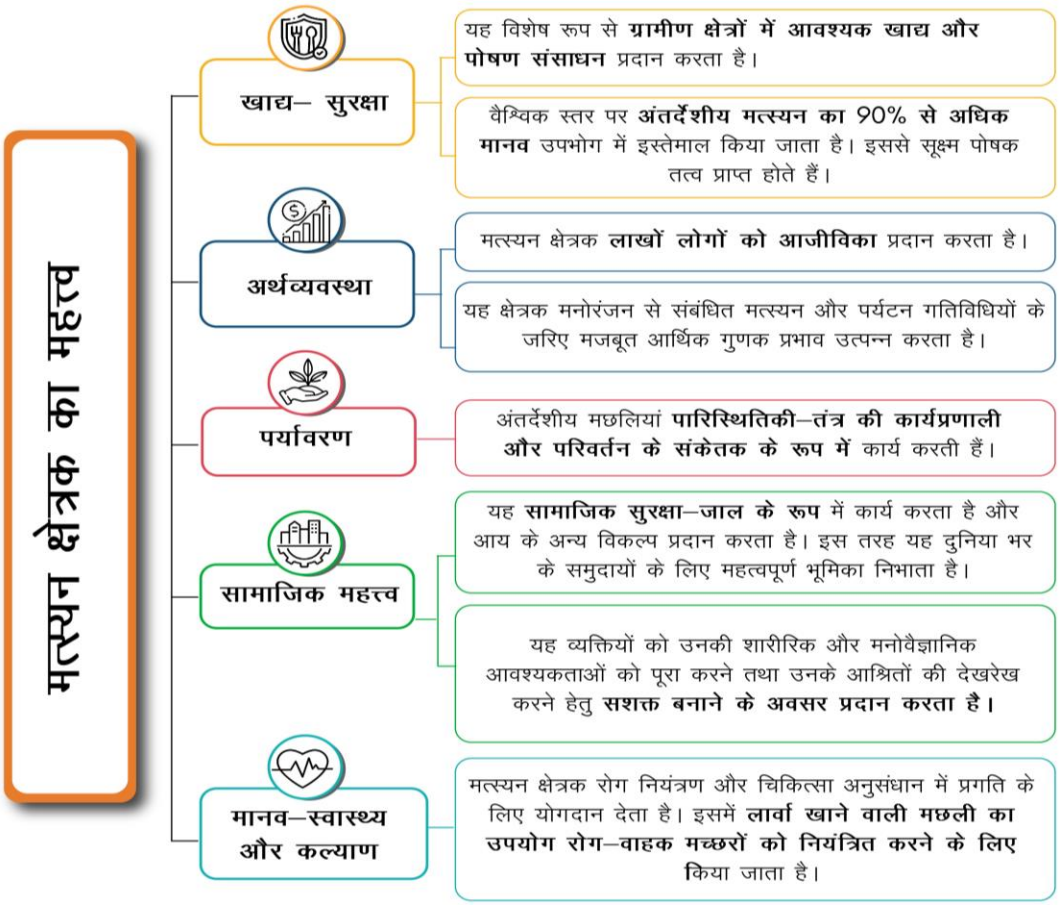

सब्सिडी देने पर **कोई प्रतिबंध नहीं** है, जब तक कि वह **IUU गतिविधियों में शामिल नहीं** होता है।

- **अत्यधिक दोहित मत्स्य भंडार की पुनर्बहाली के लिए सब्सिडी:** यह समझौता मत्स्य भंडार की जैविक रूप से संधारणीय स्तर पर पुनर्बहाली के लिए दी जा रही सब्सिडी पर कोई रोक नहीं लगाता है।
- **सतत विकास लक्ष्य 14.6 को प्राप्त करने में सहायक:** यह समझौता समुद्री मत्स्यन के लिए देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली हानिकारक मत्स्य सब्सिडी की समस्या का समाधान करता है। इससे **सतत विकास लक्ष्य (SDG)[24] 14.6** को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह विश्व के मत्स्य भंडार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

विकासशील देशों में कम-आय वाले मछुआरों की दीर्घकालिक संधारणीय संवृद्धि और समृद्धि हेतु नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कुछ समय लग सकता है। ऐसे में **25 साल की संक्रमण अवधि के संबंध में सहमति जाहिर करना महत्वपूर्ण** हो जाता है।

कम-आय या कम-संसाधन या आजीविका मत्स्यन के लिए **विनियमों से छूट** विशेष रूप से उन राष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने EEZ अर्थात् 200 नॉटिकल मील की दूरी तक मत्स्यन गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। इन सुभेद्य समुदायों को **सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा** प्रदान करने के लिए यह छूट बहुत जरूरी है।

3.2. भारत में असमानता (Inequality in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ऑक्सफैम इंडिया ने "सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट: द इंडिया स्टोरी[25]"** नामक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत न केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, बल्कि सर्वाधिक असमानता वाले देशों में से भी एक है।

असमानता के बारे में

- **संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, असमानता का अर्थ समान न होने की स्थिति** से है। विशेष रूप से **दर्जे, अधिकारों और अवसरों में समानता का न होना** असमानता कहलाता है।
- **विकास का सिद्धांत** काफी हद तक जीवन स्तर में असमानताओं से संबंधित रहा है, जैसे- आय/ संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में असमानताएं।
- **दो दृष्टिकोण (Two Perspectives):**
  - **अवसरों की असमानता:** जैसे- रोजगार या शिक्षा तक **असमान पहुंच।**
  - **परिणामों की असमानता: मानव कल्याण के कई भौतिक आयामों** में, जैसे- आय का स्तर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य की स्थिति आदि।

[24] Sustainable Development Goal

[25] Survival of the Richest: The India story

- **आय की असमानता:** यह परिणामों की असमानता को सबसे व्यापक रूप से मापने का तरीका है। इसके लिए आमतौर पर **गिनी गुणांक** का प्रयोग किया जाता है।
    - **लॉरेंज वक्र** द्वारा समाज के अलग-अलग समूहों में आय और अवसरों की असमानता को प्रदर्शित किया जाता है। गिनी **गुणांक** के माध्यम से आय की असमानता के स्तर को मापा जाता है।
    - **गिन्नी गुणांक** असमानता का एक मापक है। इसमें **'0' की रेटिंग समग्र समानता को दर्शाती है, जिसमें हर किसी का हिस्सा समान है। '1' (या कभी-कभी 100) की रेटिंग का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति के पास ही सब कुछ है।**

आर्थिक असमानता की निरंतरता (या संपत्ति में असमानता) का प्रभाव

- **सामाजिक ध्रुवीकरण में वृद्धि:** असमानता **गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को बाधित** करती है और सामाजिक गतिशीलता को कम करती है।
    - भारतीय समाज **धर्म, क्षेत्र, जेंडर एवं जाति के आधार पर पहले से बंटा हुआ है।** आर्थिक असमानता **सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला एक अन्य कारक** बन जाती है।
- **सामाजिक न्याय में बाधा:** गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं की कमी के कारण कमजोर वर्गों की सुरक्षा तथा उनके हित खतरे में पड़ जाते हैं।
- **नीतिगत जोखिम:** इससे संवृद्धि को बढ़ावा देने वाले आर्थिक उदारीकरण की गति मंद पड़ सकती है। साथ ही, यह वैश्वीकरण और बाजार-उन्मुख सुधारों के विरुद्ध संरक्षणवादी दबाव उत्पन्न कर सकता है।
- **आर्थिक जोखिम:** आर्थिक असमानताओं में वृद्धि होने से विशेष रूप से युवा आबादी बड़े पैमाने पर गरीबी का सामना कर रही है। इस कारण गरीब और कमजोर वर्गों की रक्षा करने की राज्य की क्षमता में कमी आई है।
- **पर्यावरणीय जोखिम:** असमान और अन्यायपूर्ण विकास, जैसे- आर्द्रभूमि को नुकसान पहुंचाना, नदी प्रदूषण में वृद्धि आदि।
- **राजनीतिक जोखिम:** नीतिगत निर्णयों में आबादी के कमजोर वर्गों को हाशिये पर छोड़ दिया गया है। इससे नीतियों और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने की उनकी क्षमता में भी कमी आई है।

आर्थिक असमानताओं को दूर करने में आने वाली चुनौतियां

- **ऐतिहासिक असमानता:** आय की उच्च असमानता वाले क्षेत्रों या राष्ट्रों में सामान्यतः अंतर-पीढ़ीगत गतिशीलता कम होती है। यह स्थिति सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता से जुड़े अवसरों को सिमित कर देती है।
- **मौद्रिक संसाधन संबंधी बाधाएं:** ये बाधाएं **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था** की समस्या, समानांतर अर्थव्यवस्था (काला धन) की उपस्थिति, कर चोरी, छोटे कर आधार आदि के कारण राज्य की पुनर्वितरण संबंधी नीतियों से जुड़ी हैं।
- **मानव पूंजी संबंधी बाधाएं:** ये बाधाएं कम आय, कम उत्पादकता, कम कर और कम मानव पूंजी के दुष्चक्र के कारण हैं।
- **जलवायु परिवर्तन के कारण असमानता में वृद्धि:** इसके कारण लोगों के लिए गरीबी से बचना कठिन हो रहा है। साथ ही, निम्नलिखित कारकों की वजह से लोगों के लिए गरीबी का जोखिम बढ़ता जा रहा है:
    - उत्पादन में अचानक परिवर्तन के कारण हुई मूल्य वृद्धि, तथा
    - प्राकृतिक आपदाओं एवं पर्यावरण के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं के चलते।

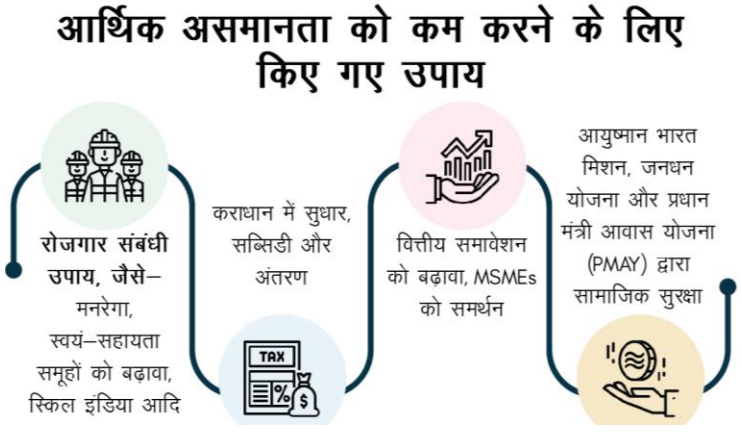

- **अनियोजित शहरीकरण:** आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में आय असमानता अधिक होती है। **मलिन बस्तियां** शहरी विभाजन और बहिष्करण के सबसे स्पष्ट लक्षण हैं।

आगे की राह

- **सार्वभौमिक बुनियादी आय:** न्यूनतम आय की सीमा को बढ़ाना चाहिए और सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI)[26] की शुरुआत की जानी चाहिए। ये उपाय आय अंतराल को कम कर सकते हैं और श्रम बाजार में आय का समान वितरण सुनिश्चित कर सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में UBI की सिफारिश की गई थी।

[26] Universal Basic Income

- **शहरी रोजगार गारंटी योजनाएं:** शहरों में भी MGNREGA जैसी योजनाओं की शुरुआत की जानी चाहिए। मांग-आधारित और गारंटीकृत रोजगार के लिए एक योजना की शुरुआत की जानी चाहिए ताकि अधिशेष-श्रम का उपयोग किया जा सके।
- **शिक्षा तक समान पहुंच: शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 6%** तक किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसकी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। दीर्घकालिक संवृद्धि के साथ **अधिक नौकरियों का सृजन** लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में महत्वपूर्ण हो सकता है।
- **सब्सिडी को विवेकपूर्ण बनाना:** मौजूदा अकुशल व्यवस्था के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसे विकल्पों के माध्यम से लाभार्थियों का बेहतर लक्ष्यीकरण किया जाना चाहिए।
- **उद्यमिता को बढ़ावा देना:** इससे गुणवत्तापूर्ण नौकरियों और विशेष रूप से श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी दर में वृद्धि होगी।
- **पूर्वाग्रह और भेदभाव का मुकाबला करना:** आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में वंचित समूहों की भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **समष्टि आर्थिक नीति का परिवेश असमानता को कम करने हेतु अनुकूल है:** राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां बेहतर समानता को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

3.3. डिजिटल भुगतान को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना (Scheme for Financial Support to Digital Payments)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मंत्रिमंडल ने **वित्तीय वर्ष 2022-23** के लिए एक **प्रोत्साहन योजना** को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य **रुपे डेबिट कार्ड** और **कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेन-देन** (व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M) को बढ़ावा देना है।

योजना के मुख्य बिंदु

- इस योजना को **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा लागू किया जा रहा है।
- इस अनुमोदित योजना का **वित्तीय परिव्यय 2,600 करोड़ रुपये** है।
- **बैंकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।** इसका लक्ष्य रुपे डेबिट कार्ड एवं कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेन-देन (P2M) का उपयोग करके पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) और ई-कॉमर्स संबंधी लेन-देन को बढ़ावा देना है।
- **यह योजना UPI LITE और UPI 123PA** को किफायती और उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में **बढ़ावा देगी**। साथ ही, यह आबादी के सभी क्षेत्रों और खंडों में डिजिटल भुगतान की पहुंच को सक्षम करेगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- **एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)[27]**
  - यह **रियल टाइम भुगतान प्रणाली** है। इसे **2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)[28]** द्वारा शुरू किया गया था।
  - इसकी **प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - 24*7 घंटे और 365 दिन मोबाइल डिवाइस के माध्यम से **धन का** तत्काल **हस्तांतरण करना।**
    - अलग-अलग बैंक खातों तक पहुँचने के लिए **सिंगल मोबाइल एप्लिकेशन।**
    - **सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन।**

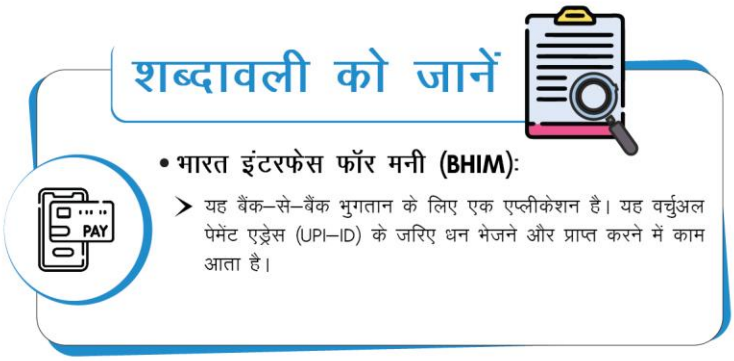

[27] Unified Payments Interface

[28] National Payment Corporation of India

डिजिटल भुगतान का महत्व

- **उन्नत वित्तीय समावेशन:** डिजिटल भुगतान **कभी भी, कहीं भी खातों तक पहुंच** प्रदान करता है। इस प्रकार, यह नागरिकों के लिए अपने खातों में भुगतान प्राप्त करना और अपने फोन का उपयोग करके भुगतान करना भी आसान बनाता है।
- **सरकारी प्रणाली की पारदर्शिता में वृद्धि:** पूर्व में, नकद भुगतान **"लीकेज"** (वे भुगतान जो पूर्ण रूप से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुँचते) और **"घोस्ट" (नकली) प्राप्तकर्ताओं** जैसी समस्याओं से ग्रस्त थे। वर्तमान में, लाभ सीधे लक्षित लाभार्थी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। यह भुगतान के डिजिटल तरीकों की सहायता से संभव हुआ है।
- **त्वरित और सुविधाजनक भुगतान:** नकदी के विपरीत, **BHIM-UPI और IMPS जैसे** डिजिटल मोड का उपयोग करके लाभार्थी के खाते में पैसा तुरंत स्थानांतरित किया जा सकता है।
- **सुरक्षित और संरक्षित:** भारत में डिजिटल भुगतान की प्रणाली पूर्णतः सुरक्षित है, क्योंकि ऐसे लेन-देन हेतु **प्रमाणीकरण के कई स्तर** लागू किए गए हैं।
- **बेहतर क्रेडिट पहुंच:** नकद भुगतानों के विपरीत, डिजिटल भुगतान स्वचालित रूप से उपयोगकर्ता के **फाइनेंशियल फुटप्रिंट स्थापित करते** हैं। इससे क्रेडिट के साथ-साथ औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ जाती है।

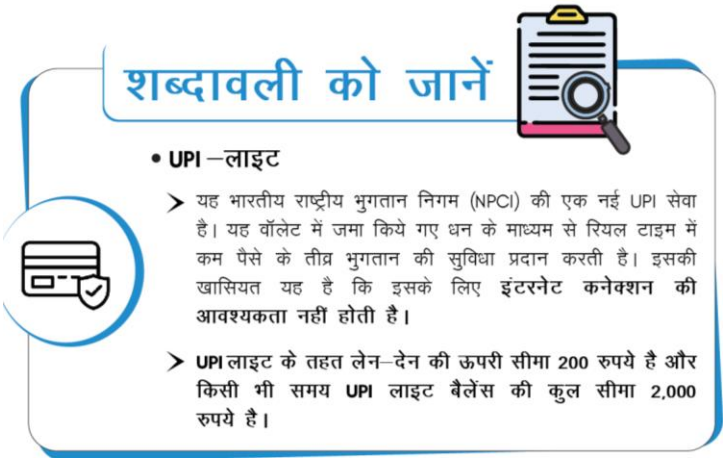

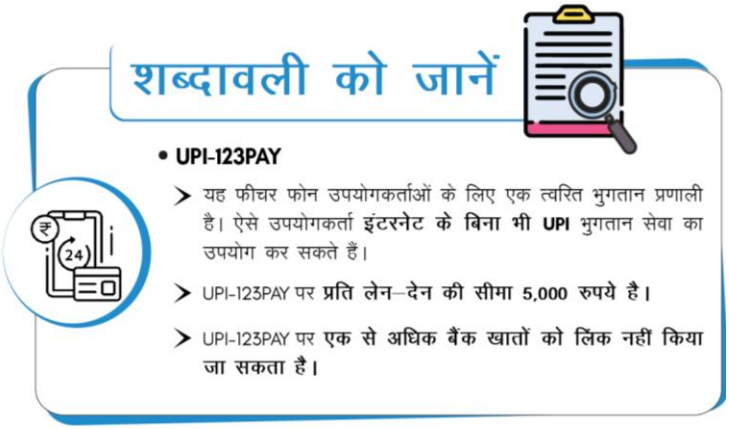

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणालियों में चुनौतियां

- **नकदी पर निर्भर अर्थव्यवस्था:** भारत **मुख्य रूप से एक नकदी-आधारित अर्थव्यवस्था** है। नकदी भुगतान में अनामिता (बेनामी भुगतान), लचीलापन, सुविधा और तेजी देखी जाती है। इसके अलावा, नकदी बिना किसी डिफ़ॉल्ट जोखिम के भुगतान की सुविधा प्रदान करती ही है। साथ ही, यह तरलता एवं स्वीकार्यता का उच्च स्तर भी उपलब्ध कराती है।
- **बैंकों और कार्डों तक सीमित पहुंच:** भारत के कुछ हिस्सों तक अभी भी बैंकिंग सेवाओं की पहुंच नहीं हैं। साथ ही, इन हिस्सों में वित्तीय विकास, जैसे- UPI, मोबाइल बैंकिंग आदि को अपनाने से संबंधित जानकारी का भी अभाव है।
- **डिजिटल साक्षरता का अभाव:** राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र के अनुसार, **केवल 27% भारतीय ही वित्तीय रूप से साक्षर हैं।**

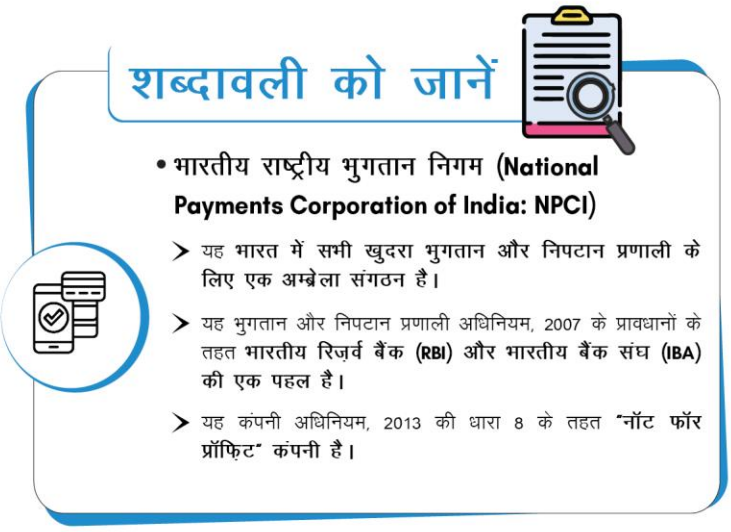

- **साइबर धोखाधड़ी और निजता संबंधी जोखिम:** साइबर सुरक्षा एक बड़ी बाधा है जो डिजिटल लेन-देन को प्रभावित करती है।
- **लागत और कनेक्टिविटी:** डिजिटल भुगतान की लागत कभी-कभी उपयोगकर्ताओं के लिए नकदी की तुलना में डिजिटल भुगतान को अपनाने में बाधक बन जाती है। उपयोगकर्ता मानते हैं कि इसकी जगह नकदी का इस्तेमाल करना निःशुल्क होता है।

भारत में डिजिटल पेमेंट की वर्तमान स्थिति

घातांकीय वृद्धि (Exponential growth)	चलन में नकदी (Cash in Circulation: CIC)	UPI का प्रभुत्व	नकदी पर निर्भरता अभी भी बहुत अधिक है
मार्च 2022 के महीने में कुल डिजिटल भुगतान में मात्रा (Volume) और मूल्य (Value) के मामले में क्रमशः 215% तथा 10% की वृद्धि दर्ज की गई।	वित्त वर्ष 2021 में GDP के प्रतिशत के रूप में CIC लगभग 14% थी।	वर्तमान में भारत में होने वाले सभी डिजिटल लेन–देन में से 40% से अधिक UPI के माध्यम से होते हैं।	अभी भी भारत का लगभग 70% उपभोक्ता लेन–देन नकद में होता है।

भारत में कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन

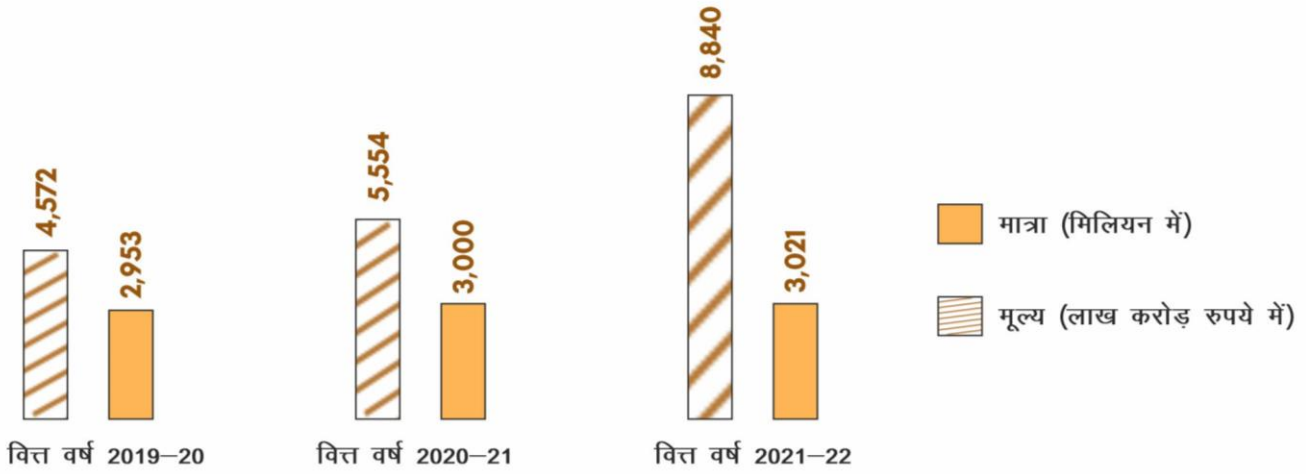

डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव

- **डिजिटल कनेक्टिविटी:** इंटरनेट हर जगह पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही, इसकी कीमत भी कम होनी चाहिए।
- **साइबर सुरक्षा:** सरकार को साइबर सुरक्षा विनियमों को मजबूत करना चाहिए, ताकि धोखाधड़ी गतिविधियों से बचा जा सके और सुरक्षा में सुधार हो। साथ ही, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को उन्नत करना भी आवश्यक है।
- **जागरूक बनाना:** भुगतान के डिजिटल माध्यमों और उनसे जुड़े एप्लिकेशंस के उपयोग को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इसके अलावा, सरकार को इस संदर्भ में लोगों के मन में विश्वास पैदा करना चाहिए और आत्मविश्वास जगाना चाहिए।

डिजिटल भुगतान के विस्तार के लिए नंदन नीलेकणी समिति की सिफारिशें

- पॉइंट–ऑफ–सेल उपकरणों से आयात शुल्क हटाना और तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) पर GST को खत्म करना चाहिए।
- सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी भुगतान डिजिटल तरीके से किए जाएं।
- विशेष रूप से स्थानीय भाषा में एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए।
- वित्तीय संस्थानों का विश्लेषण करने और कमियों की पहचान करने के लिए राज्य स्तर पर एक डिजिटल भुगतान उप–समिति का गठन किया जाना चाहिए।

- **डिजिटल साक्षरता: डिजिटल भुगतान अभियान** जैसी अलग-अलग पहलों के माध्यम से डिजिटल लेन-देन के लिए एक सक्रिय माहौल का निर्माण किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

ऐतिहासिक रूप से देश की एक बड़ी आबादी को व्यक्तिगत बैंक खातों और औपचारिक ऋण तक पहुंच प्राप्त नहीं थी। आज भी नकदी का बोलबाला है लेकिन इसे अब भुगतान के बजाय आर्थिक परिसंपत्ति के रूप में भंडारित करने के तरीके के रूप में ज़्यादा देखा जा रहा है। दूसरी ओर, गति, सुविधा और प्रतिस्पर्धा **डिजिटल भुगतान के उम्मीद भरे भविष्य** को आकार दे रहे हैं।

3.4. राज्य वित्त (State Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI ने **"राज्य वित्त: 2022-23 के बजट का अध्ययन[29]"** शीर्षक से अपना **वार्षिक प्रकाशन** जारी किया है। इसकी थीम है- **"भारत में पूंजी निर्माण- राज्यों की भूमिका[30]"**।

भारत में राज्य वित्त

- भारतीय संविधान **शासन के लिए संघीय आधार** प्रदान करता है।
  - **सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों तथा कार्यों** को आवंटित करती है।
  - भारत का संविधान **अंतर-सरकारी हस्तांतरण के लिए राजकोषीय संस्थानों और तंत्र** का भी प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य **सरकारों के विभिन्न स्तरों पर ऊर्ध्वाधर/ लंबवत और क्षैतिज राजकोषीय असंतुलनों** को दूर करना है।

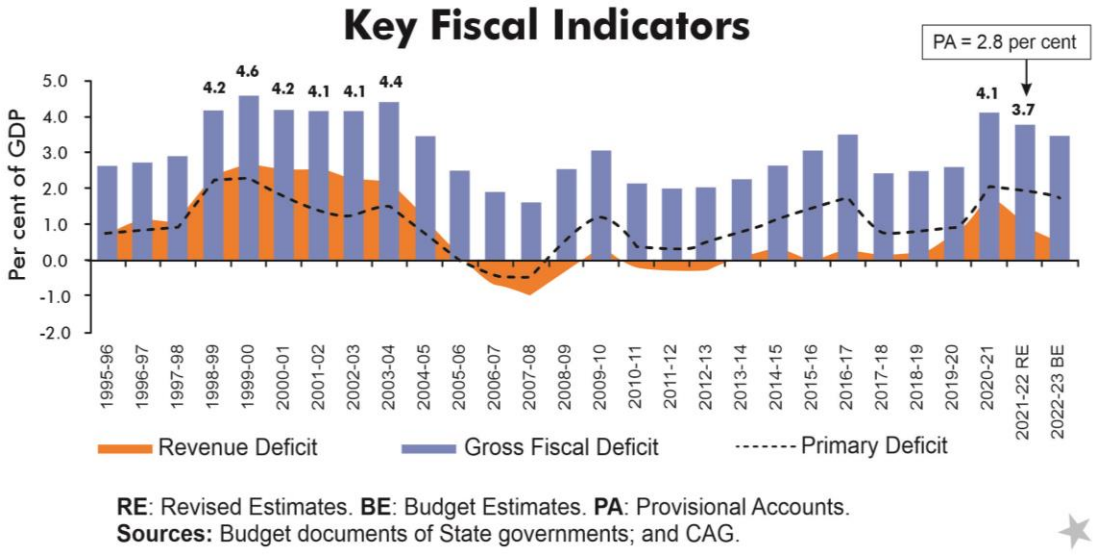

- हालांकि, **पूंजी की कमी, नवोदित निजी क्षेत्रक और कार्यान्वयन क्षमताओं में अंतराल के कारण, राज्य वित्त** (भविष्य की एक निर्दिष्ट अवधि में राजस्व और व्यय) कमजोर बना हुआ है, अर्थात्,
  - **उच्च राजकोषीय घाटा,**
  - **उच्च राजस्व घाटा और**
  - **उच्च ऋण-जी.डी.पी. अनुपात।**
    - उच्च उधारी और ऋण-जाल जोखिमों को दूर करने के लिए, सरकार ने **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM)[31] अधिनियम,** 2003 प्रस्तुत किया था। इन लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारण FRBM अधिनियम को कई बार संशोधित किया जा चुका है (FRBM पर अधिक जानकारी के लिए इन्फोग्राफिक देखें)।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और भविष्य के प्रति इसके रुझान

- राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की **कुल राजस्व प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद का 14.9%** थीं। इनमें से **55% राजस्व प्राप्तियां स्वयं के करों से थीं।**
- राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का **कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 18.5%** था। इसमें से **राजस्व व्यय 83%** और **पूंजीगत व्यय 17%** था।
- 2020-21 में महामारी जनित तीव्र गिरावट के बाद **व्यापक आधार पर आर्थिक सुधार** के कारण **राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ था।**

---

[29] State Finances: A Study of Budgets of 2022-23"

[30] Capital Formation in India - the Role of States

[31] Fiscal Responsibility and Budget Management

- **2022-23 के बजटीय अनुमानों के अनुसार, उच्च राजस्व संग्रह** के कारण **राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (GFD)[32] 2020-21** के स्तर (यानी **सकल घरेलू उत्पाद के 4.1%)** से घटकर **3.4% के स्तर तक आ सकता** है।
  - GFD, राजस्व प्राप्तियों (बाह्य अनुदानों सहित) और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को कुल व्यय में से घटाकर प्राप्त किया जाता है।

सकल राजकोषीय घाटा (GFD) = कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियां)

- **बजट के अनुसार, राज्यों का ऋण 2020-21 में GDP के 31.1% से घटकर 2022-23 में GDP का 29.5% हो जाएगा।** हालांकि इसमें सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी FRBM समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित **20%** स्तर से अधिक है।
- **2021-22 में 31.7%** की मजबूत वृद्धि के बाद, **2022-23** में राज्यों का **बजटीय पूंजी परिव्यय अपेक्षाकृत 38% अधिक है।**
  - तदनुसार, ऐसा अनुमान है कि राज्यों का **पूंजी परिव्यय-GDP अनुपात** 2021-22 (अनंतिम लेखा या PA) के 2.3% से बढ़कर 2022-23 में 2.9% हो जाएगा।

मजबूत राज्य वित्त का महत्व

- **संवृद्धि प्राप्त करना:** राज्यों द्वारा सामान्य सरकारी व्यय का 60% वहन किया जाता है। इस प्रकार भारत की व्यापक आर्थिक नीतियों में राज्य का वित्त महत्वपूर्ण हो जाता है।
  - यह **महामारी और भू-राजनीतिक तनाव** के मौजूदा प्रभाव के बीच तेजी से सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
- **निवेश आकर्षित करना:** कम राजकोषीय घाटे तथा राज्य के ऋण के चलते ब्याज दरों पर दबाव कम होता है, जिससे निवेश में बढ़ोतरी होती है।
  - यह बेहतर **समष्टि आर्थिक स्थिरता**[33] के कारण रेटिंग एजेंसियों द्वारा की जाने वाली **भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग** में सुधार करने में भी मदद कर सकता है।
- **रोजगार सृजन:** मजबूत वित्त सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। यह पूंजीगत व्यय में वृद्धि, अतिरिक्त मांग के निर्माण और रोजगार सृजन में मदद कर सकता है।
  - इसके अलावा, **राज्य सरकार केंद्र की तुलना में पांच गुना अधिक लोगों को रोजगार देती है।**
- यह अवसंरचना, अनुसंधान एवं विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं पर फोकस के साथ-साथ **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** की प्राप्ति में मदद कर सकता है।
  - यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि, सिंचाई जैसे प्रमुख क्षेत्र राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय मुद्दों के साथ निकटता के कारण इन्हें राज्य सूची में रखा गया है।

[32] Gross Fiscal Deficit

[33] Macroeconomic Stability

राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए हालिया पहलें

- **"पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता" के लिए योजना:** इसके तहत 50 वर्षों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
- **राज्य सरकार हेतु सुधार से संबद्ध अतिरिक्त ऋण**, विद्युत क्षेत्रक में सुधारों के लिए 0.5% GSDP की अतिरिक्त उधारी की अनुमति देता है।
- राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए **वेज एंड मीन्स एडवांस (WMA)** सीमा 51,560 करोड़ रुपये से घटाकर 47,010 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- **राज्य के ऋण में ऑफ बजट उधारियों को शामिल करना:** इसमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या उनके विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs)[34] के ऋण आते हैं।
- राजस्व बढ़ाने के लिए **राज्य-स्तरीय उपाय,** जैसे-
  - असम और केरल द्वारा पुराने वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए **ग्रीन टैक्स।**
  - हरियाणा द्वारा **परिसंपत्तियों के चरणबद्ध मुद्रीकरण** के उपाय।
  - करदाताओं को राहत प्रदान करने के साथ-साथ अपने स्वयं के राजस्व संग्रह आदि में सुधार करने के लिए 2020-21 में केरल और राजस्थान द्वारा **एमनेस्टी योजना।**

राज्य वित्त संबंधी मौजूदा चिंताएं

- **ऊर्ध्वाधर/ लंबवत असंतुलन** यानी संसाधनों के लिए केंद्र पर राज्यों की निर्भरता अत्यधिक है, क्योंकि संसाधन जुटाने हेतु उन्हें सौंपी गई शक्तियां उनके व्यय दायित्वों से कम हैं।
  - पिछले कुछ वर्षों में सकल कर राजस्व में बढ़ते उपकर और अधिभार प्रतिशत के कारण **केंद्र से राज्यों को होने वाला कर हस्तांतरण प्रभावित हुआ है।** (ऐसा अनुमान है कि **उपकर और अधिभार राजस्व** 2020-21 में **24% तक पहुंच जाएगा।** गौरतलब है कि यह 2011-20 के दौरान सकल कर राजस्व का 10-15% था।)
  - राज्यों को **केंद्रीय हस्तांतरण में अनटाइड फंड्स (कर हस्तांतरण + राजस्व घाटा अनुदान)** का हिस्सा **2015-20 के दौरान 32.4% था जो घटकर** 2021-26 (15वें वित्त आयोग) **के लिए केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों का 29.5% हो गया है।**

- **क्षैतिज असंतुलन**, यानी क्षेत्र-विशिष्ट असमानताओं और विविध सामाजिक-आर्थिक संरचना के कारण संसाधन को जुटाने और उनका व्यय करने में राज्यों की क्षमताएं अलग-अलग हैं।
  - **लोकलुभावन राजकोषीय उपाय** जैसे कि कुछ करों या राज्य-विशिष्ट व्यय योजनाओं को लागू न करना भी इसमें शामिल है।
- राज्यों के व्यय पैटर्न में **प्रतिबद्ध व्यय (Committed Expenditure) का प्रभुत्व होना**, जैसे- ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक सेवाओं हेतु।
  - उदाहरण के लिए- कुछ राज्यों के लिए **पेंशन का राज्य के अपने कर राजस्व के मुकाबले उच्च प्रतिशत होना।**
  - **कुछ राज्य पुरानी पेंशन योजना को अपना सकते हैं। यह उप-राष्ट्रीय राजकोषीय क्षितिज पर** एक और **बड़ा जोखिम है।**
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं** के कारण राज्यों की व्यय नीतियों पर **केंद्र का प्रभाव बना रहता है।**

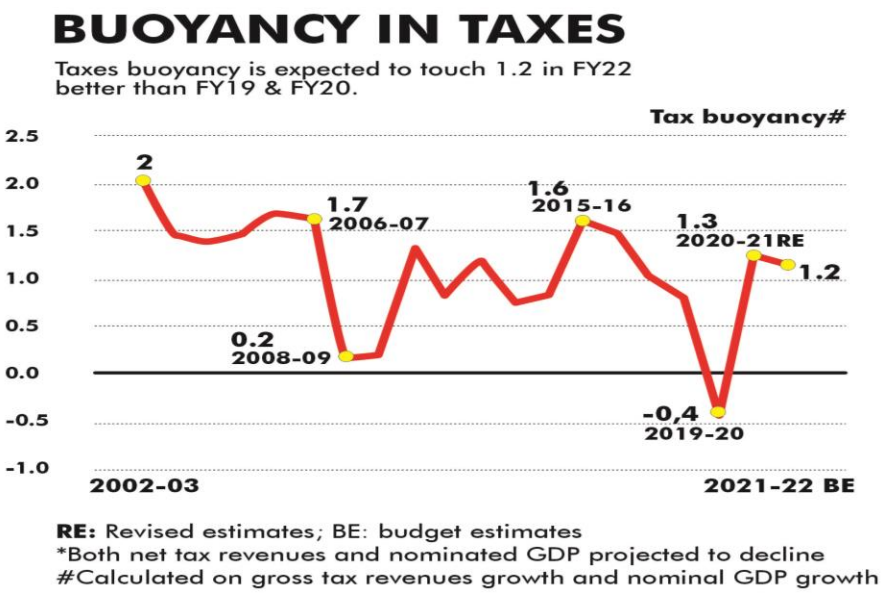

- गलत पूर्वानुमानों, उच्च प्रशासनिक लागतों, नवाचार की कमी, आर्थिक उतार-चढ़ाव जैसे मुद्दों के कारण **राज्यों के अपने कर राजस्व (SOTR)[35] में सपाट या मामूली वृद्धि हुई है।**

[34] Special Purpose Vehicles

- स्टेट PSUs के घाटे, उचित प्रयोक्ता प्रभारों की कमी आदि के कारण राज्यों के **स्वयं के गैर-कर राजस्व** अथवा पूंजी निवेश पर मिलने वाले प्रतिफल की संभावना कम हो जाती है।
- **कर उछाल में संभावित कमी,** यानी, GDP में परिवर्तन के मुकाबले कर राजस्व में कम वृद्धि।

आगे की राह

वैश्विक मंदी, उच्च मुद्रास्फीति, जॉब लॉसेज़ आदि **के बढ़ते खतरे** राज्य-वित्त में बड़े सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इससे राज्यों के वित्त में लगातार सुधार किया जा सकेगा और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा:

- **विधायी सुधार: 15वें वित्त आयोग** और **FRBM समीक्षा समिति की सिफारिशों** के आधार पर FRBM अधिनियम में बड़े बदलावों की आवश्यकता है। इससे अधिक पारदर्शिता और ऋण संबंधी संधारणीयता लाई जा सकेगी।
  - 15वें वित्त आयोग ने **अलग-अलग अवधियों में राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे (GSDP के % के रूप में) की निम्नलिखित सीमाओं की** सिफारिश की है-
    - **2021-22 में 4%,**
    - **2022-23 में 3.5% और**
    - **2023-26 के दौरान 3%**
  - FRBM समीक्षा समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:
    - भारत में **FRBM की जगह ऋण प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व को लाया जाना चाहिए। इसके तहत** राजकोषीय नीति के लिए **मध्यम अवधि के एंकर के रूप में सार्वजनिक ऋण-GDP अनुपात का प्रयोग किया जाना चाहिए।**
    - बहु-वर्षीय पूर्वानुमान तैयार करने, राजकोषीय कार्यनीति में परिवर्तन की सिफारिश करने आदि के लिए **राजकोषीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए।**
    - पारदर्शिता और पूर्वानुमान आदि के लिए **नियम-आधारित नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए। इसमें यह पहले से तय होना चाहिए कि** लक्ष्य से विचलन के लिए कौन से आधार स्वीकार्य होंगे।

- **राजकोषीय सुधार:** राज्यों को **राजकोषीय नीतियों** के हिस्से के रूप में ऋण समेकन को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही, राज्यों को इस संदर्भ में, **सार्वजनिक ऋण और आकस्मिक देयताओं तथा उनके जोखिमों की रिपोर्टिंग** पर उचित **मानकों को निर्धारित करना चाहिए**।
  - 'राज्य बजट और आर्थिक नियोजन' को स्थिर करने के लिए **SOTR में दोहरे अंकों की वृद्धि को लक्षित** किया जाना चाहिए। SOTR में राज्य उत्पाद शुल्क, स्टांप शुल्क और पंजीकरण, शराब की बिक्री पर कर, राज्य जी.एस.टी. आदि शामिल हैं।
- **संस्थागत सुधार:** स्थानीय सरकारों को करों, शुल्कों और अन्य राजस्वों के असाइनमेंट पर निर्णय लेने के लिए **राज्य वित्त आयोगों (SFC)**[36] की समय पर स्थापना करनी चाहिए। स्थानीय निकायों की कार्यात्मक स्वायत्तता को बढ़ाकर सरकार के तीसरे स्तर को मजबूत करना चाहिए।
- **व्यय संबंधी सुधार:** पूंजी निर्माण और उत्पादक परिसंपत्तियों के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि किया जाना चाहिए। सार्वजनिक व्यय में अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा संक्रमण आदि पर व्यय शामिल हैं: इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
  - **नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देना।**
  - राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की **वित्तीय स्थिति में सुधार करना।**
  - राज्य की परिसंपत्तियों से **राजस्व में वृद्धि करना।**
  - **मंदी, जलवायु परिवर्तन आदि की आगामी चुनौतियों का समाधान करना।**
- **अन्य उपाय:**
  - **ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस को जारी** रखना चाहिए ताकि निजी क्षेत्रक के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया जा सके। यह निजी क्षेत्रक को निवेश करने और इस दिशा में निवेश उन्मुख प्रयासों को बनाए रखने में मदद करेगा।

---

[35] States own Tax Revenue

[36] State Finance Commissions

- देश भर में राज्य पूंजीगत व्यय के स्पिलओवर प्रभावों का पूरा लाभ उठाने के लिए **उच्च अंतर-राज्य व्यापार और व्यवसायों को प्रोत्साहित करना चाहिए एवं सुविधा प्रदान** की जानी चाहिए।

3.5. सूक्ष्म वित्त क्षेत्रक (Microfinance Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स (PwC) और एसोसिएशन ऑफ माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के एक संयुक्त अध्ययन ने भारत की आर्थिक संवृद्धि में सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs)[37] की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डाला है।

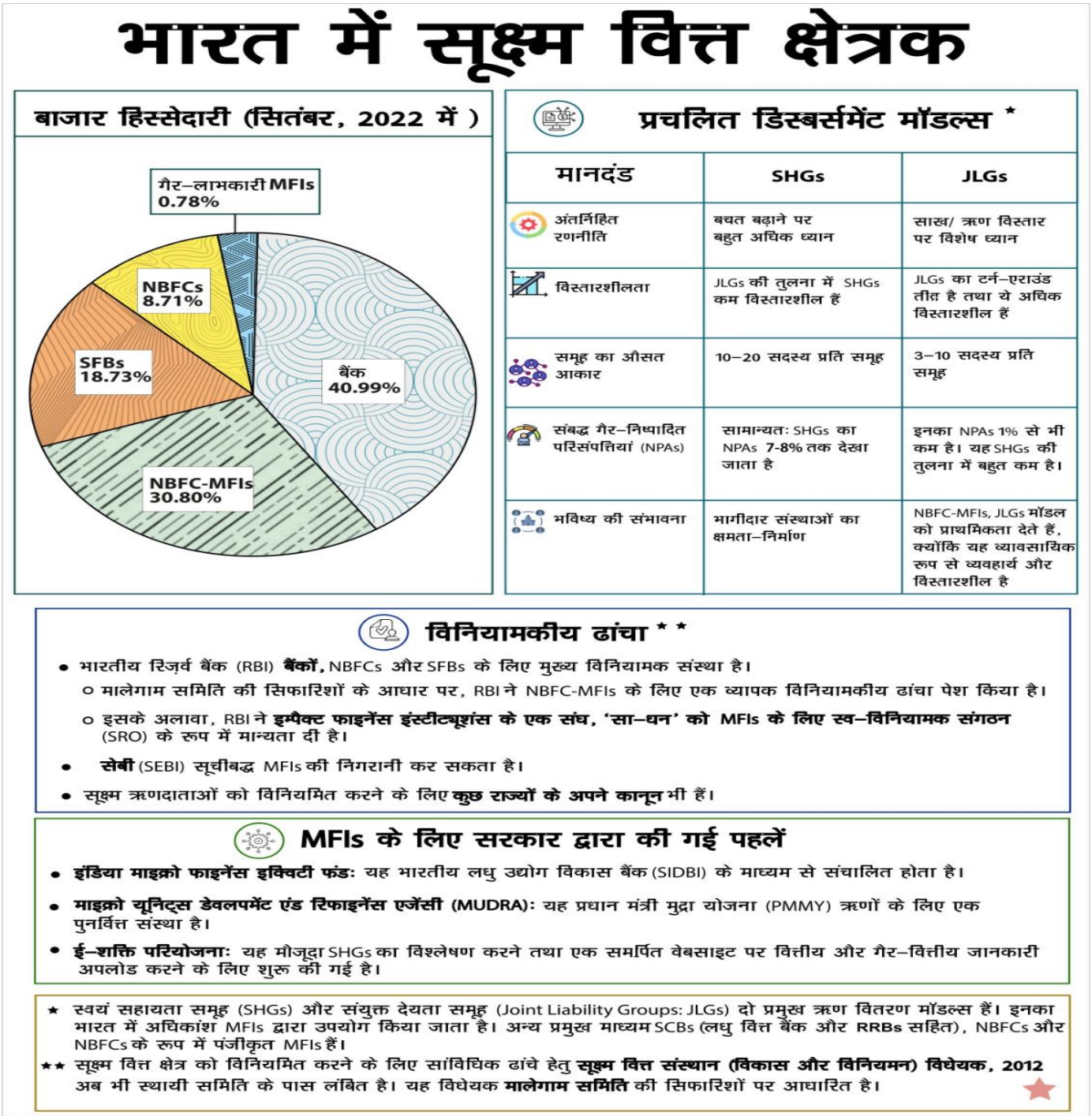

[37] Microfinance Institutions

भारत का सूक्ष्म वित्त क्षेत्र और MFIs

सूक्ष्म वित्त, **वित्तीय सेवा का एक रूप है।** इसके तहत **गरीबों और निम्न आय वाले परिवारों** को **लघु ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान** की जाती हैं। समाज के इस वर्ग को **'मिसिंग मिडिल'** के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संपार्श्विक (Collateral) की मांग के कारण औपचारिक ऋण तक इस वर्ग की पहुंच नहीं हैं (MFI क्षेत्रक पर अधिक जानकारी के लिए इन्फोग्राफिक देखें)।

क्या आप जानते हैं?

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को आधुनिक सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) की आधारशिला रखने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1976 में **बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक** की स्थापना कर MFIs की आधारशिला रखी थी।

MFIs का महत्व

- यह आर्थिक पिरामिड के निचले भाग में रहने वाले **6 करोड़ से अधिक उधारकर्ताओं** को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करके **समावेशी विकास** को बढ़ावा देता है।
- अल्पावधिक ऋणों के माध्यम से आय सृजन गतिविधियों का समर्थन कर ये **गरीबी को दूर करने में मदद करते** हैं।
- ये **महिला सशक्तीकरण** को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि सूक्ष्म वित्त सुविधाओं की अधिकांश उपयोगकर्ता महिलाएं हैं।
- **MFIs सामाजिक समानता** को बढ़ावा देते हैं जैसाकि निम्नलिखित गतिविधियों में इनकी सक्रिय भागीदारी रही है:

- **जल-स्वच्छता उत्पादों** और **सेवाओं का वित्त-पोषण करने में।**
- **सरकारी योजनाओं,** जैसे- आयुष्मान भारत कार्यक्रम और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पी.एम. स्वनिधी योजना आदि **के बारे में जागरूकता फैलाने में।**

- **ये वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करते हैं,** जैसे कि MFIs ऋण प्रदान करने के साथ-साथ कई अन्य वित्तीय सेवाओं (जैसे- बचत, बीमा और प्रेषण) की पेशकश करते हैं।
- **ये गैर-वित्तीय सेवाओं,** जैसे- परामर्श, प्रशिक्षण और व्यवसाय समर्थन के विस्तार के माध्यम से **उद्यमिता को बढ़ावा** देते हैं।
  - ये रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर **असंगठित क्षेत्र को अत्यधिक प्रोत्साहन** प्रदान करते हैं।

आगे की राह

संधारणीय विकास हासिल करने के लिए **सरकार, नियामकों, उद्योग आदि को भविष्य हेतु निम्नलिखित उपाय करने** चाहिए:

- **अंतर्निहित विनियामक अंतराल को पाटने** का प्रयास करना चाहिए। यह सामान्य परिभाषाओं के लिए आवश्यक वैधानिक विनियामक ढांचे तथा एक मानकीकृत ऋण, जोखिम प्रबंधन एवं नियंत्रण मॉडल के माध्यम से किया जा सकता है।
- निवेश के नए स्रोतों को खोलना चाहिए। यह विशेष रूप से छोटे MFIs के लिए किया जाना चाहिए जो अपने ऋण वित्त-पोषण का अधिकांश हिस्सा अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त करते हैं और इस तरह बाहरी कारकों के प्रति अपने जोखिम को कम करते हैं।
  - कॉर्पोरेट के साथ बाह्य साझेदारी का निर्माण, प्रभावी निवेश और पूंजी सृजन के नए तथा विश्वसनीय व्यापार मॉडल की खोज से इसमें मदद मिल सकती है।
- मजबूत निगरानी तंत्र के माध्यम से एक मजबूत माइक्रोलेंडिंग लैंडस्केप का निर्माण किया जाना चाहिए, अर्थात-
  - सभी मौजूदा NGO-MFIs का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करना।
  - पूंजी पर्याप्तता और प्रोविजनिंग पर विवेकपूर्ण लेखा मानदंड निर्धारित करना।
  - लेखापरीक्षकों की भूमिका और MFIs के पर्यवेक्षण को स्पष्ट करना।
  - अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ावा देना।
  - क्षेत्र की निगरानी के लिए केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर परिषदों एवं समितियों का निर्माण करना।
- उधारकर्ताओं की संभावित जरूरतों की पहचान करके नए उत्पादों को विकसित करने में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए- एनालिटिक्स-आधारित अंडरराइटिंग और संग्रह मॉडल का उपयोग किया जा सकता है।
- पारदर्शिता एवं ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक 'उचित व्यवहार संहिता' विकसित करने की आवश्यकता है, अर्थात्-
  - ऋण की शर्तों और ब्याज शुल्कों में पारदर्शिता होनी चाहिए;
  - मल्टिपल लेंडिंग, अत्यधिक ऋण लेने एवं वसूली के बलपूर्वक तरीकों के माध्यम से ग्राहकों का उत्पीड़न जैसी **गलत प्रथाओं से बचना** चाहिए।
    - माइक्रो लीडिंग तब होती है जब एक उधारकर्ता कई उधारदाताओं से ओवरलैपिंग ऋण लेता है।
  - एक उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना करने की आवश्यकता है।
- शुरुआती चरण में चौतरफा समर्थन के माध्यम से MFIs का क्षमता-निर्माण किया जाना चाहिए। उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन लोन दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने कार्य संचालन के दायरे को व्यापक कर सकें। इसके अलावा इस संबंध में एक जोखिम/ विकास कोष का भी निर्माण किया जाना चाहिए। इस कोष का प्रबंधन RBI द्वारा इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि MFIs, अल्प-सेवित क्षेत्रों में, पुनर्वित्तीयन या निवेश के लिए इस कोष का प्रयोग कर सकें।
  - स्थानीय क्षेत्र बैंक (LABs)[38] को स्थापित करने के लिए MFIs या वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

3.6. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने **IBC** में प्रस्तावित संशोधनों को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया है। ऐसा IBC की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।

IBC और उसकी विशेषताओं के बारे में

- IBC कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों एवं व्यक्तियों के दिवालियापन से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु **समयबद्ध, बाजार तंत्र** के लिए भारत का एक व्यापक कानून है। यह 2016 से लागू है।

[38] Local Area Banks

- यह दिवाला और दिवालियापन के लिए **एकल कानून** का निर्माण करता है (अर्थ के लिए इन्फोग्रफिक देखें)। इसका उद्देश्य एक मजबूत, आधुनिक एवं परिष्कृत दिवाला ढांचे का विकास करना है।
- IBC संस्थागत बुनियादी ढांचे के **चार स्तंभों** पर आधारित है (इन्फोग्रफिक देखें):
    - **इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (IPs),** IP एजेंसी (IPA) के सदस्य, समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए।
    - **सूचना उपयोगिताएं (IUs):** दिवाला समाधान (जैसे- नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड) की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में ऋणदाताओं, ऋण देने की शर्तों आदि के विवरण को भंडारित करने के लिए।
    - **भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (The Insolvency and Bankruptcy Board of India: IBBI):** IPs, IPAs और IUs के कामकाज को विनियमित करने के लिए।
    - **न्याय निर्णयन प्राधिकरण- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT):** NCLT कंपनियों के लिए दिवाला समाधान का फैसला करता है, जबकि DRT व्यक्तियों के लिए।
        - **नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT),** NCLT द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए एक **अपीलीय प्राधिकरण** है।
- **परिसंपत्ति के मूल्य** और **देनदार या ऋणी के प्रकार** के आधार पर, IBC विभिन्न कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित प्रदान करता है:
    - **कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP)।**
    - **प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया (PPIRP),** और
    - **फास्ट ट्रैक कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (FIRP)।**
        - प्रत्येक समाधान प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए इन्फोग्रफिक देखें।

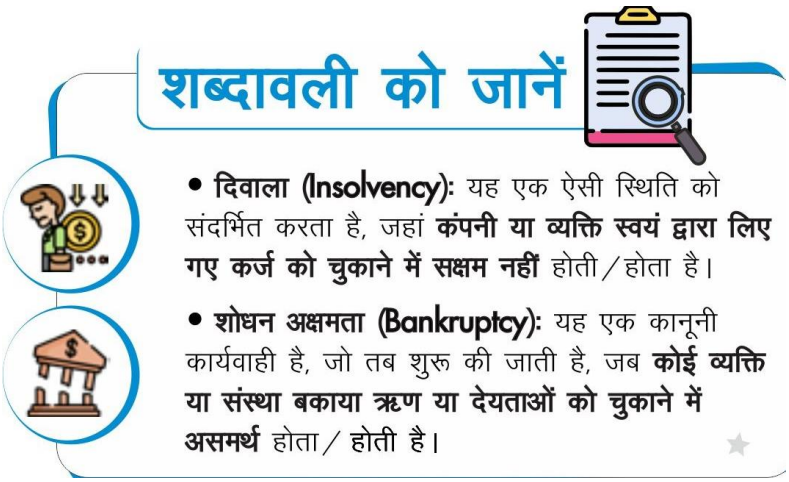

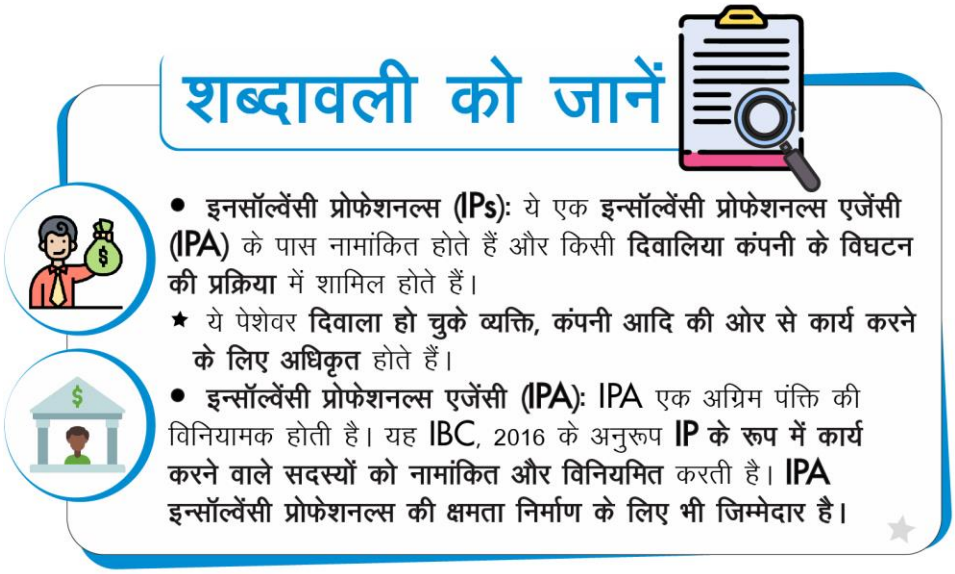

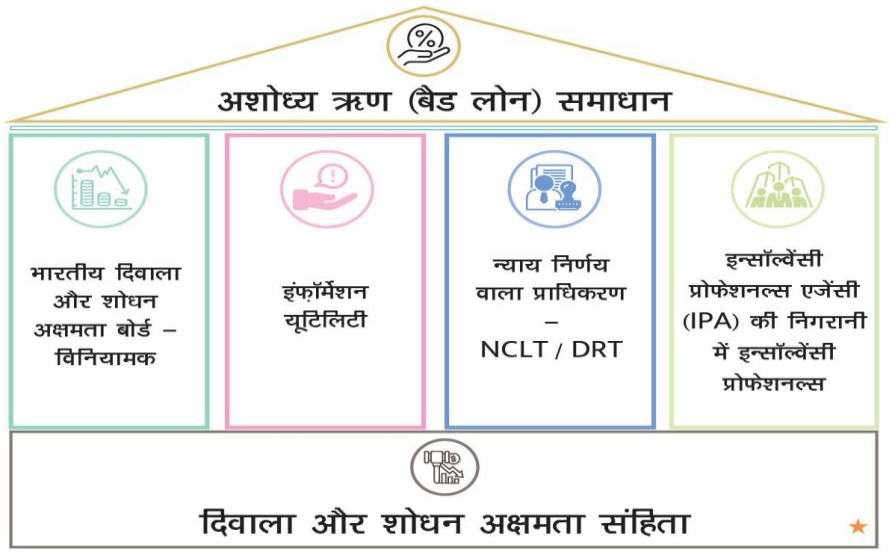

IBC के लाभ

- **आर्थिक स्थिरता और विकास:** IBC भारत की कॉर्पोरेट संकट समाधान व्यवस्था को ठीक करके आर्थिक स्थिरता और विकास को सुनिश्चित करता है। ऐसा क्रेडिटर-इन-कंट्रोल मॉडल के साथ एक समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

- यह दिवालियापन समाधान में लगने वाले समय और लागत को कम करके **संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करता है।** सितंबर 2022 के अंत तक, **कुल 5,893 CIRPs** में से लगभग **36% का समाधान किया गया** और **30% का परिसमापन किया गया**
    - साथ ही, समाधान के लिए लगने वाला औसत समय जो **2017 में 4.3 वर्ष** था वह घटकर **2021-22 में 650 दिन** हो गया है।
- IBC **उद्यमशीलता** को बढ़ावा देता है, क्योंकि IBC **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है।
- IBC समयबद्ध समाधान की सहायता से यह सुनिश्चित करता है कि क्रेडिट न तो फंसे और न ही खराब ऋण में परिवर्तित हों। इससे स्वस्थ क्रेडिट प्रवाह बनाए रखना आसान हो जाता है।
- यह **लेनदार-देनदार संबंधों में** गहन परिवर्तन एवं देय राशि के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन के माध्यम से **सभी हितधारकों के हितों को संतुलित** करता है।
    - इसके अलावा, इसने देनदारों के **व्यवहार में परिवर्तन** किया है। देनदार अब संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य में धीमी गिरावट से बचने के लिए शुरुआती चरणों में ही संकट का समाधान कर रहे हैं।

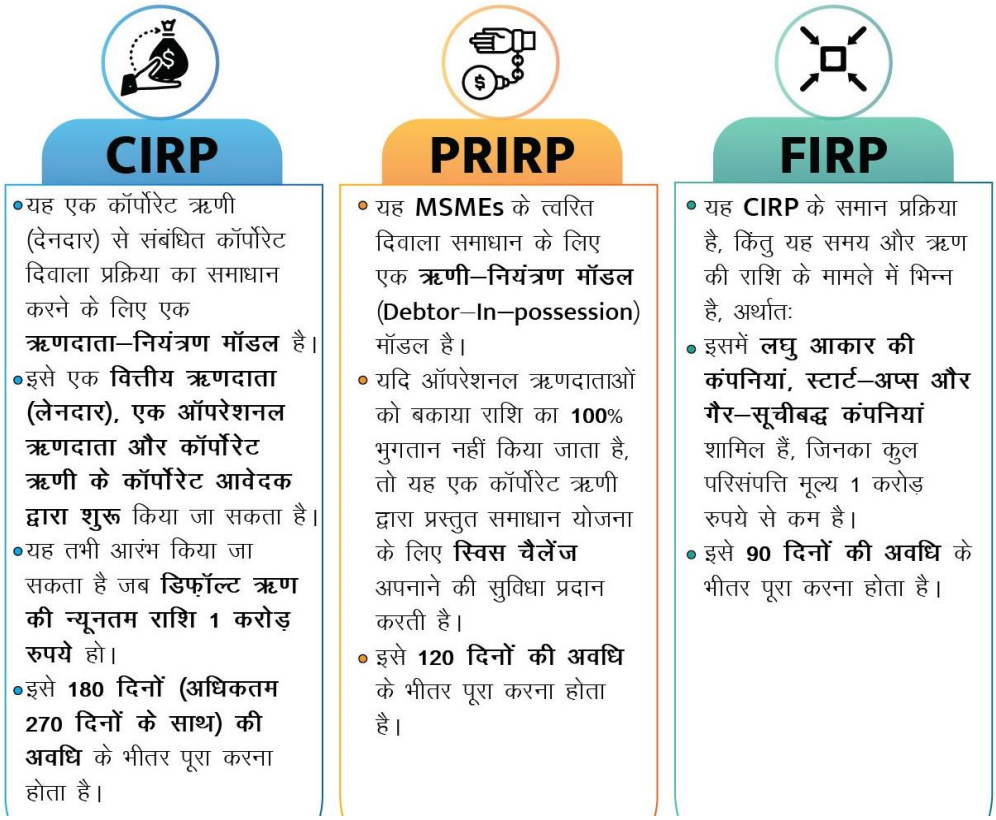

IBC के कार्यान्वयन से जुड़ी हुई समस्याएं

- **न्यायिक विलंब: समाधान आवेदन की स्वीकृति के** साथ-साथ **अंतिम समाधान** और **परिसमापन** के लिए **लगने वाला समय लगातार बढ़ता** ही जा रहा है।
    - उदाहरण के लिए- CIRPs के अंतर्गत मौजूदा 64% मामलों ने 270 दिनों की सीमा पार कर ली है। निर्धारित **समय-सीमा का पालन न होने के प्रमुख कारण-**
        - **न्यायाधिकरणों में पदों की रिक्ति,**
        - अपीलीय प्राधिकरण (NCLAT) और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का बढ़ता बोझ।
- **निम्न रिकवरी दर:** उच्च हेयरकट के कारण रिकवरी की दरों में गिरावट आई है। उदाहरण के लिए- FY22 में, 500 में से उन 100 कंपनियों के लिए हेयरकट 90% से ऊपर था, जिनका IBC के तहत उचित समाधान हुआ।
    - महामारी के कारण दिवालिया फर्मों के लिए **बाजार की रूचि कम हुई है।** इसके चलते **परिसंपत्तियों के मूल्य में और भी क्षरण** हुआ है।
- **सीमा-पार दिवाला:** IBC में मानकीकृत सीमा-पार दिवालियापन का अभाव है जैसा कि वीडियोकॉन और जेट एयरवेज मामले में देखा गया है।
- **घर खरीदारों के अधिकारों को बरकरार रखना:** हालांकि, घरों के खरीदारों को **वित्तीय लेनदारों** (चित्रा शर्मा बनाम भारत संघ) के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक परियोजना के **10%** या **100 होमबॉयर्स (जो भी कम हो)** की न्यूनतम सीमा की आवश्यकता होती है। इसके कारण:

- रियल एस्टेट के मालिक के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक सीमा को पूरा करने में व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं।

- **सूचना उपयोगिताओं (IUs) का कम उपयोग: दिवाला समाधान समय अवधि को सीमित करने** में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, यह IBC का सबसे कम उपयोग किया जाने वाला स्तंभ है।
- **IPs और IPAs की कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दे:** IPs को विनियमित करने वाले कई IPAs विभिन्न मुद्दों को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए- सामान्य मानकों की अनुपस्थिति, निर्णय लेने में एकरूपता का अभाव, दावेदारों के रिकॉर्ड के रख-रखाव में समुचित सावधानी की कमी आदि।

IBC फ्रेमवर्क में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन और उनके लाभ

क्षेत्र	प्रस्तावित परिवर्तन	संभावित लाभ
प्रौद्योगिकी	• IBC के तहत कई प्रक्रियाओं, जैसे- मामला प्रबंधन, नोटिस वितरण, प्रक्रिया से गुजर रहे कॉर्पोरेट डेटर (Corporate Debtor: CDs) के रिकॉर्ड के भंडारण आदि को संभालने के लिए एक ई-प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया जाएगा।	• पारदर्शिता, • कम विलंब • बेहतर निर्णय लेना
कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) आवेदन स्वीकृति	• वित्तीय ऋणदाता (FCs), CIRP आवेदन से पहले सूचना उपयोगिताओं पर डिफ़ॉल्ट या विवाद उत्पत्ति का पता लगाएंगे। • **न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (AA):** ○ अनिवार्य रूप से आवेदन को स्वीकार करेगा और यदि डिफ़ॉल्ट सिद्ध हो जाता है, तो CIRP को शुरू करेगा। ○ एक अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) प्रस्तावित करने से संबंधित CD के अधिकार को खत्म करेगा और इसे AA को देगा। IRP की नियुक्ति AA द्वारा IBBI की सिफारिश पर की जाएगी। ○ AA को IBC नियमों के उल्लंघनों पर जुर्माना लगाने के लिए सशक्त करेगा।	• स्वीकृति प्रक्रिया के दौरान IUs को जमा किए गए रिकॉर्ड पर निर्भरता में वृद्धि होगी। • डिफ़ॉल्ट दस्तावेजों के सत्यापन और CIRP के शीघ्रातिशीघ्र आरंभ होने में लगने वाला समय कम होगा। • IRP की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। • व्यापार कानून विधियों में अपराधों में कमी आएगी। • AA के समय की बचत होगी।
दिवाला समाधान प्रक्रिया को सरल बनाना	• प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क (PRIRP) की प्रयोज्यता को कंपनियों की एक विस्तृत श्रृंखला तक विस्तारित करना; PRIRP के तहत असंबद्ध FC के लिए सीमा को कम करना आदि। • रियल एस्टेट के मामलों को सीमित करने के परिणाम केवल डिफॉल्ट परियोजनाओं तक ही लागू होंगे, औपचारिक रूप से प्रोजेक्ट-वार CIRP या रिवर्स CIRP* को मान्यता देते हुए। • केंद्र सरकार विशेष CIRP में प्रशासक की नियुक्ति करेगी आदि।	• न्यायिक प्रक्रिया के बाहर CD के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया चलाने के लिए FCs को सुविधा होगी। • PRIRP के तहत तेजी से और अधिक कुशल निर्णय लेना संभव होगा। • परियोजना-वार CIRP की सहायता से घर खरीदारों के लिए घर के कब्जे में आने वाली कठिनाइयों और देरी को कम किया जा सकेगा।
परिसमापन प्रक्रिया	• परिसमापन प्रक्रिया को पुनर्गठित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि यदि परिसमापन संभव नहीं है, तो ऋणदाताओं की समिति (CoC) कंपनी के प्रत्यक्ष विघटन के लिए AA से अनुरोध कर सकेगी। • CIRP और परिसमापन प्रक्रिया के बीच गतिविधियों के दोहराव को समाप्त किया जाएगा। • CoC, परिसमापक की कार्यप्रणाली की निगरानी और समर्थन करेगी। साथ ही, परिसमापन प्रक्रिया में सभी निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाएंगे आदि।	• दोहराव के कारण होने वाली देरी को कम करके दक्षता में वृद्धि होगी। • परिसमापन प्रक्रिया की बेहतर निगरानी की जा सकेगी आदि।
अन्य क्षेत्र	• IBBI मूल्यांकन-संबंधी सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं के एक विशेष वर्ग को पंजीकृत और विनियमित करेगा।	• सेवा प्रदाताओं का बेहतर विनियमन।

	• IBBI को बिना किसी निरीक्षण या जांच के कारण बताओ नोटिस जारी करने में सक्षम बनाएगा।	

'*'- **रिवर्स CIRP** प्रमोटरों को समाधान के लिए ठप पड़ी परियोजनाओं में धन लगाने की अनुमति देता है।

IBC प्रक्रिया को और अधिक परिष्कृत करने के लिए आगे की राह

- **रिक्तियों को भरना चाहिए। साथ ही अधिक खंडपीठों** या **NCLT के विशेष खंडपीठों की स्थापना की जानी चाहिए।**
- **वैश्विक मानकों के अनुरूप हेयरकट की मात्रा तय करने के लिए एक बेंचमार्क निर्धारित करना** चाहिए या प्रवर्तन एजेंसियों के उत्पीड़न को आमंत्रित किए बिना बैंकों को हेयरकट लेने की छूट प्रदान की जानी चाहिए।
  - **ऋण की राशि और संपार्श्विक (या जमानत) के रूप में उपयोग की जाने वाली संपत्ति के वास्तविक मूल्य के बीच के अंतर को 'हेयरकट' कहते हैं।** यह संपत्तियों के मूल्य में गिरावट के जोखिम के बारे में ऋणदाता की धारणा को दर्शाता है। हालांकि, ऋण वसूली के संदर्भ में, यह उधारकर्ता की ओर से वास्तविक देय राशि और उसके द्वारा बैंक के साथ अंतिम रूप से तय की गई (Settled) राशि के बीच का अंतर है।
- भारतीय संदर्भ के अनुरूप कुछ संशोधनों के साथ क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी (1997) पर **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL)**[39] के मॉडल कानून को अपनाने का प्रयास करना चाहिए।
- संकट में किसी कंपनी का अधिग्रहण करने वाली CoC के लिए **एक पेशेवर कोड** तैयार किया जाना चाहिए।
- मानकों को निर्धारित करने एवं IPs के कामकाज को विनियमित करने के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) जैसे **एकल पेशेवर स्व-विनियामक IPAs की स्थापना करने की आवश्यकता है।**

3.7. लोन-लॉस प्रोविजन (Loan-Loss Provisions: LLPs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक चर्चा पत्र (DP)[40] जारी किया है। इसका उद्देश्य बैंकों को प्रोविज़निंग के लिए **अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण** या **अपेक्षित क्रेडिट हानि (ECL)**[41] **व्यवस्था** को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

लोन-लॉस प्रोविज़न्स (LLPs) के बारे में

- इसके तहत बैंक संभावित ऋण चूक का प्रबंधन करने के लिए, कुल ऋण के अनुपात में एक निश्चित धन राशि को LLPs के रूप में सुरक्षित रख देते हैं।
  - इस प्रकार LLPs पूरी तरह या आंशिक रूप से **ऋण हानि** को कवर करने के लिए बैंकों द्वारा निर्धारित **आय विवरण व्यय (Income Statement Expense)** हैं।
  - सभी ऋण खराब नहीं होते हैं। इसलिए **बैंकों द्वारा बैंक ऋण पोर्टफोलियो के संभावित नुकसान को कम करने के लिए** LLPs का उपयोग एक क्रेडिट जोखिम प्रबंधन साधन के रूप में किया जाता है।

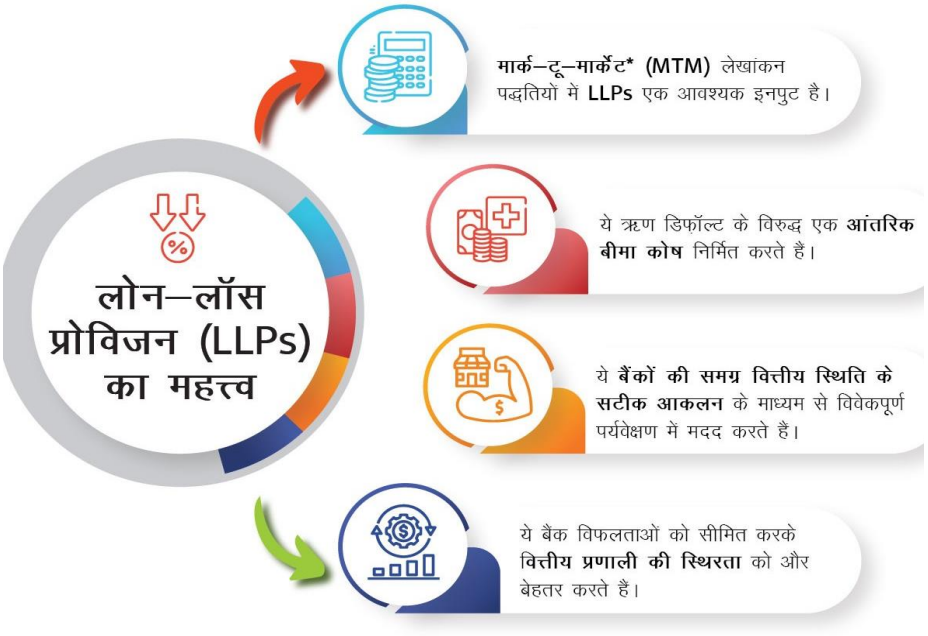

* **मार्क–टू–मार्केट (MTM)** लेखाओं के उचित मूल्य को मापने का एक तरीका है। यह मूल्य समय के साथ घटता–बढ़ता रहता है, जैसे– परिसंपत्तियां और देनदारियां।

[39] United Nations Commission on International Trade Law

[40] Discussion Paper

[41] Expected Credit Loss

LLP के लिए दृष्टिकोण:

- **कारक:** LLPs का स्तर कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे-

बैंकों की लॉस हिस्ट्री (हानि का इतिहास) और आंतरिक रेटिंग	**अन्य बैंकों का प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण**
बैंकों की सुरक्षा और स्थिरता के लिए अपेक्षित स्तर	**आर्थिक स्थितियां**

- **वर्तमान दृष्टिकोण:** वर्तमान में, भारत में बैंकों को **'उपगत हानि' (Incurred loss) दृष्टिकोण** के आधार पर LLPs करने की आवश्यकता होती है।
  - यह एक विवेकपूर्ण **प्रो-साइक्लिकल व्यवस्था (Procyclical Regime)** है। इसमें बैंकों को होने वाली हानियों के लिए प्रोविजनिंग करने की आवश्यकता होती है। यहां विशिष्ट प्रोविज़न के साथ कवरेज तब बढ़ता है जब ऋण पर दबाव बढ़ने लगता है और वे गैर-निष्पादक बन जाते हैं। गौरतलब है कि सरल शब्दों में प्रो-साइक्लिकल का अर्थ वस्तुओं, सेवाओं के मूल्य और आर्थिक संकेतकों में होने वाले परिवर्तन का अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुरूप होना है।

  - लेखांकन (Accounting) के संदर्भ में, **यह अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक-IAS 39** वित्तीय उपकरण: मान्यता और मापन द्वारा समर्थित है।
  - 2014 में, **IFRS 9 (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक) ने IAS 39 का स्थान ले लिया था।** इसका उद्देश्य बैंकों की ऋण LLPs प्रथाओं को अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण में बदलना था।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (IFRS)

- **IFRS 'लेखांकन मानकों का एक समूह है** जो यह निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरणों में **विशेष प्रकार के लेन-देन और घटनाओं** की रिपोर्ट **कैसे** की जानी चाहिए'।
- ये **अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (IASB)** द्वारा विकसित और अनुरक्षित हैं। यह बोर्ड IFRS फाउंडेशन के मानक निर्धारित करने वाले दो बोर्ड्स में से एक है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड (ISSB)** IFRS स्थिरता प्रकटीकरण मानकों को स्थापित करने वाला दूसरा बोर्ड है।
- **पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक परिषद (IASC)** द्वारा जारी IAS को IASB द्वारा समर्थन दिया गया है और उसे संशोधित किया गया है।
  - **IASC** का गठन **1973** में किया गया था और इसे **2001** में **IFRS** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

- **प्रस्तावित दृष्टिकोण:** अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण एक **काउंटरसाइक्लिकल या गतिशील अग्रगामी फ्रेमवर्क** है। इसे ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि **बेहतर आर्थिक स्थिति** के दौरान उच्च LLPs के माध्यम से **प्रोविजन्स के रिज़र्व का निर्माण** किया जा सके और आर्थिक मंदी में LLPs के अपेक्षाकृत निम्न स्तरों के बारे में रिपोर्ट करके उन रिज़र्व्स का उपयोग किया जा सके।
  - व्यक्तिगत बैंक स्तर पर और समग्र व्यापार चक्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही, यह किसी भी प्रकार के प्रणालीगत मुद्दों से बचने में भी मदद करता है।

ECL व्यवस्था के तहत LLP पर प्रस्तावित रूपरेखा

- पहले इसे अप्रैल 2018 से अपनाने का प्रस्ताव था लेकिन इसे टाल दिया गया था। (भारत में, बड़े NBFCs पहले से ही क्रेडिट घाटे का अनुमान लगाने के लिए ECL दृष्टिकोण का पालन कर रहे हैं।)
- **दिशा-निर्देश:**
  - बैंकों द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों (मुख्य रूप से ऋण) को 3 श्रेणियों (चरण 1, चरण 2 और चरण 3) में बांटा जाएगा और तत्पश्चात आवश्यक प्रोविज़न्स किए जाएंगे। **ये श्रेणियां निम्नलिखित पर निर्भर करती हैं**:
    - **प्रारंभिक मान्यता** के समय, उन पर ऋण हानियों का आकलन, और
    - **बाद की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि** पर।

मापदंड	चरण 1	चरण 2	चरण 3
वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण	प्रारंभिक पहचान के बाद से **क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं** हुई है या रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम कम है।	प्रारंभिक पहचान के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन हानि का कोई वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहीं है।	रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के साथ वित्तीय परिसंपत्तियां।
इन परिसंपत्तियों के लिए प्रोविज़न्स	12-महीने की अपेक्षित क्रेडिट लॉसेज़ की पहचान की जाती है और **ब्याज राजस्व की गणना परिसंपत्ति की सकल अग्रणीत राशि** (Gross Carrying Amount) पर की जाती है।	जीवनपर्यंत प्रत्याशित लोन लॉसेज़ की पहचान की जाती है। हालांकि, **ब्याज राजस्व की गणना अभी भी परिसंपत्ति की सकल अग्रणीत राशि** (Gross Carrying Amount) पर की जाती है।	आजीवन प्रत्याशित लोन लॉसेज़ की पहचान की जाती है, और ब्याज राजस्व की गणना निवल अग्रणीत राशि (Net Carrying Amount) पर की जाती है।

  - बैंक, प्रस्तावित सिद्धांतों के अनुरूप अपने स्वयं के मॉडल को डिजाइन और कार्यान्वित कर सकते हैं। इसके ज़रिए वे लॉस प्रोविज़न्स का अनुमान लगाते हुए ECL का मापन कर सकते हैं।
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) और छोटे सहकारी बैंकों (सीमा को बाद में तय किया जाएगा) को इस ढांचे से बाहर रखने का प्रस्ताव है।

ECL व्यवस्था के संभावित लाभ और इससे जुड़ी चिंताएं	
लाभ	**चिंताएं**
• **बैंक सॉल्वेंसी बेहतर होगी।** • **बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन** में वृद्धि होगी, क्योंकि ECL के परिणामस्वरूप मंदी में ऋण घाटे को कम करने के लिए अतिरिक्त प्रोविज़न्स किए जा सकते हैं। • **भारत के क्रेडिट-लॉस प्रोविज़न्स को वैश्विक नियामक ढांचे के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी।** • क्रेडिट-लॉस प्रोविज़न्स की **पारदर्शिता में वृद्धि** होगी।	• बैंक की पूंजी पर बढ़े हुए प्रोविज़न्स का **उच्च प्रभाव।** • **अभी भी एक बड़े स्तर पर इसका परीक्षण किया जाना बाकी** है। ECL संबंधी अनुसंधान स्पेन, चिली जैसे कुछ देशों तक ही सीमित है। • **पर्याप्त प्रोविज़न्स सृजित करने की इसकी क्षमता मौजूदा संकट की गंभीरता और समय अंतराल पर निर्भर** करती है। • **बिज़नेस साईकल डेवलपमेंट अर्थात, उतार-चढ़ाव का पता लगाना मुश्किल** है।

चिंताओं को कम करने के लिए प्रस्तावित कदम

- इस पर **RBI एक व्यापक मार्गदर्शन** जारी करेगा। इसमें उन कारकों और सूचनाओं पर विस्तृत अपेक्षाएं निर्दिष्ट की जाएंगी, जिन पर **क्रेडिट जोखिम मॉडल** तैयार करते समय विचार किया जाना आवश्यक है।
- बैंकों द्वारा **प्रस्तावित ECL मॉडल** की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित को **स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाएगा:**
  - RBI के मार्गदर्शन का **अनुपालन,**
  - बैंक के पास उपलब्ध **प्रासंगिक डेटा का कैलिब्रेटेड उपयोग,**
  - **उचित बैक-टेस्टिंग** और

- किसी पूर्वाग्रह आदि को दूर करने के लिए **मॉडलों का आंतरिक सत्यापन**।
- भारतीय रिजर्व बैंक **प्रोविज़न के एक न्यूनतम स्तर** को निर्दिष्ट करेगा।
- मॉडलों को डिजाइन करने में शामिल जटिलताओं और उनके परीक्षण में लगने वाले समय के कारण **ढांचे के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए**।
- **बैंकों के पास कॉमन इक्विटी टीयर I पूंजी पर बढ़े हुए प्रावधानों के प्रभाव को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में समाप्त करने का विकल्प** होगा (जैसा कि बेसल दिशा-निर्देशों के तहत अनुमति दी गई है)। यह सुचारु परिवर्तन में सहायक होगा।

संबंधित सुर्ख़ियां

हाल ही में, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) ने पहली तनावग्रस्त परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया है।

- NARCL, एक **एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC)/ बैड बैंक है, इसने अपने पहली तनावग्रस्त परिसंपत्ति- जे.पी. इंफ्राटेक को उधारदाताओं से प्राप्त** कर लिया है।
- NARCL/ बैड बैंक एक कॉर्पोरेट संरचना है जो बैंकों द्वारा धारित जोखिमपूर्ण संपत्तियों को एक अलग इकाई के अधीन लाती है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी।
  - NARCL, बैंकों से बड़े मूल्य के NPA खातों (₹500 करोड़ से अधिक) का अधिग्रहण करेगी, जिनकी कुल संपत्ति लगभग ₹2 लाख करोड़ होगी।
  - तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को 15% अग्रिम नकद भुगतान और 85 प्रतिशत प्रतिभूति रसीदों (SR) के रूप में अधिग्रहित किया जाएगा।
  - NARCL को कंपनी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों की बहुमत हिस्सेदारी है।
  - यह SARFAESI अधिनियम[42], 2002 के तहत एक ARC के रूप में RBI के साथ पंजीकृत है।

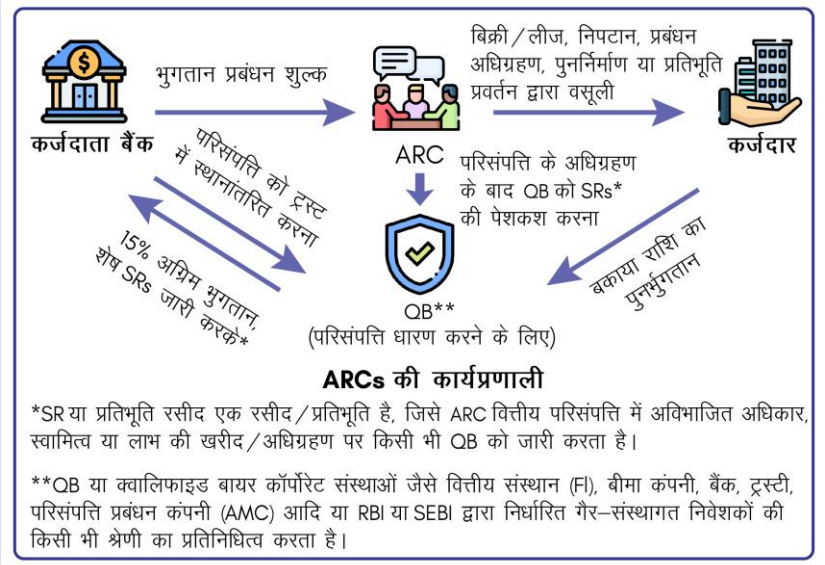

- **बैड बैंक का महत्व**
  - **बैंकों के NPAs को कम करना,** वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और दक्षता में सुधार करना।
  - इससे रिकवरी में सुधार होगा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि NARCL स्विस चैलेंज को बैंकों के लिए तनावग्रस्त संपत्तियों से सर्वोत्तम रिकवरी करने की अनुमति देता है।
  - MSME के स्तर पर अन्य ARCs के लिए अवसर मिलता है, क्योंकि NARCL केवल उन्हीं संपत्तियों का पुनर्निर्माण करता है जहां बैंकों का कुल बकाया 500 करोड़ रुपये से अधिक है।

[42] सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट

3.7.1. तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण (SSAF) का फ्रेमवर्क {Securitization of Stressed Assets Framework (SSAF)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने **SSAF**[43] पर एक चर्चा पत्र जारी किया है।

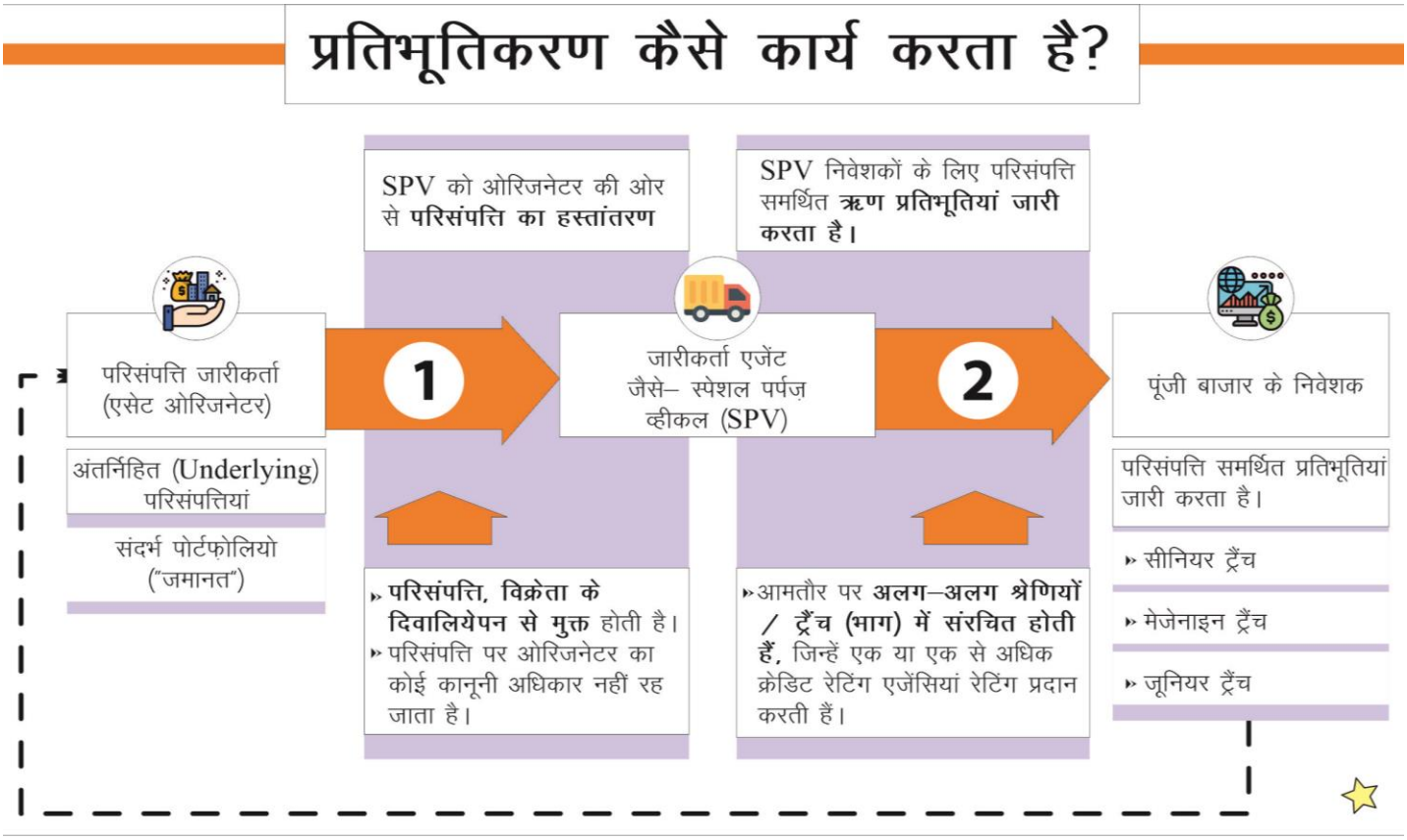

प्रतिभूतिकरण और SSAF के बारे में

- प्रतिभूतिकरण में **ऋणों की पूलिंग और फिर उन्हें एक (SPE)**[44] **को बेचना शामिल** होता है। इसके पश्चात् यह **संस्था** ऋण पूल द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों को जारी करती है।
    - SPE **किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए संगठित एक कंपनी, ट्रस्ट या अन्य इकाई होती है। इसे स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) भी कहा जाता है।**
- प्रतिभूतिकरण में **ऐसे लेन-देन शामिल होते हैं जो परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम को अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल वाली व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में पुनर्वितरित** करते हैं। (प्रतिभूतीकरण कैसे काम करता है, इसके लिए इन्फोग्राफिक देखें)।
- **ये परिसंपत्तियां निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं:**
    - मानक परिसंपत्तियां (Standard assets) अर्थात्, ऐसे ऋण जिन्हें गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है या ऐसी संपत्तियां जिनके भुगतान में 89 दिनों तक की चूक हुई है, और

[43] Securitization of Stressed Assets Framework/ तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण का फ्रेमवर्क

[44] विशेष प्रयोजन संस्था (Special Purpose Entity

- तनावग्रस्त परिसंपत्तियां, यानी NPA के रूप में वर्गीकृत ऋण।

- SSAF का उद्देश्य मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण की तर्ज पर SPE मार्ग के जरिए NPA के प्रतिभूतिकरण को सक्षम बनाना है।
  - वर्तमान में, भारत में 1 जनवरी, 2018 से लागू बेसेल दिशा-निर्देशों के अनुसार SPE मार्ग के माध्यम से मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण की अनुमति है।
  - SARFAESI अधिनियम के तहत तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण लाइसेंस प्राप्त एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) द्वारा किया जाता है।

  - 2019 में, कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर गठित टास्क फोर्स ने मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के ढांचे के समान ARC मार्ग के अलावा SSAF को शुरू करने का निर्णय लिया था।
- SSAF के तहत, NPA प्रवर्तक प्रतिभूतिकरण नोट जारी करके उन्हें SPE को बेच देगा।
  - बदले में, SPE **तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए एक सर्विसिंग एंटिटी** नियुक्त करती है। यह एंटिटी आमतौर पर एक शुल्क संरचना से युक्त होती है, जो SPE को परिसंपत्तियों में अंतर्निहित ऋणों की अधिकतम वसूली के लिए प्रोत्साहित करती है।
  - प्रतिभूतिकरण नोट खरीदने वाले निवेशकों को ट्रैंच की वरिष्ठता के आधार पर और वॉटरफॉल मैकेनिज्म का उपयोग करते हुए अंतर्निहित परिसंपत्तियों से वसूली के आधार पर भुगतान किया जाता है।

3.8. भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कई अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का अनावरण किया है। इन्हें पूर्वी भारत में परिवहन, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **जलमार्ग विकास परियोजना** के तहत पश्चिम बंगाल में **हल्दिया मल्टी-मॉडल टर्मिनल** का उद्घाटन किया गया था। इस मल्टी-मॉडल टर्मिनल की माल ढुलाई क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) है।
- **गुवाहाटी** में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए **समुद्री कौशल विकास केंद्र**[45] का उद्घाटन किया गया।
- गुवाहाटी में अवस्थित **पांडु टर्मिनल** में **जहाज मरम्मत सुविधा** और एक एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई।

[45] Maritime Skill Development Centre

- **गंगा नदी के किनारे 60 से अधिक सामुदायिक घाटों का निर्माण** किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के आसपास आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। साथ ही, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार करना है।

जलमार्ग विकास परियोजना (JMVP)

- **कार्यान्वयन एजेंसी:**
  - पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
  - **विश्व बैंक** के सहयोग से **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)**
- **उद्देश्य:** 1,500-2,000 टन तक वजन वाले बड़े जहाजों के नेविगेशन के लिए **वाराणसी से हल्दिया** (राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर) के बीच जलमार्ग का निर्माण करना।
- **अन्य विशेषताएं:**
  - **1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)** का गठन किया गया था। इसे मुख्य रूप से नौवहन और नेविगेशन के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्गों के **विकास और विनियमन** हेतु विकसित किया गया था।
  - मल्टी-मॉडल टर्मिनल (MMT), **जलमार्ग विकास परियोजना (JMVP)** का एक हिस्सा है।
  - **हल्दिया MMT** गंगा नदी पर बनाए जा रहे तीन मल्टी-मॉडल टर्मिनलों में से एक है। इस परियोजना के तहत **साहिबगंज और वाराणसी** में 2 अन्य MMTs का निर्माण किया गया है।

अंतर्देशीय जल परिवहन (Inland Water Transport : IWT) की क्षमता

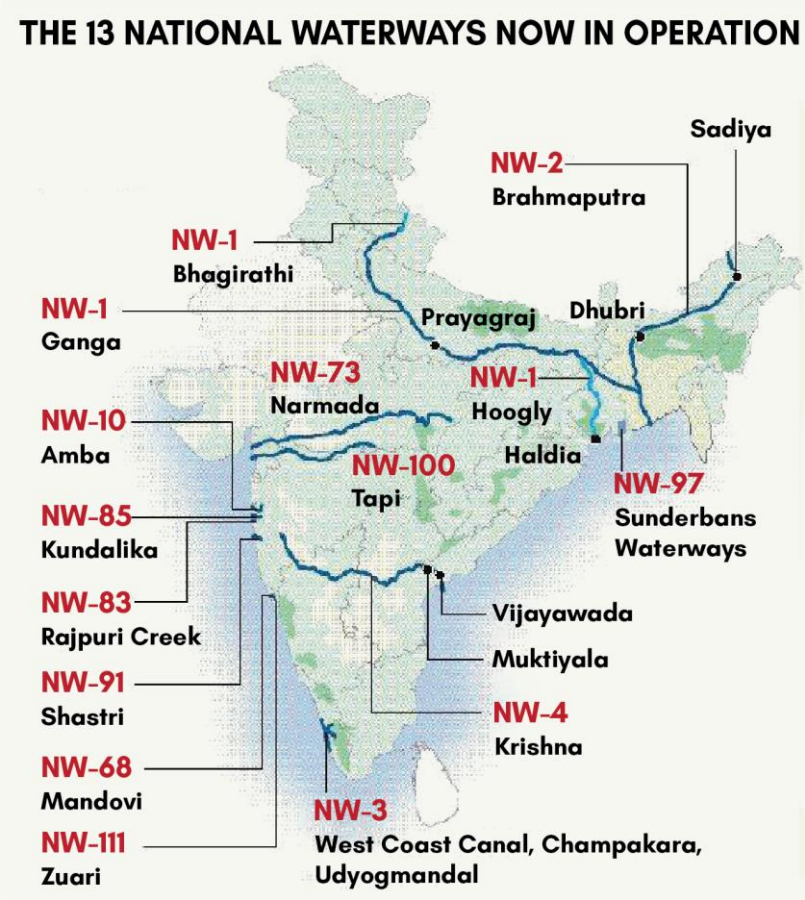

THE LINKS AND THE LENGTHS

NW-1	Ganga-Bhagirathi-Hooghly (Haldia-Prayagraj)	1,620 KM
NW-2	Brahmaputra river	891 KM
NW-3	West Coast Canal-Champakara Canal-Udyogmandal Canal	205 KM
NW-4	Krishna (Muktiyala-Vijayawada)	82 KM
NW-10	Amba river	45 KM
NW-83	Rajpuri Creek	31 KM
NW-85	Revadanda Creek-Kundalika river	31 KM
NW-91	Shastri river-Jaigad Creek System	52 KM
NW-68	Mandovi river (Usgaon Bridge- Arabian Sea)	41 KM
NW-111	Zuaririver (Sanvordem Bridge-Marmugao Port)	50 KM
NW-73	Narmada river	226 KM
NW-100	Tapi river	436 KM
NW-97	Sunderbans Waterways	172 KM

- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत **111 राष्ट्रीय जलमार्ग** घोषित किए गए हैं। इसमें से नदी के 17,980 किलोमीटर और नहरों के 2,256 किलोमीटर जल क्षेत्र का उपयोग मशीनीकृत नौकाओं द्वारा किया जा सकता है।
- भारत के **कुल परिवहन** में अंतर्देशीय जल परिवहन की हिस्सेदारी **केवल 0.5% है।** हालांकि, अन्य देशों में उनके कुल परिवहन के सापेक्ष अंतर्देशीय जल परिवहन की हिस्सेदारी भारत से बेहतर है। उदाहरण के लिए- नीदरलैंड में यह 42%, चीन 8.7%, यू.एस.ए. 8.3% और यूरोप 7% है।

- गौरतलब है कि **65% माल ढुलाई** कार्य **सड़कों** द्वारा किया जाता है, जबकि 27% माल ढुलाई कार्य रेलवे के माध्यम से पूरा किया जाता है।

- मैरीटाइम इंडिया विजन (MIV) 2030 दस्तावेज के तहत, **राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से किए जाने वाले माल ढुलाई के स्तर को** बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे वित्त वर्ष 2020-21 के 83.61 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से बढ़ाकर **2030 तक 200 MMT** तक किया जाएगा।

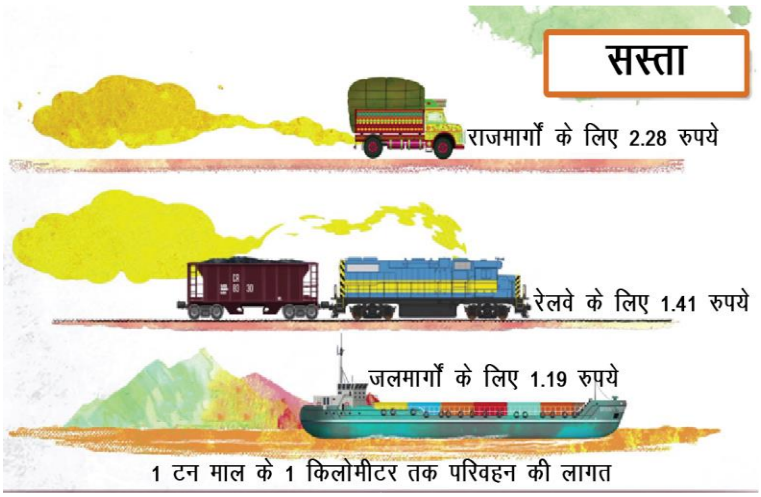

अंतर्देशीय जलमार्ग के लाभ

- **पूंजी बचत:** जलमार्ग विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर नौवहन क्षमता बढ़ाने के क्रम में प्रति कि.मी. केवल 2.53 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का अनुमान है।
  - **हालांकि, इसकी तुलना में सड़क और रेल दोनों पर प्रति कि.मी. 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आती है।**
- **परिवहन लागत में बचत:** IWT के उपयोग से कुल लॉजिस्टिक्स लागत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए- 1 हार्स पावर की ऊर्जा व्यय करके सड़क पर 150 किलोग्राम (kg) वजन, रेल द्वारा 500 kg और जल के माध्यम से 4000 kg वजन के वस्तुओं की ढुलाई की जा सकती है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- **पर्यावरण के अनुकूल:** आधुनिक अंतर्देशीय जलीय जहाजों में ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस (LNG/ CNG) के उपयोग से SO_x, NO_x (70%), पार्टिकुलेट मैटर (95%) और CO_2 (25%) के उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके अलावा:
  - **प्रति टन कि.मी. ईंधन खपत में भी कमी आएगी।** साथ ही, सड़क और रेल परिवहन पर भी बोझ कम होगा। इसके परिणामस्वरूप ईंधन की खपत तथा पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी।
  - **LNG/ CNG इंजनों द्वारा उत्पन्न ध्वनि/ शोर का स्तर** डीजल इंजनों की **तुलना में कम होता है।** इसलिए परिवेशी ध्वनि/ शोर के स्तर पर इनका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है।
  - नौवहन सुविधाओं में सुधार/ वृद्धि के कारण **नदी के प्रवाह में भी सुधार** होगा। साथ ही, इससे जलीय वनस्पतियों और जीवों को भी लाभ होगा।

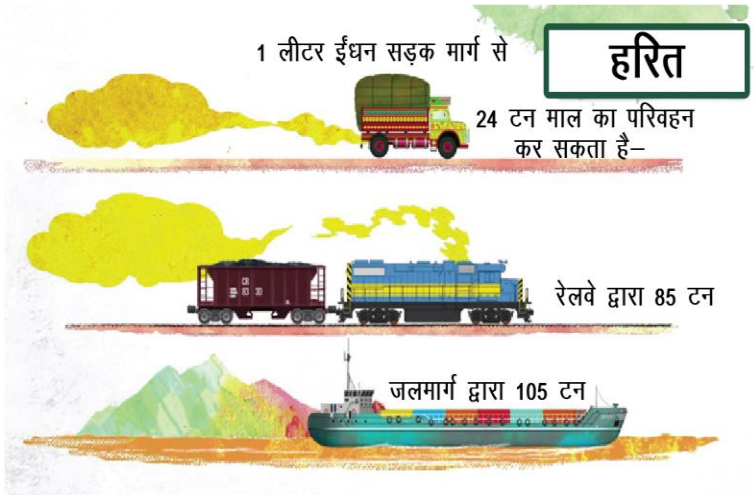

- **क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि:** IWT **कलादान परियोजना के कारण** भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के बीच व्यापार में बढ़ोतरी हुई है।
- **अन्य लाभ:**
  - **रोजगार और व्यवसाय के अवसरों के रूप में आर्थिक अवसरों** (कार्गो संचालन और क्षेत्रीय लघु व्यावसायिक गतिविधियों दोनों के स्तर पर) **में वृद्धि** होगी।
  - नदी के दोनों किनारों पर परिवहन कार्यकलापों के मामले में **स्थानीय समुदायों की पहुंच** में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास में मौजूदा चुनौतियां

- **निवेश का निम्न स्तर:** IWT और परिवहन के अन्य साधनों के बीच एकीकरण का अभाव है। इसके अलावा, रेल और सड़क नेटवर्क के विकास पर अधिक जोर देने के कारण IWT के विकास पर पर्याप्त व्यय नहीं हो पाया है।
- **सहायक सुविधाओं के विकास की उच्च लागत:** आधुनिक समय के मल्टी मॉडल टर्मिनलों, जेटी, फेरी पॉइंट्स और नदी सूचना प्रणालियों के विकास में अत्यधिक पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होती है।

- **IWT से जुड़े निवेश को उच्च जोखिम वाला निवेश मानना:** यह धारणा बैंकों को निजी कंपनियों को अग्रिम ऋण देने से रोकती रही है। साथ ही, इस धारणा ने PPP मोड के माध्यम से होने वाले निजी निवेश को भी हतोत्साहित किया है।
- **तकनीकी चुनौतियां:** इनमें शामिल हैं:
  - 2.5 मीटर से 3.0 मीटर की आवश्यक गहराई एवं चौड़ाई वाले जल-मार्गों का विकास एवं रख-रखाव,
  - अनियमित तलछटीय गाद,
  - नदी तट को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने एवं अन्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए स्पीड कंट्रोल रेगुलेशन,
  - क्रॉस फेरी से सुरक्षा आदि।

आगे की राह

- **नौवहन संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना करना:** कार्गो टर्मिनल और जेटी जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव, जल परिवहन के मंद विकास का एक प्रमुख कारण रहा है।
- **प्रकृति के साथ कार्य करना:** संरक्षित आवास क्षेत्रों में ड्रेजिंग पर प्रतिबंध जैसे उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि जल यातायात के कारण **जलीय जैव विविधता** को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।
  - सभी जहाजों को ठोस या तरल अपशिष्ट को रोकने के लिए 'जीरो डिस्चार्ज' मानकों का पालन करना चाहिए।
- **नीति आयोग ने अपनी कार्य योजना** में अंतर्देशीय जलमार्गों की कनेक्टिविटी और दक्षता को बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके लिए-
  - **अंतर्देशीय जलमार्गों के प्रशासन को सुव्यवस्थित** किया जाना चाहिए। साथ ही, IWAI जैसे अंतर्देशीय जल परिवहन की निगरानी के लिए एक व्यापक निकाय का गठन किया जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र से संबंधित नियमों और रणनीति में अधिक एकरूपता लाई जा सके।
  - अंतर्देशीय और तटीय जल दोनों के लिए एकल पोत के उपयोग को बढ़ावा देते हुए **समुद्र नौवहन[46] पर आरोपित प्रतिबंधों में ढील** दी जानी चाहिए। इसके साथ ही, परिवहन की लागत एवं हैंडलिंग को भी कम किया जा सकता है।
  - पड़ोसी देशों और पूर्वोत्तर में वस्तुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए **अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का विकास** किया जाना चाहिए।
  - **नौवहन मार्गों को साल भर संचालनरत बनाए रखने के लिए उपायों को विकसित किया जाना चाहिए:**जलीय परिवहन के मौसमी होने के कारण इसकी स्वीकृति कहीं-न-कहीं बाधित होती है।
    - गाद मुक्त नदी जल मार्गों को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अर्थात् नदी को साल भर नौवहन योग्य बनाए रखने के लिए उसकी गहराई कम-से-कम 2.5 मीटर से 3 मीटर की जानी चाहिए।
    - शिपिंग लाइनों की सर्विसिंग हेतु पर्याप्त तटीय गहराई बनाए रखने के लिए निरंतर ड्रेजिंग सहित अन्य उपायों के जरिए नदियों का पर्याप्त रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3.9. तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM)[47] नामक फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत दो दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

[46] Sea River Movement

[47] National Technical Textiles Mission

दिशा-निर्देशों के बारे में

- जारी किए गए दो दिशा-निर्देशों में शामिल हैं:
  - निजी और सार्वजनिक अकादमिक संस्थानों को तकनीकी वस्त्रों में सक्षम बनाने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश।
  - तकनीकी वस्त्रों में इंटर्नशिप समर्थन के लिए अनुदान (GIST) हेतु सामान्य निर्देश।
- **इसका उद्देश्य NTTM के शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल घटक के तहत,** शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। साथ ही, तकनीकी वस्त्रों में भावी भारतीय इंजीनियरों/ पेशेवरों के **एक्सपोजर को बढ़ाना** भी इसका उद्देश्य है, ताकि इस उभरते क्षेत्रक में पर्याप्त मात्रा में प्रतिभावान लोगों को शामिल किया जा सके।
- **निजी और सार्वजनिक अकादमिक संस्थानों को तकनीकी वस्त्रों में सक्षम बनाने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश।**
  - इस दिशा-निर्देश से **तकनीकी वस्त्रों में डिग्री प्रोग्राम (स्नातक और स्नातकोत्तर) आरंभ किए जा सकेंगे।** साथ ही, ये दिशा-निर्देश, तकनीकी वस्त्रों के नए संस्करणों के अनुसार मौजूदा पारंपरिक डिग्री कार्यक्रमों को अपडेट करने में भी मदद करेंगे।
  - **वित्त पोषण संबंधी प्रावधान**
    - **तकनीकी वस्त्रों में पूर्ण पाठ्यक्रम** शुरू करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इसके तहत स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रम हेतु 20 करोड़ और स्नातक स्तर के लिए 10 करोड़ तक की **सहायता राशि** प्रदान की जाएगी।
  - यह तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में भारत को विश्व में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से **एक प्रभावी और विश्व स्तरीय ज्ञान परिवेश** के निर्माण में मदद करेगा।
- **तकनीकी वस्त्रों में इंटर्नशिप समर्थन के लिए अनुदान (GIST) हेतु सामान्य निर्देश।**
  - GIST दिशा-निर्देश के तहत पैनल में शामिल सार्वजनिक/ निजी संस्थानों के प्रासंगिक विभागों/ विशेषज्ञताओं के बीटेक छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। इसके लिए सूचीबद्ध कंपनियों को **प्रति माह प्रति छात्र 20,000 रुपये तक का अनुदान** दिया जाएगा।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM)

- **आरंभकर्ता:** वस्त्र मंत्रालय
- **उद्देश्य: भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक रूप से अग्रणी बनाना** और घरेलू बाजार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ाना।
- **लक्ष्य:** 15-20% प्रति वर्ष की औसत वृद्धि दर के साथ **2024 तक तकनीकी वस्त्र के घरेलू बाजार के आकार को 40-50 अरब डॉलर** तक पहुंचाना।
- **फोकस**
  - रणनीतिक क्षेत्रों सहित देश के **विभिन्न प्रमुख मिशनों, कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ाना।**
  - **बाजार विकास, बाजार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग,** निवेश संवर्धन को सुविधाजनक बनाना।

तकनीकी वस्त्र का महत्व

- **लागत प्रभावी और उपयोगकर्ता के अनुकूल:** ये **मजबूत, कम वजनी** होने के कारण धातुओं के **विकल्प के रूप में** प्रयोग किए जा सकते हैं। साथ ही, इनका प्रयोग आवश्यकता के अनुरूप अनेक विकल्पों के रूप में भी किया जा सकता है।
  - ये प्रकृति में **अत्यधिक मजबूत और कठोर** होते हैं। यह खूबी इन्हें परिवहन, भारी औद्योगिक, बैलिस्टिक, एयरोस्पेस और समुद्री क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है।
- **पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय:** इसे नवीन प्रौद्योगिकी की सहायता से विकसित किया जाता है। इसके रेशे CO_2 और H_2O में विघटित हो जाते हैं। इस प्रकार यह **वस्त्र अपशिष्ट को कम करता है** और **पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित करता है।**
- **लचीली, सतत और बहुपयोगी उत्पादन प्रक्रिया:** तकनीकी वस्त्र वस्तुतः बहुपयोगी सामग्री होते हैं। इनका प्रयोग औद्योगिक, स्वास्थ्य और उपभोक्ता उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है।
- **टिकाऊ होने के साथ-साथ कम वजनी:** इसका उपयोग भारी तकनीकी फैब्रिक जैसे एयरबैग, कन्वेयर, सेलक्लॉथ, बुलेटप्रूफ वस्त्रों में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन्हें चिकित्सा परिधान, स्पोर्ट्स वियर में उपयोग किए जाने वाले हल्के तकनीकी फैब्रिक्स हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है।

- **अन्य लाभ:** यह लॉजिस्टिकल सुविधा प्रदान कर सकता है और **एकरूपता** के उच्च स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकता है। साथ ही, यह उच्च तापमान वाले अनुप्रयोगों में स्थायी प्रदर्शन को बनाए रखने सहयोग कर सकता है। इसके अलावा, यह उत्पाद को बहुक्रियाशील बनाने आदि में सहयोग कर सकता है।

तकनीकी वस्त्र

- तकनीकी वस्त्र ऐसी वस्त्र सामग्री और उत्पाद होते हैं, जो सौंदर्य विशेषताओं की बजाय मुख्य रूप से **तकनीकी कार्यों तथा कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित** किए जाते हैं।

तकनीकी वस्त्र और भारत

- भारत तकनीकी वस्त्रों के मामले में **दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार है।**
- 250 बिलियन डॉलर के वैश्विक बाजार आकार में **भारत की मौजूदा हिस्सेदारी लगभग 20 बिलियन डॉलर (लगभग 8%) है।**
- भारत में इस क्षेत्रक की **वार्षिक औसत वृद्धि दर 8% है।**
- उन्नत देशों के 30-70% की तुलना में **भारत में तकनीकी वस्त्रों का उपयोग स्तर 5-10% है।**

12 अलग-अलग श्रेणियां

- **मेडिटेक** डायपर, सैनिटरी नैपकिन, डिस्पोज़ल, कॉन्टैक्ट लेंस, कृत्रिम प्रत्यारोपण आदि।
- **एग्रोटेक** शेडनेट, मछली पकड़ने के जाल, मल्च मैट, ऐंट-हेल नेट्स आदि।
- **मोबिलटेक** एयरबैग, हेलमेट, नायलॉन टायर कॉर्ड, एयरलाइन डिस्पोज़ल आदि।
- **बिल्डटेक** कॉटन कैनवास तिरपाल, फर्श और दीवार के आवरण, कैनोपी आदि।
- **ओकोटेक** पुनर्चक्रण, अपशिष्ट निपटान, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि।
- **क्लॉथटेक** ज़िप फास्टनर, गारमेंट्स, छाते के लिए कपड़ा, जूते के फीते इत्यादि।
- **पैकटेक** वस्तुओं को लपेटने के कपड़े, महिलाओं के पॉलीओलेफ़िन के थैले, लेनो बैग, जूट के थैले आदि।
- **जियोटेक** जियोग्रिड्स, जियोनेट्स, जियोकम्पोजिट्स आदि।
- **प्रोटेक** बुलेट प्रूफ जैकेट, अग्निरोधक परिधान, उच्च दृश्यता वाले कपड़े आदि।
- **होमटेक** गद्दे और तकिये की फिलिंग, स्टफ्ड खिलौने, ब्लाइंड्स, कालीन आदि।
- **स्पोर्टटेक** स्पोर्ट्स नेट, आर्टिफिशियल टर्फ, पैराशूट फैब्रिक्स, टेंट, स्विमवीयर आदि।
- **इंडुटेक** कन्वेयर बेल्ट, वाहन सीट बेल्ट, बोल्टिंग क्लॉथ आदि।

तकनीकी वस्त्र क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

जागरूकता की कमी: विपणन और इन उत्पादों के बारे में बुनियादी ज्ञान की कमी के कारण तकनीकी वस्त्रों के लाभ अभी भी देश के बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाए हैं।

- **कुशल कार्यबल का अभाव:** तकनीकी वस्त्र के विभिन्न उत्पादों के निर्माण की प्रक्रियाओं के लिए श्रमिकों में भिन्न और उच्च स्तर के कौशल सेट की आवश्यकता होती है। गौरतलब है कि इस तरह के कुशल कार्यबल वर्तमान घरेलू उद्योग में उपलब्ध नहीं हैं।
- **अनुसंधान और विकास की कमी:** इसके परिणामस्वरूप, भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग को उत्पाद **विविधीकरण के अभाव** का सामना करना पड़ रहा है (अकेले पैकटेक की कुल बाजार हिस्सेदारी 41% से अधिक है)।
- **तकनीकी वस्त्रों का आयात:** भारत मुख्य रूप से चीन से सस्ते उत्पादों तथा अमेरिका एवं यूरोप से

तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहलें

- तकनीकी वस्त्रों के लिए **हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर्स (NSN) कोड**
- स्वचालित मार्ग के तहत **100% FDI**
- उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए **इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क योजना (SITP)**
- **संशोधित प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन फंड योजना (ATUFS)**
- फिक्की और अन्य हितधारकों के साथ **टेक्नोटेक्स इंडिया** कार्यक्रम

उच्च तकनीक उत्पादों का आयात करता है।

- यह दर्शाता है कि **भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग में उच्च तकनीक वाले उत्पादों के निर्माण के लिए मात्रा और क्षमताओं का अभाव है।**

- **संरचनात्मक मुद्दे:** भारत में तकनीकी वस्त्र के उत्पादों से संबंधित कच्चे माल के आयात पर अधिक खर्च करना पड़ता है, जबकि तैयार वस्तुओं के आयात पर खर्च कम आता है। हालांकि यह स्थिति प्रतिलोमी शुल्क संरचना के कारण बनी हुई है।

आगे की राह

- **जागरूकता सृजन:** तकनीकी वस्त्रों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकार और उद्योग को एक ठोस बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर देना चाहिए।
- **कुशल कार्यबल:** उद्योग और शिक्षा के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट मंचों को गठित करना चाहिए। इससे तकनीकी वस्त्रों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम विकसित करने में मदद मिलेगी।
- **घरेलू निर्माताओं के लिए अवसर:** तकनीकी वस्त्रों के कच्चे माल के लिए भारतीय उद्योग को विनिर्माण क्षमता विकसित करनी चाहिए, जबकि तकनीकी वस्त्र विनिर्माताओं को अपनी मशीनरी को उन्नत करने पर ध्यान देना चाहिए।
- इस उद्योग में विशिष्ट और नए उत्पादों के विकास तथा उद्भव के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए तकनीकी वस्त्रों की HSN कोड सूची का **सतत विस्तार** करते रहना चाहिए।
- **तकनीकी वस्त्र उत्पादों एवं घटकों की लगातार पहचान करने के साथ-साथ** उन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि **आत्मनिर्भर भारत** और भारत के निर्यात विस्तार से जुड़ी प्राथमिकताओं के साथ समर्थन को संरेखित किया जा सके।

3.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.10.1. बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 {Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, 2002}

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSCS अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तरीय तीन बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS)[48] के गठन को मंजूरी दी है।
- राष्ट्रीय स्तर की तीन MSCS की स्थापना से **'सहकार-से-समृद्धि' (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) के लक्ष्य को प्राप्त** करने में मदद मिलेगी। यह लक्ष्य सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल द्वारा हासिल किया जाएगा।

3 नई सहकारी संस्थाएं	महत्त्व
राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति	• यह अधिशेष वस्तुओं/सेवा के **निर्यात के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेगा।** • **प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां** (जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहु-राज्य सहकारी समितियां शामिल हैं) **इसकी सदस्य बन सकती हैं।** • अधिक निर्यात से **वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि** होगी तथा **रोजगार के अवसर** बढ़ेंगे। • निर्यात में वृद्धि **"मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देगी।** इससे **आत्मनिर्भर भारत** को प्रोत्साहन मिलेगा। • सहकारी समितियों को निर्यात से संबंधित सरकारी योजनाओं/नीतियों का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी जैविक (ऑर्गेनिक) समिति	• घरेलू और साथ ही वैश्विक बाजारों में भी **जैविक उत्पादों की मांग व खपत की क्षमता को बढ़ाने में मदद** मिलेगी। • किसानों को एकत्रीकरण, विपणन और ब्रांडिंग के माध्यम से **जैविक उत्पादों का उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद** मिलेगी। • एकत्रीकरण, प्रमाणन, भंडारण, प्रसंस्करण आदि के लिए **संस्थागत सहायता प्राप्त हो सकेगी।** • उत्पादों की **संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का बेहतर प्रबंधन** हो सकेगा।
राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज समिति	• यह समिति गुणवत्तापूर्ण बीजों के **उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण के लिए शीर्ष संगठन** के रूप में कार्य करेगी। • **देशज प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन** के लिए प्रणाली विकसित करने में मदद करेगी।

[48] Multi-State Cooperative Societies

	• **बीज प्रतिस्थापन दर** और बीज किस्म प्रतिस्थापन दर को बढ़ाएगी। साथ ही, गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती में किसानों की भूमिका को सुनिश्चित करेगी। • गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन से **आयातित बीजों पर निर्भरता कम हो सकेगी। इसके अतिरिक्त, यह समिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी।**

- हालांकि, **'सहकारी समितियां' राज्य सूची का विषय हैं, किंतु बहु-राज्य सहकारी समितियों** को केंद्र MSCS, अधिनियम 2002 के तहत विनियमित करता है।
  - MSCS ऐसी सहकारी समितियां होती हैं, जिनकी **गतिविधियां एक ही राज्य तक सीमित नहीं होती हैं,** बल्कि ये एक से अधिक राज्यों में व्यक्तियों के हितों की पूर्ति करती हैं।
- संबंधित घटनाक्रम में, सहकारिता मंत्रालय **सहकारी क्षेत्र के लिए दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना** बना रहा है। यह विश्वविद्यालय **सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा** देगा।
  - सहकारी विश्वविद्यालय 2026-27 से प्रतिवर्ष प्रबंधकीय पदों के लिए डिग्री, पर्यवेक्षक (Supervisory) जॉब के लिए डिप्लोमा तथा संचालन स्तर के पदों के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

3.10.2. विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट (Global Economic Prospects Report by World Bank)

- विश्व बैंक की इस प्रमुख रिपोर्ट में **वैश्विक आर्थिक विकास और संभावनाओं की पड़ताल** की जाती है। इस रिपोर्ट में **उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDEs)** पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विश्व बैंक की यह प्रमुख रिपोर्ट **वर्ष में दो बार** प्रकाशित की जाती है।
- **रिपोर्ट के प्रमुख अनुमान:**
  - **वैश्विक GDP वृद्धि दर:** यह **2023 में 1.7% अनुमानित** है। वैश्विक GDP में 1993 के बाद यह तीसरी सबसे कम वृद्धि दर होगी। इससे पहले वैश्विक GDP वृद्धि दर 2009 और 2020 की मंदी के दौरान सबसे कम रही थी।
    - **2023** में भारत की GDP वृद्धि दर **6.6%** अनुमानित है।
  - **आर्थिक स्लोडाउन के कारण:** उच्च मुद्रास्फीति, अधिक ब्याज दरें, कम निवेश और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न हुई समस्याएं।
  - कोई भी **अतिरिक्त प्रतिकूल आघात** वैश्विक अर्थव्यवस्था को **मंदी की ओर धकेल** सकता है।
    - मंदी (Recession), आर्थिक गतिविधियों में **महत्वपूर्ण, व्यापक और लगातार** गिरावट है। अधिकतर विश्लेषणों में **कम-से-कम लगातार दो तिमाहियों** में नकारात्मक GDP संवृद्धि दर दर्ज होने पर मंदी की स्थिति मानी जाती है।
  - EMDEs देश **कई वर्षों से आर्थिक क्षेत्र में धीमी संवृद्धि दर का सामना कर रहे हैं।** इसका मुख्य कारण इन देशों पर कर्ज का भारी बोझ एवं कम निवेश है।
    - यह स्थिति EMDEs में **व्यापक विकास और जलवायु लक्ष्यों की प्रगति** को खतरे में डाल सकती है।
  - 1.5 मिलियन या उससे कम आबादी वाले छोटे देश अधिक संकट का सामना कर सकते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं:
    - **इन देशों की बाह्य व्यापार और वित्त-पोषण पर निर्भरता,**
    - **आर्थिक गतिविधियों में विविधीकरण की कमी,**
    - **कर्ज का बोझ तथा प्राकृतिक आपदा का खतरा।**
  - **EMDEs के लिए किए जाने वाले उपाय**
    - रोजगार के अवसर पैदा करने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक निवेश की जरूरत है,
    - ऋण देते समय अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए,
    - सीमा-पार व्यापार बढ़ाने के लिए मजबूत सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए आदि।

3.10.3. वर्ल्ड इकनोमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, 2023 (World Economic Situation and Prospects 2023 Report)

- इस रिपोर्ट को **संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN-DESA)** ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) तथा पांच संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आर्थिक आयोगों के साथ मिलकर तैयार किया है।

- **प्रमुख निष्कर्ष:**
  - कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध ने 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है।
  - **वैश्विक उत्पादन वृद्धि दर** 2022 में अनुमानित 3.0 प्रतिशत से **घटकर** 2023 में 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

- **प्रमुख सिफारिशें:**
  - सार्वजनिक व्यय का **पुन: आवंटन** किया जाना चाहिए और इसे **फिर से प्राथमिकता** दी जानी चाहिए।
  - **सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत** करना चाहिए।
  - शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अवसंरचना आदि में **रणनीतिक सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए।**

3.10.4. विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की {World Economic Forum (WEF) Releases Global Risk Report 2023}

- यह रिपोर्ट **ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे** के आधार पर प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट अग्रलिखित **पांच श्रेणियों में प्रमुख जोखिमों को** रेखांकित करती है: **आर्थिक, पर्यावरणीय, भू-राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी।**
  - वैश्विक जोखिम को **किसी घटना या स्थिति के घटित होने की संभावना** के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि यह घटित होती है, तो **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या या प्राकृतिक संसाधनों के महत्वपूर्ण हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव** डालेगी।
  - वैश्विक जोखिमों को **लघु और दीर्घ अवधि के प्रभाव की गंभीरता के आधार पर** रैंक प्रदान की गई है। (इन्फोग्राफिक देखें)
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:**
  - **भारत के लिए शीर्ष 5 जोखिम हैं-** डिजिटल असमानता, संसाधनों के लिए भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, रहन-सहन की लागत का संकट, ऋण संकट, प्राकृतिक आपदाएं तथा लघु व मध्यम अवधि की चरम मौसमी घटनाएं।
  - अगले दो वर्षों में **सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम रहन-सहन की लागत** होगा। वहीं अगले दशक में **जलवायु कार्रवाई की विफलता** सबसे बड़ा जोखिम होगा।
  - **कोविड-19 और यूक्रेन युद्ध के आर्थिक परिणामों के कई दुष्प्रभाव** सामने आए हैं। **ये हैं-** मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, मौद्रिक नीतियों का तेजी से सामान्यीकरण हुआ है, कम संवृद्धि दर दर्ज की जा रही है तथा कम निवेश का दौर शुरू हो गया है।
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग तथा जैव-प्रौद्योगिकी जैसी **तकनीकें असमानता एवं डिजिटल विभाजन को और बढ़ाएंगी।**
  - वर्तमान में, दुनिया भर में **जलवायु वित्त का केवल 34% हिस्सा** जलवायु अनुकूलन के लिए आवंटित किया गया है।
- **प्रमुख सिफारिशें:**
  - **मल्टी-डोमेन व क्रॉस-सेक्टर जोखिम तैयारियों में निवेश** करने की जरूरत है।
  - **जोखिम की पहचान और पूर्वानुमान में सुधार** किया जाना चाहिए।
  - वैश्विक जोखिम से निपटने की तैयारी में सहयोग का पुनर्निर्माण करने और उसे मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है।
- WEF की स्थापना 1971 में एक **गैर-लाभकारी फाउंडेशन** के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय **स्विट्जरलैंड के जेनेवा** में है।
  - यह **सार्वजनिक-निजी सहयोग** के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

3.10.5. सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड्स {Sovereign Green Bonds (SGRBS)}

- **RBI चालू वित्त वर्ष के पहले राउंड में 5 वर्ष और 10 वर्ष की अवधि के लिए** ग्रीन बॉण्ड्स जारी करेगा। इनमें से प्रत्येक 4,000 करोड़ रुपये के बॉण्ड्स होंगे। दूसरे शब्दों में, पहले 4,000 करोड़ रुपये के बॉण्ड्स 5 साल की मैच्योरिटी और दूसरे 4,000 करोड़ रुपये के बॉण्ड्स 10 साल की मैच्योरिटी वाले होंगे।
- ग्रीन बॉण्ड **किसी भी संप्रभु संस्था, अंतर-सरकारी समूह या गठबंधन और कॉरपोरेट्स** द्वारा जारी किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य **बॉण्ड से जुटायी गयी राशि का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय परियोजनाओं में करना** होता है।
    - SGrBs की घोषणा **केंद्रीय बजट 2022-23** में की गई थी। इसके लिए **वित्त मंत्रालय** ने **नवंबर 2022** में ही एक फ्रेमवर्क जारी किया था।

- **SGrBs फ्रेमवर्क के तहत पात्र परियोजनाओं में शामिल हैं-** नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, संधारणीय जल और अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, हरित भवन, जैव विविधता संरक्षण आदि से संबंधित परियोजनाएं।
- **ग्रीन बॉण्ड का महत्व:**
  - इससे **जलवायु परिवर्तन के खतरों और संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए राशि जुटाने में सहायता** मिलती है।
  - इससे **निवेशकों को निवेश के अच्छे अवसर मिलते हैं,** जिससे उनकी व्यवसाय रणनीति को सकारात्मक दिशा मिलती है।
  - इससे **सार्वजनिक क्षेत्रक की परियोजनाओं में निवेश करने के लिए जरूरी वित्त प्राप्त करने में सरकार को मदद** मिलती है। इस प्रकार **अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता मिलती है।**
- **ग्रीन बॉण्ड की क्षमता का दोहन करने में चुनौतियां:**
  - इसके लिए पात्रता मानदण्डों में कई तरह की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इसके कारण **ग्रीनवॉशिंग** की आशंका बढ़ सकती है।
    - ग्रीनवॉशिंग के अंतर्गत कंपनियां अपनी अधिकांश गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने का प्रयास करती हैं।
  - पर्यावरणीय प्रभावों की मात्रा की गणना के लिए मजबूत **प्रभाव मूल्यांकन फ्रेमवर्क** का अभाव है।
  - इसका बाजार आकार अभी भी छोटा है। ऐसे में **निवेशकों के समक्ष तरलता (नकदी) की समस्या** उत्पन्न हो सकती है।

RBI द्वारा जारी होने वाले SGrBs की विशेषताएं:

- इन्हें **समान मूल्य नीलामी** (Uniform Price Auction) के माध्यम से जारी किया जाएगा और इसका 5% **खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित** होगा।
- ये बॉण्ड्स **रेपो (रिपर्चेज एग्रीमेंट) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के उद्देश्यों के लिए पात्र** होंगे।
- इनका व्यापार द्वितीयक बाजार में भी किया जा सकेगा।
- इन्हें **अनिवासी भारतीयों** द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निर्धारित प्रतिभूतियों के रूप में नामित किया जाएगा।

3.10.6. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक {Domestic Systemically Important Banks (D-SIBS)}

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट किया है कि **SBI, ICICI और HDFC बैंक "प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक** बने रहेंगे।
- **D-SIBs** परस्पर संबद्ध **संस्थाएं** होती हैं। इनकी विफलता पूरी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है और अस्थिरता पैदा कर सकती है। इस कारण इन्हें असफल नहीं होने दिया जा सकता।
  - D-SIBs की अवधारणा को **2008 के वित्तीय संकट के बाद अपनाया** गया था।
- D-SIBs का दर्जा अग्रलिखित आधारों पर दिया जाता है- **उनका आकार, उनकी अंतर्संबंधता, उनका विकल्प या वित्तीय संस्थान अवसंरचना आसानी से उपलब्ध न होना और जटिलता।**

- D-SIBs के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए किसी **बैंक के पास राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से अधिक की परिसंपत्ति** होनी चाहिए।

- RBI ने पहली बार **2014 में D-SIBs के लिए रूपरेखा जारी** की थी।
  - D-SIB की रूपरेखा के तहत 2015 से, **RBI को D-SIBs के रूप में नामित बैंकों के नामों का खुलासा करना** होता है। इन बैंकों को उनके **प्रणालीगत महत्व स्कोर (SIS) के आधार पर उपयुक्त श्रेणी में** रखा जाता है।
  - बैंकों को उनकी D-SIB की श्रेणी के आधार पर उनकी **जोखिम भारित परिसंपत्तियों (RWAs) का कुछ हिस्सा अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1) के रूप में** रखना होता है।
  - **SBI के लिए CET-1 अनिवार्यता उसके RWAs का 0.60% है, जबकि ICICI बैंक और HDFC बैंक के लिए यह 0.20% है।**
- इसी प्रकार, यदि किसी **विदेशी बैंक की भारत में शाखा है और यदि वह प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंक (G-SIB)** है, तो उसे G-SIB से संबंधित नियमों के अनुरूप भारत में **अतिरिक्त CET-1 पूंजी अधिभार** को बनाए रखना होगा।

SIBs को होने वाले लाभ

- इन्हें वित्तीय संकट के समय सरकारी सहायता प्राप्त होती है। साथ ही, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा इनका गहन पर्यवेक्षण और विनियमन किया जाता है।

3.10.7. उत्कर्ष 2.0 (Utkarsh 2.0)

- भारतीय रिज़र्व बैंक की **मध्यम-अवधि कार्यनीति रूपरेखा- "उत्कर्ष 2.0"** लॉन्च की गई है। इसे वर्ष 2023-2025 तक की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है।
  - पहली कार्यनीति रूपरेखा (उत्कर्ष 2022) की **समयावधि वर्ष 2019-2022 थी।**
- **उत्कर्ष 2.0 में निम्नलिखित विज़न निर्धारित किए गए हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का मार्गदर्शन करेंगे:**
  - अपने कार्यों के **निष्पादन में उत्कृष्टता;**
  - RBI पर नागरिकों एवं संस्थानों का **मजबूत विश्वास;**
  - राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं में संवर्धित प्रासंगिकता एवं महत्व में वृद्धि;
  - **पारदर्शी, उत्तरदायी और नैतिकता से प्रेरित** आंतरिक गवर्नेंस;
  - **सर्वश्रेष्ठ और पर्यावरण अनुकूल** डिजिटल एवं भौतिक आधारभूत संरचना; तथा
  - **नवोन्मेषी, क्रियाशील और कुशल** मानव संसाधन।

3.10.8. T+1 निपटान प्रणाली (T+1 Settlement)

- भारत शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में **'ट्रेड-प्लस-वन' (T+1) निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश** बन गया है। भारत से पहले केवल **चीन** ने इस प्रणाली को अपनाया है।
  - 2001 तक, शेयर बाजारों में **साप्ताहिक निपटान प्रणाली** प्रचलन में थी। इसके बाद T+3 और फिर 2003 में **T+2 निपटान प्रणाली** प्रचलन में आई।
- T+1 के तहत व्यापार से संबंधित निपटान, लेन-देन पूरा होने के **एक दिन या 24 घंटे के भीतर** संपन्न करना होता है।
- **T+1 के लाभ:**
  - निवेशकों के पास पर्याप्त तरलता;
  - धन और स्टॉक की तेजी से रोलिंग;
  - समाशोधन निगमों के लिए अनिर्णीत (unsettled) व्यापार एक्सपोज़र को 50% तक कम करता है;
  - व्यापार के जोखिम को कवर करने के लिए सिस्टम में अवरुद्ध पूंजी की मात्रा को कम करता है आदि।

3.10.9. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक: ट्रेंड्स 2023" रिपोर्ट (World Employment and Social Outlook: Trends 2023 Report)

- यह **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट** है। यह रिपोर्ट 2023 और 2024 के लिए श्रम बाजार से संबंधित अनुमान प्रदान करती है। साथ ही, श्रम उत्पादकता वृद्धि में आए रुझानों को भी सामने लाती है।
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:**
  - **2023 में वैश्विक रोजगार में केवल 1 प्रतिशत की वृद्धि** होगी। **वैश्विक बेरोजगारी दर के 5.8 प्रतिशत** रहने का अनुमान लगाया गया है।
  - उभरते **भू-राजनीतिक तनाव, महामारी से रिकवरी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में मौजूद समस्याओं** ने श्रम बाजार में गिरावट के रुझान को बढ़ा दिया है।
  - **2022 में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 47.4 प्रतिशत थी,** जबकि पुरुषों की भागीदारी 72.3 प्रतिशत थी।
  - अफ्रीका और अरब देशों में 2023 में बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी। साथ ही, यहाँ लगभग 3% या उससे अधिक की रोजगार वृद्धि देखने को मिलेगी।

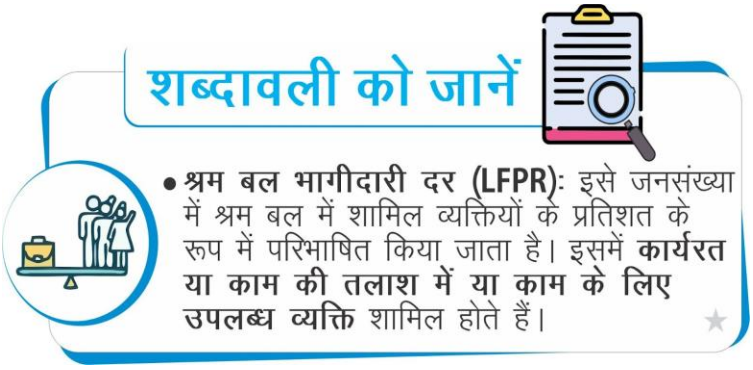

- ILO **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।** इसका मुख्यालय **स्विट्जरलैंड के जिनेवा** में स्थित है।
  - यह **एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जो 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक मंच** पर लाती है। इसका उद्देश्य विश्व की **सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने** हेतु श्रम मानक बनाना है।
  - इसका गठन **वर्ष 1919 में वर्साय की संधि के तहत** किया गया था।
  - इसे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करके **राष्ट्रों के बीच बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए 1969 के नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।
  - **ILO द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्ट हैं:** वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट और विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट।

3.10.10. प्रज्वला चैलेंज (Prajjwala Challenge)

- इसे **ग्रामीण विकास मंत्रालय** ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करने वाले विचारों, समाधानों और कार्रवाइयों को आमंत्रित** करना है।
- इसके तहत **व्यक्तियों, सामाजिक उद्यमों, स्टार्ट-अप्स, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी आदि से कई श्रेणियों में विचारों को** आमंत्रित किया जाता है। इन श्रेणियों में शामिल हैं:
  - महिलाओं और समाज में हाशिए पर मौजूद वर्गों पर ध्यान देना;
  - स्थानीयकृत मॉडल;
  - लागत प्रभावी समाधान आदि।
- इसे **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)** के तहत शुरू किया गया है।
  - DAY-NRLM का उद्देश्य **ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित** करना और उन्हें दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है। इससे वे **आजीविका में विविधता लाकर, अपनी आय में सुधार कर सकेंगे।**

3.10.11. वाहन स्क्रैपिंग के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम {National Single Window System (NSWS) For Vehicle Scrapping}

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि **वॉलंटरी व्हीकल-फ्लीट मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (V-VMP)** के लिए NSWS में 11 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए हैं। इससे **वाहन स्क्रैपिंग तंत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।**
  - ये 11 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं- **गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, गोवा, उत्तराखंड और चंडीगढ़।**

- NSWS को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने बनाया है।

- **V-VMP या वाहन स्क्रैपिंग नीति** का 1 अप्रैल, 2022 से कार्यान्वयन हुआ है।
  - इसका उद्देश्य **अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से चरणबद्ध रीति से इस्तेमाल समाप्त करने के लिए एक तंत्र** बनाना है।
- **V-VMP की मुख्य विशेषताएं**
  - **निजी वाहनों का 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल पूरे होने पर फिटनेस टेस्ट करने** का प्रावधान किया गया है।
  - देश भर में **पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों (RVSFs)** की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ये केंद्र वाहनों की पर्यावरण अनुकूल स्क्रैपिंग करेंगे, स्क्रैप किए गए वाहनों से उपयोगी उत्पादों की प्राप्ति को बढ़ाएंगे तथा अन्य संबंधित गतिविधियों को संपन्न करेंगे।
  - वाहन स्क्रैपिंग उद्योग को औपचारिक रूप देने के लिए **सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित** किया जाएगा।
  - बेहतर ईंधन दक्षता प्राप्त करने, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषकों को कम करने आदि के लिए **खराब हो चुके वाहनों को बदलने के लिए प्रोत्साहित** किया जाएगा।
  - यह किसी **वाहन को केवल उसके उपयोग वर्षों के कारण स्क्रैप नहीं मानता है,** बल्कि ब्रेक की गुणवत्ता, इंजन के प्रदर्शन जैसे अन्य कारकों पर भी विचार करता है।

व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी या V-VMP के उद्देश्य

- बिना वैध फिटनेस और पंजीकरण वाले लगभग 1 करोड़ वाहनों को स्क्रैप करके प्रदूषण को कम करना
- सड़क, यात्री और वाहन सुरक्षा में सुधार करना
- ऑटो क्षेत्रक में बिक्री को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना
- ईंधन दक्षता में सुधार करना और वाहन मालिकों के लिए रख–रखाव लागत कम करना
- मौजूदा अनौपचारिक वाहन स्क्रैप उद्योग को औपचारिक रूप देना
- ऑटोमोटिव, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कम लागत वाले कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ावा देना

3.10.12. प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना {Broadcasting Infrastructure And Network Development (BIND) Scheme}

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए **BIND योजना** को मंजूरी प्रदान की है।
- BIND एक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है। इसका लक्ष्य **सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती यानी ऑल इंडिया रेडियो (AIR) और दूरदर्शन (DD) का आधुनिकीकरण** करना है।
- यह योजना प्रसार भारती को संगठन के प्रसारण संबंधी बुनियादी ढांचे के विस्तार और उन्नयन, उच्च गुणवत्तायुक्त कंटेंट के सृजन आदि से संबंधित व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  - इस योजना के तहत देश में **AIR FM (फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन)** ट्रांसमीटरों के कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 59 प्रतिशत से बढ़ाकर 66 प्रतिशत और आबादी के हिसाब से 68 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा।
  - इसके अलावा दूरस्थ, जनजातीय, वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 8 लाख से अधिक डीडी फ्री डिश सेट-टॉप बॉक्स निःशुल्क रूप से वितरित किए जाएंगे।

शब्दावली को जानें

- **फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन (FM):** यह मॉडुलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अनुरूप कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी को बदलकर किसी विशेष एनालॉग या डिजिटल सिग्नल पर जानकारी को एन्कोड करने की प्रक्रिया है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

4. सुरक्षा (Security)

4.1. पुलिस सुधार (Police Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का 57वां अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली** में आयोजित किया गया था। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक शामिल हुए।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह वार्षिक सम्मेलन **इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा आयोजित** किया जाता है तथा इसकी विचार-विमर्श गोष्ठी (Deliberations) की अध्यक्षता IB के निदेशक द्वारा की जाती है।
- यह सम्मेलन **पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों** पर केंद्रित था।

भारत में पुलिस के दायित्व

स्वतंत्रता-पूर्व के **पुलिस अधिनियम, 1861** के माध्यम से भारत में पुलिसिंग के लिए आधारभूत ढांचे को तैयार किया गया था। देश के संघीय ढांचे में, **'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था'** राज्य सूची के विषय हैं। यह सूची भारतीय संविधान की **सातवीं अनुसूची** में शामिल है।

अपराध की रोकथाम, जांच तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने जैसे **मुद्दों के निपटान का दायित्व मुख्य रूप से राज्य पुलिस बल** का होता है। इसके अलावा, **आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौतियों के मामले में भी वे प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में कार्य** करते हैं। उदाहरण के लिए- आतंकी घटना या विद्रोह के परिणामस्वरूप होने वाली हिंसा।

भारत में पुलिसिंग से संबंधित मुद्दे

- **मानव संसाधन से जुड़ी समस्याएं:**
  - **पुलिस बल पर कार्य का अतिरिक्त बोझ:** भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, भारत में पुलिस **अपनी स्वीकृत क्षमता (कार्मिक संख्या)** से अधिक कार्य **(77 प्रतिशत)** करती है और औसतन दिन में **14 घंटे कार्य** करती है।
  - **प्रदर्शन उन्मुख बनाने वाले प्रोत्साहनों की कमी:** राज्य पुलिस बल में **86 प्रतिशत** हिस्सेदारी निचले स्तर पर नियुक्त कर्मियों **(सिपाहियों)** की है। अतः ऐसे में पदोन्नति संबंधी संभावना का अभाव उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने से रोकता है।
  - **लैंगिक असमानता:** पुलिस बल में **महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम** है। यह **पुलिस बल का केवल 10.3 प्रतिशत है।**
- **भौतिक अवसंरचना: पुलिस स्टेशंस के** स्तर पर अवसंरचनात्मक उपलब्धता का अभाव बना हुआ है।
  - 2020 के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPRD) के डेटा के अनुसार, कई पुलिस थानों में **न तो वायरलेस है और न ही टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है।** इसके अलावा, पुलिस स्टेशन **वाहनों के अभाव** से भी ग्रस्त हैं।
  - **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ऑडिट और BPRD ने भी अपनी समीक्षा में** राज्य पुलिस बलों के पास **हथियारों की कमी तथा आधुनिक हथियारों के अभाव पर प्रकाश डाला** है।
- **प्रौद्योगिकी:**
  - भारतीय पुलिस बल फोरेंसिक, फिंगरप्रिंटिंग, फेशियल रिकग्निशन जैसी **प्रौद्योगिकियों में आए परिवर्तनों के साथ समन्वय बनाए रख पाने में असमर्थ रहे हैं।** उदाहरण के लिए- क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) मुख्य रूप से सीमित उपयोग के कारण कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का सामना कर रहा है।
- **अपर्याप्त वित्तीय आवंटन: राज्य सरकार के बजट का केवल 3 प्रतिशत हिस्सा ही** पुलिस पर खर्च किया जाता है।

- सामान्यतः अवसंरचना के आधुनिकीकरण के प्रति समर्पित निधियों का **पूर्णत: उपयोग नहीं** किया जाता है। कुल मिलाकर, 2017 तक ऐसी निधियों के लगभग 48 प्रतिशत हिस्से का ही उपयोग किया गया था।

- **पुलिस-जनसंपर्क:** अपराध और अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस को जनसमुदाय के विश्वास, सहयोग एवं समर्थन की आवश्यकता होती है। हालांकि, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **पुलिस एवं लोगों के बीच का संबंध संतोषजनक नहीं है।**

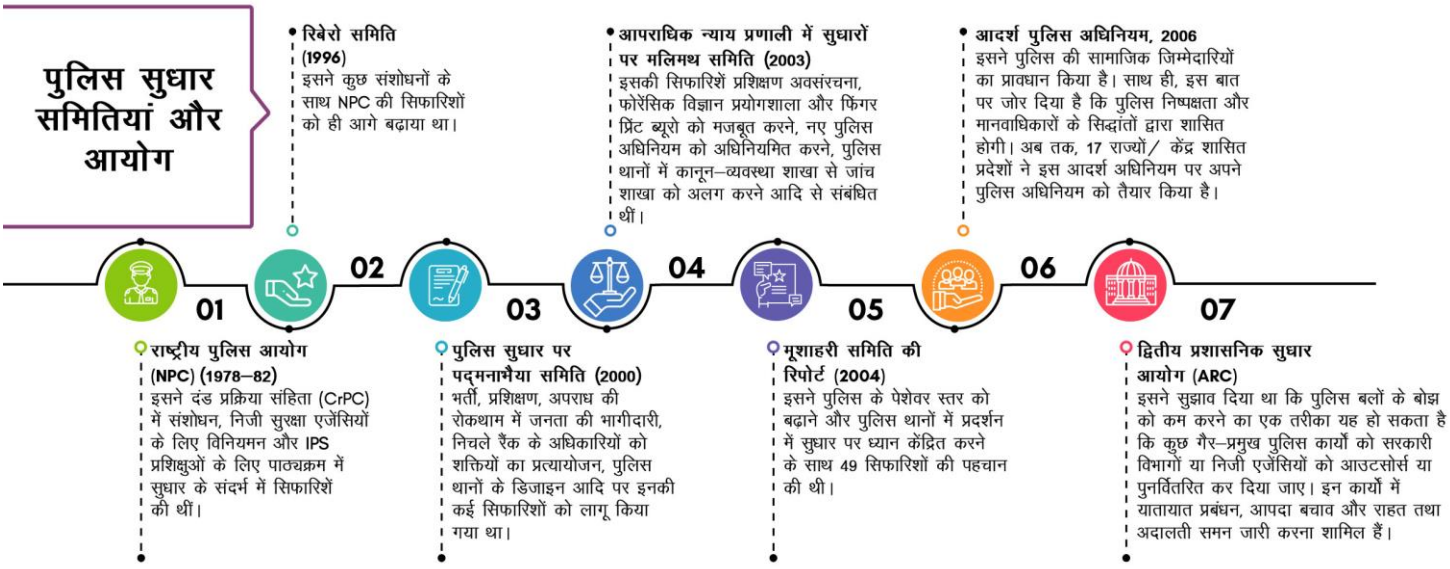

पुलिस सुधार जिन्हें लागू किया जा सकता है

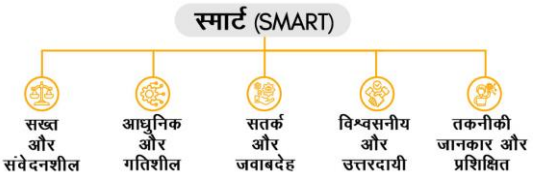

- **सही दिशा में विचार-विमर्श करना:** DGP सम्मेलनों और अन्य सम्मेलनों **का एजेंडा** मुख्यतः पुलिस सुधारों पर केंद्रित है। इस एजेंडे को **मूलभूत समस्याओं को दूर करने की दिशा** में केंद्रित किया जाना चाहिए।
  - हाल ही में, प्रधान मंत्री ने उभरती चुनौतियों पर चर्चा करने एवं अपनी टीमों के बीच सर्वोत्तम तौर-तरीके विकसित करने के लिए राज्य/जिला स्तरों पर **पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन के मॉडल को दोहराने का सुझाव दिया है।**
- **स्मार्ट पुलिस:** प्रधान मंत्री ने 2014 में 49वें DGP सम्मेलन में स्मार्ट पुलिस की अवधारणा को प्रस्तुत किया था।
- **एक सकारात्मक छवि का निर्माण: सामुदायिक पुलिस मॉडल** का उपयोग मुख्यतः मजबूत पुलिस-जनसंपर्क बनाने और स्थानीय संघर्षों/मुद्दों को हल करने के लिए किया जा सकता है।
  - सामुदायिक पुलिस मॉडल जैसे कि **महाराष्ट्र में संचालित मोहल्ला समिति तथा केरल में संचालित जनमैत्री पहल के बेहतर परिणाम** सामने आए हैं।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण के साथ पुलिसकर्मियों का अनुकूलन:** इस संदर्भ में पुलिस अधिकारियों की संवेदनशीलता बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें **उभरती हुई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण** भी प्रदान किया जाना चाहिए।
  - **नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क** जैसी पहल, एजेंसियों के बीच डेटा आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान कर सकती है।
- **कानूनी खामियों को दूर करना:** अप्रासंगिक आपराधिक कानूनों को निरस्त और राज्यों में पुलिस संगठनों के लिए मानकों को विकसित किया जाना चाहिए। इसे पुलिस क्षमता के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी।
  - इसके अलावा, आपराधिक न्याय प्रणाली के समग्र परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए जेल सुधार संबंधी प्रयासों को भी शुरू करना होगा।

- **सहयोगात्मक पुलिस व्यवस्था: राज्य पुलिस और संघीय अधिकारियों के बीच सहयोग** को बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा करने से अधिकारियों की क्षमताओं का इष्टतम उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही, इससे सर्वोत्तम प्रथाओं के साझाकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

4.2. ड्रोन का सैन्य इस्तेमाल (Military Applications of Drones)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी **लड़ाकू प्रणालियों में मानव रहित विमानों (UAVs)[49] या ड्रोन को शामिल करने** का विचार प्रस्तुत किया है।

भारतीय सेना में ड्रोन प्रणाली

- **स्वार्म ड्रोन:** भारतीय सेना ने **स्वार्म ड्रोन** को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। स्वार्म ड्रोन, समन्वय में कार्य करने वाले UAVs के झुंड को संदर्भित करते हैं। ये **युद्ध अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण योगदान** दे सकते हैं। उदाहरण के लिए- निगरानी करने वाले साधनों/उपकरणों के रूप में तथा लक्ष्य के निकट जाकर टोह लेने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है।
- **वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (VTOL) क्षमता से युक्त UAVs को शामिल करना:** VTOL क्षमताएं, इन UAVs को दूरदराज के क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों के संदर्भ में उपयोगी बनाती हैं। वर्ष 2021 में, इन UAVs के लिए सेना ने मुंबई स्थित आइडिया फोर्ज के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।
- **स्वदेशी ड्रोन:**
  - **लक्ष्य और निशांत:** इनका विकास **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** ने किया है। इन्हें हवाई टोही साधनों के रूप में और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है।
  - **तपस UAV (रुस्तम-2):** इसे भी DRDO ने विकसित किया है। टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस (TAPAS) और मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALE) स्वदेश विकसित UAVs हैं। ध्यातव्य है कि ये UAVs उपयोगकर्ता परीक्षण चरण में हैं।
- **भारत द्वारा आयातित ड्रोन:**
  - **इजरायल के UAVs सर्चर और हेरॉन:** ये सभी प्रकार की मौसमी परिस्थितियों में निगरानी करने में सक्षम हैं। इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर हेरॉन के कुछ घटकों को हथियारों से लैस भी किया जा सकता है।
  - **हथियारबंद प्रिडेटर ड्रोन और MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन:** भारत व अमेरिका के मध्य इन दो ड्रोन्स से जुड़े समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है।

क्या आप जानते हैं?

- ड्रोन की अवधारणा **मूल रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए** आई थी। वर्ष 1849 में, ऑस्ट्रिया ने विस्फोटकों से भरे मानव रहित गुब्बारों का उपयोग करके वेनिस पर हमला किया था।
- **पहला पायलट रहित विमान** 1916 में ब्रिटेन द्वारा **प्रथम विश्व युद्ध के दौरान** विकसित किया गया था।
- **भारत ने पहली बार 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान** नियंत्रण रेखा (LoC) पर फोटो युक्त टोह लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य ड्रोन का इस्तेमाल किया था।

ड्रोन्स के खिलाफ रक्षा प्रणाली

- **नौसेना एंटी ड्रोन सिस्टम (Naval Anti Drone System: NADS):** यह DRDO द्वारा विकसित पहली स्वदेशी व्यापक एंटी-ड्रोन प्रणाली है।
  - यह **हार्ड किल** और **सॉफ्ट किल** दोनों तरह की क्षमताओं से युक्त है।
    - **हार्ड किल-** महत्वपूर्ण ड्रोन घटकों पर हमला करना और

[49] Unmanned Aerial Vehicles

    - **सॉफ्ट किल-** गुमराह करना, सिग्नल जैमिंग आदि।
- **DRDO का D-4 ड्रोन सिस्टम:** इसे भारत की तीनों सेनाओं में शामिल कर लिया गया है। यह 4 कि.मी. के दायरे में अलग-अलग प्रकार के ड्रोन का पता लगा सकता है, उनकी पहचान कर सकता है और उन्हें निष्क्रिय कर सकता है।
- **इंद्रजाल:** यह एक स्वदेशी स्वायत्त ड्रोन रक्षा गुंबद[50] है। इसे एक निजी भारतीय फर्म ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है।
- **इजरायल का स्मैश (SMASH) 2000 प्लस सिस्टम:** इसका **भारतीय नौसेना** द्वारा उपयोग किया जा रहा है। यह प्रणाली मुख्य रूप से **असॉल्ट राइफलों** पर इंस्टॉल की जाती है। यह **हार्ड किल** जैसे विकल्प प्रदान करती है।

भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वायत्त ड्रोन की आवश्यकता

- **सीमा निगरानी:** पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से होने वाली सीमा पार घुसपैठ के कारण भारतीय सीमा की निरंतर निगरानी अत्यंत आवश्यक है। अतः ऐसे में ड्रोन दुर्गम इलाकों की निगरानी में बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए- वन्य एवं पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी में।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा:** सैन्य ड्रोन, हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में **अशांत सुरक्षा स्थिति** की निगरानी हेतु एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति के रूप में योगदान कर सकते हैं।
    - ये **विदेशी जहाजों की गतिविधियों** पर कड़ी नजर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास **विदेशी जहाजों की तैनाती** में वृद्धि हुई है।
- **युद्ध जैसी स्थितियों में तकनीकी दक्षता को बनाए रखना:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम स्वायत्त प्लेटफॉर्म्स की **अत्यधिक युद्धक क्षमताओं** और चौथी औद्योगिक क्रांति (4IR)[51] की विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के उपयोग के मद्देनजर इनकी प्रासंगिकता बढ़ गई है।
- **सैन्य टोह और सामरिक समर्थन:** ड्रोन दुश्मन की स्थिति और गतिविधियों के बारे में **सटीक व रियल टाइम आधारित खुफिया जानकारी** प्रदान करते हैं। इससे सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जटिल अभियानों के दौरान तथ्य आधारित बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है।

युद्ध की स्थिति में स्वायत्त ड्रोन की तैनाती से संबंधित मुद्दे

- **अमानवीय युद्ध: मशीन आधारित अनुभवों के आधार** पर मनुष्यों को लक्षित करने की प्रणाली संभवतः चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ऐसी स्वायत्त हथियार प्रणालियां मानव जाति के विनाश के साथ-साथ युद्धों को अत्यधिक अमानवीय बना सकती हैं।
    - **कंप्यूटर के पास सूचित निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक डेटा उपलब्ध नहीं** होते हैं। साथ ही, यह एक इष्टतम समाधान हेतु **आवश्यक जानकारी एकत्र कर सकने में भी अक्षम है।**
- **जवाबदेही का अभाव:** संघर्षपूर्ण क्षेत्र में स्वायत्त ड्रोन द्वारा त्रुटिपूर्ण बल प्रयोग की स्थिति में किसी को जवाबदेह ठहराना अत्यंत कठिन हो सकता है। अतः ऐसे में जवाबदेहिता से जुड़ी चुनौतियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि मशीन को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।
- **साझा दायित्व का जोखिम:** यह **नेटवर्क कनेक्टेड ड्रोन सिस्टम के मध्य साझा दायित्व** के जोखिम को बढ़ाता है। यह जोखिम तब और अधिक बढ़ जाता है, जब हथियार एल्गोरिदम तथा युद्धक स्थितियों में सहयोग करने वाले उपग्रह और लिंक सिस्टम आदि उपयोगकर्ता के नियंत्रण में न हों।
- **डेटा पूर्वाग्रह:** AI केवल **कुछ प्रकार के डेटा के एकत्रण पर अत्यधिक बल देता** है। अतः ऐसे में डेटा के संग्रह, डेटा विश्लेषण और परिणामों के निर्धारण से संबंधित **पूर्वाग्रह, तर्कसंगत निर्णय को प्रभावित** कर सकते हैं।
- **जमीनी वास्तविकताओं से अवगत न होना:** स्वायत्त ड्रोन का उपयोग युद्ध को अधिक घातक बनाता है, क्योंकि दूरस्थ उपयोगकर्ता जमीनी वास्तविकताओं से अवगत नहीं होते हैं। अतः यह **सैन्य कर्मियों और नागरिकों दोनों को जोखिम** में डाल सकता है।
- **सैद्धांतिक विरोधाभास: सैन्य सिद्धांत में AI सक्षम ड्रोन को शामिल करना अत्यधिक कठिन** हो सकता है। ऐसी कठिनाई तब और बढ़ सकती है, जब युद्धक स्थिति में ऐसी तकनीक की प्रभावशीलता स्थापित नहीं हुई हो।
    - सैन्य सिद्धांत **नियमों, संहिताओं और नैतिक मानकों** पर आधारित होते हैं। ये सभी प्रकार के युद्धों **में बल के उपयोग की आवश्यकता और उस बल की तैनाती की आनुपातिकता के निर्धारण में मदद करते** हैं। हालांकि, ऐसी जटिल स्थितियों के प्रबंधन से संबंधित AI सिस्टम की सक्षमता अभी भी सवालों के घेरे में है।

[50] Indigenous autonomous drone defence dome

[51] Fourth Industrial Revolution

- **वर्तमान ड्रोन क्षमताओं के उपयोग से जुड़ी सीमाएं:** सीमित उड़ान समय, सीमित दायरा, पेलोड क्षमता, मौसमी स्थिति, साइबर सुरक्षा जोखिम जैसे तकनीकी मुद्दे ऐसी क्षमताओं के उपयोग को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं।

भारत में ड्रोन संबंधी विनियम	
ड्रोन नियम 2021	• इनके तहत **नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)**[52] द्वारा **असैन्य ड्रोन** के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। • कुछ क्षेत्रों (रेड जोन) में ड्रोन के संचालन पर **प्रतिबंध** आरोपित किए गए हैं। • **ड्रोन के पंजीकरण और लाइसेंसिंग** तथा ऑपरेटरों के प्रशिक्षण के लिए उपबंध किए गए हैं। • इनके तहत **नो परमिशन-नो टेक-ऑफ (NPNT) के सिद्धांत** पर बल दिया गया है। साथ ही, ड्रोन के प्रत्येक संचालन से पहले अनुमति की आवश्यकता होती है।
डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म	• यह ड्रोन प्रबंधन के लिए **DGCA द्वारा संचालित** एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। • इसके तहत **रेड, येलो और ग्रीन जोन** की मार्किंग के साथ इंटरएक्टिव एयरस्पेस मैप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। • यह प्लेटफॉर्म **ड्रोन उड़ान योजनाएं उपलब्ध कराता है और उड़ान भरने की अनुमति** प्रदान करता है।
नेशनल काउंटर रोग ड्रोन दिशा-निर्देश (National Counter Rogue Drone Guidelines)	• ये दिशा-निर्देश भारत सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। इनमें **एयर ट्रैफिक पुलिस की स्थापना और आपातकालीन स्थितियों में ड्रोन के उपयोग आदि से संबंधित नियम** शामिल होंगे। • ये **आवारा (दुर्भावनापूर्ण) ड्रोन का पता लगाने, उन्हें रोकने और निष्क्रिय बनाने जैसे विकल्पों को** तैयार करने में मदद करेंगे।
ड्रोन बाजार का विनियमन	• 2022 में, सरकार ने **अनुसंधान और विकास तथा रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों को छोड़कर** ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, ड्रोन घटकों के आयात पर छूट प्रदान की गई है। • सरकार ने देश को ड्रोन हब बनाने हेतु **ड्रोन और उनके घटकों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** को मंजूरी दी है।

आगे की राह

- **प्रगतिशील दृष्टिकोण:** भारतीय सशस्त्र बल अपने विकासवादी पथ पर अग्रसर हैं। हालांकि, युद्धक प्रणालियों में **स्वायत्त ड्रोन को शामिल** करने की दिशा में इन्हें एक प्रगतिशील दृष्टिकोण का अनुसरण करना चाहिए।
- **महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों से संबंधित मौजूदा अंतराल को कम करना:** गौरतलब है कि सशस्त्र बलों में प्रौद्योगिकी समावेशन की आवश्यकता को लगभग पूरा कर लिया गया है। हालांकि, **महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में अभी भी बड़े अंतराल बने** हुए हैं, जिन्हें भरने की आवश्यकता है।
  - सिस्टम इंजीनियरिंग, एयरबोर्न और अंडरवाटर सेंसर, हथियार प्रणालियों तथा हाईटेक उपकरणों से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में ऐसे अंतरालों की पहचान की जा सकती है।
- **कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति:** सेना द्वारा मानव रहित प्रणालियों को **राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप ही तैनात** किया जाना चाहिए।
- **जवाबदेही तंत्र:** संघर्षपूर्ण क्षेत्रों में स्वायत्त प्रणालियों के उपयोग के लिए वैश्विक स्तर पर एक जवाबदेही तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- **डेटा पूर्वाग्रहों को दूर करना:** पूर्वाग्रहों की पहचान करके, मानव मूल्यांकन (Human Evaluations) करके और डाटासेट्स का विविधतापूर्ण संग्रह करके डेटा पूर्वाग्रहों को कम किया जा सकता है तथा मशीन लर्निंग अनुभवों को अधिक मानवीय बनाया जा सकता है।

[52] Directorate General of Civil Aviation

हाइब्रिड वारफेयर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे "वीकली फोकस" डॉक्यूमेंट का संदर्भ ले सकते हैं।

हाइब्रिड वारफेयर: नए युग के युद्ध में नए युग की प्रतिक्रिया आवश्यक होगी

वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और सूचना क्रांति ने दुनिया को ऐसे परिवर्तन की ओर अग्रसर कर दिया है जिसे मानवता ने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। इस परिवर्तन ने लगभग हर चीज को प्रभावित किया है और युद्ध की अवधारणा भी इसके प्रभाव से नहीं बच सकी है। युद्ध के इस बदलते स्वरूप को जानने के लिए 21वीं सदी के हाइब्रिड युद्ध की अवधारणा की गहरी समझ की आवश्यकता है। इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से, हम जानेंगे कि यह युद्ध की स्थितियां कैसे प्रकट हो रही हैं और भारत सहित अन्य देशों के लिए कैसे अनिश्चितताएं पैदा कर रही हैं। क्या इसका कोई और समाधान है?

4.3. वासेनार अरेंजमेंट (Wassenaar Arrangement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वासेनार अरेंजमेंट (WA) की **26वीं पूर्ण वार्षिक बैठक** संपन्न हुई है। इस बैठक में भारत को **एक वर्ष की अवधि के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता** सौंपी गई है।

वासेनार अरेंजमेंट के बारे में

- यह एक **बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था (MECR)**[53] है। इसका उद्देश्य **पारंपरिक हथियारों, दोहरे उपयोग वाले उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित** कर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व स्थिरता को बढ़ावा देना है।
  - वासेनार अरेंजमेंट के सदस्य देश **संवेदनशील दोहरे उपयोग वाले उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर सूचनाओं का आदान-प्रदान** करते हैं। इसके अलावा, उन्हें **गैर-सदस्य देशों को नियंत्रित उपकरणों के हस्तांतरण और अस्वीकृति की भी रिपोर्टिंग** करनी होती है।
- **औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1996 में** की गई थी।
- इसके कुल **42 सदस्य देश** हैं।
  - **चीन को छोड़कर,** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य सभी स्थायी सदस्य इसके हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हैं।
- वासेनार अरेंजमेंट **स्वैच्छिक आधार पर कार्य** करता है तथा इसमें **आम सहमति से ही निर्णय** लिए जाते हैं।
- वासेनार अरेंजमेंट प्लेनरी इसका शीर्ष निर्णयकारी निकाय है। इसमें सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था (MECR)

वासेनार अरेंजमेंट के अलावा **तीन बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं (MECRs) निम्नलिखित हैं:**

- **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG):** इसका उद्देश्य परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करके परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है।
  - इसमें कुल 48 सदस्य हैं। **भारत इसका सदस्य देश नहीं है।**
- **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR):** इसका उद्देश्य **बैलिस्टिक मिसाइलों और उन अन्य मानव रहित आपूर्ति प्रणालियों के प्रसार को सीमित** करना है, जिनका उपयोग रासायनिक, जैविक एवं परमाणु हमलों के लिए किया जा सकता है।
  - इसमें कुल 35 सदस्य हैं। **भारत इसका एक सदस्य देश है।**
- **ऑस्ट्रेलिया समूह:** इसका उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों से संबंधित सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करके रासायनिक व जैविक हथियारों के प्रसार को रोकना है।
  - इसमें कुल 43 सदस्य हैं। **भारत इसका एक सदस्य देश है।**

भारत और वासेनार अरेंजमेंट

- भारत वासेनार अरेंजमेंट में 2017 में **42वें प्रतिभागी राष्ट्र** के रूप में शामिल हुआ था।
- **भारत के लिए वासेनार अरेंजमेंट की सदस्यता का महत्त्व**

[53] Multilateral Export Control Regime

- वासेनार अरेंजमेंट **भारतीय उद्योग के साथ उच्च प्रौद्योगिकी गठजोड़** को बेहतर बनाएगा। साथ ही, यह **भारत के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को उन्नत तकनीक वाली वस्तुओं तक पहुंच** प्रदान करेगा।
- भारत को दोहरे उपयोग वाले उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के **एक जिम्मेदार निर्यातक के रूप में मान्यता** प्रदान की गई है।
  - इस मान्यता से भारत के रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, क्षेत्र में भारत को एक रणनीतिक अभिकर्ता देश के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.4.1. अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme)

- **रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय** ने अलग-अलग हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य अग्निवीरों को **शिक्षा जारी रखने की सुविधा देना और उन्हें उपयुक्त कौशल प्रमाण-पत्र प्रदान** करना है।
  - **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)** के साथ हुए MoU के तहत अग्निवीरों को **क्रमश: 12वीं कक्षा का उपयुक्त प्रमाण-पत्र तथा स्नातक की उपयुक्त डिग्री प्रदान** की जाएगी।
  - अग्निवीरों को सशस्त्र बलों से सेवामुक्त होते समय **उद्योग जगत के लिए तैयार और उद्योग-स्वीकृत 'कौशल प्रमाण-पत्र'** उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कौशल प्रमाण-पत्र अग्निवीरों द्वारा सशस्त्र बलों में निष्पादित भूमिकाओं और कौशल सेट पर आधारित होंगे। इन भूमिकाओं और कौशल सेट की मैपिंग राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (NOS) के साथ की जाएगी।
- **अग्निपथ योजना के बारे में**
  - यह सशस्त्र बलों में सेवा देने के इच्छुक **भारतीय युवाओं के लिए सेना में भर्ती की योजना** है। इस योजना के तहत **भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा।**
  - योजना के तहत **थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अधिकारी रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों (PBOR) की चार साल के लिए भर्ती** की जाती है। इस चार साल की अवधि में **छह महीने का प्रशिक्षण** भी शामिल है।
  - **प्रति वर्ष 17.5 से 21 वर्ष की आयु के लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती** की जाएगी।
  - कुल भर्तियों में से **केवल 25% को ही स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक सेवा को जारी रखने की अनुमति** दी जाएगी।
  - अन्य **75% अग्निवीरों को निकास या "सेवा निधि" पैकेज** के साथ सशस्त्र बल से सेवामुक्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार उपर्युक्त प्रस्तावित समझौता ज्ञापनों के माध्यम से उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा।

4.4.2. INS वागीर (INS Vagir)

- स्कॉर्पीन श्रेणी की पांचवीं पनडुब्बी INS 'वागीर' को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।
- INS वागीर को 2020 में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय नौसेना के **प्रोजेक्ट-75** के तहत देश में बनाई जा रही **छ: पनडुब्बियों** में से एक है। इनका निर्माण **फ्रांस के नेवल ग्रुप** के सहयोग से **मुंबई की मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL)** में किया जा रहा है।
  - INS वागीर को **'सैंड शार्क'** भी कहा जाता है, जो **'गोपनीयता और निडरता' (स्टील्थ एंड फीयरलेसनेस)** का प्रतिनिधित्व करती है।
  - वागीर कई तरह के मिशन कर सकती है, जैसे- **एंटी-सरफेस, एंटी-सबमरीन, खुफिया जानकारी जुटाना, माइन बिछाना, क्षेत्र निगरानी आदि।**
- प्रोजेक्ट-75 पर **2005 में हस्ताक्षर** किए गए थे। इसके तहत **स्कॉर्पीन (डीजल-इलेक्ट्रिक) डिजाइन की छ: पनडुब्बियों** का स्वदेशी स्तर पर निर्माण किया जा रहा है।
  - इनमें से **चार (कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला)** को पहले ही नौसेना को सौंपा जा चुका है तथा कमीशन किया जा चुका है।
  - **INS वाग्शीर को 2023 के अंत में कमीशन किया जाएगा।**
- **P-75 इंडिया (P-75I) परियोजना P75 की जगह** शुरू की गई है। P75I, **30-वर्षीय पनडुब्बी निर्माण योजना** का हिस्सा है, जो **2030** में समाप्त होगी।

- P-75I के तहत **छः पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण** की योजना बनाई गई है। ये पनडुब्बियां **बेहतर सेंसर व हथियारों और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम (AIP)** से युक्त होंगी।
- यह योजना नवीनतम पनडुब्बी डिजाइन और प्रौद्योगिकियों को देश में लाने का अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा, यह भारत में **पनडुब्बी के स्वदेशी डिजाइन और निर्माण क्षमता को बढ़ावा** भी देती है।

- AIP एक ऐसी तकनीक है, जो **पारंपरिक पनडुब्बी** को साधारण डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में **अधिक लंबी अवधि (एक पखवाड़े) तक जल के अंदर रहने में सक्षम बनाती है।**
  - अन्य प्रौद्योगिकियों की तुलना में **फ्यूल सेल-आधारित AIP तकनीक बेहतर प्रदर्शन करती है।**

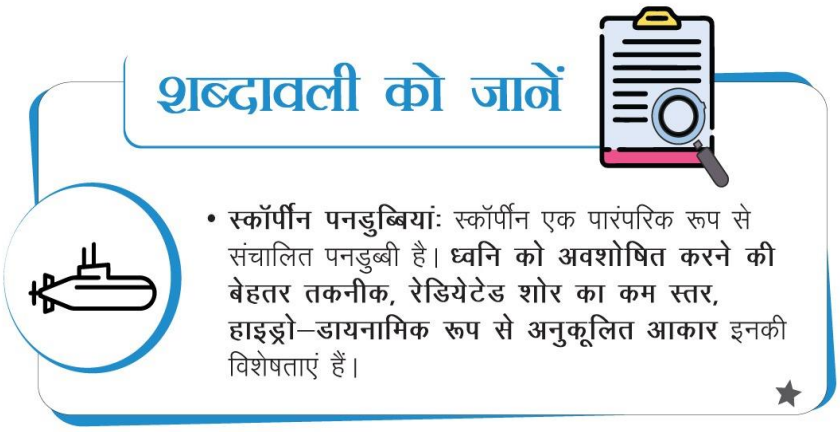

4.4.3. पृथ्वी-II (Prithvi-II)

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने **सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल "पृथ्वी-II" का सफल परीक्षण** किया है।
- इसमें प्रणोदन के लिए हल्के ट्विन इंजनों का उपयोग किया जाता है। इस **मिसाइल की रेंज लगभग 350 कि.मी.** है। यह मिसाइल **500-1,000 किलोग्राम वारहेड ले जाने में सक्षम** है।
  - यह निर्धारित लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए उन्नत **जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली (Inertial navigation system)** का इस्तेमाल करती है।
- DRDO ने इस मिसाइल को **एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम** के तहत विकसित किया है। इस कार्यक्रम की परिकल्पना **डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम** ने की थी।
  - इस कार्यक्रम के तहत विकसित अन्य मिसाइलों में **अग्नि, त्रिशूल, आकाश व नाग** शामिल हैं।

4.4.4. हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल {Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle (HSTDV)}

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने **स्क्रैमजेट इंजन** द्वारा संचालित HSTDV का सफल परीक्षण किया है।
- HSTDV **हाइपरसोनिक हथियारों (गति> 5 मैक या ध्वनि की गति से 5 गुना गति)** के लिए एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करेगा।
  - स्क्रैमजेट इंजन (सुपरसोनिक-दहन रैमजेट) **हाइपरसोनिक गति पर संचालित** हो सकता है।
  - रैमजेट इंजन के समान, स्क्रैमजेट इंजन भी **ऑक्सीकारक के लिए वायुमंडलीय वायु का उपयोग** करता है। यह आने वाली वायु को दहन कक्ष में प्रवेश करने से पहले ही संपीडित कर देता है।

4.4.5. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercise in News)

- **अभ्यास वीर, गार्जियन 2023:** यह **भारतीय वायु सेना (IAF) और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स (JASDF) के बीच द्विपक्षीय** वायु अभ्यास है।
- **वरुण:** यह **भारत और फ्रांस** के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है।
- **साइक्लोन:** यह **भारतीय सेना और मिस्र की सेना के विशेष बलों** के बीच पहला संयुक्त अभ्यास है।
- **ट्रॉपेक्स (TROPEX):** यह **भारतीय नौसेना का प्रमुख समुद्री अभ्यास** है। इसे **द्विवार्षिक** रूप से आयोजित किया जाता है। इसमें **भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय तटरक्षक बल की इकाइयां** भागीदारी करते हैं।
- **अम्फेक्स (AMPHEX) 2023:** यह **द्विवार्षिक रूप से** आयोजित होने वाला एक **त्रि-सेवा अभ्यास है।** इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं की टुकड़ियों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है।

- **तरकश 2023:** यह भारत के **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज (SOF) के बीच आतंकवाद-रोधी अभ्यास** का छठा संस्करण है।
- **तोपची 2023:** भारतीय सेना ने **'अभ्यास तोपची'** नामक वार्षिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। इस अभ्यास का मुख्य फोकस **स्वदेशी क्षमताओं और रक्षा क्षेत्रक में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में की गई प्रगति का प्रदर्शन** करना था।

4.4.6. डूम्सडे क्लॉक (Doomsday Clock)

- बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स (BAS) ने विश्व में विनाश का संकेत देने वाली **'डूम्सडे क्लॉक' को मध्यरात्रि से 90 सेकंड पर सेट** कर दिया है। इसका अर्थ है कि विनाश और मध्यरात्रि में अब केवल 90 सेकेंड का ही समय बचा है। इसका मुख्य संभावित कारण **यूक्रेन में परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे** को बताया गया है।
  - BAS की स्थापना **1945 में अल्बर्ट आइंस्टीन और शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों** ने की थी। इन्होंने **प्रथम परमाणु बम के निर्माण के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर कार्य** किया था।
- **डूम्सडे क्लॉक को 1947** में बनाया गया था। यह एक ऐसी घड़ी है, जो **जनता को चेतावनी देती है** कि हम हमारे द्वारा बनाई गई खतरनाक तकनीकों से **अपनी दुनिया को नष्ट करने के कितने करीब हैं।**
  - इसकी शुरुआत से लेकर अब तक इसकी **मिनट की सुई को 25 बार रीसेट किया जा चुका है।**

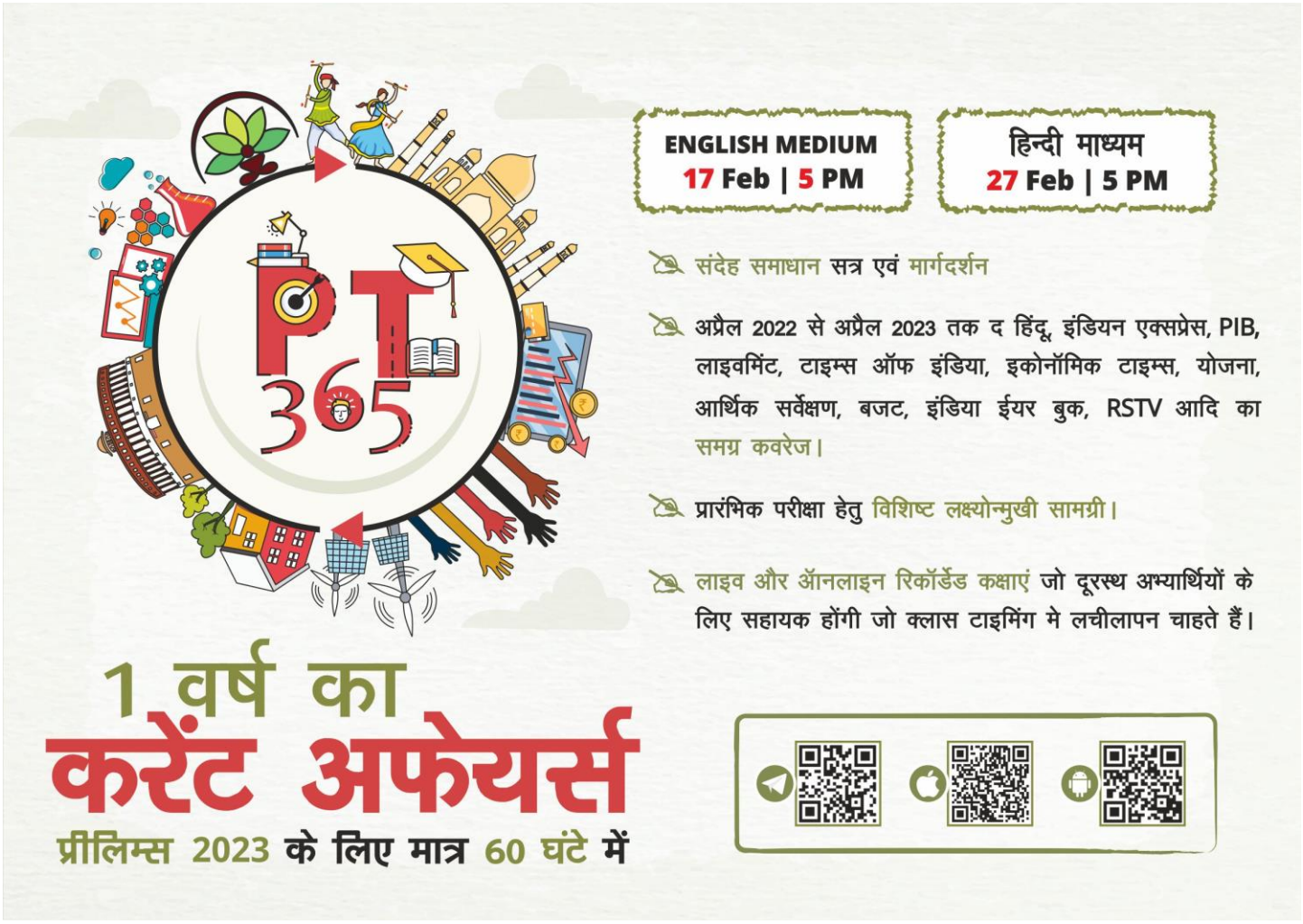

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. ओजोन छिद्र का भरना (Ozone Hole Recovery)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र** द्वारा समर्थित एक रिपोर्ट जारी हुई है। यह रिपोर्ट **"ओजोन परत क्षरण का वैज्ञानिक आकलन: 2022"**[54] नाम से जारी हुई है। इसमें कहा गया है कि ओजोन छिद्र अब धीरे-धीरे भरने लगा है अर्थात् ओजोन परत का पुनर्भरण होने लगा है। अगले कुछ दशकों में इसके पूरी तरह से भर जाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि **हानिकारक रसायनों के उपयोग की चरणबद्ध समाप्ति** से ऐसा संभव हो पा रहा है।

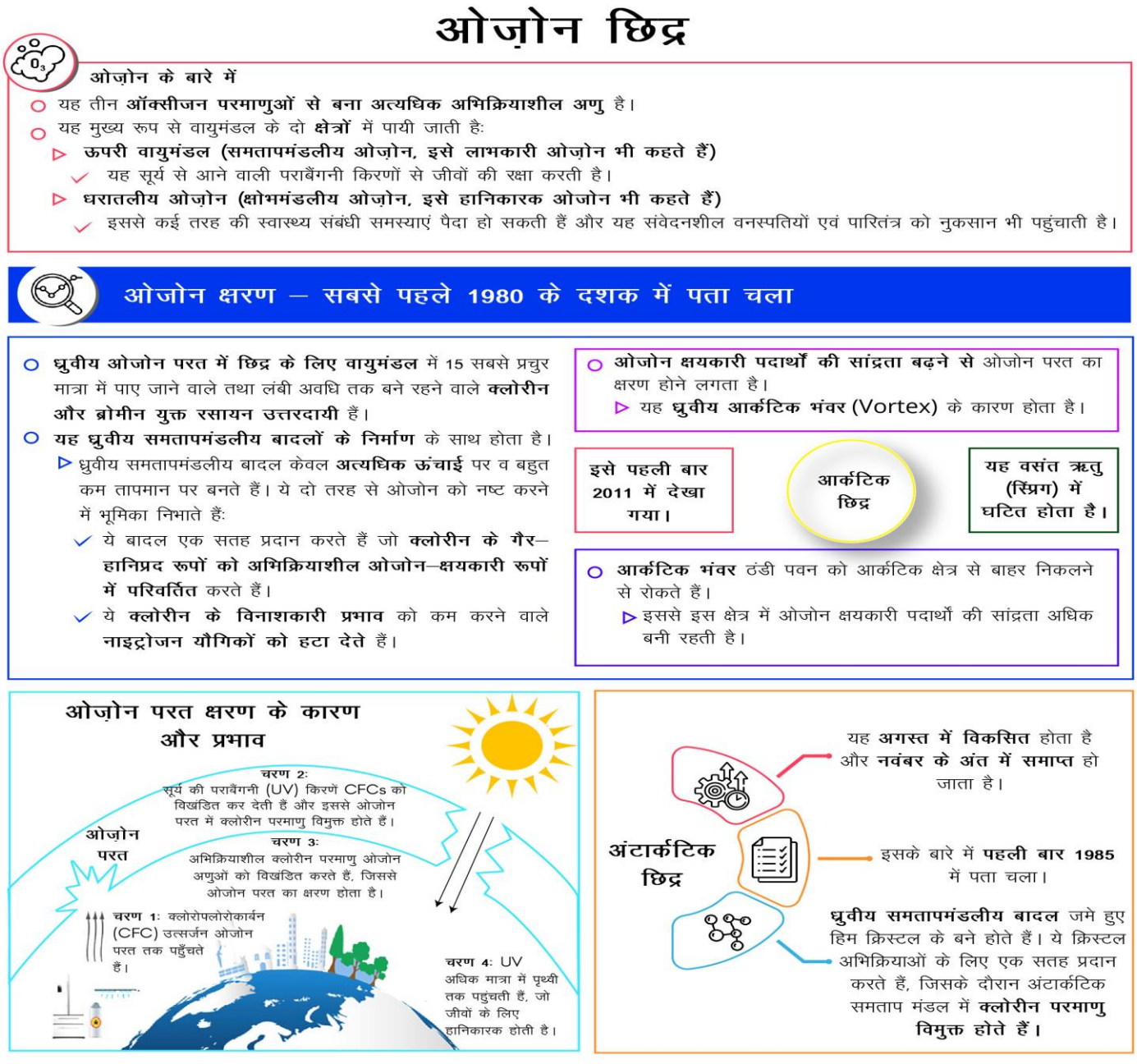

[54] Scientific Assessment of the Ozone Layer Depletion: 2022

अन्य संबंधित तथ्य

- **इस रिपोर्ट** में उजागर किया गया है कि वर्ष 2022 में **ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ODSs)[55] का स्तर**, 1980 में ओजोन क्षरण के पहले की स्थिति में आ गया है।
  - यह स्तर **पिछले तीन दशकों में** धीमी गति से ही सही लेकिन **निरंतर प्रगति** के साथ **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल** के चलते हासिल हुआ है।
  - **अंटार्कटिका** के ऊपर वायुमंडल में ODSs की मात्रा में कमी की दर धीमी रही है। इसके कारण वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र का आकार बड़ा हो गया था।

शब्दावली को जानें

स्ट्रैटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन (SAI): यह सौर विकिरण के प्रबंधन से संबंधित एक दृष्टिकोण है। इसके तहत समताप मंडल में कणों का छिड़काव किया जाएगा, जिससे सूर्य का प्रकाश परावर्तित होगा और वैश्विक तापमान में कमी आएगी

इस रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट **WMO[58], UNEP[59], NOAA[60], नासा** और **यूरोपीय आयोग** के **संयुक्त प्रयासों** से जारी की गई है।
- **इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:**
  - **वर्ष 2018 के आकलन के बाद से** वायुमंडल में लंबे समय तक बने रहने वाले ODSs में से कुल क्षोभमंडलीय क्लोरीन और कुल क्षोभमंडलीय ब्रोमीन, दोनों की वायुमंडलीय सांद्रता में **गिरावट जारी है।**
  - अध्ययन से पता चलता है कि **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुपालन के कारण ODS के उत्सर्जन में होने वाली कमी** इस शताब्दी के मध्य तक लगभग 0.5-1 डिग्री सेल्सियस के बराबर की **ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा सकती है।**
  - अध्ययन में यह संभावना व्यक्त की गई है कि **ओजोन परत की मोटाई अंटार्कटिका में लगभग 2066 तक और आर्कटिक क्षेत्र में लगभग 2045 तक 1980 के स्तर पर पहुंच जाएगी।**

ओजोन परत की सुरक्षा के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पर्यावरण, वन, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने **अधिकार प्राप्त संचालन समिति[56]** गठित की है।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए **राष्ट्रीय ओजोन इकाई (NOU)[57]** के रूप में **ओजोन सेल** की स्थापना की गई है।
- भारत ने फोम के विनिर्माण में **HCFC-141b के उपयोग की चरणबद्ध तरीके से पूर्ण समाप्ति के** लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।
- कुलिंग करने वाले उपकरणों में ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग को कम करने के लिए भारत ने **इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP)** शुरू किया है।

रिपोर्ट में उजागर की गई मुख्य चुनौतियां

- **उचित आकलन का अभाव:** CFC-11, CFC-12 जैसे यौगिकों के संबंध में एक कुशल अवलोकन और निगरानी नेटवर्क का अभाव रहा है। इसके कारण रिपोर्ट नहीं किए गए उत्सर्जन के विरुद्ध कार्रवाई करना मुश्किल हो गया है।
- **अस्पष्ट उत्सर्जन (Unexplained Emissions):** अन्य ODSs (जैसे- CFC-13, 112a, 113a, 114a, 115, और CCl4) के अस्पष्ट उत्सर्जन की पहचान की गई है, जिनके कारणों को समझना और उनकी निगरानी करना मुश्किल है।
- **ओजोन रिकवरी में असमानता:** दोनों गोलार्धों में यद्यपि ऊपरी समताप मंडल में ओजोन परत की रिकवरी हो रही है, लेकिन मध्य और निचले समतापमंडलीय क्षेत्रों में ऐसी प्रगति नहीं दिखाई देती है।
- **क्षेत्रीय वायुमंडलीय निगरानी में अंतराल:** वायुमंडलीय निगरानी स्टेशनों का मौजूदा नेटवर्क मानवजनित उत्सर्जन के परिणामस्वरूप वायुमंडल में लंबे समय तक बने रहने वाले ODSs और HFCs की वैश्विक सतही सांद्रता की माप प्रदान करते हैं। इससे क्षेत्रीय स्तर पर मौजूद सांद्रता संबंधी अंतर का आकलन करना मुश्किल हो जाता है।

---

55 Ozone Depleting Substances

56 Empowered Steering Committee

57 National Ozone Unit

58 World Meteorological Organization/ विश्व मौसम विज्ञान संगठन

59 United Nations Environment Programme/ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

60 नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन

- **भू-इंजीनियरिंग तकनीकें:** ओजोन परत पर स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन (SAI) तकनीक के प्रभाव के अध्ययन से पता चलता है कि इससे अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र में वृद्धि हुई है। इसके कारण ओजोन परत की रिकवरी में देरी हो रही है।

मोंट्रियाल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन–2016

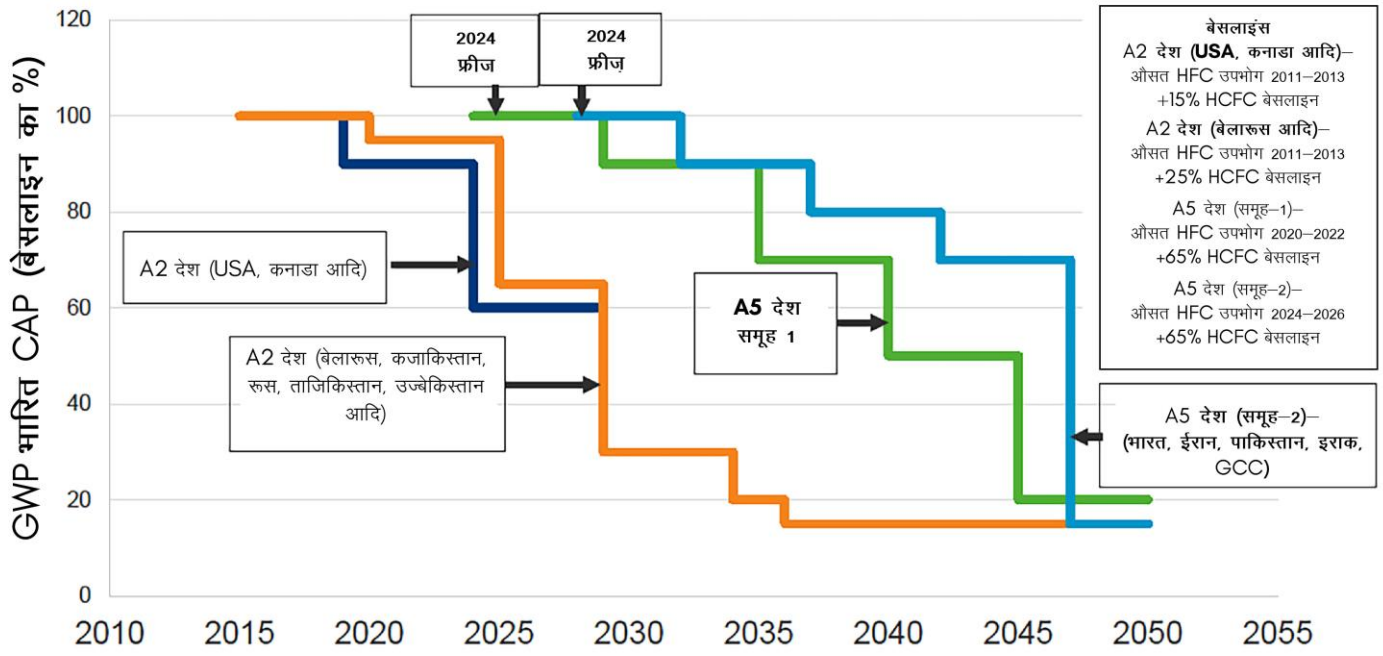

ओजोन छिद्र को कम करने के लिए उठाए गए कदम

- **वियना कन्वेंशन (1985) और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987):** इन पहलों का उद्देश्य **दुनिया भर में ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत में कमी लाते हुए अंततः इनको पूरी तरह से समाप्त करना है, जिससे ओजोन परत के क्षरण को ठीक किया जा सके।**
  - इनके कार्यान्वयन से 1986 से 2016 के बीच **उपर्युक्त पदार्थों के उत्पादन और खपत में 98% से अधिक की कमी आई है।**
- **ओजोन फण्ड, 1990:** ओजोन फण्ड (मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय निधि) की स्थापना 1990 में की गई थी। इसकी स्थापना **विकासशील देशों को ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग को समाप्त करने के उनके प्रयासों में मदद करने के लिए की गई थी।**
- **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2016 का किगाली संशोधन:** इस संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उत्पादन और उपभोग में कटौती करके उसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है।
  - ओजोन परत पर शून्य नकारात्मक प्रभाव डालने के कारण, **HFCs का उपयोग वर्तमान में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs) और क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) के स्थान पर किया जाता है। हालांकि, HFCs शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं।**
  - किगाली संशोधन के बाद, **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से निपटने वाला और भी अधिक शक्तिशाली साधन बन गया है।**

आगे की राह

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- **मिथाइल ब्रोमाइड के उत्सर्जन को समाप्त** करके मध्य अक्षांशों में क्लोरीन यौगिक की उपस्थिति संबंधी 1980 के स्तर के लक्ष्य को दो वर्ष पहले ही प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, वर्तमान में कुछ शर्तों के तहत मिथाइल ब्रोमाइड के उपयोग की अनुमति है।

- 2023-2070 के दौरान मानव-जनित N_2O उत्सर्जन में औसतन 3% की कमी से इसी अवधि के दौरान औसतन वार्षिक ग्लोबल टोटल कॉलम ओजोन में लगभग 0.5 डॉब्सन यूनिट्स की वृद्धि होगी।
    - **टोटल कॉलम ओजोन (TCO):** यह वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर या लंबवत क्षेत्र में वायुमंडलीय ओजोन की कुल मात्रा का माप है।
- **डाइक्लोरो-मीथेन (CH_2Cl_2) की प्रधानता वाले वायुमंडल में बहुत कम समय तक बने रहने वाले मानव-जनित क्लोरीन पदार्थों** का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप ओजोन का क्षरण हो रहा है। इसलिए इन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है।
- **CFCs और HCFCs के भावी उत्सर्जन में कमी करने** हेतु आकलन और निगरानी में मौजूद क्षेत्रीय अंतराल को दूर करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

ओजोन क्षरण को रोकना न केवल पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी जैव विविधता की रक्षा के लिए भी जरूरी है। ओजोन क्षरण और जलवायु परिवर्तन के बीच जटिल परस्पर संबंध का अधिक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने और इसे समझने की आवश्यकता है। इससे प्रभावी और सामूहिक नीतिगत उपयोग को निर्धारित करने में मदद मिलेगी।

5.2. क्लाउड फॉरेस्ट एसेट्स (Cloud Forest Assets)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अर्थ सिक्योरिटी** द्वारा **"क्लाउड फॉरेस्ट एसेट्स फाइनेंसिंग ए वैल्यूएबल नेचर-बेस्ड सॉल्यूशन"** शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई। अर्थ सिक्योरिटी एक वैश्विक प्रकृति-आधारित संपत्ति प्रबंधन सलाहकार फर्म है।

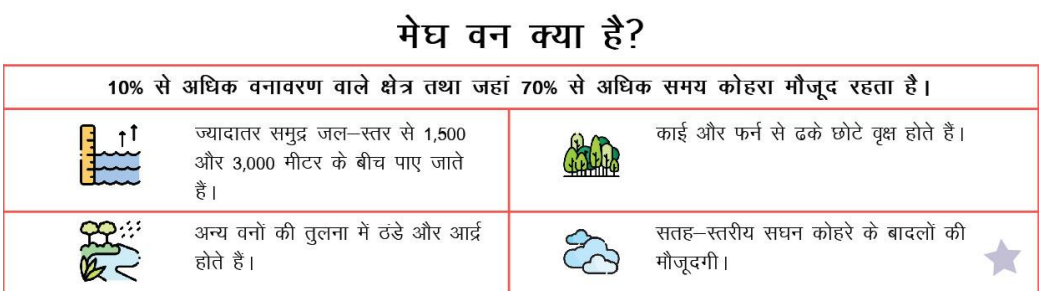

क्लाउड फॉरेस्ट (मेघ वन) के बारे में

- **क्लाउड फॉरेस्ट:** ये **आमतौर पर नदी के उद्गम क्षेत्रों में पाए जाने वाले पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वन** हैं। ये **ज्यादातर बादलों से ढके रहते हैं।**
    - ये वन **समुदायों, उद्योगों और जलविद्युत संयंत्रों के लिए स्वच्छ जल के भंडारण** को बनाए रखते हैं।
    - अधिकांश यानी 90% क्लाउड फॉरेस्ट, **25 विकासशील देशों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।** ये जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित होते हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार सुझाए गए **क्लाउड फॉरेस्ट बॉण्ड, "प्रकृति आधारित समाधानों (NBS)" का एक हिस्सा हैं।** ये बॉण्ड इन **क्लाउड फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए वित्त-पोषण का एक विकल्प** हैं।

क्लाउड फॉरेस्ट 25 (CF25) पहल के बारे में

- आर्थिक विकास के गैर-संधारणीय मॉडल, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संबंधी चरम घटनाओं की बढ़ती निरंतरता ने **इस तथ्य को उजागर किया है कि आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन होना चाहिए। CF-25 इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।**
- **CF25 एक निवेश संबंधी पहल है।** यह देशों, ऋण देने वालों और बहुपक्षीय संगठनों को एकजुट करने तथा ऐसे निवेश विकल्पों को मजबूत करने एवं उसकों बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

- **वित्त-पोषण तंत्र**
  - **वाटर पेमेंट्स:** इसमें पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के एवज में जल उपयोगकर्ताओं से पेमेंट वसूला जाएगा। ऐसे उपयोगकर्ताओं में अनुपालन मानदंडों को पूरा करने वाले व राष्ट्रीय स्तर पर संचालित जलविद्युत बांध आदि शामिल हैं।
  - **सॉवरेन कार्बन:** तराई वाले इलाकों के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के व्यापक क्षेत्रों के लिए एक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में सॉवरेन और सब-सॉवरेन अधिकार-क्षेत्रों के अंतर्गत फॉरेस्ट कार्बन का वित्त-पोषण किया जा सकता है।
  - इनके लिए, रिपोर्ट में **क्लाउड फॉरेस्ट बॉण्ड का प्रस्ताव** किया गया है। इन्हें सामूहिक व्यवस्था के माध्यम से जारी किया जा सकता है।
  - क्लाउड फॉरेस्ट बॉण्ड, **क्लाउड फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए वित्त जुटाने हेतु ऋण आधारित साधन** हैं। इनका **मूल्य किसी देश के क्लाउड फॉरेस्ट संसाधनों के आर्थिक मूल्य पर आधारित** होता है।

प्रकृति आधारित समाधान (NBS)

प्रकृति आधारित समाधान क्या हैं?

- प्रकृति–आधारित समाधान **प्राकृतिक पारिस्थितिक–तंत्र के संरक्षण, संधारणीय प्रबंधन या पुनरुद्धार के लिए कार्रवाई** हैं।
- वे जलवायु परिवर्तन, मानव स्वास्थ्य, खाद्य और जल संरक्षण तथा आपदा जोखिम में कमी जैसी **सामाजिक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से व अनुकूल रूप से संबोधित** करते हैं।
- एक साथ **मानव कल्याण और जैव–विविधता संबंधी लाभ** प्रदान करते हैं।
- वे लोगों की सुरक्षा करने, अवसंरचना का अनुकूलन करने और एक स्थिर एवं जैव विविधता से युक्त भविष्य की रक्षा करने के लिए **प्रकृति व स्वस्थ पारिस्थितिक–तंत्र की शक्ति का लाभ उठाते** हैं।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए NBS

सहायक क्रियाएं	पारिस्थितिकी प्रणालियां	जलवायु से संबंधित पारिस्थितिकी–तंत्र सेवाएं	मापने योग्य जलवायु–संबंधित परिणाम
कार्यक्षमता बनाए रखना: • गिरावट से बचना • रक्षा करना • पुनर्स्थापित करना • प्रबंधित करना जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में	वन घास के मैदान मैंग्रोव्स झीलें	कार्बन भंडारण (वनस्पति) CO_2 कार्बन भंडारण (मृदा) CO_2 तूफान महोर्मि में कमी बाढ़ जल प्रतिधारण	CO_2 में टनों की मात्रा में कमी आई है, इसका परिवर्जन या परिच्छादन किया गया है। जलवायु खतरों के प्रति निम्न सुभेद्यता वाले लोगों की संख्या।

IUCN अनुदान तंत्र: ग्लोबल EbA (इकोसिस्टम आधारित अनुकूलन) फंड, ब्लू नेचुरल कैपिटल फाइनेंसिंग फैसिलिटी, सब–नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस इनिशिएटिव, और नेचर+ एक्सीलरेटर फंड।

संयुक्त राष्ट्र अनुदान तंत्र: नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, नेट जीरो एसेट ओनर एलायंस, ग्रीन क्लाइमेट फंड, UNFCCC के तहत अनुकूलन कोष

प्रकृति आधारित समाधानों का वर्तमान वित्त–पोषण

अन्य विकल्प: आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के तहत ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी

UNEP के अनुसार, जलवायु, जैव विविधता और भूमि क्षरण लक्ष्य तब तक पहुंच से बाहर रहेंगे, जब तक कि **प्रकृति–आधारित समाधानों में निवेश 2025 तक 384 बिलियन अमेरिकी डॉलर/वर्ष तक नहीं पहुंच जाता।**

शमन
प्रकृति आधारित समाधान (उदाहरण के लिए– वनीकरण) पेरिस जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक आवश्यक 37 प्रतिशत शमन लक्ष्य पूरा करने में मदद कर सकते हैं।

अनुकूलन
जलवायु के प्रति संवेदनशील कृषि भूजल को बचाने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में मदद कर सकती है।

लचीलापन
हाल ही में शुरू की गई पहल मिष्टी/MISHTI (मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटैट्स एंड टैंजिबल इनकम) तटीय समुदायों को आय के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ मैंग्रोव का उपयोग करके चक्रवात और सुनामी के खिलाफ लचीलापन बनाने में मदद करती है।

निष्कर्ष

निम्न-आय वाले देशों की मदद करने के लिए प्रकृति आधारित समाधान एक महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। ये **संधारणीय आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए** पारितंत्र को संरक्षित करने में सहायक होंगे। **यह निम्न-आय वाले देशों में** जलवायु परिवर्तन संबंधी शमन, **अनुकूलन गतिविधियों के वित्त-पोषण** के लिए विकसित देशों और उनके निजी क्षेत्रक को प्रेरित करेगा। इससे **"साझी किन्तु अलग-अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत (CBDR)[61]" के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद** मिल सकती है।

5.3. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 {The Wildlife (Protection) Amendment Act, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 को अधिनियमित किया गया है। यह **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन** करता है। इसका उद्देश्य कानूनी संरक्षण के तहत और अधिक प्रजातियों को शामिल करना है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम {Wildlife (Protection) Act: WLPA}, 1972 के बारे में

- यह अधिनियम देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से **वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों को संरक्षण** प्रदान करता है।
- यह राज्य को चार श्रेणियों के तहत संरक्षित क्षेत्रों को घोषित करने का अधिकार देता है। ये चार श्रेणियां हैं- **राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, सामुदायिक रिजर्व** और **संरक्षण रिजर्व।**
- अधिनियम के तहत स्थापित महत्वपूर्ण निकायों में शामिल हैं:
  - **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड**
  - **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण**
  - **केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण**
- इसमें विशेष रूप से संरक्षित पादपों (एक), विशेष रूप से संरक्षित प्राणियों (चार) और कीट/ पीड़क (Vermin) प्रजातियों (एक) के लिए कुल **6 अनुसूचियां शामिल हैं।** ये अनुसूचियां वनस्पतियों और प्राणियों के वर्गों के संरक्षण की अलग-अलग श्रेणी हैं।

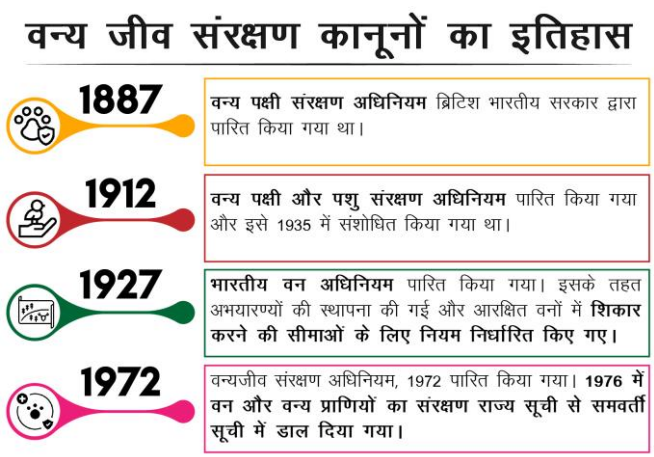

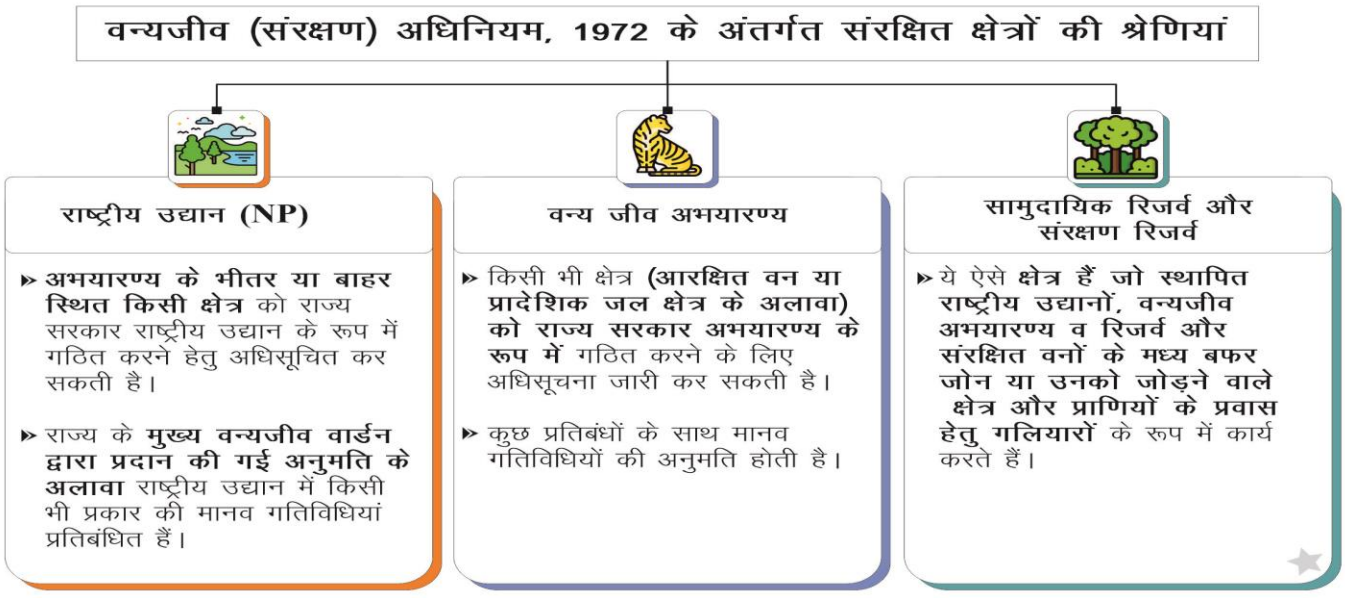

[61] Common But Differentiated Responsibility

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के बारे में

- इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - **संरक्षित क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन कर वन्यजीवों का संरक्षण और रक्षा** करना;
  - **वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES)**[62] के प्रावधानों को लागू करना।
- **संशोधित अधिनियम, 2022 के प्रमुख प्रावधान:**

प्रमुख संशोधन	
CITES के कार्यान्वयन के लिए नया अध्याय VB जोड़ा गया है	• **प्राधिकरणों का पदनाम:** केंद्र सरकार निम्नलिखित को नामित करेगी- ○ **प्रबंधन प्राधिकरण (Management Authority: MA)**: अभिसमय के अनुसार, प्रबंधन प्राधिकरण अनुसूचित नमूनों के व्यापार के लिए परमिट और प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा। ○ **वैज्ञानिक प्राधिकरण (Scientific Authority):** इसका कार्य व्यापार किए जा रहे नमूनों के अस्तित्व पर प्रभाव से संबंधित पहलुओं पर प्रबंधन प्राधिकरण को परामर्श देना है। • CITES के अनुसार, प्रबंधन प्राधिकरण किसी नमूने के लिए **पहचान चिन्ह** का उपयोग कर सकते हैं। ○ पहचान चिन्ह में संशोधन करना या उन्हें हटाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। • अनुसूचित जीवों के **जीवित नमूने रखने वाले लोगों को** प्रबंधन प्राधिकरण से **पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।** • **अनुसूची IV के परिशिष्ट I में प्रजातियों के प्रजनकों को इस संशोधन के लागू होने** के 90 दिनों के भीतर मुख्य वन्यजीव वार्डन के पास **लाइसेंस के लिए आवेदन करना** अनिवार्य है। • अनुसूचित नमूनों के निर्यात, आयात, पुन: निर्यात और समुद्र से संबंधित जानकारी के लिए शर्तें बताई गई हैं।
अनुसूचियों को तर्कसंगत बनाना	**निम्नलिखित के जरिए अनुसूचियों की संख्या को 6 से कम करके 4 किया गया है:** • विशेष रूप से संरक्षित जीवों के लिए अनुसूचियों की संख्या को 4 से घटाकर 2 करने का प्रावधान किया गया है। • **CITES के तहत परिशिष्ट में सूचीबद्ध नमूनों** (अनुसूचित नमूने) **के लिए एक नई अनुसूची शामिल की गई है।** • **पीड़क प्रजातियों के लिए अलग से बनाई गई अनुसूची को हटा दिया गया है।** ○ **केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से** एक निर्धारित अवधि के लिए किसी भी क्षेत्र के **वन्य जीवों को वर्मिन/ पीड़क के रूप में घोषित कर सकती है।**
अभयारण्यों का नियंत्रण	• केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार **तैयार प्रबंधन योजनाओं के अनुसार मुख्य वन्यजीव वार्डन** अभयारण्यों का **प्रबंधन और संरक्षण करेंगे।** • **वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आने वाले क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अभयारण्यों** के लिए प्रबंधन योजना संबंधित **ग्राम सभा** के साथ उचित परामर्श के बाद तैयार की जाएगी।
जुर्माने में वृद्धि	• **सामान्य उल्लंघन** के लिए जुर्माने की राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। • **विशेष रूप से संरक्षित जीवों** के मामले में जुर्माना 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।
'जीवित हाथी' के लिए छूट (धारा 43)	• केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, हाथियों के **स्वामित्व का प्रमाण-पत्र रखने वाले लोगों को धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जीवित हाथियों के स्थानांतरण या एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने** की अनुमति होगी।

[62] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

कैप्टिव जीवों को सौंपने के लिए नई धारा 42A	• **कैप्टिव जीवों या जीव उत्पादों के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र रखने वाला कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से** उन्हें मुख्य वन्यजीव वार्डन को **सौंप सकता है।** • **कैप्टिव जीवों या जीव उत्पादों को सौंपने वाले व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा,** क्योंकि इसे राज्य सरकार की संपत्ति माना जाएगा।
कुछ प्रतिबंधों में ढील	• वन्यजीवों के लिए पर्यावास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना **फिल्म निर्माण के लिए** अभयारण्य में प्रवेश करने या रहने की **अनुमति दी जा सकती है।** • **कुछ गतिविधियां** जैसे कि **स्थानीय समुदायों द्वारा** पालतू पशुओं को चराना या उन्हें लाना ले जाना, पेयजल और घरेलू कार्य हेतु जल का वैद्य उपयोग आदि अभयारण्य में प्रतिबंधित नहीं होंगी। इसके लिए किसी भी प्रकार के **परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।**
अन्य प्रावधान	• **केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, लोगों द्वारा अपने पास रखने या प्रसार को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार है।** • मुख्य वन्यजीव वार्डन या अधिकृत अधिकारी को सूचित किए बिना अभयारण्य के **10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को दिए जाने वाले किसी भी हथियार के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया जाएगा।** • **राज्य वन्यजीव बोर्ड को स्थायी समिति गठित करने की अनुमति प्रदान की गई है।**

नए अधिनियम से जुड़ी चिंताएं

- **हाथियों का व्यापार: वर्ष 2022 के अधिनियम से पहले**, बंदी या कैप्टिव हाथी को **केवल विरासत के माध्यम से** प्राप्त किया जा सकता था। वर्तमान संशोधित अधिनियम हाथियों के **खुले क्रय-विक्रय का प्रावधान** करता है जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है।
  - मौजूदा कानून में, हाथियों के वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध है। इससे जीवित हाथी का व्यापार गुप्त रूप करने की संभावना बढ़ती है क्योंकि व्यापारी 2003 के संशोधन से बचने के लिए **उपहार के रूप के वाणिज्यिक सौदों को** अंजाम देना शुरू कर सकते हैं।
    - वर्ष 2003 में, **WLPA की धारा 3 के तहत संबंधित मुख्य वन्यजीव वार्डन की अनुमति के बिना सभी कैप्टिव (या बंदी) वन्यजीवों के व्यापार और राज्य की सीमाओं के पार** किसी भी (गैर-वाणिज्यिक) हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
  - **वर्तमान संशोधन में "किसी अन्य उद्देश्य (Any other purpose)" का दायरा हाथी का व्यापार करने वालों को एक विकल्प प्रदान करेगा।** इससे वन्यजीवों के अवैध रूप से पकड़ने वाली घटनाओं में भी वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप कानून के उद्देश्य के विफल होने की आशंका है।
- **'वर्मिन' की घोषणा पर केंद्र का नियंत्रण बना हुआ है:** इस संबंध में प्रमुख चिंता इस बात को लेकर है कि किसी जीवों को 'वर्मिन' के रूप में कैसे वर्गीकृत किया जाता है।
  - पिछले साल, **जंगली सूअरों को वर्मिन घोषित करने के केरल के अनुरोधों** को **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** द्वारा बार-बार अस्वीकार कर दिया गया था।

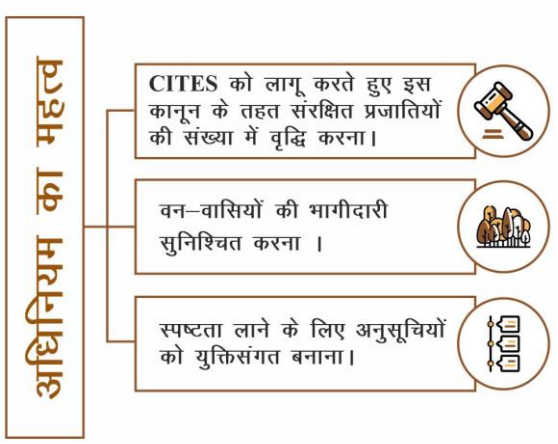

- **संघवाद के सिद्धांतों के विरुद्ध:** वन्य पशुओं और पक्षियों का संरक्षण **समवर्ती सूची** का एक विषय है।
    - वर्ष 2022 का अधिनियम **मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता वाले राज्य वन्यजीव बोर्डों को निष्क्रिय करता है।** इसके बजाए यह अधिकतम 10 नामित सदस्यों के साथ वन मंत्री की अध्यक्षता में वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति स्थापित करने का प्रावधान करता है।

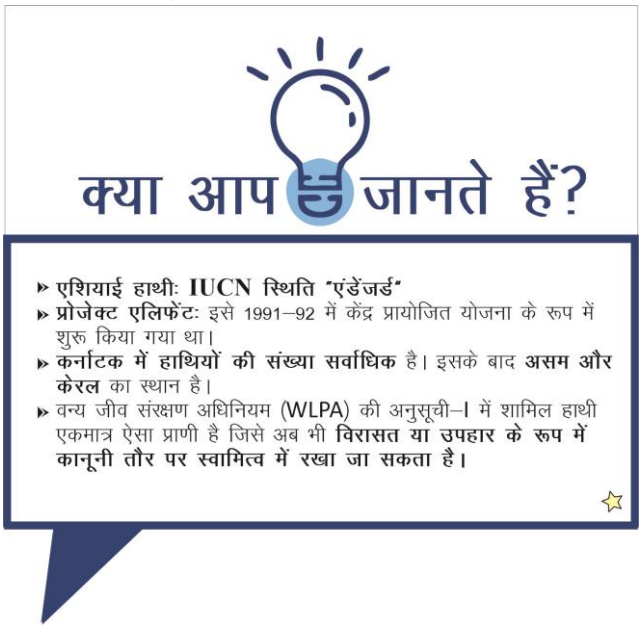

आगे की राह

- **हाथियों के स्वामित्व को प्रमाणित करने की आवश्यकता है:** भारत में **बंदी दशाओं में हाथियों की संख्या 2,600 से 2,700 के बीच** है, जबकि **केवल 1,251 स्वामित्व प्रमाण-पत्र** ही जारी किए गए हैं।
- **संघवाद के सिद्धांत को बनाए रखना:** प्रबंधन और वैज्ञानिक प्राधिकरणों को संघवाद के मजबूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा, राज्य सरकारों की रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- **अधिक शोध करना:** इस संरक्षण योजना में अनुसंधान और वैज्ञानिक जानकारी को बेहतर रूप से शामिल करने को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **अस्थायी प्रतिबंध:** वन्यजीव आबादी की संरक्षण स्थिति की समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जीवों को वर्मिन के रूप में वर्गीकृत करने वाली समय-अवधि पर तार्किक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।

5.4. वन (संरक्षण) नियम, 2022 {Forest (Conservation) Rules, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)[63] ने पुनः इस बात को दोहराया है कि **वन (संरक्षण) नियम-2022** वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उल्लंघन करता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पहले, आयोग ने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि **2022 के वन संरक्षण नियम अनुसूचित जनजातियों और ऐतिहासिक रूप से वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं।**
- वन (संरक्षण) नियम-2022 पर NCST का मत यह है कि **यह वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उल्लंघन करता है।**

वन (संरक्षण) नियम-2022 के बारे में

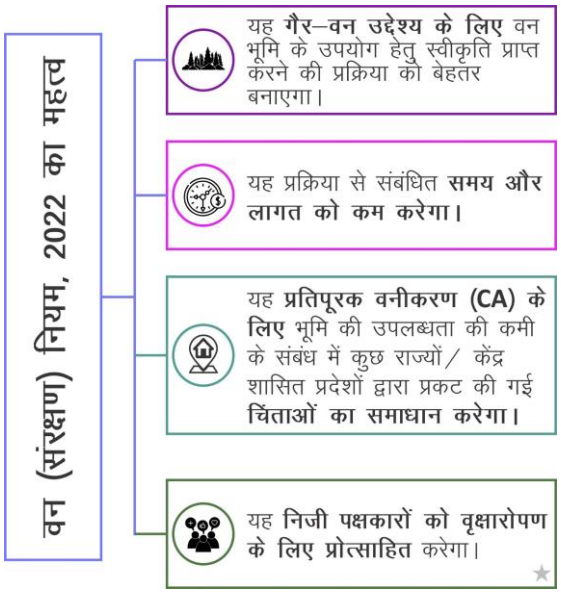

- वन (संरक्षण) नियम-2022 को **केवल वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को लागू करने के लिए लाया** गया है।
    - ये नियम निम्नलिखित **अन्य कानूनों में निर्धारित प्रक्रियाओं के समक्ष बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं:**
        - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972**
        - **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986**
        - **भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1896**
        - **वन अधिकार अधिनियम, 2006**
    - अन्य वैधानिक कानूनों के प्रावधानों को संबंधित नोडल कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एक ही समय पर साथ-साथ लागू किया जा सकता है।

[63] National Commission for Scheduled Tribes

- वन (संरक्षण) नियम-2022 वस्तुतः **वन (संरक्षण) नियम-2003 की जगह लेगा।**
- ये नियम **गैर-वन उद्देश्य हेतु वन भूमि के उपयोग के लिए** केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन पाने हेतु **प्रक्रियात्मक फ्रेमवर्क** निर्धारित करते हैं। यह फ्रेमवर्क 1980 के अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुरूप है। **गैर-वन उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:**
  - **वाणिज्यिक या अवसंरचना परियोजना** के लिए वन भूमि का उपयोग,
  - वन के रूप में मान्यता प्राप्त **भूमि को रिजर्व की श्रेणी से हटाना,** या
  - वन भूमि को **पट्टे के रूप में** किसी निजी व्यक्ति को सौंपना।

वन (संरक्षण) नियम-2022 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **समितियों की स्थापना:** ये नियम केंद्र सरकार द्वारा **सलाहकार समिति**[64] और **क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति**[65] के गठन का प्रावधान करते हैं। इसके अलावा, इसमें राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा **परियोजना जांच समिति**[66] के गठन का भी प्रावधान है।
  - ये समितियां **गैर-वन उद्देश्यों** के लिए वन भूमि के उपयोग से **जुड़े मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को परामर्श देंगी।**
- **केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन:** केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन दो चरणों में प्रदान किया जाएगा:
  - निर्धारित शर्तों को पूरा करने व **सलाहकार समिति की सिफारिशों** पर विचार करने के बाद **सैद्धांतिक अनुमोदन।**
  - **अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने** और इस रिपोर्ट में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के बाद **'अंतिम' अनुमोदन।**
- **प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation: CA):** नियमों का उद्देश्य प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि की उपलब्धता को आसान बनाना है।
  - जिन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में वन भूमि का निम्नलिखित उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है उसके एवज में प्रतिपूरक वनीकरण अन्य अन्य राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में करने की अनुमति इन नियमों में दी गई है:
    - **गैर-वन उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है,**
    - **रिजर्व की श्रेणी से हटाया गया है, या**
    - **पट्टे पर दी गई है।**
- **मान्यता प्राप्त प्रतिपूरक वनीकरण:** इसका उद्देश्य **लोगों को अपनी भूमि पर पेड़-पौधे/ वनस्पति लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है।** इसके बाद वे उन वनस्पतियों को ऐसे **व्यक्तियों को बेच सकते हैं,** जिन्हें अधिनियम के तहत **प्रतिपूरक वनीकरण लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता है।**
- **भूमि बैंक का सृजन:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश प्रतिपूरक वनीकरण के उद्देश्य के लिए **वन विभाग** के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन **भूमि बैंक का सृजन** कर सकते हैं।

वन (संरक्षण) नियम-2022 से संबंधित मुद्दे

- **वन अधिकार अधिनियम, 2006 से विरोधाभास:** वर्ष 2006 के कानून के तहत, सरकार को अपनी पारंपरिक भूमि पर परियोजना की अनुमति देने से पहले वन वासियों की **पूर्व और सूचित सहमति** लेना अनिवार्य है।
  - अब सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने से पहले **ग्राम सभा की सहमति लेना अनिवार्य नहीं है।**
  - अनुमोदन के बाद, केंद सरकार निम्नलिखित मामले में आदेश पारित करने की जिम्मेदारी **राज्य सरकार पर छोड़ देगी:**
    - **वन-भूमि को रिजर्व की श्रेणी से हटाने, या**
    - **वन-भूमि का गैर-वन उद्देश्य हेतु उपयोग करने, या**
    - **वन-भूमि को पट्टे पर देने।**
- **प्रतिपूरक वनीकरण से जुड़े मुद्दे:** किसी भी व्यावहारिक समय-सीमा में नया वृक्षारोपण या वनीकरण, परिपक्व वनों द्वारा प्रदान किए गए **कार्बन स्टॉक और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई** नहीं कर सकता है।

---

[64] Advisory Committee

[65] Regional Empowered Committee

[66] Project Screening Committee

- पर्यावरणविदों ने एक राज्य में होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और **किसी अन्य राज्य में उसकी क्षतिपूर्ति करने** के **औचित्य पर भी सवाल** उठाया है। उनके अनुसार, इसका **स्थानीय जैव विविधता और जलवायु पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।**

निष्कर्ष

वनों में निवास करने वाले समुदायों, नागरिक समाज संगठनों और सरकारी एजेंसियों के बीच मजबूत साझेदारी का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। इस तरह की साझेदारी प्रभावी वन संरक्षण के लिए ज्ञान, कौशल और संसाधनों को साझा करने में मदद कर सकती है। वनवासियों और देशज समुदायों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करने वाले कानूनी ढांचे को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। इसमें वन **अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन** शामिल है, जो वन भूमि पर रहने वाले वनवासी समुदायों के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है।

5.5. मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict: HWC)

सुर्ख़ियों में क्यो?

हाल ही में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले चार वर्षों में रेलगाड़ियों से टकराने के चलते 63,077 जीवों की मृत्यु हो गई थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- रिपोर्ट में 2017-18 और 2020-21 के बीच के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।
  - इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि **मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग इन जीवों की मौत का प्रमुख कारण थे।**
  - इस रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया है कि **ट्रेनों से टकरा कर जीवों की मौतों को रोकने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को** एक दशक बाद भी लागू नहीं किया गया है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) के बारे में

- यह ऐसी स्थिति है **जब वन्यजीवों की मौजूदगी या व्यवहार मानव हितों या जरूरतों के लिए वास्तविक या कथित रूप से प्रत्यक्ष और लगातार खतरे पैदा करते हैं।** इसके कारण अक्सर लोगों के समूहों के बीच वन्य जीवों के प्रति नकारात्मक धारणा घर कर लेती है, जिसके चलते लोगों और / या वन्यजीवों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **इससे वन्य जीव नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि बदले की भावना से वन्य जीवों की हत्याएं करने की घटनाएं देखी जाती हैं।** साथ ही, आम जनता में वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति नकारात्मक धारणा भी उत्पन्न होती है।

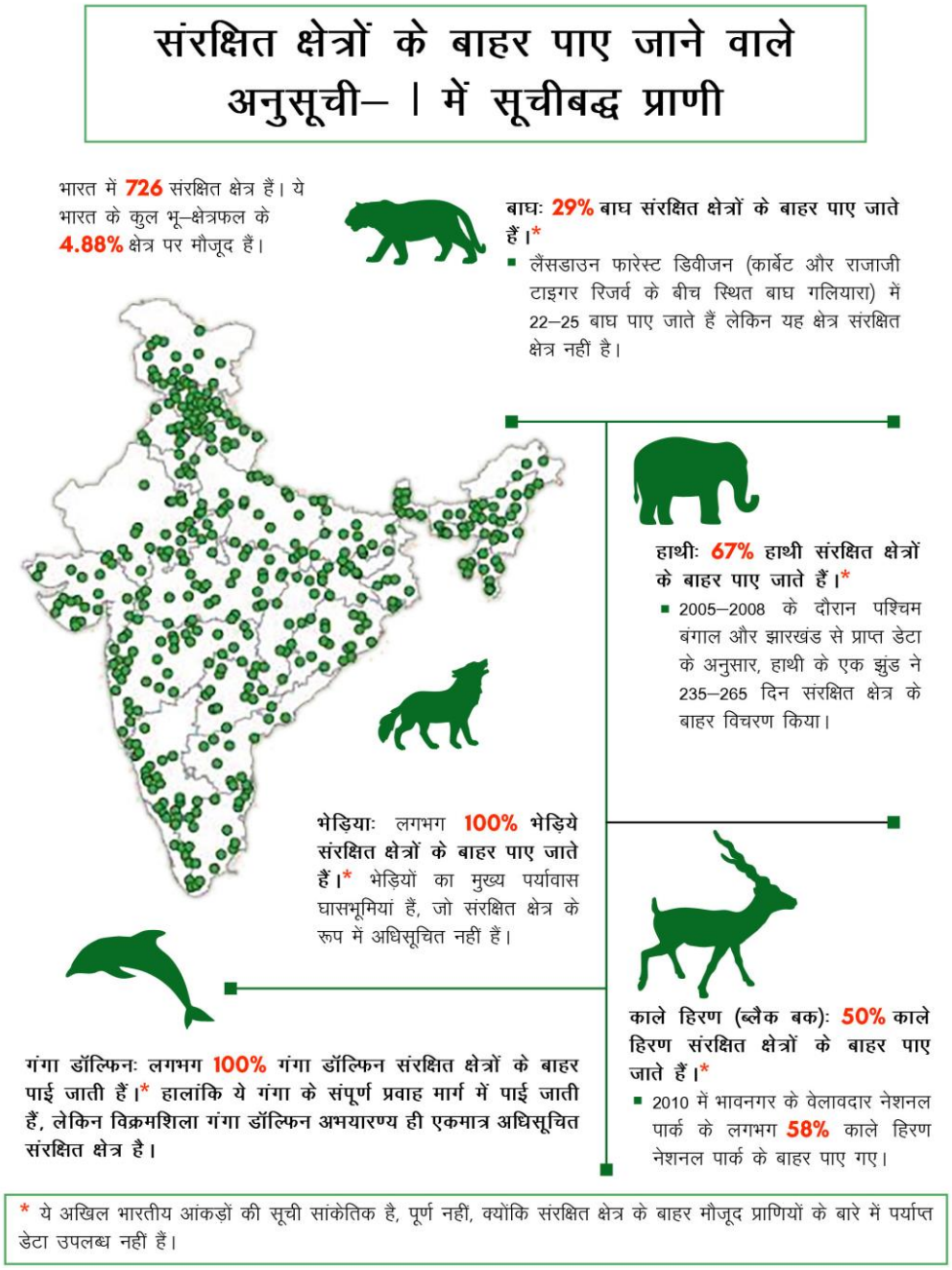

भारत में स्थिति

- **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, 2018-19 और 2020-21 के बीच की स्थिति:**
  - **222 हाथियों की मौत बिजली का करंट लगने से हो गई।** 45 हाथी ट्रेनों से टकरा कर मारे गए और 29 को शिकारियों द्वारा मार दिया गया।
  - **शिकारियों द्वारा 29 बाघों को मार दिया गया था** और इस अवधि के दौरान 197 बाघों की मौत के कारण संदिग्ध बने हुए हैं।
  - **2019-2021 के बीच, हाथियों और बाघों ने क्रमशः 1,549 तथा** 25 लोगों की जान ली।

मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय पहलें:**
  - **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति**[67] ने देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए परामर्श को मंजूरी दे दी है।
  - **नीतिगत कदम:**
    - **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016)** ने बेहतर मानव-वन्यजीव संबंध के प्रबंधन के लिए संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व की दो नई अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं।
    - इसके अलावा, केंद्र वन्यजीव पर्यावास के एकीकृत विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
  - **कानूनी कदम:**
    - **भारतीय वन अधिनियम** वन्यजीवों के बेहतर प्रबंधन के लिए संरक्षित वनों (Protected forests) और आरक्षित वनों (Reserved forests) की स्थापना का प्रावधान करता है।
    - निम्नलिखित के लिए कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करने के उद्देश्य से संसद ने **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** में संशोधन किया:
      - शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए
      - वन्यजीव पर्यावासों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए
      - संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए
      - वन्यजीवों और संबंधित उत्पादों के व्यापार पर विनियमन और नियंत्रण के लिए

[67] Standing Committee of the National Board of Wildlife

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 संबंधित **अधिकारियों को समस्या पैदा करने वाले जीवों से निपटने का अधिकार भी देता है। इसके तहत किसी भी संरक्षित प्रजाति को वर्मिन के रूप में घोषित करना** और उनका वध करना भी शामिल है।

- **राज्य स्तरीय पहलें:**
  - **ओडिशा सरकार** द्वारा सीड बम के माध्यम से प्राकृतिक वनों के विकास में सहायता की जा रही है। यह वन्य प्राणियों के लिए एक संधारणीय फीडस्टॉक के रूप में काम कर सकता है।
  - **उत्तराखंड सरकार** द्वारा बायो-फेंसिंग जैसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मानव बस्तियों में और उसके आसपास वन्य प्राणियों की आवाजाही को कम किया जा सके।
  - **उत्तर प्रदेश सरकार** द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष को आपदा की सूची में शामिल करने जैसे नीतिगत उपाय किए गए हैं। ये उपाय इसलिए किए गए हैं ताकि इसके कारण होने वाली क्षति के लिए मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके।

आगे की राह

- **अग्रिम चेतावनी प्रणाली:** हाथी जैसी बड़ी प्रजातियों के प्रवास पैटर्न की निगरानी करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से स्थानीय आबादी को अग्रिम चेतावनी प्रदान की जा सकती है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- **वन्यजीव गलियारे:** विकासात्मक योजना में इको ब्रिज जैसे वन्यजीव गलियारों को शामिल करना चाहिए। इससे वन्य प्राणियों का सुचारू प्रवास सुनिश्चित हो पाएगा, जिससे प्रकृति पर्यावास के विनाश संबंधी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **ईकोटूरिज्म:** संधारणीय तरीके से ईकोटूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। इससे स्थानीय आबादी को स्थानीय वन्यजीवों से मिलने वाले लाभ प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यह वन्यजीव संरक्षण की दिशा में व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने में भी सहायक होगा।
- **बफर जोन:** वन्यजीव के पर्यावास और मानव पर्यावास के बीच प्राकृतिक बफर जोन का निर्माण करना चाहिए। इससे वन्य प्राणियों को उनके प्राकृतिक पर्यावास में पर्याप्त फ़ीड स्टॉक तथा शिकार उपलब्ध हो पाएगा, जिसके परिणामस्वरूप मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **इलेक्ट्रिक फेंसिंग:** हल्के वोल्टेज वाली बिजली की बाड़ कृषि क्षेत्रों और दूरदराज के गांवों के आसपास लगाई जा सकती है जहां पालतू पशुओं को वन्य-प्राणियों से अधिक खतरा होता है।

5.6. फ्लाई ऐश का उपयोग (Fly Ash Utilization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में नई अधिसूचना जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- गौरतलब है कि फ्लाई ऐश के उपयोग संबंधी संशोधन **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** के तहत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों के तहत किए जाते हैं।
- फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इसकी शुरुआत वर्ष **1999 में जारी अधिसूचना से हुई, वहीं नवीनतम अधिसूचनाएं वर्ष 2021 और 2020 में जारी की गईं।**
- **भारत में उत्पादित फ्लाई ऐश का वर्ष 1996 में लगभग 10% उपयोग किया**

फ्लाई ऐश उपयोग के लिए अधिसूचना और अन्य संशोधन

अधिसूचना वर्ष	अधिसूचना का सारांश
1999	ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए **लक्ष्य निर्धारित किए गए।**
2003	अगस्त 2007 तक पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से **निर्माण कार्य में शामिल एजेंसियों के लिए 100% फ्लाई ऐश का उपयोग अनिवार्य किया गया।**
2009	चरणबद्ध तरीके से 100% फ्लाई ऐश का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समय–सीमा और कार्यान्वयन की अवधि को संशोधित तथा विस्तारित करते हुए 2014 किया गया।
2014	कोयले की खदान से 500 कि.मी. से अधिक दूर स्थित सभी ताप संयंत्रों के लिए **अधिकतम 34% राख की मात्रा वाले कोयले का उपयोग करना अनिवार्य किया गया।**
2016	**फ्लाई ऐश का उपयोग करने के क्षेत्र का विस्तार करते हुए इसे 100 कि.मी. से 300 कि.मी. किया गया।** फ्लाई ऐश के 100% उपयोग के अनुपालन की समय अवधि को फिर से बढ़ाते हुए 2017 कर दिया गया था।
2019	ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) की शर्तों के तहत कुछ **फ्लाई ऐश का उपयोग** खदान भरने, निचले इलाकों को भरने और कृषि में मिट्टी के कंडीशनर के रूप में प्रतिबंधित था। 2019 के संशोधन द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ाने के लिए ऐसी EC शर्तों को हटा दिया गया।
2020	2014 की अधिसूचना में निर्धारित **अधिकतम 34% राख की मात्रा वाले वाले कोयले का उपयोग करने संबंधी अनिवार्यता को हटा दिया गया।**
2021	तीन साल के चक्र में **"पर्यावरण के अनुकूल उद्देश्यों" में राख का 100% उपयोग अनिवार्य किया गया है।**

Source: Government notifications in the years 1999, 2003, 2009, 2014, 2016, 2019, 2020 and 2021

जाता था जो 2020-21 में बढ़कर 92% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, कुल उत्पादित 222 मिलियन टन फ्लाई ऐश में से 17 मिलियन टन से अधिक का अभी भी उपयोग नहीं हो पाता है।

नए संशोधनों के मुख्य प्रावधान

- **दायरे का विस्तार:** नए संशोधन के तहत, फ्लाई ऐश उपयोग नियम 2021 के जारी होने के समय या उसके बाद स्थापित नए ताप विद्युत संयंत्रों को भी **फ्लाई ऐश उपयोग संबंधी लक्ष्यों के अनुपालन के दायरे में लाया गया है।**
- **समय सीमा:** नए ताप विद्युत संयंत्रों (TPP) में **100 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने की समय सीमा 4 वर्ष** की होगी।
  - यह लक्ष्य ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों के लक्ष्यों के समान है, जो अपनी क्षमता के 60 प्रतिशत पर काम कर रहे हैं। क्षमता की गणना 1 अप्रैल, 2022 से की जानी चाहिए।
- **लीगेसी फ्लाई ऐश का उपयोग:** ताप विद्युत संयंत्रों के पास भंडारित लीगेसी फ्लाई ऐश (ऐश जिसे पिछले कई वर्षों से भंडारित किया जाता रहा है) का **पूरी तरह से उपयोग 10 वर्षों की अवधि के भीतर कर लिया जाना चाहिए।**
  - इस अवधि की गणना 1 अप्रैल 2022 से की जानी है। लीगेसी फ्लाई ऐश के उपयोग का यह लक्ष्य, वार्षिक उपयोग के लक्ष्य के अतिरिक्त है।

वर्ष 2021 की अधिसूचना के मुख्य बिंदु

- **'प्रदूषक द्वारा भुगतान' के सिद्धांत** को लागू किया गया है और लक्ष्यों की प्राप्ति न करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
- फ्लाई ऐश के उपयोग के तरीकों की **समीक्षा करने में CPCB की भूमिका सुनिश्चित की गयी** है।
- पहले, फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए 4 वर्षीय चक्रीय अवधी मौजूद थी, जिसे **घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया** है।

- **पुनर्प्राप्ति:** संशोधन के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)[68] द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए भी फ्लाई ऐश क्षेत्र **पुनर्प्राप्ति** गतिविधि की अनुमति दी गई है।
  - पहले ऐसी अनुमति केवल ग्रीन बेल्ट और वृक्षारोपण के मामले में दी गई थी।
- **पुनर्प्राप्ति के लिए समय सीमा और प्रमाणन:** संशोधन के तहत स्थिरीकरण और पुनर्प्राप्ति गतिविधियों को पूरा करने की अवधि को बढ़ाकर **तीन वर्ष (पहले केवल एक वर्ष)** कर दिया गया है।
  - इसके लिए CPCB से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
- **लीगेसी ऐश की परिभाषा को स्पष्ट करना:** वर्तमान में भंडारित किए जा रहे ऐश के अलावा अन्य ऐश पॉन्ड्स/ डाईक्स में पहले से भंडारित सभी ऐश को लीगेसी ऐश माना जाएगा।
- **ऐश पॉण्ड (राख कुंड) संबंधी दिशा-निर्देश:** नए संशोधन के तहत पुराने TPP को भी **अस्थायी ऐश पॉण्ड स्थापित करने की अनुमति दी गई है जिसका आकार** प्रति मेगावाट 0.1 हेक्टेयर के बराबर होगा। इससे पहले यह अनुमति केवल नए TPPs को ही थी।
  - यह प्रावधान 3 नवंबर, 2009 से पहले स्थापित TPPs के लिए लागू नहीं होता है।
- **प्रमाण-पत्र के लिए प्रभावी/ सक्षम प्राधिकरण: CPCB के साथ केंद्रीय विद्युत बोर्ड**, सभी मौजूदा और नए, परिचालनरत और पुनरुद्धार एवं स्थिर किए गए ऐश पॉण्ड के सुरक्षित प्रबंधन तथा प्रमाणीकरण के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे।
  - यह कार्य वर्ष **2021 की फ्लाई ऐश उपयोग नीति के प्रकाशन** की तारीख से तीन महीने के भीतर किया जाना होगा।
  - **वर्ष 2021 के नियमों में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था कि कौन से ऐश पॉण्ड प्रमाणित किए जाने थे,** लेकिन नए संशोधन में इसे स्पष्ट किया गया है।
- **नए ऐश पॉण्ड पर प्रतिबंध:** इस संशोधन के द्वारा कोयला और लिग्नाइट आधारित किसी भी TPP द्वारा नए परिचालनरत ऐश पॉण्ड को स्थापित या नामित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- **ऐश पॉन्ड्स का मूल्य निर्धारण:** संशोधन के द्वारा कोयला या लिग्नाइट आधारित TPP के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित सार्वजनिक और निजी, दोनों प्रकार की निर्माण गतिविधियों में फ्लाई ऐश आधारित निर्माण सामग्री का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।
  - ऐसी सामग्रियों की मूल्य निम्नलिखित द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए:
    - केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD)[69] द्वारा,
    - संबंधित लोक निर्माण विभाग (PWD)[70] द्वारा,
    - वैकल्पिक उत्पादों की कीमत, यदि मूल्य अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं है।

[68] Central Pollution Control Board

[69] Central Public Works Department

[70] Public Works Department

फ्लाई ऐश

- फ्लाई ऐश **कणीय पदार्थ होते हैं।** ये ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से उत्पन्न होते हैं।
- **ये कोयले को दहन चेंबर में दहन करने के बाद अवशेष के रूप में खनिज संबंधी अशुद्धियां होती हैं। ये दहन चेंबर से बाहर निकलने पर ठंडी होकर** कठोर हो जाती हैं।
- **रासायनिक संरचना:** ये **सिलिका, एल्यूमीनियम, लोहा, कैल्शियम और ऑक्सीजन** से मिलकर बने होते हैं। इनके अलावा इनमें आंशिक तौर पर **आर्सेनिक और सीसा** भी होता है।
- **फ्लाई ऐश के 2 सामान्य प्रकार हैं:**
  - **श्रेणी F:** इसमें कैल्शियम की निम्न मात्रा होती जबकि कार्बन की मात्रा 5 प्रतिशत से कम होती है।
  - **श्रेणी C:** इसमें कैल्शियम की उच्च मात्रा होती है जबकि कार्बन की मात्रा 2 प्रतिशत से कम होती है।

फ्लाई ऐश का उपयोग

इसका उपयोग क्यों आवश्यक है?

- **इसके भण्डारण के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है।**
- अन्य देशों की तुलना में **भारतीय कोयले में राख (ऐश) की मात्रा बहुत अधिक होती है।**
- ऐश पॉण्ड से **भूजल में भारी धातु का रिसाव हो सकता है।**
- **इससे पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में वृद्धि होती है।**
- इससे पादपों में **प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है।**
- इससे आस-पास के क्षेत्रों में **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी चुनौतियां सामने आती हैं।**
- यह श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनती है, जिससे **मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।**

फ्लाई ऐश के उपयोग के लाभ

- **यह पोर्टलैंड सीमेंट का लागत प्रभावी विकल्प है।**
- **यह टिकाऊ होती है क्योंकि यह कंक्रीट की सड़कों** और संरचनाओं **के जीवन-चक्र को बढ़ाती है।**
- **यह पर्यावरणीय रूप से संधारणीय है क्योंकि** इसका उपयोग **कार्बन प्रच्छादन (Sequestration) के लिए किया जा सकता है।**
- अपने रासायनिक संरचना और गुणों के कारण यह **अपशिष्ट जल के उपचार** में मदद कर सकती है।
- इसका उपयोग जल उपचार के तहत जल से पारे को अलग करने लिए किया जा सकता है।

फ्लाई ऐश के उपयोग में आने वाली चुनौतियां

- फ्लाई ऐश उत्पादों के उपयोग के बारे में **जागरूकता का अभाव है।**
- **इसको मजबूत होने में समय लगता है।**
- **मौसम संबंधी चुनौतियां,** क्योंकि कम तापमान पर इसको सेट होने में समय लगता है।
- **रंग संबंधी विषमता, क्योंकि** फ्लाई ऐश के मिश्रण वाली कंक्रीट के रंग को नियंत्रित करना अधिक कठिन होता है।
- **द्वितीयक पर्यावरणीय प्रदूषण के रूप में इससे** जल में कुछ तत्वों के रिसाव का खतरा बना रहता है।

भारत में फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए आरंभ की गई पहलें

- वर्ष 2009 में इसे **विक्रय-योग्य वस्तु** बना दिया गया।
- विद्युत मंत्रालय ने **ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप** लॉन्च की है।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने **'फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन'** के गठन का निर्देश दिया है।
- फ्लाई ऐश ईंटों और ब्लॉक्स पर GST को तर्कसंगत बनाते हुए 5% की रियायती GST दर लागू की गई है।

राज्य स्तरीय पहलें

- महाराष्ट्र में राज्य फ्लाई ऐश नीति 2016 जारी की गई है।
- राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि विद्युत संयंत्र, सड़क निर्माण के लिए NHAI को फ्लाई ऐश मुफ्त में देंगे।

आगे की राह

- **खदानों को भरने और सड़क निर्माण** के लिए फ्लाई ऐश का उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- **रेलवे लाइन** को TPP के कोयला यार्ड से ऐश डाइक या पॉन्ड्स तक बढ़ाया जा सकता है।
- फ्लाई ऐश के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए **परिवहन संबंधी सब्सिडी** पर विचार किया जा सकता है।
- फ्लाई ऐश ईंटों और टाइल्स विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए **निजी क्षेत्रक के उद्यमियों को प्रोत्साहन** दिया जा सकता है।
- फ्लाई ऐश की **निर्यात संबंधी संभावनाओं** का पता लगाया जाना चाहिए।

5.7. समुद्रयान मिशन (Samudrayaan Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल में, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने **समुद्रयान मिशन** के विवरणों को साझा किया है।

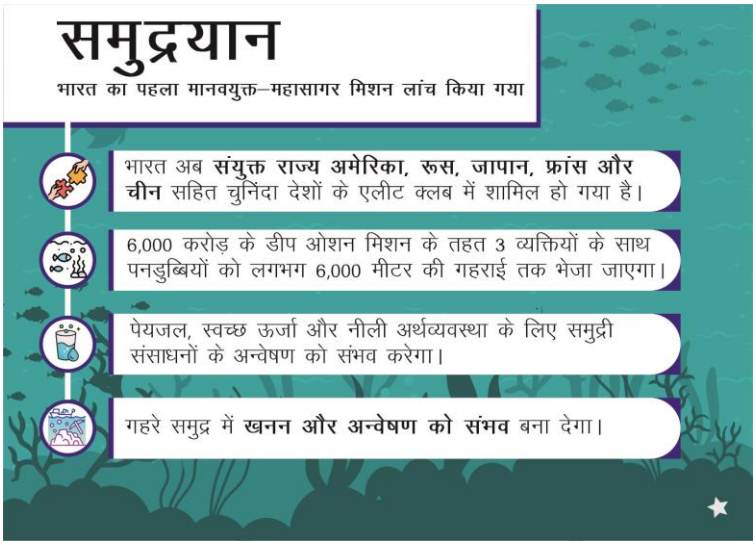

अन्य संबंधित तथ्य

- समुद्रयान मिशन का उद्देश्य स्वचालित **मानवयुक्त पनडुब्बी (मत्स्य 6000)** का विकास करना है। यह तीन व्यक्तियों को **गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज** के लिए 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी।
    - **मत्स्य 6000** का विकास चेन्नई स्थित **राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान**[71] द्वारा किया जा रहा है।
    - इसमें 6,000 मीटर तक की गहराई में जाने वाले रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (ROV) के अलावा भी गहरे समुद्र अन्वेषण के लिए निम्नलिखित अंडरवाटर उपकरण विकसित किए गए हैं:
        - स्व-संचालित कोरिंग सिस्टम (ACS)[73],
        - स्व-संचालित अंडरवाटर व्हीकल (AUV)[74] और
        - डीप सी माइनिंग सिस्टम (DSM)।
- मत्स्य 6000 सामान्य ऑपरेशन के तहत 12 घंटे और आपात स्थिति में 96 घंटे तक जल के भीतर रह सकती है। इसे **डीप ओशन मिशन (DOM)**[75] के तहत विकसित किया जा रहा है।

डीप ओशन मिशन के बारे में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **वर्ष 2021** में डीप ओशन मिशन को **पांच वर्षों** के लिए 4,077 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ मंजूरी दी थी।
- इस मिशन का उद्देश्य **गहरे समुद्र में** संसाधनों की **खोज करना** और महासागरीय संसाधनों के संधारणीय उपयोग के लिए **गहरे समुद्र से संबंधित प्रौद्योगिकियों** को विकसित करना है।
    - महासागर में **200 मीटर की गहराई से नीचे के भाग को गहरा समुद्र या डीप सी** के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - **संधारणीयता की दृष्टि से महासागरों** के महत्व को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने 2021-2030 को संधारणीय विकास के लिए **महासागर विज्ञान का दशक** घोषित किया है।

ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत की अन्य पहलें

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने **भारत की ब्लू इकोनॉमी के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा**[72] जारी किया है।
- **भारत ब्लू इकोनॉमी पर निम्नलिखित अलग-अलग बहुपक्षीय समझौतों/ व्यवस्थाओं का पक्षकार है:**
    - हिंद महासागर टूना आयोग (Indian Ocean Tuna Commission: IOTC),
    - हिंद महासागर रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (IOR-ARC),
    - बिम्सटेक (BIMSTEC) आदि।
- **अंब्रेला स्कीम** "ओशन सर्विसेज़, मॉडलिंग, एप्लिकेशन, रिसोर्सेज़ एंड टेक्नोलॉजी (O-SMART)" का 2021-26 की अवधि में क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना** का उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्रक के संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण विकास के माध्यम से **नीली क्रांति** लाना है।
- मत्स्य पालन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए **भारत ने** नॉर्वे, बांग्लादेश, आइसलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं।

---

[71] National Institute of Ocean Technology

[72] Draft National Policy for India's Blue Economy

[73] Autonomous Coring System

[74] Autonomous Underwater Vehicle

[75] Deep Ocean Mission

- यह ब्लू इकोनॉमी पहलों का समर्थन करने के लिए एक **मिशन मोड प्रोजेक्ट** है। ब्लू इकोनॉमी आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगार के साथ-साथ **समुद्री पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य को संरक्षित रखते** हुए **महासागरीय संसाधनों का संधारणीय उपयोग** है।
- इस मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वावधान में लागू किया जाना है।

डीप ओशन मिशन के प्रमुख घटक

विषयगत क्षेत्र	विवरण	ब्लू इकोनॉमी के तहत लक्षित प्राथमिकता वाले क्षेत्र
गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रौद्योगिकियां, और मानवयुक्त पनडुब्बी	समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक 3 मनुष्यों को ले जाने के लिए एक **मानवयुक्त पनडुब्बी** का विकास करना। इसके अलावा, मध्य हिंद महासागर में पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक **एकीकृत खनन प्रणाली** का विकास करना।	**गहरे समुद्र के खनिजों और ऊर्जा** की खोज करना तथा उनका दोहन करना।
महासागरीय जलवायु परिवर्तन संबंधी परामर्श सेवाएं	एक मौसम से लेकर एक दशक की अवधि के लिए **महत्वपूर्ण जलवायु चरों को समझने और उससे संबंधित भविष्य में पूर्वानुमान** करने हेतु **अवलोकनों तथा मॉडल्स** का एक समुच्चय विकसित किया जाएगा।	तटीय पर्यटन।
गहरे समुद्र की जैव विविधता का अन्वेषण और संरक्षण	सूक्ष्मजीवों सहित गहरे समुद्र की वनस्पतियों और जीवों की बायो-प्रोस्पेक्टिंग और **गहरे समुद्र के जैव संसाधनों के संधारणीय उपयोग** पर अध्ययन करना मुख्य फोकस होगा।	समुद्री मत्स्य पालन और संबद्ध सेवाएं।
गहरे महासागर का सर्वेक्षण और अन्वेषण	हिंद महासागर के मध्य-महासागरीय कटक के आप-पास **बहु-धात्विक हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स खनिजीकरण** के संभावित स्थलों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करना।	गहरे समुद्र में महासागरीय संसाधनों का अन्वेषण।
महासागर से ऊर्जा और ताजा जल	**अपतटीय समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC)**[76] संचालित विलवणीकरण संयंत्र के लिए अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन की परिकल्पना की गई है।	अपतटीय ऊर्जा विकास
समुद्र जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन	समुद्र जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में **मानव क्षमता एवं उद्यम** का विकास करना। यह घटक ऑन-साइट बिजनेस इनक्यूबेटर सुविधाओं के माध्यम से **औद्योगिक उपयोग और उत्पाद के विकास में अनुसंधान** को साकार करेगा।	समुद्री जीव विज्ञान, ब्लू ट्रेड और ब्लू मैन्यूफैक्चरिंग।

डीप ओशन मिशन का महत्व

- **ऊर्जा और खनिज सुरक्षा:** अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ने मध्य हिंद महासागर बेसिन **(CIOB)**[77] में **पॉलिमेटैलिक नोड्यूल्स** (PMN) की खोज के लिए भारत को 75,000 वर्ग किलोमीटर का **क्षेत्र आवंटित किया है।** इस क्षेत्र में उपलब्ध PMN के **10% का उपयोग** करके देश अगले **100 वर्षों के लिए अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।**
- **आर्थिक विकास:** महासागर **मत्स्य पालन और जलीय कृषि, पर्यटन, आजीविका और ब्लू ट्रेड** में सहायता करने वाला एक प्रमुख आर्थिक स्रोत है।
  - यह भारत को अपने महासागरीय संसाधनों के उपयोग से **100 अरब रुपये से अधिक की "ब्लू इकोनॉमी"** के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा।
- **जलवायु संकट का शमन करने में सहायक:** गहरे समुद्र को समझने से जलवायु परिवर्तन के संकट का शमन करने में काफी मदद मिलेगी।
  - यह **समुद्री जल स्तर**, चक्रवात आदि के रुझानों पर **पूर्वानुमान करने** में मदद करेगा।

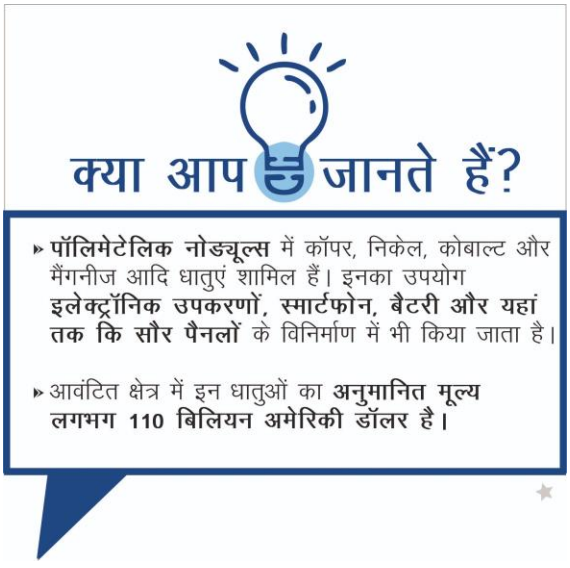

[76] Ocean Thermal Energy Conversion

[77] Central Indian Ocean Basin

- गहरे समुद्र की बेहतर समझ से **राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों**[78] के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
- **औषधि की खोज और विकास:** गहरे समुद्र में औद्योगिक और **जैव चिकित्सा** क्षेत्र के लिए महत्व रखने वाले कई **नए बायोमॉलीक्यूल्स** मौजूद हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (International Seabed Authority: ISA)

- यह एक **स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है। इसे वर्ष 1982 के **समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS)**[79] और UNCLOS के कार्यान्वयन से संबंधित **1994 के समझौते** के तहत स्थापित किया गया है।
- इस संगठन को गहरे समुद्र तल से संबंधित गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभावों से **समुद्री पर्यावरण की प्रभावी सुरक्षा** सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
- ISA का मुख्यालय **जमैका** के **किंग्स्टन** में है।

आगे की राह

- **गहरे समुद्र के बारे में ज्ञान की कमी को दूर करना:** उच्च-गुणवत्तापूर्ण, गहरे समुद्र से संबंधित वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने और प्रोसेस करने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्य-योजना बनाई जानी चाहिए।** इससे **निर्णय लेने और पर्यावरण प्रबंधन** के लिए आवश्यक ज्ञान की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
  - गहरे समुद्र का अन्वेषण और उसकी प्रभाव निगरानी से वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार हो सकता है। इससे **विज्ञान आधारित निर्णय** लेने में मदद मिलेगी।
- **विनियामक फ्रेमवर्क: समुद्री पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान** से बचाने के लिए **एक प्रभावी विनियामक फ्रेमवर्क** की आवश्यकता है।
  - विनियमों में सख्त **एहतियाती उपाय और शमन रणनीतियों** को मुख्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

- **मुक्त विचार-विमर्श को बढ़ावा देना:** इस क्षेत्र से संबंधित मुक्त विचार-विमर्श के लिए अलग-अलग मुद्दों पर राजनीतिक, उद्योग और नागरिक-समाज संगठन के बीच जागरूकता एवं हितधारकों में सहभागिता को बढ़ावा दिया चाहिए।
  - अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर **ज्ञान एवं साक्ष्य आधारित निर्णय** को बढ़ावा देने के लिए **हितधारकों की समावेशी भागीदारी** सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **दायित्व को पूरा करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूत करना: मुआवज़ा, साफ-सफाई या उपचारण से संबंधित जवाबदेही को निर्धारित करने और उसे पूरा करने** के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क में व्याप्त कमियों को दूर किया जाना चाहिए।
  - **समुद्री अन्वेषण संबंधी गतिविधियों** के कारण समुद्री पर्यावरण को हुए "गंभीर नुकसान" के **पर्यावरणीय उपचारण** को वित्त-पोषित करने के लिए **"पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कोष (Environmental Compensation Fund)"** बनाया जा सकता है।

[78] National Biodiversity Targets

[79] United Nations Convention on the Law of the Sea

5.8. जोशीमठ भू-धंसाव (Joshimath Land Subsidence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उत्तराखंड के जोशीमठ को **भूस्खलन और भू-धंसाव[80] प्रभावित क्षेत्र** घोषित कर दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)** के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा जारी किए गए उपग्रह चित्रों से पता चला है कि जोशीमठ **केवल 12 दिनों में** तीव्र गति से **5.4 से.मी.** धंस गया है। भू-धंसाव की यह घटना 2 जनवरी से संभावित धंसाव के साथ शुरू हुई थी।
- रिपोर्टों के अनुसार, जोशीमठ के 600 से अधिक घरों में बड़ी दरारें आ गई हैं। इस कारण अब ये घर **रहने लायक नहीं रह गए हैं।**
    - यहां की सड़कें और खेत भी समान रूप से प्रभावित हुए हैं।

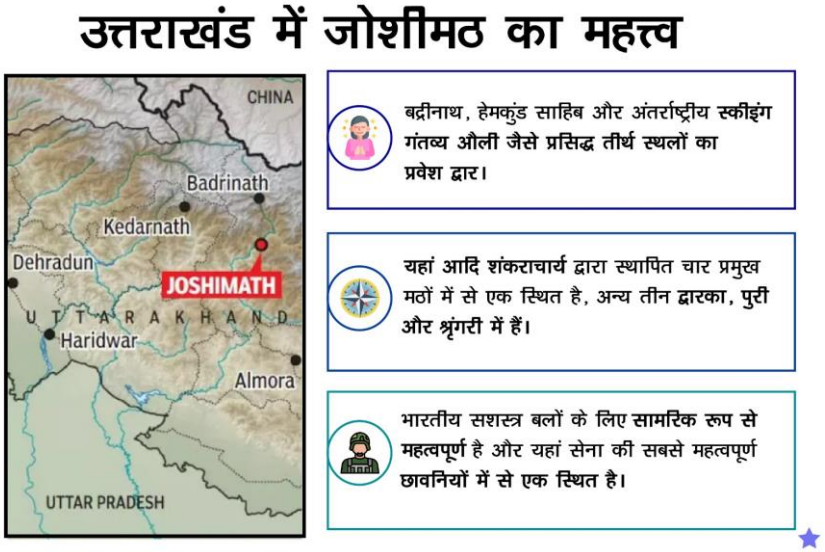

भू-धंसाव के बारे में

- यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार **पृथ्वी की उप-सतह से भू-सामग्रियों को हटाने या उनके विस्थापन के कारण पृथ्वी की सतह का क्रमिक रूप से धंसना या अचानक धंसाव को भू-धंसाव कहते हैं।**
- भू-धंसाव एक **वैश्विक समस्या** है।
    - विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2040 तक, भू-धंसाव से **विश्व की आठ प्रतिशत सतही भूमि** प्रभावित होगी।
    - दुनिया भर के 21 प्रतिशत प्रमुख शहरों में **लगभग 1.2 बिलियन लोग** रहते हैं।
- भू-धंसाव अक्सर **जल, तेल, प्राकृतिक गैस, या खनिज संसाधनों** को **पंपिंग, फ्रैकिंग या खनन गतिविधियों** द्वारा जमीन से **बाहर निकालने के कारण** होता है। इसके अलावा, **यह प्राकृतिक घटनाओं** जैसे कि भूकंप, मृदा का संपीडन, कटाव और घोलरंध्र (सिंकहोल) के निर्माण आदि के कारण भी हो सकता है।
    - अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, दुनिया भर में **80% से अधिक भू-धंसाव अत्यधिक भूजल निकासी** के कारण होता है।

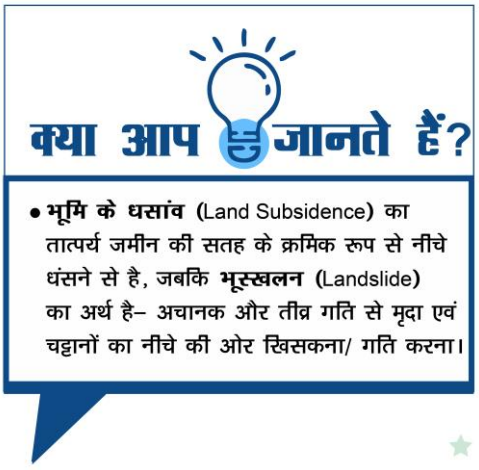

जोशीमठ में भू-धंसाव के कारण

- **अवस्थिति और स्थलाकृति:**
    - जोशीमठ पहाड़ी के मध्य भाग में ढलानों पर स्थित है। यह निम्नलिखित से घिरा हुआ है:
        - यह पश्चिम में **कर्मनाशा** और पूर्व में **ढकनाला नदियों** से घिरा हुआ है।
        - जोशीमठ के दक्षिण में **धौलीगंगा** और उत्तर में **अलकनंदा नदियां** बहती हैं।

[80] Landslide and Subsidence-Hit Zone

- शहर के आस-पास का क्षेत्र **अत्यधिक भारी सामग्री की मोटी परत से ढका हुआ है,** जिसके कारण यह धंसाव के प्रति **अत्यधिक संवेदनशील** है।
- उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA)[81] द्वारा किए गए अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बारहमासी जलधारा, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और कम मजबूती से आपस में जुडी अत्यधिक अपक्षयित चट्टानें इसे **भूस्खलन संभावित क्षेत्र** बनाती हैं।

- **भू-विज्ञान:** जोशीमठ लगभग **वैकृता थर्स्ट (VT)** पर स्थित है। यह एक **विवर्तनिक भ्रंश रेखा** है। साथ ही, यह स्थान **मुख्य भूगर्भिक भ्रंश रेखा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट (MCT) और पांडुकेश्वर थ्रस्ट (PT)** के भी बहुत निकट है। इस कारण से यह क्षेत्र **विवर्तनिक गतिविधियों** से संबंधित धंसाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
  - इसके अलावा, यह शहर **प्राचीन भूस्खलन मलबे पर निर्मित शहर है।** अर्थात् यह चट्टान के बजाए रेत और पत्थर के जमाव पर टिका हुआ है, जिनमें भार को वहन करने की क्षमता अधिक नहीं होती है।
- **अनियोजित निर्माण:** अगस्त 2022 में जारी की गई USDMA सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र की वहन क्षमता[82] पर ध्यान दिए बिना अनियोजित विकासात्मक गतिविधियों ने जोशीमठ में ढलान की अस्थिरता से संबंधित समस्यों को बढ़ाने में योगदान दिया है।
  - अनियोजित और अनधिकृत निर्माण के कारण **जल का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो गया, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार भूस्खलन की घटनाएं घटित हो रही हैं।**
- **अकुशल जल निकासी:** जोशीमठ में बेहतर जल निकासी व्यवस्था के अभाव के कारण प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों से संबंधित जल-अपशिष्ट धरातल में रिसता रहता जाता है। इसके परिणामस्वरूप धरातलीय संघटन कमजोर होता जाता है।
- **जलवायु परिवर्तन का बल-गुणक के रूप में कार्य करना: IPCC की रिपोर्ट** (2019 और 2022) में सूक्ष्मता से आकलन किया गया है कि **हिमालयी क्षेत्र आपदाओं के प्रति बहुत संवेदनशील** है।
- **अन्य कारक**
  - **NTPC's की तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना**
  - जोशीमठ में **बढ़ती आबादी और पर्यटन**

जोशीमठ के पास निर्माण परियोजनाएं

- **तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना:** यह धौलीगंगा नदी पर बनाई जा रही 520 MW की रन-ऑफ-रिवर परियोजना है।
- **BRO's की हेलंग-मारवाड़ी बाईपास परियोजना:** बद्रीनाथ की दूरी कम करने के लिए हेलंग से मारवाड़ी तक 6 कि.मी. लंबे बाईपास का निर्माण किया जा रहा है।
- **चारधाम परियोजना में बद्रीनाथ राजमार्ग:** यह चारधाम परियोजना का एक हिस्सा है।
- **चारधाम रेल और सुरंग परियोजना: उत्तराखंड में** 125 किलोमीटर लंबी **ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन** के लिए कम-से-कम 17 सुरंगों के निर्माण की आवश्यकता है। इसमें निकास और मुख्य सुरंग, गिट्टी रहित ट्रैक (Ballastless tracks) और 35 पुल शामिल हैं।

भारत में भू-धंसाव को रोकने के लिए किए गए उपाय

- **भूजल निकासी का विनियमन:** केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) भूस्खलन को रोकने के लिए अतिदोहन वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में भूजल निकासी को विनियमित कर रहा है।
  - हाल ही में, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ने **उत्तर भारत में भू-धंसाव के प्रभाव का अध्ययन करने** के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **सुदूर संवेदन और GIS:** रिमोट सेंसिंग और GIS प्रौद्योगिकियों का उपयोग **भू-धंसाव की निगरानी करने एवं धंसाव के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है।**
- **बड़े स्तर की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी और विनियमन:** बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी में अग्रिम चेतावनी टेलीमेट्रिक सिस्टम की स्थापना, आपदा प्रबंधन योजना जैसे सुरक्षा उपायों से संबंधित परियोजना विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं।
  - खान मंत्रालय भू-धंसाव को रोकने के लिए खनन गतिविधियों को विनियमित करता है।

क्या किया जा सकता है?

- **निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध:** विशेषज्ञ इस क्षेत्र में निर्माण और पनबिजली परियोजनाओं को **पूरी तरह से बंद** करने की सलाह देते हैं।
  - मृदा की **भार वहन क्षमता की जांच** के बाद ही भारी निर्माण कार्य की अनुमति दी जानी चाहिए। सड़क की मरम्मत और अन्य निर्माण कार्य के लिए सलाह दी जाती है कि पहाड़ को खोदकर या विस्फोट करके बोल्डर (बड़े आकार के पत्थर) को न हटाया जाए।
- **विस्तृत जांच करना:** विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र की वहन क्षमता निर्धारित करने के लिए इस क्षेत्र की विस्तृत भू-तकनीकी और भूभौतिकीय जांच करने की बात कही है।
- **टाउन प्लानिंग को संशोधित करना:** टाउन प्लानिंग को नए परिवर्ती करकों और भौगोलिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाना चाहिए।
  - जोशीमठ के लिए एक जोखिम संवेदनशील शहरी विकास योजना विकसित की जानी चाहिए।

[81] Uttarakhand State Disaster Management Authority

[82] Bearing Capacity

- **क्षेत्र में पुनः पौधरोपण:** मिट्टी की क्षमता को बनाए रखने के लिए, विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र में विशेष रूप से संवेदनशील स्थलों पर पुनः पौधरोपण की सिफारिश की है।
    - मिट्टी और जल संसाधनों के संरक्षण हेतु पेड़ तथा घास लगाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए।
    - टाउनशिप को इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी और चारकोल की आपूर्ति के लिए **पेड़ों की कटाई को सख्ती से विनियमित** किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

जोशीमठ में भू-धंसाव संकट की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियां, विशेषज्ञ तथा राज्य सरकार लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार कर रही हैं। सरकार को अन्य सभी संवेदनशील स्थलों पर भी मरम्मत और बहाली के प्रयासों की आवश्यकता का आकलन करना चाहिए।

महेश चंद्र मिश्रा समिति (1976)

- सरकार ने हिमालयी सीमा के निकट भू-धंसाव के सर्वेक्षण के लिए एम.सी. मिश्रा समिति गठित की थी।
- **समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:**
    - जोशीमठ एक **पुराने भूस्खलन क्षेत्र पर स्थित है** और इस क्षेत्र में भार को वहन करने की क्षमता अधिक नहीं है।
    - **अगर विकासात्मक गतिविधियां निरंतर जारी रहीं** तो जोशीमठ धंस सकता है।
- **सिफारिशें:**
    - **भारी निर्माण कार्य,** ढलानों पर कृषि व वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाए।
    - धरातल के माध्यम से वर्षा जल के रिसाव को रोकने के लिए **पक्की जल निकासी प्रणाली का निर्माण,** कुशल सीवेज सिस्टम और कटाव को रोकने के लिए नदी के किनारों पर सीमेंट ब्लॉक का निर्माण करना।

5.9. भारत में बड़े बांध (Large Dams in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र के एक नए अध्ययन में बताया गया है कि तलछट के जमाव के कारण **2050 तक** भारत में **लगभग 3,700 बंधों की कुल भंडारण क्षमता में 26 प्रतिशत तक की गिरावट आएगी।**

अन्य संबंधित तथ्य

- **UNU-INWEH** द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 2050 तक 150 देशों के **बड़े बांध की कुल भंडारण क्षमता में 26 प्रतिशत की गिरावट आएगी। इसका कारण बांधों में तलछट का बढ़ता जमाव है।**
    - तलछट के जमाव के कारण पहले **ही दुनिया भर में लगभग 50,000 बड़े बांधों** की संयुक्त आरंभिक भंडारण क्षमता में अनुमानत: 13 से 19 प्रतिशत तक की कमी आई है।
- इससे पहले 2015 में, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि 50 वर्षों से अधिक पुराने 141 बड़े जलाशयों में से **एक चौथाई की आरंभिक भंडारण क्षमता में कम से कम 30 प्रतिशत की कमी आई है।**

बड़े बांधों से संबंधित मुद्दे

- **संरचनात्मक मुद्दे:**
    - **पुराने होते जा रहे बड़े बांध:** कई बड़े बांध लगभग आधी सदी पहले बनाए गए थे।
        - इस तरह के बड़े बांध धीरे-धीरे कमजोर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी की लहरों, गाद, रेत और बजरी से **घर्षण के कारण** कंक्रीट और स्टील जैसी **निर्माण सामग्री खराब हो जाती है।**
    - **अवसादीकरण:** बांधों के पीछे जमा होने वाली तलछट जलाशय की जल भंडारण क्षमता को कम कर देती है। इससे बिजली उत्पादन, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति में कमी आती है।

जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय संस्थान (United Nations University Institute on Water, Environment and Health: UNU-INWEH)

- UNU-INWEH **संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (UNU) संस्थानों में से एक है। यह संस्थान UN की एक शैक्षणिक शाखा है।**
- **यह UNU में एकमात्र संस्थान है जो पूर्णतः और विशेष रूप से जल संबंधी मुद्दों पर केंद्रित है।**
- UNU-INWEH का उद्देश्य **जल से संबंधित उन गंभीर चुनौतियों को हल करने में मदद करना है जो संयुक्त राष्ट्र, इसके सदस्य देशों और उनके नागरिकों के लिए चिंता का विषय हैं।**

- तलछट के जमाव से बांध की संरचनात्मक मजबूती भी प्रभावित होती है। साथ ही इससे बांध के आगे पड़ने वाले इलाक़ों में बाढ़ का जोखिम बढ़ता है।

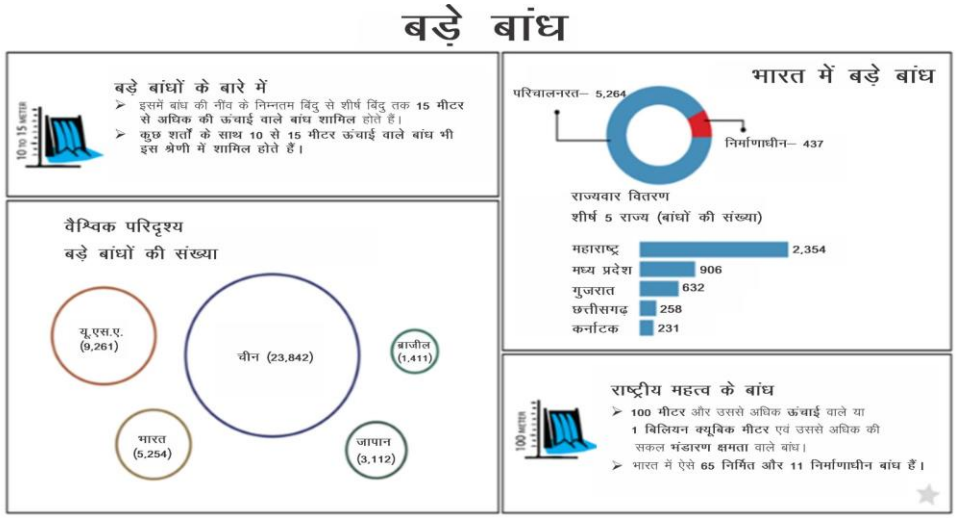

    - **भूकंपीय सुभेद्यता:** भारत में बड़े बांध प्रायः भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में बनाए गए हैं, जिससे वे भूकंप के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- **पर्यावरणीय मुद्दे:**
    - **पर्यावरणीय प्रभाव:** इनके कारण वन्यजीवों के पर्यावासों की हानि, नदी के पारितंत्र में बदलाव और संबंधित क्षेत्र के जल विज्ञान में परिवर्तन सहित पर्यावरणीय प्रभाव सामने आते हैं।
    - **जलवायु परिवर्तन:** बांध से मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान कर सकती है।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव:**
    - **विस्थापन:** भारत में 156 बड़े बांधों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि बड़े बांधों से **जलमग्न प्रत्येक वर्ग कि.मी. क्षेत्र लगभग 154 लोगों के विस्थापन** का कारण बनता है।
    - **सांस्कृतिक हानि:** बड़े बांधों के निर्माण का स्थानीय समुदायों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसमें पवित्र स्थलों का नुकसान, सांस्कृतिक परंपराओं में व्यवधान और ऐतिहासिक स्थलों का विनाश शामिल है।
- **राजनीतिक मुद्दे:** इससे जल की कमी महसूस की जा रही है जिसके **परिणामस्वरूप दुनिया भर में संघर्ष** हो रहे हैं।
    - भाखड़ा नांगल बांध से जल के आवंटन को लेकर **पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच विवाद** है।
- **अन्य मुद्दे:**
    - बड़े बांधों का निर्माण अक्सर महंगा होता है जिससे **लागत में काफी वृद्धि** हो सकती है।
    - बांधों से टाइफस, टाइफाइड बुखार, मलेरिया और हैजा जैसी **जलजनित बीमारियों में वृद्धि** हो सकती है।
    - बांधों की मरम्मत और रखरखाव के लिए **धन की कमी।**
    - बांधों की **अधिकतम भंडारण क्षमता** (USC)[83], **उपयोग योग्य सतही जल** (USW)[84] और **अधिकतम सकल सिंचाई क्षमता** (UGIP)[85] के संबंध में **जानकारी का अभाव।**

जलाशय में अवसादीकरण (Reservoir sedimentation)

- **अवसादीकरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।** इसके तहत जल का प्रवाह मिट्टी, रेत और चट्टानों के टुकड़े अपने साथ नदी के मार्ग में आगे की ओर बहते हुए ले जाता है। तत्पश्चात ये नदी के तल पर या बांध के कारण बने जलाशय के तल पर जमा होने लगते हैं।
    - **हिमालयी क्षेत्र में अवसादीकरण की समस्या विशेष रूप से अधिक होती है।** यहाँ के पहाड़ों में अपरदन दर उच्च होने के कारण नदियां बड़ी मात्रा में तलछट लेकर प्रवाहित होती हैं।
- अवसादीकरण की समस्या को कम करने के लिए, कई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, **जैसे- तलछट फ्लशिंग, डिसिल्टिंग, तलछट बायपास टनल आदि।**
    - हालांकि, इन तरीकों की लागत अधिक है और इनकी प्रभावशीलता भी सीमित है।

भारत में बड़े बांधों के लिए की गई पहल

- **बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021:** यह चयनित बांधों की **निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव** तथा उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए **संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।**
    - इसमें सभी चयनित बांधों के लिए व्यापक बांध सुरक्षा आकलन का प्रावधान किया गया है। **इसके तहत बांध स्वामियों द्वारा गठित विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल द्वारा आकलन किया जाना अनिवार्य है।**

[83] Ultimate Storage Capacity

[84] Utilisable Surface Water

[85] Ultimate Gross Irrigation Potentia

- **बड़े बांधों के लिए रजिस्टर:** केंद्रीय जल आयोग (CWC) बांध स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार बड़े बांधों के राष्ट्रव्यापी रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ़ लार्ज डैम्स (NRLD) का संकलन और रखरखाव करता है।
- **बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (Dam Rehabilitation and Improvement Project: DRIP):** इसका उद्देश्य चयनित मौजूदा बांधों की **सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन** में सुधार करना तथा भाग लेने वाले राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों के बांध सुरक्षा संबंधी संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है।
- **वेब आधारित टूल्स:** CWC ने **डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन (DHARMA)** और **सिस्मिक हेजार्ड एनालिसिस इनफार्मेशन सिस्टम (SHAISYS)** नामक वेब-आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन टूल्स विकसित किए हैं।
- **बांधों के सुरक्षा निरीक्षण के लिए दिशा-निर्देश:** इन दिशा-निर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य बांध स्वामियों, बांध इंजीनियरों और अन्य पेशेवरों को बांध निरीक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने में मदद करने के लिए जानकारी देना है।

आगे की राह

- **बांधों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के लिए उपाय:** वैश्विक बांध आयोग (World Commission on Dams) ने बांधों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के **समाधान के लिए सात चरणों की सूची** जारी की है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- **बड़े बांधों को बंद करना:** संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े बांधों की अप्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए, 1998 से ही **बड़े बांधों को बंद करने की दर, उनके निर्माण की दर से अधिक हो गई है।** भारत को बांधों को बंद करने, नदी की आकारिकी और जल भंडारण संरचनाओं के **पुनर्निर्माण की व्यवहार्यता पर दीर्घकालिक शोध करना चाहिए।**
- **एकीकृत जल प्रबंधन:** जल प्रबंधन के लिए एक एकीकृत और संधारणीय योजना विकसित करना चाहिए। इसमें जल विज्ञान संबंधी इकाइयों (Hydrological units) को ध्यान में रखते हुए संबंधित विषयों जैसे- मृदा प्रबंधन, भूमि उपयोग आदि को शामिल करना चाहिए।
- **जानकारी एकत्र करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग:** बांध की संरचना और जलाशय के तल का निरीक्षण करने के लिए **रिमोटली आपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल (ROVs)** का उपयोग किया जाना चाहिए।
  - बांध के आगे पड़ने वाले प्रवाह क्षेत्र का मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है।
- **नीतियों में संशोधन: पुराने बांधों के मद्देनजर सामने आने वाले संकट की पहचान करते हुए** मौजूदा नीतियों, योजनाओं और जल प्रबंधन के तरीकों में **तत्काल संशोधन की आवश्यकता है। जल क्षेत्रक से संबंधित व्यापक क्षति और परस्पर संबंधित क्षेत्रकों पर इसके प्रभाव को विभिन्न नीतियों में मान्यता दी जानी चाहिए।**

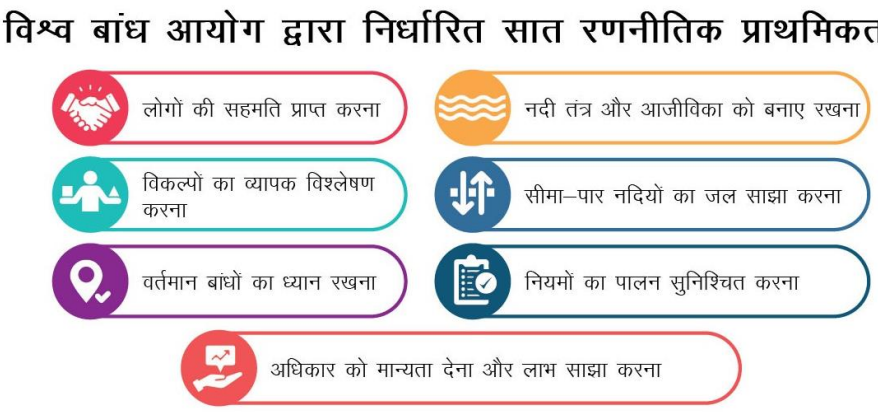

- **बड़े बांधों के विकल्पों का आकलन करना:** देश के जल नीति निर्माताओं, योजनाकारों और जल प्रबंधकों को निष्क्रिय बड़ी जल भंडारण संरचनाओं के विकल्पों की खोज करनी होगी। कुछ विकल्प इस प्रकार हैं-
  - अलग-अलग क्षमताओं की **जल भंडारण संरचनाओं** के निर्माण के लिए स्थलों का चयन करना।
  - मध्यम या लघु सिंचाई आधारित **लघु भंडारण संरचनाओं** का निर्माण करना।
  - **जलभृतों के पुनर्भरण** और जल को भूमिगत संगृहीत करने के लिए तंत्र की पहचान करना।

5.10. अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (International Container Transhipment Port: ICTP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने **ग्रेट निकोबार द्वीप में 41,000 करोड़ रुपये के मेगा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP)** के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। यह परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप के **गलाथिया खाड़ी** पर निर्मित की जाएगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- ICTP की योजना **ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास का हिस्सा** है।
- इसे **चार चरणों** में पूरा किया जाएगा। **चरण-1** में **4 मिलियन TEUs**[86] की हैंडलिंग क्षमता का निर्माण किया जाएगा। इसे विकास के अंतिम चरण में बढ़ाकर **16 मिलियन TEUs तक किया जाएगा।**
  - **TEUs कार्गो कंटेनरों के लिए उपयोग की जाने वाली माप की** अनुमानित **इकाई है।**
- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट** (कोलकाता स्थित) इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए **नोडल एजेंसी** है।
- इस परियोजना के लिए **लैंडलॉर्ड मॉडल** के माध्यम से **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP)** को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  - लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के अंतर्गत, **बंदरगाह प्राधिकरण, विनियामक निकाय एवं लैंडलॉर्ड (भू-स्वामी) के रूप में कार्य करती है,** जबकि **बंदरगाह संचालन (विशेष रूप से कार्गो हैंडलिंग) निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है।**

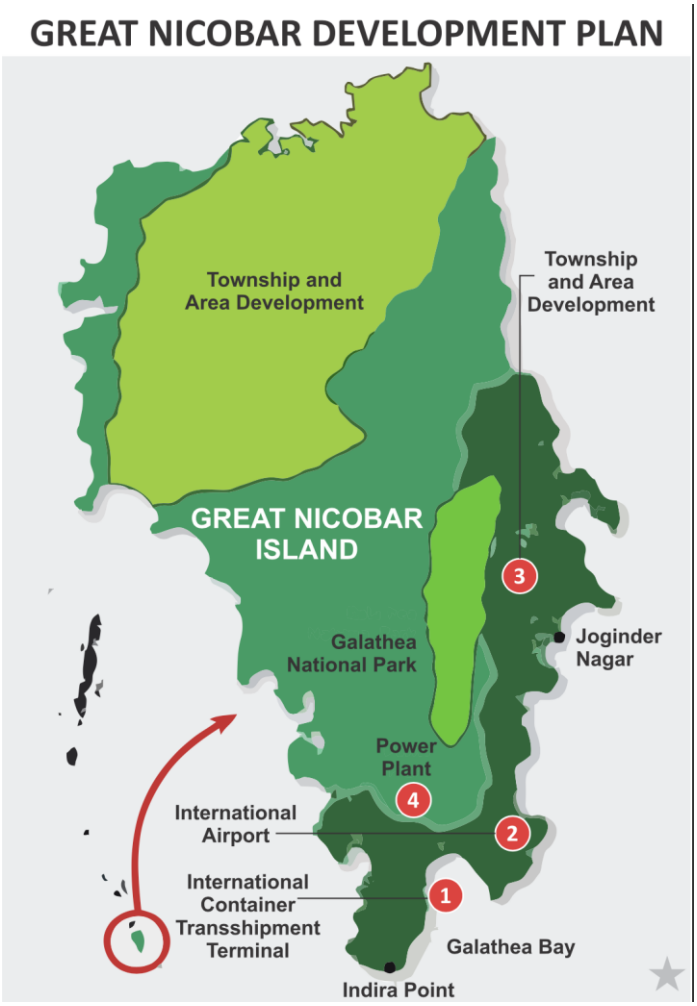

ICTP परियोजना का महत्व

- **सामरिक स्थिति:** सिंगापुर, क्लैंग और कोलंबो जैसे मौजूदा ट्रांसशिपमेंट टर्मिनलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग (मलक्का जल संधि से 40 समुद्री मील) से निकटता।
  - यहां पर **प्राकृतिक रूप से जल गहराई** 20 मीटर से अधिक है।
- **आर्थिक दक्षता:** भारतीय बंदरगाह प्रति वर्ष कार्गो पर 200-220 मिलियन डॉलर के **राजस्व के नुकसान को बचा** सकते हैं। वर्तमान में, भारत का लगभग 75 प्रतिशत ट्रांसशिप किए गए कार्गो भारत के बाहर स्थित बंदरगाहों द्वारा हैंडल किए जाते हैं।
  - **इससे लॉजिस्टिक्स संबंधी अक्षमताओं को दूर करने एवं संबद्ध व्यवसायों** जैसे- जलयानों की आपूर्ति, जलयानों की मरम्मत, वेयरहाउसिंग और बंकरिंग आदि को **बढ़ावा देने में** सहयोग मिल सकता है।
  - यह परियोजना **देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता संबंधी जोखिम को कम करने में मदद करने** सहायक होगी। साथ ही, यह भारत के लिए **एशिया-अफ्रीका, एशिया-अमेरिका / यूरोप कंटेनर यातायात व्यापार का एक बड़ा केंद्र बनने का अवसर सृजित** करेगी।
  - अन्य लाभों में **विदेशी मुद्रा बचत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अन्य भारतीय बंदरगाहों पर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि** शामिल हैं।
- **क्षेत्र का विकास:** ग्रेट निकोबार में ICTP के विकास के साथ, **लगभग 1,700-4,000 नौकरियों के सृजन** जैसे सामाजिक-आर्थिक कारकों में सुधार की बहुत बड़ी संभावना है।

ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का समग्र विकास (Holistic Development of Great Nicobar Island)

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजना के लिए **पर्यावरणीय मंजूरी** दी है।
- इस परियोजना को **अगले 30 वर्षों में तीन चरणों** में पूरा किया जाना है।
- परियोजना में एक **ग्रीनफील्ड शहर, ICTP, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र** और परियोजना को पूरा करने वाले **कर्मियों के लिए एक टाउनशिप** का प्रस्ताव शामिल है।

[86] Twenty Foot Equivalent Units

बंदरगाह आधारित द्वीपीय विकास (Port-Led Island Development) क्यों?

- **बेहतर कनेक्टिविटी हेतु:** बंदरगाहों ने द्वीपों के लिए कुशल परिवहन साधनों को शुरू करने एवं उनके अलगाव को समाप्त करने के साथ समावेशी विकास के अवसर पैदा किए हैं।
  - **बंदरगाह अवसंरचना की गुणवत्ता लॉजिस्टिक प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है**; बेहतर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन से अधिक समुद्री व्यापार संभव होता है और अधिक समुद्री व्यापार से तीव्र आर्थिक संवृद्धि आती है।
- **आर्थिक अवसर पैदा होते हैं:** वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की मोबिलिटी में सुधार के परिणामस्वरूप स्थानीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है तथा पर्यटन के अवसर पैदा होते हैं।
  - पुर्तगाल के पोर्टो सैंटो द्वीप में किया गया एक अध्ययन पर्यटन के विकास में बंदरगाहों की भूमिका के महत्व को दर्शाता है।
- **समग्र विकास में सहायक:** बंदरगाह बुनियादी ढांचे के निर्माण के चालक होते हैं। इसलिए इनका सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के साथ गहरा संबंध होता है।

परियोजना से जुड़ी चिंताएं

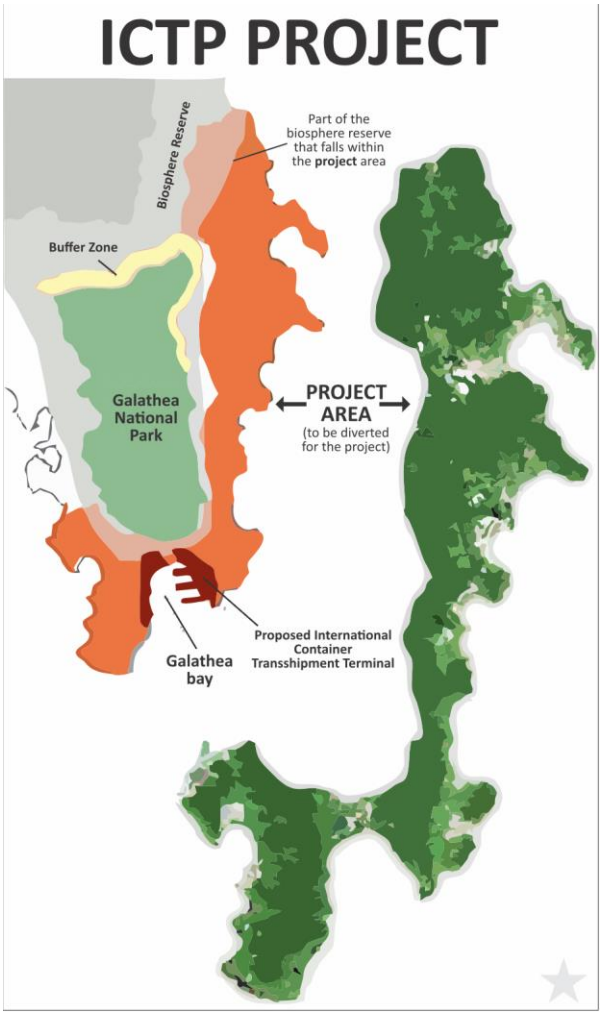

- **पर्यावरण और पारिस्थितिक चिंताएं:** पारिस्थितिक रूप से समृद्ध इस द्वीप को **1989 में बायोस्फीयर रिजर्व** घोषित किया गया था। इसके अलावा इस द्वीप को **2013 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम** में भी शामिल किया गया था।
  - ICTP के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife: NBWL) की स्थायी समिति द्वारा **संपूर्ण गैलाथिया खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया गया था।**
    - यह खाड़ी भारत में **विशाल लेदरबैक कछुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यावास स्थल** है।
  - **परियोजना के लिए लगभग लाखों पेड़ों की कटाई की जाएगी।** इससे द्वीप पर वन्य जीवन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
  - स्थलीय भाग से अपवाह में वृद्धि और तलछट जमाव समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इससे इस क्षेत्र की प्रवाल भित्तियों पर भी इसका असर पड़ेगा।
  - द्वीप में **मैंग्रोव आवरण को होने वाला नुकसान** भी चिंता का एक विषय है।
- **सामाजिक चिंताएं: अंडमान** और **निकोबार** द्वीप समूह (आदिम जनजाति **संरक्षण**) विनियमन, **1956** के तहत **द्वीप के 90% से अधिक क्षेत्र को आदिवासी आरक्षित क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है।**
  - एक आशंका यह भी है कि परियोजना आदिवासियों की **आजीविका और संस्कृति को नुकसान पहुंचा सकती है।** साथ ही, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उनके **वन अधिकारों को भी प्रभावित कर सकती है।**
  - **निकोबार में दो प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं:** निकोबारी और शोम्पेन। शोम्पेन को एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG)[87] के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह समुदाय अपने अस्तित्व के लिए वनों पर अत्यधिक निर्भर है।
- **आपदा के प्रति संवेदनशील:** ऐसा बताया जा रहा है कि परियोजना एक बड़ी भ्रंश रेखा पर स्थित है, जहाँ लगातार भूकंपों के झटके आते रहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र उच्च जोखिम वाले भूकंपीय जोन की श्रेणी-V के अंतर्गत आता है।
  - **भूकंप:** ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया में बंडा आचे (Banda Aceh) के करीब है, जो दिसंबर 2004 में अभूतपूर्व क्षति पहुंचाने वाले भूकंप और सुनामी का केंद्र था।
  - **निमज्जन:** IIT कानपुर की 2005 की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेट निकोबार की तटरेखा स्थायी रूप से जल में डूबने (निमज्जन) के प्रति सुभेद्य है।

[87] Particularly Vulnerable Tribal Group

- **पर्यावरण संबंधी प्रदूषण:** टर्मिनल परियोजना, तटीय क्षेत्रों से होने वाला अपवाह, जलयानों से बाजरी (Ballast), जलयानों में टकराव, तटीय क्षेत्र में होने वाला निर्माण, तेल रिसाव आदि गतिविधियां प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।
- **व्यवहारिक चिंताएं:** कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, इस परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता संदिग्ध है। इसका कारण यह है कि समस्त निर्माण सामग्री को इस दूरस्थ द्वीप पर भेजना होगा एवं साथ ही इसे पहले से ही सुस्थापित बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करनी होगी।

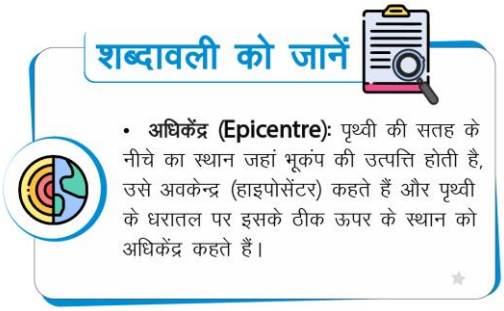

आगे की राह

- **प्रभावित प्रवाल भित्तियों का स्थानांतरण:** वर्तमान में भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (Zoological Survey of India) यह आकलन कर रहा है कि इस परियोजना के लिए कितनी प्रवाल भित्तियों को स्थानांतरित करना होगा।
  - भारत ने इससे पहले मन्नार की खाड़ी से कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों का **सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया है।**
- **जैव विविधता संरक्षण योजना:** सरकार **लेदरबैक कछुए** के संरक्षण के लिए एक योजना बनाने पर कार्य कर रही है।
  - विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने लेदरबैक समुद्री कछुओं, निकोबार मेगापॉड्स, खारे पानी के मगरमच्छों और कई अन्य प्रजातियों के साथ-साथ मैंग्रोव पुनरुद्धार संबंधी वन्यजीव संरक्षण के लिए विशिष्ट शर्तें भी लगाई हैं।
  - समिति द्वारा तीन नए वन्यजीव अभयारण्यों की पहचान की गई है: **लिटिल निकोबार** (लेदरबैक कछुओं के संरक्षण के लिए), **मेनचल** (मेगापोड्स के लिए) और **मेरो द्वीप** (प्रवाल के लिए) में।
- **जनजातियों की चिंताओं को दूर करना:** यह आश्वासन दिया गया है PVTGs अपने आवास संबंधी नुकसान के लिए मुआवजे के पात्र होंगे। साथ ही, **शोम्पेन समुदाय** की विशिष्ट पहचान, संस्कृति और विरासत की रक्षा सुनिश्चित करते हुए उन**के कल्याण तथा विकास के लिए भी एक पैकेज होगा।**
- **आपदा को सहने में सक्षम अवसंरचना:** गंभीर आपदाओं का सामना करने के लिए **सार्थकता संबंधी अध्ययन और नवीन सामग्री** के अनुरूप प्रस्तावित अवसंरचना का निर्माण ऐसा होना चाहिए जो आपदा को सहने में सक्षम हो।
  - इसके अलावा, **अग्रिम चेतावनी प्रणाली** और **आकस्मिक योजनाओं** का भी निर्माण किया जाना चाहिए।

संबंधित सुर्ख़ियां

नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल (NLP)- मरीन

- **MoPSW** ने **नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल- मरीन** का उद्घाटन किया है। यह एकल विंडो लॉजिस्टिक्स पोर्टल है। इसका उद्देश्य **लॉजिस्टिक्स को लागत को कम करके दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है।**
  - इसकी परिकल्पना **MoPSW तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** के द्वारा की गई थी।
  - NLP ई-मार्केटप्लेस के साथ जलमार्ग, सड़कमार्ग और वायुमार्ग में **परिवहन के सभी माध्यमों** को कवर करता है।

5.11. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.11.1. अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राई लैंड्स' शीर्षक से रिपोर्ट (Urban Forestry and Urban Greening In Drylands Report)

- यह रिपोर्ट **FAO के 'ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम' के फ्रेमवर्क के तहत** तैयार की गई है। यह प्रोग्राम जलवायु, स्वास्थ्य, खाद्य और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए **शुष्क भूमि वाले शहरों की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने के लिए** लॉन्च किया गया था।
  - यह प्रोग्राम FAO की **ग्रीन सिटीज पहल** में सहायता करता है। इस पहल को **वर्ष 2020 में लॉन्च** किया गया था। **ग्रीन सिटीज पहल** का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में दुनिया भर के कम-से-कम 100 शहरों में **नगरीय और परिनगरीय आबादी की आजीविका में सुधार करना और उनके जीवन को बेहतर** बनाना है।
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
  - **विश्व के लगभग 35% सबसे बड़े शहर** शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें **काहिरा, मैक्सिको सिटी और नई दिल्ली** जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। वर्तमान में अपने विस्तार के साथ ये शहर **सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक संकट के उच्च जोखिम का सामना** कर रहे हैं।
  - **सीमित मात्रा में होने वाली वर्षा तथा जलापूर्ति** शुष्क भूमि पर तेजी से हो रहे शहरीकरण के नकारात्मक प्रभावों में और वृद्धि करती हैं। इससे **सीमित संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है तथा भूमि क्षरण में वृद्धि** होती है।

- शुष्क भूमि वाले कई शहरों की योजनाओं में **शहरी वानिकी और हरियाली संबंधी रणनीतियों को अभी तक पूरी तरह से शामिल नहीं** किया गया है।

- **रिपोर्ट में की गई सिफारिशें**
  - **भू-परिदृश्य स्तर पर:** हरे-भरे स्थानों के विकास के लिए योजना बनाई जानी चाहिए और ऐसी जगहों का रखरखाव किया जाना चाहिए। साथ ही, ऐसी जगहों की हरियाली के लिए ऐसे वृक्षों व वनस्पतियों का चयन किया जाना चाहिए, जो स्थानीय पर्यावरण और शहर के परिदृश्य के अनुकूल हों।
  - **सामुदायिक स्तर पर:** सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए।
  - **सरकारी स्तर पर:** मजबूत नीतियां बनाई जानी चाहिए तथा शहरी हरियाली को संरक्षित किया जाना चाहिए।

शब्दावली को जानें

- **शुष्क भूमि (Drylands): ये ऐसे प्रदेश हैं, जहां शुष्कता सूचकांक 0.65 से अधिक नहीं होता है।** शुष्कता सूचकांक, वार्षिक वर्षा और औसत संभावित वार्षिक वाष्पन–उत्सर्जन (Evapotranspiration) का अनुपात है। शुष्क भूमि क्षेत्र, **पृथ्वी की भू–सतह के 41% हिस्से में विस्तृत** हैं। इन क्षेत्रों में लगभग 2 बिलियन लोग निवास करते हैं। इनमें से लगभग 90% आबादी विकासशील देशों **(मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया)** में निवास करती है।

5.11.2. मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में संधारणीय जलीय कृषि पहल {Sustainable Aquaculture In Mangrove Ecosystem (Saime) Initiative}

- **संधारणीय झींगा मछली पालन की नई पहल से सुंदरबन में मैंग्रोव के पुनरुद्धार की नई उम्मीद** दिखाई पड़ रही है।
- SAIME **पश्चिम बंगाल में संचालित की जा रही एक समुदाय आधारित पायलट परियोजना** है। इसके तहत किसान **झींगा पालन वाले तालाबों के आसपास मैंग्रोव के वृक्ष** लगा रहे हैं।
  - आम तौर पर, झींगा पालन के लिए मैंग्रोव वाले क्षेत्रों को साफ कर दिया जाता है।
  - संधारणीय तरीके से झींगा पालन के जरिए मैंग्रोव की बहाली की परिकल्पना **नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी (NEWS), ग्लोबल नेचर फंड और अन्य** द्वारा की जा रही है।
- मैंग्रोव पेड़ों और झाड़ियों का एक समूह है, जो तटीय अंतर ज्वारीय क्षेत्र में उगता है।
  - वे **तटीय अपरदन को रोकते हैं** और चरम मौसम की घटनाओं के दौरान **तूफानी लहरों के प्रभावों को कम करते हैं।**

5.11.3. राज्यों के मंत्रियों का प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन (1st All India Annual States' Ministers Conference)

- **"वॉटर विजन@2047" विषय पर** राज्यों के जल से संबंधित मंत्रियों का **प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन** भोपाल में आयोजित किया गया।
- **सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित पहलें शुरू की गई:**
  - **उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग** पर राष्ट्रीय रूपरेखा जारी की गई।
  - **राष्ट्रीय तलछट प्रबंधन रूपरेखा** प्रस्तुत की गई।
    - तलछट प्रबंधन **जलाशय की क्षमता के अधिकतम उपयोग को सक्षम बनाता है।** यह अनुकूलित **संरचनात्मक और कार्यात्मक** उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - **जल शक्ति अभियान के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं का शुभारंभ: कैच द रेन।**
    - 'कैच द रेन' का उद्देश्य **लोगों की सक्रिय भागीदारी से वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को बढ़ावा** देना है।
  - WRIS (भारत-जल संसाधन सूचना प्रणाली) पोर्टल के अंतर्गत **'जल इतिहास' नामक एक सब-पोर्टल** का उद्घाटन किया गया।
    - जल इतिहास **100 वर्ष से अधिक पुरानी चुनिंदा जल विरासत संरचनाओं** को प्रदर्शित करेगा।

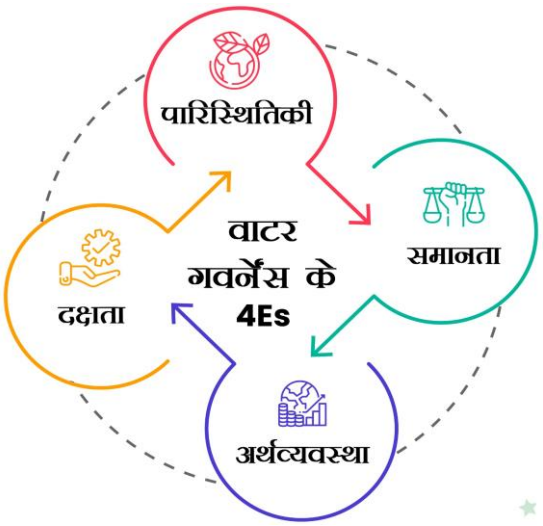

    - **WRIS पोर्टल,** जल संसाधनों से संबंधित सभी डेटा एवं मानकीकृत सूचनाओं के लिए सिंगल विंडो समाधान प्रस्तुत करता है।
  - **'वॉटर विज़न पार्क'** की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके माध्यम से जल संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वनीकरण के विचार को बढ़ावा दिया जाएगा।
  - इसके अलावा, **जल और संबद्ध संसाधन सूचना एवं प्रबंधन (WARMIS)** की प्रमुख विशेषताओं जैसे- एकीकृत डेटा रिपॉजिटरी, डेटा में इंटेलिजेंट इनसाइट आदि को रेखांकित किया गया।
- **सम्मेलन का महत्व:** यह **योजना निर्माण, प्रक्रिया और कार्यान्वयन के मामले में अलग-अलग सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के बीच तालमेल स्थापित** करेगा।
- **जल गवर्नेंस के लिए संवैधानिक प्रावधान:**
  - **राज्य सूची की प्रविष्टि 17:** जल-आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी आदि से संबंधित है।
  - **संघ सूची की प्रविष्टि 56:** अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन तथा विकास से संबंधित है।

5.11.4. नेचर रिस्क प्रोफाइल {Nature Risk Profile (NRP)}

- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और S&P ग्लोबल** ने नेचर रिस्क प्रोफाइल को लॉन्च किया है।
- NRP का उद्देश्य **वित्तीय क्षेत्रक को प्रकृति से संबंधित जोखिम को मापने और उसका समाधान करने में सक्षम** बनाना है। NRP, प्रकृति के प्रभावों और निर्भरताओं पर वैज्ञानिक रूप से मजबूत एवं कार्रवाई योग्य विश्लेषण प्रदान करके यह लक्ष्य पूरा करेगा।
  - इसकी कार्यप्रणाली **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (GBF)** पर आधारित है। इस फ्रेमवर्क को दिसंबर 2022 में अपनाया गया था।
  - GBF के अंतर्गत **सरकारों के लिए कानूनी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करने का लक्ष्य** निर्धारित किया गया है। इससे व्यवसायों को उनके जोखिमों, निर्भरताओं और जैव विविधता पर प्रभावों की नियमित रूप से निगरानी व आकलन करने तथा पारदर्शी रूप से खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित एवं सक्षम किया जा सकेगा।

5.11.5. वन्यजीव संरक्षण बॉण्ड {Wildlife Conservation Bond (WCB)}

- इसे **राइनो बॉण्ड** के नाम से भी जाना जाता है। यह पांच वर्ष की अवधि के लिए 150 मिलियन डॉलर का **सतत विकास बॉण्ड** है। इसे **दक्षिण अफ्रीका** के दो संरक्षित क्षेत्रों में **काले गैंडों की आबादी के संरक्षण और उसमें वृद्धि करने के लिए** जारी किया गया है।
- WCB एक **परिणाम-आधारित और विश्व बैंक द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया बॉण्ड** है। यह **संरक्षण गतिविधियों** के वित्त-पोषण के लिए **निजी पूंजी की व्यवस्था करता** है।
- WCB परियोजना से जुड़े जोखिम को दानकर्ताओं से निवेशकों को स्थानांतरित करता है। यह **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) से भी वित्त-पोषित है।**
  - यह **GEF** की **मिश्रित वित्त पहल (GEF's Blended Finance initiative)** का हिस्सा है। यह प्रदर्शित करती है कि वैश्विक पर्यावरणीय गिरावट से निपटने के लिए नए तरह का वित्त-पोषण किस प्रकार कारगर हो सकता है।
  - GEF की स्थापना **रियो अर्थ समिट (1992)** में की गई थी। इसे **विकासशील देशों** और बदलाव के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था वाले देशों को **पर्यावरणीय अभिसमयों और समझौतों के उद्देश्यों को पूरा** करने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था।

5.11.6. एशियाई जलपक्षी गणना {Asian Waterbird Census (AWC)}

- एशियाई जलपक्षी गणना (AWC), 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है।
- AWC एक **सिटीजन साइंस कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य **आर्द्रभूमियों और जलीय पक्षियों के संरक्षण एवं प्रबंधन** का समर्थन करना है। यह गणना **प्रतिवर्ष** आयोजित की जाती है।
  - AWC **ग्लोबल इंटरनेशनल वॉटरबर्ड सेंसस (IWC) का हिस्सा** है और यह **वेटलैंड इंटरनेशनल (WI) द्वारा समन्वित** कार्यक्रम है। इस गणना की शुरुआत **1987 में भारतीय उपमहाद्वीप** में की गई थी।

- भारत में, AWC का **समन्वय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) और वेटलैंड इंटरनेशनल संयुक्त रूप** से करते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन है।
    - BNHS, **1883 में स्थापित एक गैर-सरकारी संगठन** है। यह जैव विविधता अनुसंधान के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है।
    - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने BNHS को **वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन (SIRO) का दर्जा** दिया है।
- **AWC निम्नलिखित संरक्षण गतिविधियों/पहलों में योगदान देती है:**
    - **प्रवासी प्रजाति कन्वेंशन (CMS)** में। यह प्रवासी जीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। इसे **बॉन कन्वेंशन** भी कहा जाता है।
    - **ईस्ट एशियन-ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे पार्टनरशिप इनिशिएटिव (EAAFP) और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे (CAF) एक्शन प्लान** के कार्यान्वयन में।
        - EAAFP प्रवासी जलीय पक्षियों के संरक्षण के लिए एक **अनौपचारिक और स्वैच्छिक पहल** है।
        - CAF **आर्कटिक और हिंद महासागर के बीच स्थित यूरेशिया के क्षेत्र तथा संबंधित द्वीप समूहों को कवर** करता है। भौगोलिक रूप से यह **उत्तर, मध्य और दक्षिण एशिया के 30 देशों तथा ट्रांस-काकेशस क्षेत्र** को कवर करता है।
    - बर्डलाइफ इंटरनेशनल के **इम्पोर्टेन्ट बर्ड एरिया प्रोग्राम में।**
    - IUCN/बर्डलाइफ इंटरनेशनल के **ग्लोबल स्पीशीज कार्यक्रम** (लाल सूची) में।
    - वेटलैंड्स इंटरनेशनल के **वाटर बर्ड पापुलेशन एस्टीमेट प्रोग्राम** में।

5.11.7. सुर्ख़ियों में रही प्रजातियां (Species in News)

- **ह्वाइट टफ्टेड रॉयल तितली:** यह **तितली की एक दुर्लभ प्रजाति** है। इसे हाल ही में **कलियाड़ (केरल) में देखा** गया है।
    - इससे पहले इस प्रजाति को **अगस्त्यकूड़म और शेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य में देखा** गया था।
    - यह **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची 2** के तहत संरक्षित है।
    - लेपिडॉप्टेरा (Lepidoptera), कीटों का एक विशाल गण है। इसमें तितलियाँ और शलभ (moths) व पतंगों के अतिरिक्त बहुत से कीट आते हैं।
    - **लेपिडोप्टेरा के जीवन चक्र में चार चरण** होते हैं: अंडा, लार्वा (कैटरपिलर), प्यूपा (क्राइसालिस), और वयस्क (इमागो)।
- **ग्रेटर स्कॉप:** यह **बत्तख की एक दुर्लभ प्रजाति** है। इसे हाल ही में **90 वर्षों के बाद लोकटक झील (मणिपुर) में देखा** गया है। इसे स्थानीय रूप से **सदांगमन** कहा जाता है।
    - लोकटक झील **कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क और संगाई डांसिंग डीयर** के लिए प्रसिद्ध है।
    - ग्रेटर स्कॉप **एक प्रवासी पक्षी** है। यह व्यापक रूप से **आर्कटिक और सब-आर्कटिक क्षेत्रों** में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से **तटीय टुंड्रा पर्यावासों** में घोंसला बनाता है।
    - यह **एनाटिडे कुल** से संबंधित है।
    - IUCN स्थिति: **लीस्ट कंसर्न।**

5.11.8. नीलकुरिंजी (स्ट्रोबिलैंथेस कुंतियाना) {Neelakurinji (Strobilanthes Kunthiana)

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने **नीलकुरिंजी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची III के तहत सूचीबद्ध** किया है। इसे **'संरक्षित पादपों' की सूची में शामिल** किया गया है।
- **नीलकुरिंजी के बारे में:**
    - यह **एक झाड़ी है, जो दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के शोला वनों** में उगती है।
    - नीलकुरिंजी के फूल **प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार खिलते** हैं।
    - इस पौधे का नाम प्रसिद्ध **कुंती नदी** के नाम पर रखा गया है। यह नदी **केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क** से होकर प्रवाहित होती है। यहां प्रचुर मात्रा में नीलकुरिंजी के पौधे पाए जाते हैं।
        - मन्नार के निकट स्थित **एराविकुलम नेशनल पार्क** को नीलकुरिंजी के फूलों के बड़े पैमाने पर खिलने के लिए जाना जाता है।
    - **नीलगिरि पहाड़ियों का नाम भी कुरिन्जी के नीले रंग** से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'नीला पर्वत' है।

5.11.9. रामसेतु (Ram Setu)

- रामसेतु को **आदम का पुल (Adam's bridge) भी कहा** जाता है। यह **तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर पांबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप** के बीच उथले समुद्र में चूना पत्थर की एक श्रृंखला है।
  - हाल ही में, **तमिलनाडु विधानसभा ने एक संकल्प पारित कर केंद्र से सेतुसमुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट (SSCP) पर फिर से कार्य शुरू करने का आग्रह** किया है।
- **सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना (SSCP)** के क्रियान्वयन को देखते हुए 'राम सेतु' को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग की गई है। इस परियोजना के तहत भारत और श्रीलंका के बीच **पाक जलडमरूमध्य** में जहाजों की आवाजाही के लिए एक पोत परिवहन मार्ग के निर्माण की योजना बनाई गई है।
  - **इसमें दो चैनल (मार्ग) प्रस्तावित हैं:**
    1. 'आदम के पुल' के आर-पार और
    2. 'पाक खाड़ी' (Palk Bay) से होकर।
  - **सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2007 में इस परियोजना के काम पर रोक** लगा दी थी। केंद्र सरकार भी **राम सेतु को नुकसान पहुंचाए बिना SSCP के लिए एक अन्य मार्ग तलाशने** की इच्छुक है।

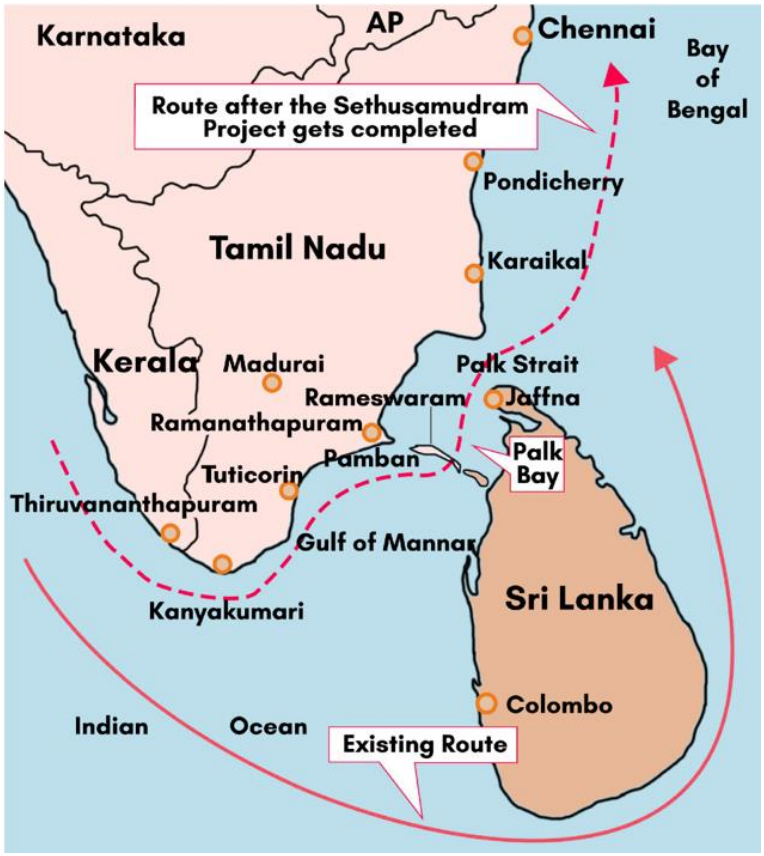

- **SSCP का महत्त्व:**
  - भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच **नौवहन की दूरी को कम करेगी।**
  - भारतीय तट रक्षकों और नौसैनिक जहाजों के लिए नौवहन में सुधार करके **राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत** करेगी।
- **SSCP से जुड़ी चिंताएं:**
  - यह **बंगाल की खाड़ी और 'पाक खाड़ी' के अधिक उथले तथा अधिक शांत जल** के बीच स्थित प्राकृतिक अवरोध को नष्ट कर देगी।
  - नौवहन यातायात की वजह से **तेल और समुद्री प्रदूषण** इस क्षेत्र के पारिस्थितिक-तंत्र को प्रभावित करेगा।
  - रामसेतु से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है।
  - यह मन्नार की खाड़ी की **मूंगा चट्टानों (कोरल रीफ) के लिए भी खतरा** पैदा करेगी।

5.11.10. मनरो तुरुतु द्वीप (Munroe Thuruthu Island)

- **नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज (NCESS)** ने इस द्वीप से संबंधित एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन से यह पता चला है कि **इस द्वीप के डूबने** का मुख्य कारण मानवजनित हस्तक्षेप है।
  - पिछले दो दशकों में इस द्वीप का लगभग 39% भूमि क्षेत्र नष्ट हो गया है।
  - यह द्वीप **केरल में अष्टमुडी झील और कल्लड़ा नदी के संगम** पर अवस्थित है।
  - **कल्लड़ा सिंचाई परियोजना के तहत तेनमाला बांध के निर्माण** के साथ ही इस द्वीप का भू-धसाव शुरू हो गया था।
- **प्रस्तावित सुधार उपाय:**
  - रिवर्स लैंडस्केपिंग,
  - अष्टमुडी झील और कल्लड़ा नदी में रेत खनन को विनियमित करना, तथा
  - **भवनों की निर्माण पद्धति में सुधार** करना आदि।

5.11.11. डार्क स्काई रिज़र्व (Dark Sky Reserve)

- ताल कावेरी **दक्षिण भारत के हनले** के रूप में उभरा है। ताल कावेरी **कर्नाटक के कोडागू जिले** में अवस्थित है।
    - हनले (लद्दाख में) भारत का **पहला डार्क स्काई रिज़र्व** है।
- डार्क स्काई रिज़र्व एक सार्वजनिक या निजी भूमि को दिया गया पदनाम है। इन्हें इनकी **तारों वाली रातों की असाधारण या विशिष्ट गुणवत्ता तथा रात्रिकालीन वातावरण** के कारण यह पदनाम दिया जाता है।
- इस कारण विशेष रूप से इनके वैज्ञानिक, प्राकृतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं विरासत और/या लोक आनंद संबंधी महत्व के लिए इनका संरक्षण किया जाता है।

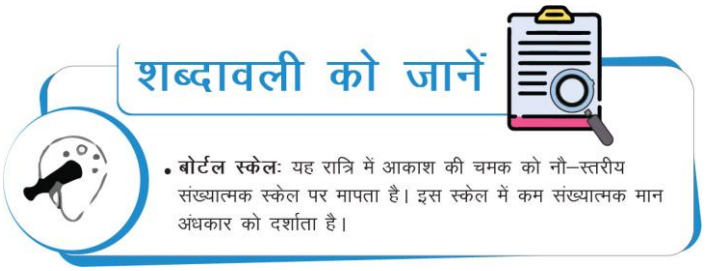

- डार्क स्काई स्थल की अवस्थिति **प्रकाश प्रदूषण पर निर्भर** करती है। प्रकाश प्रदूषण को **बोर्टल स्केल पर मापा** जाता है।

5.11.12. भूजल में यूरेनियम संदूषण (Uranium Contamination In Groundwater)

- केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक हालिया रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि 12 राज्यों के भूजल में यूरेनियम का स्तर **स्वीकार्य सीमा से अधिक है।**
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित **सुरक्षित स्तर 30 भाग प्रति बिलियन (PPB)** है।
- इस समस्या से **पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित** है। इसके बाद **हरियाणा** का स्थान है।
- **यूरेनियम संदूषण के कारण:**
    - जलभृत शैलों में **प्राकृतिक यूरेनियम की कुछ मात्रा का पाया जाना,**
    - भूजल का अत्यधिक दोहन,
    - यूरेनियम को स्रोत चट्टानों से बाहर निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाले बाइकार्बोनेट आदि।
- **यूरेनियम संदूषण के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव:** गुर्दे के कार्य में बाधा और गुर्दे संबंधी रोग, अस्थियों में विषाक्तता आदि।

5.11.13. सुर्ख़ियों में रही झीलें (Lakes In News)

- **विक्टोरिया झील:**
    - दिल्ली स्थित एक गैर-लाभकारी विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने **तंजानिया में विक्टोरिया झील के जल की गुणवत्ता के प्रबंधन पर एक रिपोर्ट जारी** की है।
    - इस झील को **'विक्टोरिया न्यानज़ा'** भी कहा जाता है।
    - **विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील** है। साथ ही, यह **नील नदी** का प्रमुख उद्गम स्रोत भी है।
    - इसका प्रसार तीन देशों- **तंजानिया, युगांडा और केन्या** में है।
    - यह दुनिया की **ताज़ा जल की प्रमुख झीलों** में से एक है। यह आकार में **उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील** से बड़ी है।
    - **झील के समक्ष प्रमुख खतरे:** वनों की कटाई, आर्द्रभूमि का क्षरण, शहरी क्षेत्रों से अपशिष्ट जल का प्रवेश आदि।
- **चाड झील:**
    - एक हालिया रिपोर्ट ने रेखांकित किया है कि **जलवायु परिवर्तन चाड झील बेसिन में संघर्ष को बढ़ावा** दे रहा है।
    - यह **पश्चिम-मध्य अफ्रीका के साहेलियन क्षेत्र में स्थित ताजे जल की झील** है। यह झील **चाड, कैमरून, नाइजीरिया व नाइजर के संगम बिंदु** पर अवस्थित है।

5.11.14. हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी (Hawaii's Kilauea Volcano)

- हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ है।
- किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित एक **सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है। इससे कम गाढ़ेपन वाले मैग्मा का उद्गार होता है, इसलिए इसकी ढाल कम तीव्र होती है।**

- हवाई (संयुक्त राज्य अमेरिका) **मध्य प्रशांत महासागर में 8 ज्वालामुखीय द्वीपों का एक समूह** है। यह द्वीप **पश्चिम में क्योर द्वीप से लेकर पूर्व में हवाई तक अर्धचन्द्राकार क्षेत्र** में फैला हुआ है।
    - **हवाई द्वीप के 51% भूभाग पर** ज्वालामुखी हैं।

5.11.15. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का "मानक और लेबलिंग कार्यक्रम" {Standards And Labeling Program (SLP) Of Bureau Of Energy Efficiency (BEE)}

- **छत के पंखों** को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की **अनिवार्य स्टार लेबलिंग के दायरे में शामिल कर लिया गया है।**
- मानक और लेबलिंग कार्यक्रम को **2006** में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत शुरू किया गया था।
- इसके तहत, **उपकरण की दक्षता को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाने** के लिए उन पर एक स्टार रेटिंग दर्शाने की शुरुआत की गई थी।
    - **उच्चतम स्टार लेबलिंग वाले उपकरण सबसे कम ऊर्जा खपत करते हैं** और निम्नतम स्टार लेबलिंग वाले उपकरण सबसे अधिक ऊर्जा खपत करते हैं।
    - **वर्तमान में यह निम्नलिखित उपकरणों के लिए अनिवार्य है:**
        - फ्रॉस्ट फ्री और डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर,
        - एल.ई.डी. लैंप,
        - रूम एयर कंडीशनर (वेरिएबल और फिक्स्ड स्पीड),
        - कलर टी.वी.,
        - रेफ्रिजरेटर,
        - ट्यूबलर फ्लोरेसेंट लैंप (TFL),
        - स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर आदि।

5.11.16. वर्चुअल पॉवर प्लांट्स {Virtual Power Plants (VPPS)}

- VPPs के उपयोग को बढ़ाने के लिए **जी.एम., फोर्ड, गूगल सहित अन्य कंपनियां मिलकर मानक स्थापित** करने पर काम करेंगी।
- VPP **विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन इकाइयों** का एक नेटवर्क है। यह नेटवर्क **हजारों ऊर्जा संसाधनों** जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) या इलेक्ट्रिक हीटर्स को एक साथ ला सकता है।
    - VPP में **विद्युत की कमी से निपटने के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर का उपयोग** किया जाता है। उदाहरण के लिए- **घरों की बैटरी को चार्ज से डिस्चार्ज मोड में स्विच करने** या विद्युत का उपयोग करने वाले उपकरणों को उनकी खपत को कम करने के लिए डिजाईन करना।
- VPP से ग्रिड योजनाकार **विद्युत की बढ़ती मांग को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम** हो पाएंगे। साथ ही, इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि **चरम मौसमी दशाओं** और **पुराने बुनियादी ढांचे के बावजूद ग्रिड की विश्वसनीयता** कायम रहे।

5.11.17. विद्युत क्षेत्रक के लिए आपदा प्रबंधन योजना {Disaster Management Plan (DMP) For Power Sector}

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत क्षेत्रक के लिए आपदा प्रबंधन योजना (DMP) जारी की है।
- DMP विद्युत क्षेत्रक में **उपयोगिताओं (यूटिलिटीज) के लिए एक फ्रेमवर्क** उपलब्ध करवाती है। यह फ्रेमवर्क **आपदा शमन, तैयारी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और रिकवरी** प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक **अग्र-सक्रिय तथा एकीकृत दृष्टिकोण विकसित** करने पर केंद्रित होता है।
    - विद्युत क्षेत्रक की वृद्धि सीधे तौर पर देश की आर्थिक संवृद्धि से संबंधित है। इस कारण आपदा के परिणामस्वरूप उत्पन्न कोई भी बाधा मानव जाति के लिए गंभीर कठिनाई पैदा करती है।

- **आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005 की धारा 37** के तहत भारत सरकार के प्रत्येक **मंत्रालय/विभाग** को आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना आवश्यक है।
    - DMP **आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) से संबंधित सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप** है। साथ ही यह **COP21 और DRR के लिए प्रधान मंत्री के दस सूत्रीय एजेंडे** के भी संगत है।
- **आपदा प्रबंधन योजना (DMP) की प्रमुख विशेषताएं:**
    - आपदा/विपदा की गंभीरता के आधार पर हस्तक्षेप और कार्रवाई करने के लिए **केंद्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर एक चार स्तरीय संरचना** का निर्माण किया जाना चाहिए।
    - विद्युत उत्पादन स्टेशनों, पारेषण वितरण जैसी **विद्युत अवसंरचनाओं के जोखिमों का आकलन** किया जाएगा। इसका उद्देश्य मात्रात्मक जोखिम का पता लगाना है।
    - हालांकि, **जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अनिश्चितता को टाला नहीं जा सकता** है, फिर भी विद्युत उपयोगिताएं **अलग-अलग जलवायु परिदृश्यों और परिसंपत्तियों पर पड़ने वाले इनके संभावित प्रभावों का आकलन करके जोखिमों का प्रबंधन** कर सकती हैं।
    - आपातकालीन स्थितियों और आपदाओं के समय **सोशल मीडिया का संगठन के स्तर पर उपयोग** किया जाना चाहिए। इसके द्वारा बेहतर तरीके से **सूचना का प्रसार व आपात संचार किया जा सकता है और चेतावनी जारी** की जा सकती है।

5.11.18. ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन {Global Overturning Circulation (Goc)}

- GOC, **ठंडे व गहरे जल के भूमध्यरेखा की ओर प्रवाह तथा गर्म व निकट-सतही जल के ध्रुव की ओर प्रवाह** को कहा जाता है।
    - यह अलग-अलग महासागरीय बेसिनों के मध्य तथा महासागर व वायुमंडल के बीच **कार्बन और ऊष्मा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है।**
- GOC, **आपस में जुड़ी हुई निम्नलिखित दो ओवरटर्निंग सेल्स (Overturning cells)** की एक प्रणाली है।
    - **अपर सेल:** यह **नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर (NADW)** के निर्माण और इसके उथले वापसी प्रवाह से संबंधित है। इस वापसी प्रवाह से **अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन** (AMOC) का सृजन होता है।
    - **लोअर सेल:** यह **अंटार्कटिक बॉटम वाटर (AABW) के निर्माण और पैसिफिक डीप वाटर (PDW) के रूप में इसके वापसी प्रवाह** से जुड़ा हुआ है। लोअर सेल को सदर्न ओशन मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के रूप में भी जाना जाता है।
- अध्ययनों से यह पता चला है कि मायोसीन काल के उत्तरार्ध से **महासागरीय प्रवेशद्वारों में विवर्तनिक रूप से संचालित परिवर्तनों ने GOC को प्रभावित** किया था। **मध्य अमेरिकी समुद्री मार्ग (CAS) का बंद होना, एक ऐसा ही परिवर्तन था।**
    - **CAS एक जल निकाय है, जो कभी उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता था।**
- अब, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने अपने अध्ययन में **हिंद महासागर के डीप वाटर सर्कुलेशन से संबंधित रिकॉर्ड को फिर से निर्मित** किया है। साथ ही, उस **सिद्धांत के समर्थन** में साक्ष्यों को भी प्रस्तुत किया है, जिनके अनुसार **CAS के बंद होने से GOC के आधुनिक स्वरूप का विकास** हुआ है।
    - **हिंद महासागर** की अपनी कोई **बड़ी डीप वाटर संरचना नहीं है।** यह केवल **GOC के दोनों घटकों के लिए एक मेजबान के रूप में कार्य** करता है।

5.11.19. महाराष्ट्र में एक अलग प्रकार का पठार खोजा गया (New Plateau Type Discovered From Maharashtra)

- **पश्चिमी घाट के ठाणे क्षेत्र में एक दुर्लभ कम-ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार** की खोज की गई है। पश्चिमी घाट एक **वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है और भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल** भी है।
    - यह इस **क्षेत्र में अब तक खोजा जाने वाला चौथे प्रकार का पठार है।** पूर्व में प्राप्त तीन पठार प्रकारों में उच्च और निम्न ऊंचाई वाले लेटराइट्स तथा उच्च ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार हैं।
    - यहां से 24 अलग-अलग कुलों के **पादप और झाड़ियों की 76 प्रजातियां** पाई गई हैं।
- पठार, **पश्चिमी घाट में प्रमुख भू-परिदृश्य** हैं। इन्हें **एक प्रकार के रॉकी आउटक्रॉप (Rocky outcrop) के रूप में वर्गीकृत** किया गया है।
    - **रॉकी आउटक्रॉप्स भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं,** जो आसपास की **भूमि की सतह से ऊपर की ओर उभरी** हुई होती हैं।

- इनका निर्माण **अपक्षय की प्रक्रिया** के माध्यम से होता है। **अपक्षय अलग-अलग स्तरों पर होता है,** जिन चट्टानों का कम अपक्षय होता है वे उभरी हुई प्रतीत होती हैं।
- ये संरचनाएं **सभी महाद्वीपों पर पाई जाती** हैं। इन्हें अधिकतर **जलवायु क्षेत्रों और वनस्पति प्रकारों** में देखा जा सकता है।

- **रॉकी आउटक्रॉप्स का महत्व:**
  - इनमें **प्रजातियों की अधिक विविधता और स्थानिकता (Endemism)** देखी जाती है।
  - यहां **मौसमी आधार पर जल उपलब्ध होता है तथा मृदा और पोषक तत्व सीमित** होते हैं। ये विशेषताएं इस क्षेत्र को **प्रजातियों के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए आदर्श स्थल** बनाती हैं।
  - ये क्षेत्र **शीर्ष क्रम के कई स्तनधारियों और शिकारी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन** स्थल हैं। ये कॉलोनियल प्रजातियों जैसे कि समुद्री पक्षी, चमगादड़, स्विफ्ट आदि के लिए **नेस्टिंग स्थल** भी हैं।

शब्दावली को जानें

- **बेसाल्ट:** यह एक **आग्नेय शैल** है। इसका निर्माण मैग्नीशियम और आयरन से समृद्ध **लावा के शीघ्र ठंडा होने से** होता है। इसकी बहुत महीन दाने वाली संरचना होती है। इसका उदाहरण, दक्कन का पठार है। ये शैलें **फास्फोरस (P), पोटेशियम (K), कैल्शियम (Ca)** और पादपों के पोषण के लिए **आवश्यक कई सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्रोत भी हैं।**

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थान {Foreign Higher Educational Institutions (FHEIs) in India}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)**[88] ने विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में अपने परिसरों (कैंपस) की स्थापना के लिए **मसौदा विनियम जारी** किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** के अनुरूप **UGC {भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) के परिसरों की स्थापना और संचालन} मसौदा विनियमन, 2023** जारी किए हैं।
- इन विनियमों के जरिए भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के प्रवेश और संचालन को विनियमित किया जाएगा। इनकी मदद से सभी विषयों में उच्चतर शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

वर्तमान में वैश्विक शिक्षा इकोसिस्टम के साथ भारत की अंतर्क्रिया

भारत से विश्व तक

- **विदेशों में अध्ययनरत भारतीय छात्र:** शिक्षा मंत्रालय (MoE) के अनुसार, 2022 में **6.5 लाख से अधिक** भारतीय छात्र उच्चतर शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश गए थे।
- अधिकांश भारतीय छात्रों ने डिग्री पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए **कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को प्राथमिकता दी है।**

विश्व से भारत तक

- **ब्रांड इंडिया:** भारत **"इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी"** ब्रांड नाम के साथ **IITs के विदेशी परिचालन** को बढ़ावा दे रहा है।
- **स्टडी इन इंडिया (SII):** यह **अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रमुख भारतीय संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित** करने हेतु MoE की एक प्रमुख परियोजना है।

सहयोग

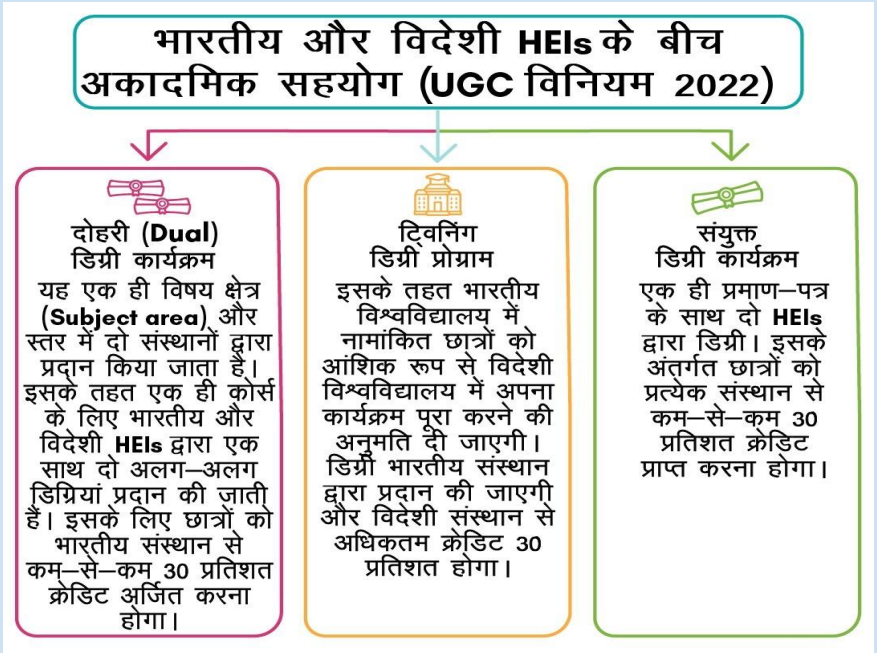

[88] University Grants Commission

भारत में FHEIs का महत्त्व

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि:** NEP 2020 का लक्ष्य 2030 तक उच्चतर शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात (GER)[89] हासिल करना है। वर्तमान में यह दर 27% है। विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान इस अंतर को समाप्त करने में मदद करेंगे।
- **प्रतिभा पलायन पर नियंत्रण:** भारत में FHEIs भारतीय छात्रों को भारत में ही अध्ययन और शोध करने के अवसर प्रदान करेंगे। इससे प्रतिभा पलायन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
- **विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह में कमी:** वित्त वर्ष 2021-2022 में विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में लगभग 5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।
    - पर्याप्त भौतिक अवसंरचना के साथ भारत में परिसर स्थापित करने की FHEIs की इच्छा के परिणामस्वरूप इस बहिर्वाह पर अंकुश लगेगा।
- **अनुसंधान के अवसर:** भारत में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन और अलग-अलग विश्वविद्यालयों के बीच फैकल्टी से फैकल्टी अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- **भारतीय HEIs में सुधार:** उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से भारतीय संस्थानों की गुणवत्ता और वैश्विक स्थिति में सुधार होगा।
    - **ध्यातव्य है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में केवल 8 भारतीय विश्वविद्यालयों ने ही शीर्ष 400 में जगह बनाई है।**
- **भारत उच्चतर शिक्षा के केंद्र के रूप में:** इसकी मदद से भारत दुनिया के अलग-अलग भागों से छात्रों को आकर्षित करेगा। इससे विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह के रूप में मौद्रिक लाभ प्राप्त होंगे तथा भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति को बढ़ावा मिलेगा।
- **संबद्ध इकोसिस्टम की स्थापना:** अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आगमन से संबद्ध उद्योगों जैसे किराये के आवास, रेस्तरां, अंशकालिक नौकरी के अवसर, गिग इकॉनमी आदि को बढ़ावा मिलेगा।
    - सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले FHEIs में इस तरह की साझेदारी पर बल देने से **उद्योग-अकादमिक संबंध महत्वपूर्ण रूप से मजबूत होंगे।**

FHEIs से जुड़ी चिंताएं

- **उच्चतर शिक्षा का वस्तुकरण:** विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से एक लाभ कमाने वाली विचारधारा की ओर एक सांस्कृतिक संक्रमण हो सकता है। इस प्रकार, शिक्षा को केवल निवेश पर प्रतिफल के दृष्टिकोण से महत्त्व दिए जाने की भावना प्रबल हो सकती है।
- **सीखने की उच्च लागत के कारण कमजोर वर्गों का प्रवेश कठिन होगा:** FHEIs में आरक्षण और कोटा-आधारित छात्रवृत्ति के अभाव में, कोटा लाभ लेने के इच्छुक छात्र राज्य-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों तक ही सीमित रह जाएंगे।
    - नतीजन, बेहतर वित्तीय संसाधनों वाले छात्र FHEIs में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उनके पास उच्च रोजगार क्षमता होगी। वहीं दूसरी तरफ वंचित छात्रों के अनुपात में इस संबंध में कमी आएगी।
- **मानव और अन्य संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा:** FHEIs और भारतीय HEIs के बीच शिक्षकों, शोधकर्ताओं, तकनीशियनों तथा भूमि जैसे अन्य संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा होगी। इससे अल्पावधि में, कुछ भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों की संख्या में कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- **भाषा संबंधी बाधाएं:** FHEIs द्वारा शिक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में प्रदान की जाएगी। इससे अंग्रेजी शिक्षा की संभावनाओं में बढ़ोतरी होगी। यह भाषा-समावेशी उच्चतर शिक्षा के लिए नुकसानदायक होगा।
- भारत से **अर्जित लाभ** का उनके घरेलू देशों में विप्रेषण एक चिंता का विषय है। वर्तमान में, FHEIs भारत को छात्रों की सोर्सिंग के लिए एक बाजार के रूप में देखता है।

---

[89] Gross Enrolment Ratio

- **पश्चिमी प्रभाव:** पश्चिमी देश भारत के शिक्षा क्षेत्रक को उनके हितों या मूल्यों के अनुरूप आकार प्रदान कर सकते हैं। इससे सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में कमी आ सकती है।

आगे की राह

- **भारतीय विश्वविद्यालयों और FHEIs के बीच सहयोगात्मक संरचना का निर्माण:** इसके जरिये यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दोनों तरह के संस्थान आपस में प्रतिस्पर्धा करने की बजाय अनुसंधान, उद्योग संबद्धता या शैक्षणिक प्रतियोगिताओं आदि के मामले में एक-दूसरे के लिए पूरक के रूप में कार्य करें।
  - आपसी सहयोग अंतर-सांस्कृतिक व बहु-अनुशासनिक अधिगम को बढ़ा सकता है। साथ ही, भारतीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकता है।
- **भारतीय संस्थानों के बीच सहयोग:** कई भारतीय संस्थान प्रभावी संसाधन प्रबंधन, बेहतर अनुसंधान संभावनाओं, वित्तीय कौशल आदि के लिए आपस में सहयोग का एक नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं।
  - इस तरह का सहयोग अन्य देशों में देखा जा सकता है, जैसे अमेरिका में आइवी लीग, यूनाइटेड किंगडम में रसेल ग्रुप, चीन में C9 लीग इत्यादि।
- **भारतीय HEIs के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता:** शीर्ष पायदान पर विद्यमान भारतीय संस्थान अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करके स्वयं को विविधता प्रदान कर सकते हैं।
- **कमजोर वर्गों को सरकारी सहायता:** सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए, सरकार पिछड़े वर्गों और हाशिए पर रहे वर्गों के छात्रों को FHEIs के भारतीय परिसरों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर सकती है।
- **FHEIs की भागीदारी के लिए विनियामक इकोसिस्टम को सुव्यवस्थित करना:** शिक्षाविदों, भू-स्वामित्व, कराधान और फैकल्टी भर्ती के संबंध में विनियामक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। इससे भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए भी समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए।
  - प्रस्तावित **भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI)**[90] को भारतीय और विदेशी HEIs पर मानकों एवं समान दिशा-निर्देशों के निर्धारण के लिए वैधानिक जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।
  - विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन के लिए **राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC)**[91] **के बेंचमार्क** को उन FHEIs तक विस्तारित किया जा सकता है, जो भारत में अपने परिसर स्थापित कर रहे हैं।

संबंधित सुर्खियां

NAAC ने विश्वविद्यालयों, स्वायत्त महाविद्यालयों तक पहुंच स्थापित करने के लिए नए मानदंड जारी किए हैं

- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) ने विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों के लिए निर्धारित **मानदंडों** को जारी किया है।
  - NAAC को **1994 में UGC** के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में **स्थापित** किया गया था। इसका मुख्यालय **बेंगलुरु, कर्नाटक** में स्थित है।
  - NAAC का कार्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) के कामकाज के एक अभिन्न अंग के रूप में **गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित** करना है।
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों को **तीन श्रेणियों नामत:** विश्वविद्यालयों, स्वायत्त महाविद्यालयों और संबद्ध/संघटक महाविद्यालयों में बांटा गया है।

[90] Higher Education Commission of India

[91] National Assessment and Accreditation Council

उच्चतर शिक्षा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे "वीकली फोकस" डॉक्यूमेंट का संदर्भ ले सकते हैं।

भारत में उच्चतर शिक्षा: हमारे भविष्य की आधारशिला

पूरे इतिहास में, विश्वविद्यालयों ने व्यक्तियों के साथ-साथ सामान्य रूप से समाज के लिए बहुत सारे लाभ प्रदान किए हैं। 21वीं सदी में, जैसे-जैसे नई खोजें निरंतर तकनीकी नवाचार के साथ जुड़ रही हैं, उच्चतर शिक्षा कभी भी व्यक्ति और समाज के लिए अधिक लाभकारी नहीं रही है। लेकिन जैसा कि हाल के कई अध्ययनों से पता चला है कि भारतीय उच्चतर शिक्षा की समग्र स्थिति निराशाजनक है और इसलिए योग्य कार्यबल की आपूर्ति पर एक गंभीर बाधा है। यह डॉक्यूमेंट इस मुद्दे में गहन विश्लेषण करता है और NEP-2020 के मौलिक सिद्धांतों, दृष्टि और लक्ष्यों को लागू करने के तरीके और साधन सुझाता है ताकि भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार हो सके।

6.2. राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (National Digital University: NDU)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत परिकल्पित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (NDU) की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

समर्थ पोर्टल

- यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। वर्ष 2019 में **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन[92] योजना** के तहत प्रोजेक्ट समर्थ को शुरू किया गया था।
- यह प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है। साथ ही, **उच्चतर शिक्षण संस्थानों** को एक सहज तरीके से शिक्षा सेवाओं की योजना, प्रबंधन, वितरण और निगरानी के लिए एक **डिजिटल फ्रेमवर्क को तैयार करने** की अनुमति देता है।

NDU क्या है और इसकी रूपरेखा क्या है?

NDU एक विश्वविद्यालय है। इसे ऑनलाइन उच्चतर शिक्षा कोर्स प्रदान करने के लिए अलग-अलग उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs)[93] को एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

NDU की निम्नलिखित रूपरेखा है:

- **ऑनलाइन पाठ्यक्रम:** विश्वविद्यालय अपने भागीदार संस्थानों (निजी और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों दोनों) के माध्यम से **विशेष रूप से ऑनलाइन कोर्स** प्रदान करेगा।
- **कार्यात्मक मॉडल:** NDU एक **हब-एंड-स्पोक मॉडल** के तहत कार्य करेगा। इन पाठ्यक्रमों को छात्रों के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म- **स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पाइरिंग माइंड्स (स्वयं/ SWAYAM)** पोर्टल के माध्यम से सुलभ बनाया जाएगा।
  - आई.टी. और प्रशासनिक सेवाएं सरकार के **समर्थ पोर्टल** के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।
- **पाठ्यक्रमों का प्रकार:** छात्र प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स के विकल्प का चयन कर सकते हैं।
  - **पाठ्यक्रम को डिजाइन करने की स्वायत्तता:** छात्रों को

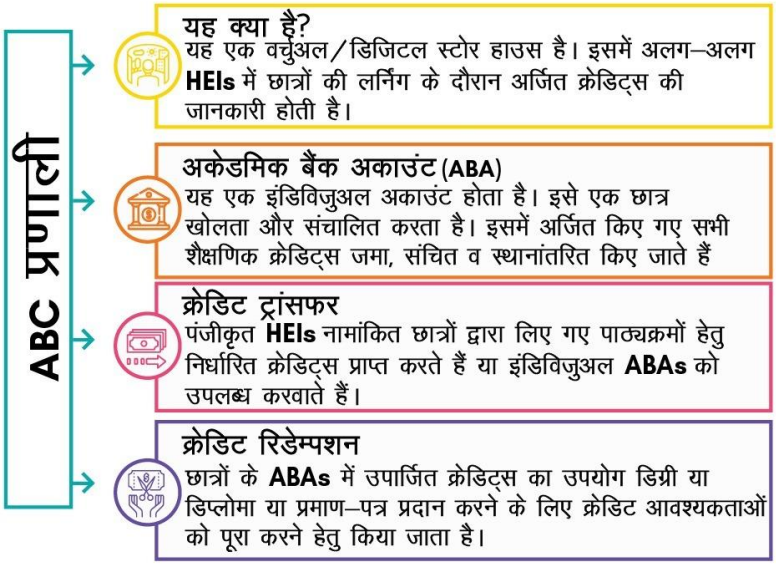

[92] National Mission on Education through Information and Communication Technology, NMEICT-II

[93] Higher Educational Institutions

अलग-अलग उच्चतर शिक्षण संस्थानों से कई कोर्सों के लिए साइन अप करने और अपने स्वयं के कोर्स को डिजाइन करने की स्वतंत्रता होगी।
    - **क्रेडिट आधारित विश्वविद्यालय की डिग्री:** कोर्स एक निश्चित संख्या में क्रेडिट्स रखेंगे और छात्र क्रेडिट्स का 50% जमा करने पर किसी भी विशेष संस्थान से डिग्री के लिए पात्र होंगे।
    - **NDU की डिग्री:** यदि कोई छात्र कई संस्थानों से क्रेडिट्स अर्जित करता है और क्रेडिट्स सीमा को पार करता है, डिग्री NDU द्वारा दी जाएगी।
- **सीटों की संख्या:** उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सीटों की सीमित संख्या की समस्या को हल करते हुए प्रत्येक कोर्स के लिए **असीमित संख्या में सीटें होंगी।**
- **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) प्रणाली:** मानकीकृत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) प्रणाली की स्थापना UGC ने की है। इसका उपयोग NDU अकादमिक गतिशीलता की सुविधा के लिए किया जाएगा।

NDU का महत्त्व

- **कौशल आवश्यकताओं की पूर्ति:** यह तेजी से विकसित हो रहे और गतिशील उद्योग परिदृश्य में **कौशल उन्नयन** की निरंतर आवश्यकता की पूर्ति करेगी।
    - **राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, 2015** की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि **भारत में कुल कार्यबल के केवल 4.7% ने ही औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त** किया है।
- **उच्चतर शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी:** यह उच्चतर शिक्षा परिवेश में **सीटों तक सीमित पहुंच की समस्या को हल करेगी।**
- **शिक्षा की पूर्णता: एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्पों** के कारण उच्चतर शिक्षा को पूरा करने में लचीलापन प्रदान करेगी।
    - वर्तमान में, डिजिटल मोड में **नामांकन और शिक्षा को पूरा करने में अंतराल** विद्यमान है। उदाहरण के लिए- स्वयं (SWAYAM) कोर्सेज में नामांकित छात्रों में से 4% से भी कम छात्रों ने अपने पाठ्यक्रम पूरे किए हैं।
- **नियोजनीयता में वृद्धि:** यह स्कूल पास-आउट और कामकाजी पेशेवरों को उन्नत पेशेवर विकास के लिए आधुनिक औद्योगिक मांग को पूरा करने वाले **बहु-अनुशासनात्मक करियर** को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
    - 2021 इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में **केवल 45.9% कॉलेज स्नातकों को ही नियोजन योग्य माना** गया है।
- **सामाजिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण:** NDU का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल और कल्याणकारी पहलों जैसे आशा कार्यकर्ताओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने तथा कमजोर वर्गों की वित्तीय साक्षरता के लिए भी किया जा सकता है।

NDU से संबंधित चुनौतियां

- **कोर्स की विश्वसनीयता पर चिंताएं:** इस कार्यक्रम की विश्वसनीयता और इसकी उपयोगिता से कई चिंताएं जुड़ी हुई हैं। इसका कारण यह है कि कोर्स को छात्रों द्वारा स्वतंत्र रूप से डिजाइन किया जा सकता है।
    - इस बात पर अस्पष्टता है कि क्या **उद्योग** पारंपरिक डिग्री कार्यक्रमों और डिजिटल डिग्री कार्यक्रमों के बीच **समानता को मान्यता देंगे अथवा नहीं।**
- **मानकीकृत मूल्यांकन में कठिनाइयां:** मानकीकृत मूल्यांकन के तरीकों के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्रों और अलग-अलग कोर्स के संयोजन के लिए मानकीकृत मूल्यांकन कैसे किया जाएगा।
- **शिक्षा की गुणवत्ता में संभावित समझौता:** असीमित संख्या में सीटों की अवधारणा ने शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है।
- **व्यावहारिक कौशल विकास की कमी:** शिक्षक एक भौतिक संस्थान के परिवेश की अनुपस्थिति में अनुभवों और कौशल की कमी के बारे में भी चिंतित हैं। उदाहरण के लिए- अपने साथी छात्रों और प्रोफेसरों के साथ वार्ता करना व अकादमिक चर्चा करना तथा महत्वपूर्ण तर्क जैसे कौशल प्राप्त करना।
    - ऑनलाइन लर्निंग मोड में अलग-अलग कोर्सेज के लिए **व्यावहारिक शिक्षण और प्रशिक्षण संभव नहीं है।**
- **डिजिटल विभाजन:** ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों के बीच डिजिटल अवसंरचना में अंतराल एक बड़ी चुनौती है, जो पहुंच की समस्याएं पैदा करेगी।

आगे की राह

- **NDU में उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करने** से उच्च नियोजनीयता और कौशल मान्यता सुनिश्चित करने के लिए क्यूरेटेड बहु-अनुशासनात्मक कोर्स तैयार करने में मदद मिल सकती है। यह **सीधे कोर्सेज के मूल्य और उपयोगिता को प्रमाणित करेगा।**
- **सहपाठी के साथ सीखने के लिए समूहों** का गठन किया जा सकता है, जो छात्रों के बीच प्रतिक्रिया और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे। यह उनके सीखने के अनुभव और व्यावहारिक कौशल के विकास को बढ़ाएगा।

- डिजिटल अवसंरचना के अंतराल को भरने के लिए **डिजिटल इंडिया पहल** का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया जा सकता है, ताकि कमजोर वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच पहुंच एवं सामर्थ्य को सक्षम किया जा सके।
    - सरकारें समाज के कमजोर वर्गों को **वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता** (जैसे लैपटॉप, मोबाइल उपकरणों तक पहुंच आदि) प्रदान कर सकती हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और वर्चुअल रियलिटी (VR)/ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) के माध्यम से उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा, **पर्सनलाइज्ड शिक्षा** को बढ़ावा देने के लिए शुरुआती चरणों में **शिक्षा प्रौद्योगिकी (Edtech) प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग** को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- छात्रों व परामर्शदाताओं/ फैकल्टी/ पेशेवरों के बीच **संचार नेटवर्क और जुड़ाव तंत्र** स्थापित किया जाना चाहिए। यह कोर्स को पूरा करने की दर में सुधार करेगा और ऑफ़लाइन मोड का बहुत हद तक अनुकरण करेगा।

संबंधित सुर्ख़ियां

परख/ PARAKH

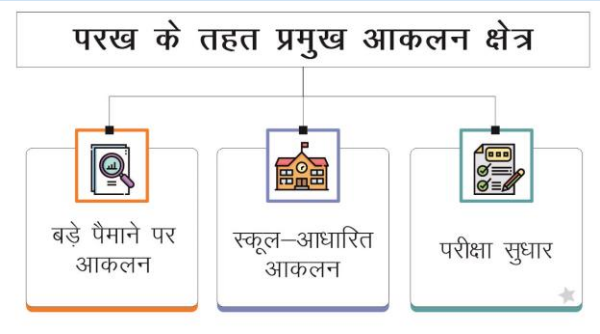

- राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने **भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन विनियामक, परख** (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) को अधिसूचित किया है।
    - **परख:** समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development) ।
    - शैक्षिक परीक्षण सेवा (ETS)[94] ने परख को स्थापित करने के लिए बोली में जीत हासिल की है। ETS, 180 से अधिक देशों में TOEFL, TOEIC, GRE और PISA जैसी अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं का संचालन करती है ।
- परख को **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में** शुरू किया गया है।
- **परख निम्नलिखित कार्य करेगा**
    - यह देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए **छात्र मूल्यांकन और आकलन हेतु मानदंड, मानक व दिशा-निर्देश निर्धारित** करने का कार्य करता है।
    - ये मूल्यांकन दिशा-निर्देश अलग-अलग राज्य बोर्डों में नामांकित **छात्रों के अंकों में असमानताओं को दूर** करने में मदद करेंगे।
- परख **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS)[95] और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण (SAS)[96] सहित बड़े पैमाने पर मूल्यांकन करने तथा देश में सीखने के परिणामों की उपलब्धि की निगरानी करने** के लिए जिम्मेदार होगा।
- परख राज्य शिक्षा निदेशालयों, राज्य शिक्षा बोर्डों तथा मूल्यांकन और मूल्यांकन के काम में संलग्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करेगा।

6.3. सुर्ख़ियों में रही शैक्षिक रिपोर्ट (Educational Reports In News)

6.3.1. उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2020-2021 {All India Survey on Higher Education (AISHE) 2020-2021}

- शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2020-2021 जारी किया
- AISHE का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय) ने 2011 में शुरू किया था। इस सर्वेक्षण में **देश में स्थित सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को शामिल** किया जाता है।
    - यह **अलग-अलग शैक्षणिक मानकों पर विस्तृत सूचनाओं** को एकत्र करता है।
    - पहली बार, सर्वेक्षण के दौरान **वेब डेटा कैप्चर फॉर्मेट (DCF) के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डेटा एकत्र किया गया है।**
    - DCF को **उच्चतर शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** के माध्यम से विकसित किया है।

[94] Educational Testing Service

[95] National Achievement Survey

[96] State Achievement Survey

- **सर्वेक्षण से संबंधित मुख्य निष्कर्ष**

मानक	2020-21	2014-15 की तुलना में रुझान
कुल विद्यार्थी नामांकन: नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान शीर्ष 6 राज्य हैं।	4.14 करोड़	21% की वृद्धि
छात्राओं का नामांकन	2.01 करोड़	28% की **वृद्धि**
कुल नामांकन में छात्राओं के नामांकन का प्रतिशत	49%	**4% की वृद्धि**
सकल नामांकन अनुपात (GER): उच्चतर शिक्षा में नामांकित योग्य आयु वर्ग (18-23 वर्ष) से संबंधित विद्यार्थियों का प्रतिशत।	27.3	**3 अंकों की वृद्धि**
लैंगिक समानता सूचकांक (GPI): पुरुष GER की तुलना में छात्रा GER का अनुपात	2017-18 के 1 से बढ़कर 1.05 हो गया	----------
• **राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान (INIs)** • **INIs में नामांकन**	**149** **61%**	**लगभग दोगुने (पहले 75) हुए** **वृद्धि हुई है**
प्रति 100 पुरुष शिक्षकों में महिलाएं	**75**	**वृद्धि (पहले 63) हुई है**

6.3.2. शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2022 {Annual Status of Education Report (ASER) 2022}

- NGO प्रथम ने "शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2022" जारी की।
- ASER **नागरिकों के नेतृत्व में आयोजित वार्षिक पारिवारिक सर्वेक्षण** है। इस सर्वेक्षण के द्वारा यह समझने का प्रयास किया जाता है कि **ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं या नहीं तथा वे स्कूलों में क्या सीख रहे हैं।** ASER सर्वेक्षण पहली बार 2005 में आयोजित किया गया था।
    - **शिक्षा मंत्रालय भी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS)** नाम से एक अलग सर्वे कराता है। यह सर्वेक्षण जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों की अधिगम (सीखना/लर्निंग) क्षमता पर व्यवस्थित फीडबैक प्रदान करता है।
- ASER 2022", वर्ष 2018 के बाद से पहला **फील्ड-आधारित 'बेसिक' राष्ट्रव्यापी ASER** है।
    - ASER 2022 के तहत, **3 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों** का सर्वेक्षण किया गया था। यह सर्वेक्षण उनकी **स्कूली शिक्षा की स्थिति को रिकॉर्ड करने तथा उनके बुनियादी पाठन (reading) और अंकगणितीय कौशल** का आकलन करने पर लक्षित था।

मुख्य निष्कर्ष

मापदंड	रुझान
6–14 आयु वर्ग में कुल नामांकन	98.4% ↑
15–16 वर्ष की लड़कियों का अनुपात जिनका कहीं नामांकन नहीं हुआ है	7.9% ↓
पहली से सातवीं कक्षा तक के बच्चे, जो शुल्क वाली प्राइवेट ट्यूशन क्लास ले रहे हैं	30.5% ↑
कक्षा 3 के विद्यार्थियों की पढ़ने की क्षमता	20.5% ↓
कक्षा 3 के विद्यार्थियों की अंकगणितीय क्षमता (जोड़–घटाना)	25.9% ↓
शिक्षक की औसत उपस्थिति	87.1% ↑
विद्यालय, जिनमें पेयजल उपलब्ध है	76% ↑
विद्यालय, जहां छात्राओं के उपयोग योग्य शौचालय मौजूद हैं	68.4% ↑

6.4. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (संशोधन) विधेयक 2022 का मसौदा {Draft National Medical Commission (Amendment) Bill-2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने मौजूदा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 में संशोधन का एक मसौदा प्रस्तावित किया है।

मसौदा विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)[97] के तहत पांचवें स्वायत्त निकाय के रूप में **चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (BEMS)**[98] का गठन किया जाएगा।
- यह मसौदा प्रस्तावित **BEMS** के तहत डिप्लोमा, पोस्ट-ग्रेजुएट फेलोशिप तथा सुपर स्पेशियलिटी फेलोशिप संस्थानों को मान्यता देने का प्रस्ताव करता है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से संबंधित मामलों में मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों द्वारा दायर अदालती मामलों के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करना है। इस परिवर्तन के बाद सभी मामले केवल दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होंगे।

संशोधन पेश करने के कारण

- **प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए:** प्रस्तावित बोर्ड **चिकित्सा विज्ञान में मौजूदा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड** को प्रतिस्थापित करेगा, जो वर्तमान में **NEET-PG और Exit टेस्ट** आयोजित करता है।
- **देरी कम करने के लिए:** पिछले PG एडमिशन प्रक्रियों में देरी का हवाला देते हुए, विभिन्न रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने देरी को कम करने के लिए एक अलग निकाय स्थापित करने का अनुरोध किया है।
- **NeXT की शुरुआत को सुगम बनाने के लिए:** प्रस्तावित बोर्ड कॉमन Exit टेस्ट की सुविधा प्रदान करेगा। यह टेस्ट अंतिम वर्ष के सभी छात्रों और विदेशी छात्रों के लिए होगा, ताकि उन्हें लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में पंजीकृत किया जा सके।
- **मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने के लिए:** इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार की सीमा में परिवर्तन किया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग देश के विभिन्न भागों में मुकदमों से घिरा हुआ है। ऐसे में यह परिवर्तन आयोग के संचालन को बेहतर करेगा।
- **राज्य परिषदों के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने के लिए:** यह अधिनियम चिकित्सा लापरवाही के मामलों में अपीलीय निकाय बनाकर एक अपील तंत्र प्रदान करता है।

- **चिकित्सा लापरवाही के मामलों में** रोगियों और उनके रिश्तेदारों के लिए एक नया प्रावधान प्रदान किया गया है। इसके तहत **एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड** या **NMC** को **राज्य चिकित्सा परिषद के फैसलों के खिलाफ अपीलीय निकाय** बनाया है।

NMC और इसके कार्यों से संबंधित मुद्दे

- **संघवाद को कमजोर करता है:** NMC के **महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के चयन का अधिकार विशेष रूप से केंद्र के पास है।** इससे आयोग में राज्यों की भूमिका कम हो जाती है।
- **विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय का अभाव:** वर्तमान में परीक्षा एक बहु-प्रधान प्रक्रिया (Multi-Headed Process) है, जो उन छात्रों के लिए बोझिल हो जाती है, जो प्रवेश परीक्षा को पास करने का पुनः प्रयास करते हैं।
  - गौरतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NEET-UG आयोजित करती है, **नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NEET-PG और स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करता है।** वहीं दूसरी ओर **एडमिशन काउंसलिंग का कार्य मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा किया जाता है** ,जो NMC से स्वतंत्र है।
- **स्वायत्तता का अभाव:** कुछ आलोचकों का तर्क है कि NMC के पास प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक स्वायत्तता का अभाव है, क्योंकि यह MoHFW के अधीन है। इस कारण से MoHFW के पास NMC के निर्णयों में हस्तक्षेप करने की शक्ति है।
- **मान्यता के मानक:** मान्यता प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा और परिणामों की गुणवत्ता को मापने के बजाय बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन (कार्यरत लोगों की कुल संख्या) के दस्तावेजों पर जोर देती है।
- **चिकित्सा शिक्षा से जुड़े मुद्दे:**
  - **डॉक्टर और रोगियों का निम्न अनुपात:** वर्तमान में डॉक्टर और रोगी का अनुपात 1:1511 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुसार यह अनुपात 1:1000 होना चाहिए।
  - **मेडिकल कॉलेजों का निजीकरण:** अधिकांश नव सृजित मेडिकल सीटें निजी मेडिकल कॉलेजों में हैं, जिससे समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए चिकित्सा शिक्षा एक दूर का सपना बन गया है।

[97] National Medical Commission

[98] Board of Examinations in Medical Sciences

आगे की राह

- **मेडिकल एडमिशन काउंसिलिंग के लिए एक अलग स्वायत्त निकाय का निर्माण करना:** मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया के लिए NMC के तहत एक अलग **'बोर्ड ऑफ काउंसलर या काउंसलिंग'** का गठन किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि हालिया भ्रामक स्थिति के कारण मेडिकल सीटों की बर्बादी देखी गई है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है।

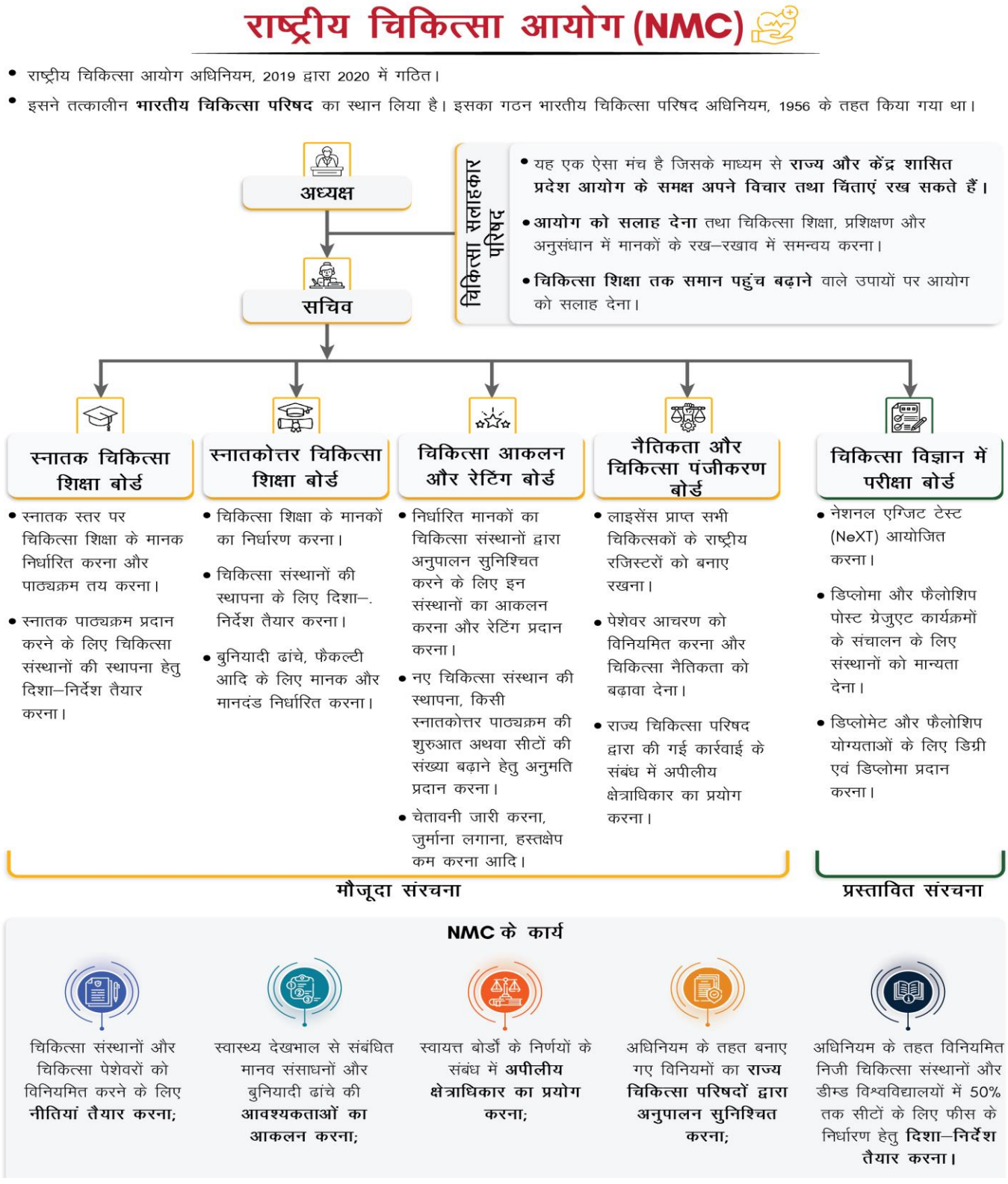

- **स्वैच्छिक और ग्रेड आधारित NeXT परीक्षा:** यदि Exit परीक्षा आयोजित की जानी है तो इसे **स्वैच्छिक और ग्रेड आधारित** बनाया जाना चाहिए। यदि कोई MBBS प्रैक्टिशनर ग्रेड-मान्यता प्राप्त करना चाहता है, तो वह इसमें भाग ले सकता है। जैसा कि कुछ देशों में इस तरह के उदाहरण देखने को मिलता है।
- **विदेशों में पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों के लिए SOP बनाना:** सरकार को **विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रावधान को आसान बनाना चाहिए ताकि वे वापस लौट कर देश की सेवा कर सकें।** साथ ही, यदि ये छात्र विदेश में किसी कारणवश पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसा कि यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों के साथ हुआ है, तो एक बैकअप योजना भी प्रदान करनी चाहिए।
- **संस्थानों और पेशेवरों का समय पर ऑडिट:** भ्रष्टाचार मुक्त रखने के लिए डॉक्टरों के निर्दिष्ट निकाय और चिकित्सकों के साथ नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- **हितधारक की भागीदारी बढ़ाना:** निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को महत्व दिया जाना चाहिए और राज्य की भूमिका भी बढ़ाई जानी चाहिए
- **भारत में चिकित्सा शिक्षा के लिए अन्य सुझाव:**
  - पुनर्मूल्यांकन करना और एक कुशल प्रत्यायन प्रणाली का निर्माण करना;
  - संसाधनों के समान वितरण को बढ़ावा देना;
  - सख्त कार्यान्वयन और बेहतर मूल्यांकन पद्धतियों के साथ पाठ्यचर्या को नया स्वरूप देना।

6.5. इच्छामृत्यु {Euthanasia}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु[99] पर अपने नियमों को सरल बनाया है।

पृष्ठभूमि

- **2018 के कॉमन कॉज बनाम भारत संघ वाद** में, सुप्रीम कोर्ट ने सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार (Right To Die With Dignity) को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के अधिकार के एक अनिवार्य पहलू के रूप में मान्यता दी थी।
  - तदनुसार, न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु की कानूनी वैधता को बरकरार रखा था।
- तब यह तर्क दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की जटिलता के कारण ये निर्देश वास्तव में अप्रवर्तनीय हो गए थे।
  - इस प्रकार, निर्णय को 'व्यावहारिक' बनाने के लिए आवश्यक संशोधन की मांग की गई थी।
- अतः पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 2018 में निर्धारित दिशा-निर्देशों में कई संशोधन प्रस्तावित किए गए। ये प्रस्ताव अग्रिम देखभाल निर्देशों के निष्पादन और प्रवर्तन के साथ-साथ निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया के संबंध में पेश किए गए थे।

[99] Passive Euthanasia

इच्छामृत्यु (Euthansia) से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय/ रिपोर्ट

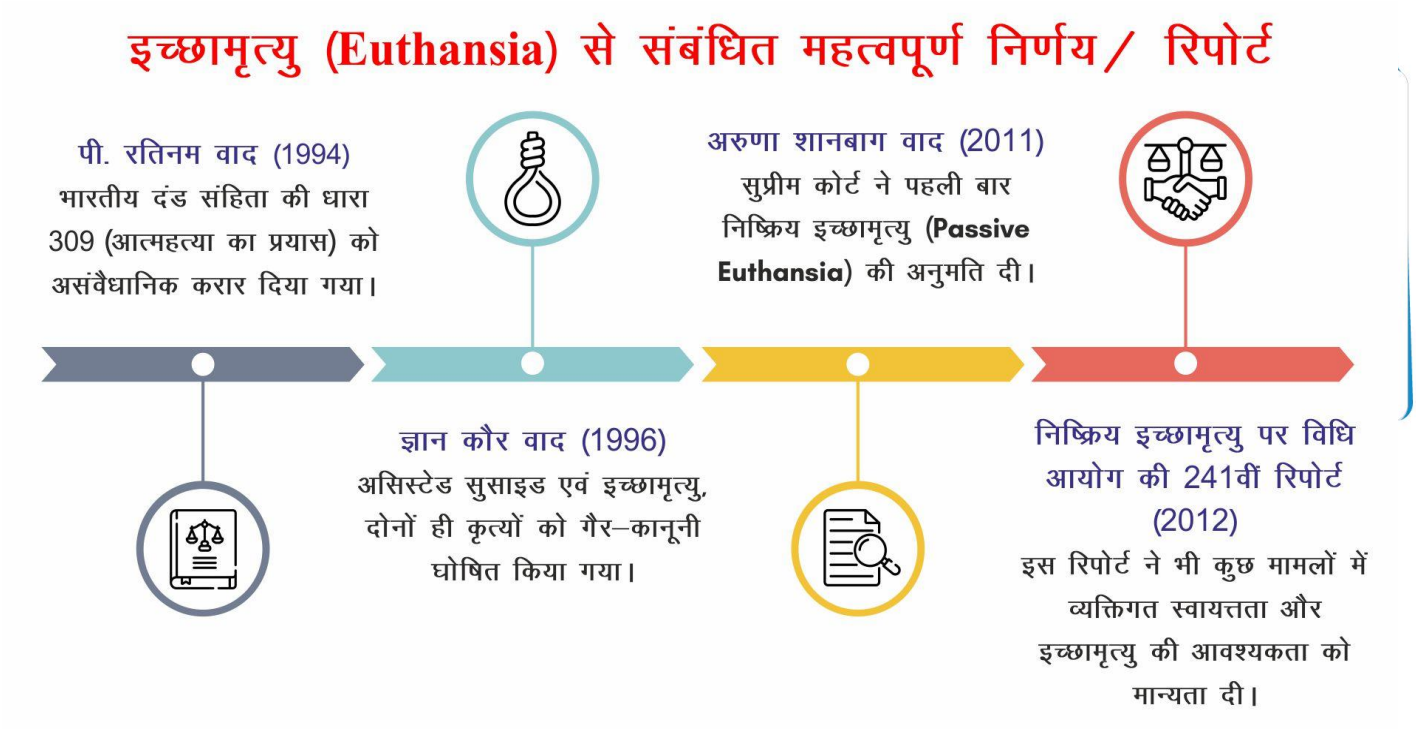

निर्णय के अन्य पहलू	अब	पहले
सरोगेट निर्णयकर्ता	एक से अधिक अभिभावक या करीबी रिश्तेदार को नामित किया जा सकता है। अंतिम राय लेने से पहले सभी निर्दिष्ट व्यक्तियों की सहमति ली जाएगी।	केवल एक अभिभावक या करीबी रिश्तेदार को नामित किया जाना था। अंतिम राय लेने से पहले अभिभावक या करीबी रिश्तेदार की भी सहमति ली जाएगी।
जिला न्यायालय रजिस्ट्री की भूमिका	यह आवश्यकता हटा दी गई है।	न्यायिक मजिस्ट्रेट को दस्तावेज़ की एक प्रति संबंधित क्षेत्राधिकार वाले जिला न्यायालय की रजिस्ट्री को सौंपना होगा, जो दस्तावेज़ को मूल प्रारूप में सुरक्षित रखेगा।
प्रामाणिकता सुनिश्चित करना	इस मामले में जो निर्णय लेगा उसके डिजिटल रिकॉर्ड के संदर्भ में, या स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा नियुक्त दस्तावेज़ के संरक्षक से इसकी प्रामाणिकता का पता लगाने के बाद अग्रिम निर्देश को चिकित्सक निष्पादित कर सकते हैं।	उपचार करने वाले चिकित्सक को न्यायिक मजिस्ट्रेट से इसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के बाद अग्रिम निर्देश पर अमल करना होता था।
हाई कोर्ट के समक्ष अपील	यदि उपचार रोकने की अनुमति से इनकार किया गया है, तो संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की जा सकती है।	यदि उपचार रोकने की अनुमति से इनकार किया गया है, तो संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की जा सकती है।

इच्छामृत्यु के पक्ष में तर्क

- **आत्मनिर्णय का अधिकार:** मनुष्य अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। यह स्वतंत्रता विशेष रूप से उस स्थिति में और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है जब वह किसी लाइलाज बीमारी का सामना कर रहा हो।
- **देखभाल करने वालों पर बोझ:** ऐसी अधिकांश याचिकाएं पीड़ितों या परिवार के सदस्यों या उनकी देखभाल करने वालों द्वारा दायर की जाती हैं। कई बार देखभाल करने वाले लोग वित्तीय, भावनात्मक, समय आदि मामले में बोझ तले दब जाते हैं।

- **सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार:** लोगों को 'सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार' की अनुमति देना उन्हें पीड़ा के साथ अपना जीवन जारी रखने के लिए मजबूर करने की तुलना में बेहतर है।
- **अंग प्रत्यारोपण को प्रोत्साहित करना:** यह अंग दान को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है। यह प्रत्यारोपण के लिए इंतजार कर रहे निष्क्रिय अंग वाले कई मरीजों की मदद करेगा।
- **इसे विनियमित किया जा सकता है:** यदि यह कानूनी रूप से मान्य है तो इसकी प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके तहत यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं। साथ ही, यह भी जांच की जा सकती है कि व्यक्ति वास्तव में इच्छामृत्यु चाहता है।

इच्छामृत्यु के खिलाफ तर्क

- **रोगियों से पीछा छुड़ाना:** इच्छामृत्यु के विरोधियों का तर्क है कि अगर हम 'सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार' को अपनाते हैं, तो यह कदम लाइलाज और निर्बल करने वाली बीमारियों से ग्रस्त लोगों हेतु हमारे सभ्य समाज के लिए पीछा छुड़ाने वाला होगा।
- **दुर्भावनापूर्ण कृत्य:** ऐसी संभावना है कि रोगी की संपत्ति विरासत में लेने के लिए परिवार के सदस्य या रिश्तेदार इच्छामृत्यु का दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे।
- **जीवन का अवमूल्यन:** इच्छामृत्यु जीवन की शुचिता के प्रति समाज के सम्मान को कमजोर करती है। यह शोषण के लिए अलग-अलग गंभीर समस्याओं को जन्म देती है, जिससे मानव अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल का व्यवसायीकरण:** यदि इच्छामृत्यु को वैध कर दिया जाता है, तो व्यावसायिक स्वास्थ्य क्षेत्रक भारत के कई दिव्यांग और बुजुर्ग नागरिकों को अल्प राशि के लिए मौत की सजा दे देगा।
- **हिप्पोक्रेटिक ओथ के खिलाफ:** डॉक्टर, नर्स या किसी अन्य स्वास्थ्य पेशेवर से इच्छामृत्यु या आत्महत्या में सहायता की मांग चिकित्सा की मौलिक नैतिकता अर्थात् हिप्पोक्रेटिक शपथ का उल्लंघन होगा।

निष्कर्ष

इच्छामृत्यु एक ऐसा कदम है जिसे हमेशा तार्किकता के आधार पर नहीं देखा जा सकता है; इसमें कई भावनाएं भी शामिल हैं। जब किसी गंभीर प्रकृति की भावना की बात आती है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्णय लेने का भी अधिकार होता है।

हालांकि, उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो रोगी को दर्द से छुटकारा पाने में मदद करती हैं। यह न केवल व्यक्ति की पीड़ा को रोकती है बल्कि रोगी के परिवार के सदस्यों की पीड़ा को भी समाप्त करती है। साथ ही, ऐसी किसी भी व्यवस्था का संभावित दुरुपयोग रोकने पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

शब्दावली को जानें

- **इच्छामृत्यु (Euthansia):** यह रोगी की पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसके जीवन का अंत करने की एक पद्धति है। **इच्छामृत्यु के दो प्रकार हैं– सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthansia) और निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthansia)।** ऐसे मामले में केवल चिकित्सक ही अपनी राय रखते हैं। दूसरे शब्दों में इसे केवल चिकित्सक द्वारा ही प्रशासित किया जा सकता है।
- **सक्रिय इच्छामृत्यु** में किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए सक्रिय कार्रवाई शामिल होती है। इसमें **घातक पदार्थ या बाह्य हस्तक्षेप (जैसे कि रोगी को जानलेवा इंजेक्शन)** देना शामिल है।
  - **नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा** जैसे देशों में इसकी कानूनी अनुमति है।
- **निष्क्रिय इच्छामृत्यु के तहत जीवन समर्थक उपकरणों या उपचार को बंद कर** दिया जाता है। ये उपकरण एक **अत्यधिक बीमार** (Terminally ill) व्यक्ति को जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। अत्यधिक बीमार की स्थिति में रोगी की **दो वर्षों या उससे कम अवधि में मृत्यु होने की संभावना रहती है।**
  - **भारत, फिनलैंड, जर्मनी** जैसे देशों में इसकी कानूनी अनुमति है।

शब्दावली को जानें

- **एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव (जिसे लिविंग विल भी कहा जाता है):** ये ऐसे **कानूनी दस्तावेज** हैं, जो किसी व्यक्ति के अक्षम होने की स्थिति में उसकी स्वायत्तता का विस्तार करते हैं। ये दस्तावेज उक्त व्यक्ति की अक्षमता के मामले में **उसके स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों पर नियंत्रण रखते हैं।**
- ये चिकित्सा उपचार, एंड–ऑफ–लाइफ केयर और देखभाल के अन्य पहलुओं के बारे में प्राथमिकताओं को संप्रेषित करते हैं। साथ ही, यह अक्षम होने से पूर्व समय से पहले एक सरोगेट निर्णयकर्ता को नामित करते हैं।

क्या आप जानते हैं?

- **हिप्पोक्रेटिक शपथ** का श्रेय कोस द्वीप के हिप्पोक्रेट्स को दिया जाता है। वह क्लासिकल युग (4वीं–5वीं शताब्दी ईसा पूर्व) का **एक ग्रीक चिकित्सक था।**
- हिप्पोक्रेटिक शपथ **नैतिक सिद्धांतों का एक चार्टर है।** इसे चिकित्सकों ने सदियों से अपने पेशे के अभ्यास में बनाए रखा है।
- हिप्पोक्रेट्स को **चिकित्सा पर 70 पुस्तकों के संग्रह का श्रेय** दिया जाता है। इस संग्रह को **"द कॉर्पस हिप्पोक्रेटिकम"** कहा जाता है।

6.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.6.1. वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023: लीविंग नो वन बिहाइंड इन ए एजिंग वर्ल्ड (World Social Report 2023: Leaving No One Behind in an Ageing World)

- यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के **आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख रिपोर्ट** है।
  - यह रिपोर्ट **मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग (MIPAA) के फ्रेमवर्क पर तैयार** की गई है। यह रिपोर्ट उन **सामाजिक-आर्थिक अवसरों और चुनौतियों की पड़ताल करती है,** जो वृद्धजन आबादी के बढ़ने से उत्पन्न होते हैं।
    - MIPAA को अप्रैल 2002 में **'वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग' में अपनाया गया था।**
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:**
  - **अगले तीन दशकों में** 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की जनसंख्या **दोगुनी** होने की संभावना है। यह वर्ष 2050 में 1.6 बिलियन से अधिक हो जाएगी। यह वैश्विक आबादी के **16% से अधिक होगी।**
  - **उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और उप-सहारा अफ्रीका** में वृद्धजन आबादी में **सबसे तेज गति से वृद्धि** होने की संभावना है।
  - वृद्धावस्था में **गरीबी का स्तर आमतौर पर महिलाओं में उच्चतर** होता है। इसके कारण हैं- औपचारिक श्रम बाजारों में भागीदारी का निम्न स्तर, कार्य करने के सीमित अवसर तथा पुरुषों की तुलना उन्हें कम वेतन मिलना।

- **रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें:**
  - **श्रम बाजार भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए और उत्पादकता** में वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही, **अच्छे स्वास्थ्य** को बनाए रखा जाना चाहिए तथा लोगों की जीवन भर की **गरीबी का निवारण** किया जाना चाहिए।
  - **असमानताओं को कम करने वाली नीतियां** बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा, **वित्तीय रूप से संधारणीय तरीकों से वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **वृद्धजनों से संबंधित अन्य वैश्विक पहलें:**
  - **संयुक्त राष्ट्र वृद्धजन सिद्धांत, 1991** अपनाए गए हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र ने **2021- 2030 को स्वस्थ आयुर्वृद्धि (Ageing) दशक** घोषित किया है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

©Vision IAS

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. चौथी औद्योगिक क्रांति- उद्योग 4.0 (Fourth Industrial Revolution- Industry 4.0)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वास्थ्य देखभाल व लाइफ साइंस पर केंद्रित भारत का पहला **फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेंटर** हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रस्तावित केंद्र को **विश्व आर्थिक मंच (WEF)[100] के सहयोग** से स्थापित किया जाएगा।
- इसे एक **स्वायत्त व गैर-लाभकारी संगठन** के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र स्वास्थ्य देखभाल और लाइफ साइंस के लिए नीति-निर्माण तथा गवर्नेंस पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- **WEF के चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला यह 18वां केंद्र होगा।** यह नेटवर्क चार महाद्वीपों में फैला हुआ है।

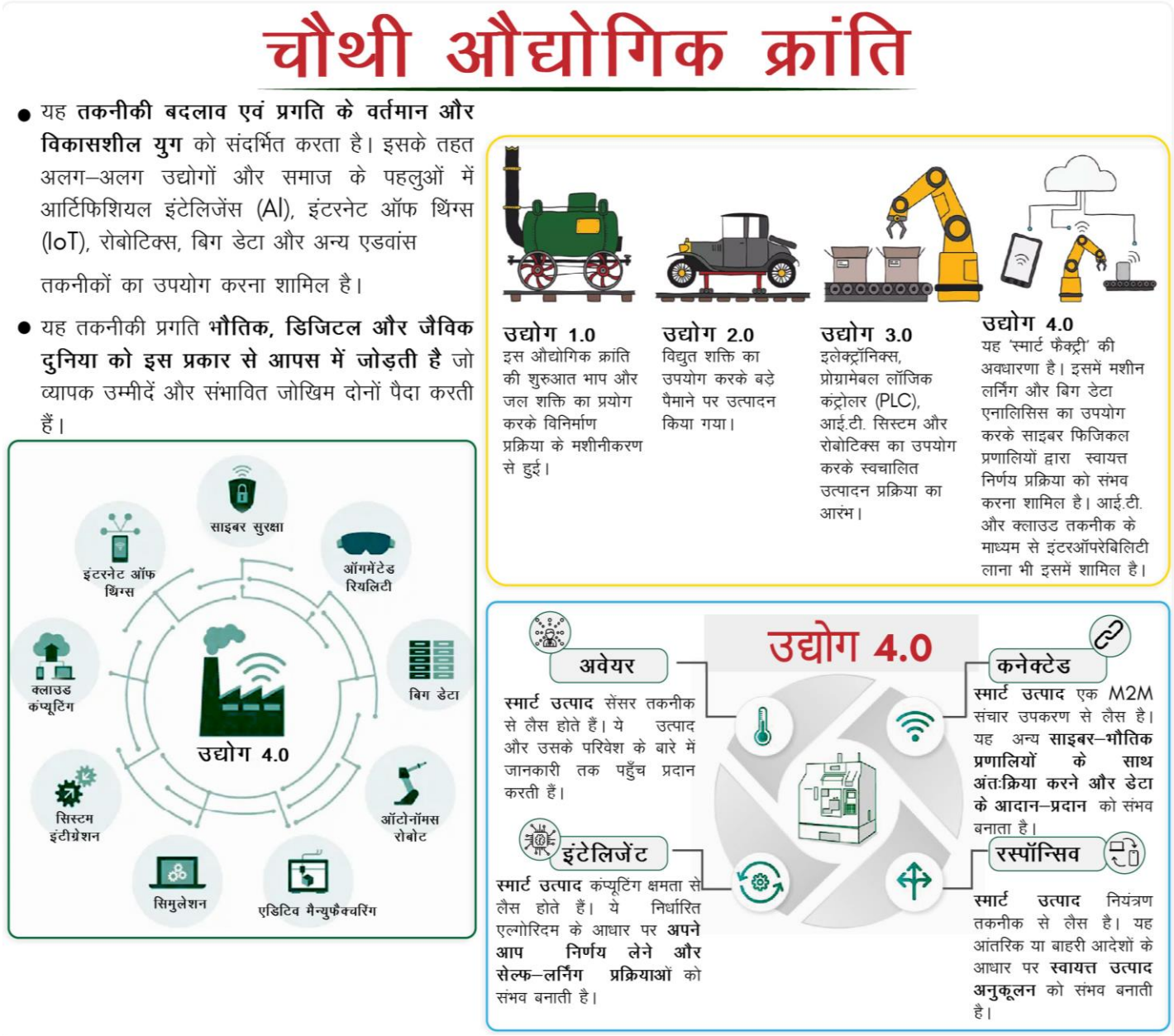

[100] World Economic Forum

भारत के लिए उद्योग 4.0 को अपनाने की आवश्यकता क्यों?

- **विकास को बढ़ावा देने के लिए:** 1990 के आर्थिक सुधारों के बाद, संवृद्धि में बढ़त के अगले चरण को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उद्योग 4.0 को शुरुआत में ही अपनाने की आवश्यकता है।
- **बिग डेटा की क्षमता का दोहन करने के लिए:** आधार, पासपोर्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वोटर कार्ड आदि के जरिए भारत में एकत्रित बिग डेटा के विशाल भंडार का इस्तेमाल लोगों के लिए बेहतर नीतियां बनाने में किया जा सकता है।
- **गवर्नेंस को आसान बनाने के लिए: वर्तमान गवर्नेंस प्रणाली** देरी और लालफीताशाही की समस्या से ग्रसित है। इसे नए युग की प्रौद्योगिकियों की मदद से बेहतर बनाकर सौ करोड़ से अधिक की आबादी के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है।
- **रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए:** उद्योग 4.0 से संबंधित विशिष्ट नीतियों को लागू करने से भविष्य में बेहतर आय और बेहतर मानकों के साथ-साथ नए तरह के और रोजगार पैदा किए जा सकते हैं।
- **एक वैश्विक दिग्गज के रूप में भारत की छवि को स्थापित करने के लिए:** उद्योग 4.0 को शुरुआत में ही अपना कर हम भारत में अल्फाबेट, टेस्ला, मेटा जैसी **अग्रणी टेक-ग्लोबल कंपनियों** के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।
- **अपने भू-राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए:** वैश्विक पटल एवं भू-राजनीति में भारत की बेहतर स्थिति के लिए तथा भारत को दुनिया में प्रौद्योगिकी के निवल निर्यातक के रूप में स्थापित करने में भी उद्योग 4.0 को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

उद्योग 4.0 को अपनाने के लाभ

- **निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार और सुशासन:** डेटा माइनिंग और बिग डेटा विविध प्रकार के **संभावित परिणाम प्रदान** कर सकते हैं। इसके अलावा, ये लोक नीति के संदर्भ में बेहतर निर्णय लेने में भी मददगार साबित होंगे।
- **उत्पादों के लचीलेपन और अनुकूलन में सुधार:** साइबर फिजिकल सिस्टम फ्रेमवर्क को अपनाकर और उनके संचालन को अधिक लचीला बनाकर **उद्योगों की उत्पादकता तथा उत्पाद संबंधी पोर्टफोलियो में सुधार** किया जा सकता है।
- **उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि:** यह **रीयल-टाइम डेटा और अलग-अलग चेक पॉइंट्स का इस्तेमाल करके प्रक्रिया में मौजूद त्रुटियों को कम** करेगा। साथ ही, यह किसी उद्योग-विशेष की उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि करने में भी सहायता प्रदान करेगा।
- **बेहतर संचार और सहयोग में:** अलग-अलग विभागों और स्थानों पर कार्य करने वाली कंपनियों के लिए उद्योग 4.0 द्वारा स्थापित रियल-टाइम संचार से बेहतर टीमवर्क और इष्टतम परिणाम सुनिश्चित हो सकता है।
- **उद्यमिता में वृद्धि:** उद्योग 4.0 की सहायता से स्टार्ट-अप्स, यथा- शिक्षा, ई-कॉमर्स/ एम-कॉमर्स, वित्तीय सेवाओं, आई.टी.ई.एस. आदि के क्षेत्र में टेक आधारित उद्यमिता को बढ़ाया जा सकता है।

उद्योग 4.0 को अपनाने में बाधाएं

- **रोजगार खोने का भय:** अधिकांश भारतीय कार्यबल बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के अनौपचारिक क्षेत्रक में कार्यरत हैं। इसलिए उन्हें इस बात का भय है कि मशीनें और प्रौद्योगिकी कई क्षेत्रकों में रोजगारों को खत्म कर देंगी।
- **उच्च पूंजी लागत:** मौजूदा प्रक्रियाओं की जगह एक नई एकीकृत साइबर फिजिकल सिस्टम को स्थापित करने के लिए उच्च पूंजी लागत की जरूरत होगी।
- **कुशल कार्यबल का अभाव:** विनिर्माण प्रक्रिया में ऑटोमेशन और साइबर फिजिकल सिस्टम की शुरुआत के लिए एक बेहतर कुशल कार्यबल की आवश्यकता होगी। एक ऐसा कार्यबल जिसमें इस प्रक्रिया की जटिलता की समझ हो।
- **साइबर और निजी डेटा सुरक्षा के मुद्दे:** नई प्रौद्योगिकियां बड़ी मात्रा में निजी और संवेदनशील डेटा को प्रबंधित कर सकती हैं। इसलिए उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु डेटा से जुड़े मौजूदा साइबर सुरक्षा और निजता कानूनों में सुधार की आवश्यकता है।

- **असमानता में वृद्धि:** प्रौद्योगिकी की प्रगति से अर्थव्यवस्था के कुछ विशिष्ट क्षेत्रकों में कार्यरत लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ, इससे अन्य लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी की प्रगति से आय में असमानता पैदा हो सकती है।
- **इंटरऑपरेबिलिटी:** उद्योग 4.0 में अलग-अलग प्रणालियों और उपकरणों के बीच सहज एकीकरण की आवश्यकता होती है। यह एकीकरण विशेष रूप से तब आवश्यक है जब कई वेंडर्स तथा तकनीकों के साथ काम किया जाता है। अतः ऐसे में इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

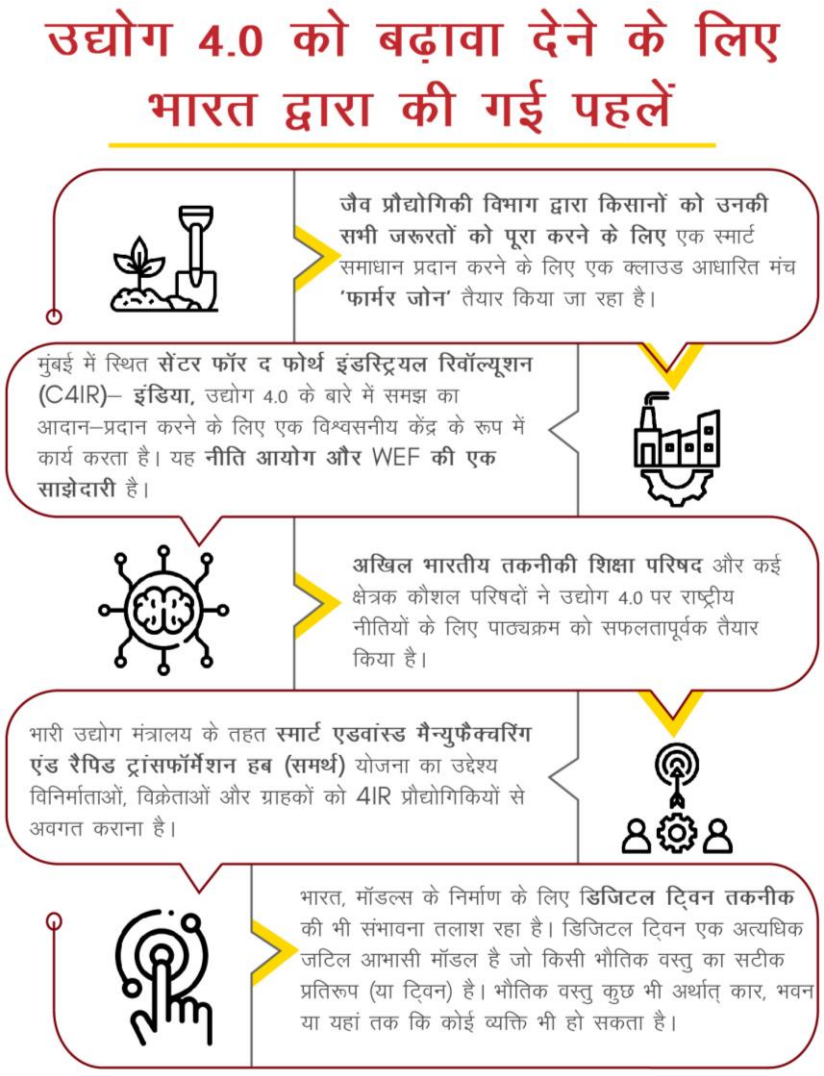

आगे की राह

- **विनियामकीय ढांचे को बेहतर करना:** सरकारों को **विनियामकीय ढांचे की समीक्षा करने और उसे अपडेट** करने की आवश्यकता है। ऐसा करके सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि यह ढांचा व्यक्तियों के अधिकारों तथा निजता की रक्षा करने के साथ डिजिटल युग के अनुकूल है।
- **नैतिकता संबंधी दिशा-निर्देश विकसित करना:** संगठनों को **नैतिकता संबंधी दिशा-निर्देश विकसित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रौद्योगिकियों का उपयोग समाज के हित के लिए हो रहा है।** साथ ही, सरकार के पास इसके लिए एक निगरानी तंत्र भी होना चाहिए।
- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना:** सरकार द्वारा डिजिटल साक्षरता का प्रसार **विशेष रूप से ऐसे लोगों के बीच करना चाहिए जिनकी प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है** या प्रौद्योगिकी के विकास से जिनके पीछे छूट जाने का खतरा है।
- **साइबर सुरक्षा पर बल:** जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ रहा है वैसे-वैसे साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए संगठनों को अपने डेटा और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों में निवेश करने की आवश्यकता है।
- **कौशल-विकास और पुनर्कौशल में निवेश: उद्योग 4.0** को अपनाने के लिए नए युग के रोजगार हेतु **मौजूदा कार्यबल को पुनर्कौशल/ कौशल विकास की आवश्यकता** है। इसके लिए सरकार और उद्योगों दोनों को इस अंतर/कमी को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए।

7.2. जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) {Generative Artificial Intelligence (AI)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दुनिया भर में टेक कंपनियां अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रही हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल के दिनों में जेनरेटिव AI प्रोग्राम्स की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है, जैसे OpenAI का ChatGPT, गूगल का BARD AI, DALL-E, Codex, GPT-3 आदि।
- ये प्रोग्राम **ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर (TA) पर बने डीप लर्निंग मॉडल पर आधारित संवादात्मक AI भाषाएं हैं।**
    - **TA, डीप न्यूरल नेटवर्क का उपयोग** करता है और इंटरनेट पर उपलब्ध टेक्स्ट डेटा के संग्रह के माध्यम से प्रशिक्षित होता है। इससे यह मनुष्य की तरह टेक्स्ट जनरेट कर सकता है और प्रश्नों के उत्तर देने तथा संवाद करने जैसे अलग-अलग कार्य कर सकता है।
    - यह **प्राकृतिक भाषा (Natural language) प्रोसेसिंग** के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। यह कंप्यूटरों के साथ मनुष्यों के संवाद करने के तरीके को क्रांतिकारी बनाने की क्षमता रखता है।

- अनुमानों के अनुसार **ये प्लेटफॉर्म भविष्य में गूगल के सर्च इंजन और यहां तक कि मनुष्य का स्थान ले सकते हैं।**

जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बारे में

- यह एक ऐसा **एल्गोरिदम** है, **जिसका उपयोग ऑडियो, कोड, चित्र, टेक्स्ट, सिम्युलेशन और वीडियो जैसे नए कंटेंट बनाने के लिए किया जा सकता है।**
- इसे **न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके, मशीन लर्निंग मॉडल को बड़ी मात्रा में डेटा के साथ प्रशिक्षित करके प्राप्त किया जाता है।** इसके बाद इन मॉडल्स का उपयोग नए सिंथेटिक डेटा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो पहले से मौजूद डेटा के समान होता है।
- 2022 तक, **मौजूदा AI का उद्देश्य डेटा का विश्लेषण करना, विसंगतियों का पता लगाना, धोखाधड़ी का पता लगाने** के साथ देखने योग्य फिल्में या छुट्टी मनाने के सबसे बढ़िया स्थान से जुड़े सुझाव देना था।
  - पहले AI मॉडल स्वयं द्वारा खपत किये गए डेटा के बड़े हिस्से का विश्लेषण करके ऐसा करते थे।
  - हालांकि, **जेनरेटिव AI** के साथ **उपयोगकर्ता बिलकुल नए सिरे से निर्मित नया कंटेंट देख सकते हैं।**
- वर्तमान में, **जेनरेटिव AI के 3 प्रमुख फ्रेमवर्क या मॉडल** हैं, जैसे- **जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स (GAN), ट्रांसफॉर्मर-बेस्ड मॉडल (TBM) और वेरिएशनल ऑटोइनकोडर (VAE)।**

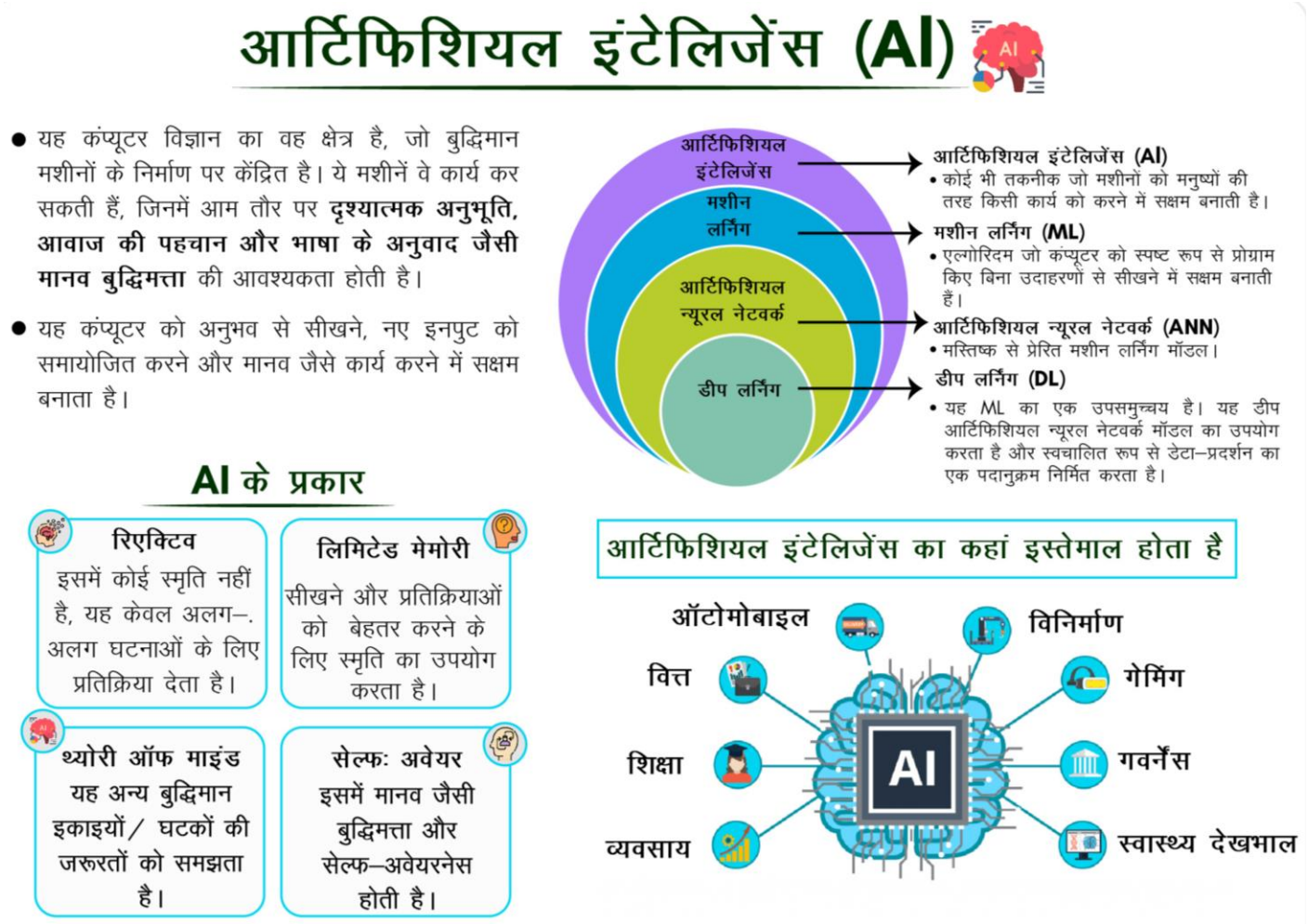

AI को अपनाने से जुड़ी चिंताएं

- **समाज पर प्रतिकूल प्रभाव:** मशीन लर्निंग को किसी समाज में क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। यह पहले से मौजूद डेटा सेट पर काम करता है। इसलिए यह पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सकता है और यह पूर्वाग्रह अन्य AIs में भी ट्रांसफर हो सकता है।
- **जवाबदेही का अभाव:** जेनरेटिव AI के प्रतिकूल परिणाम के लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसके बारे में स्पष्टता का अभाव है।
- **नैतिक चिंताएं: समानता, न्याय और मानवीय गरिमा से संबंधित कई नैतिक मुद्दे सामने आ सकते हैं।** इसके लिए मॉडल्स के प्रभाव को लेकर उनके निर्माताओं की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- **पारदर्शिता का अभाव:** यह **समझाना मुश्किल होगा कि AI द्वारा निर्णय कैसे लिया गया था**, क्योंकि उन्हें विशेष डेटा सेट के अनुसार कार्य करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। साथ ही, इसके कारण ऐसी **प्रौद्योगिकी के प्रति विश्वास कमजोर हो सकता है।**
- **बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन:** कई कलाकारों ने दावा किया है कि उनकी कलाकृतियों को AI द्वारा अंधाधुंध तरीके से रीक्रिएट किया गया था। ताकि उससे सीखकर AI स्वयं द्वारा इमेज बनाने की प्रक्रिया को बेहतर कर सकें। इस तरह के कार्य बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और रचनात्मकता को कम करेंगे।
- **निजता संबंधी मुद्दे:** AI का उपयोग व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, भंडारण और उपयोग के बारे में चिंताओं को बढ़ा सकता है, क्योंकि इस एकत्रित जानकारी के दुरुपयोग की संभावना अधिक है।

आगे की राह

- **नैतिक सिद्धांतों और दिशा-निर्देशों की स्थापना:** इसका उपयोग जिम्मेदारी के साथ और सामाजिक मूल्यों एवं मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसलिए सरकार को **AI के विकास और उसे अपनाने के लिए नैतिक सिद्धांतों एवं दिशा-निर्देशों को स्थापित करने पर** ध्यान देना चाहिए।
- **AI के उपयोग को विनियमित करना:** खुली पहुंच के बजाय AI का एक **विनियमित उपयोग शुरू किया जा सकता है। साथ ही, AI के उपयोग में आने पर महत्वपूर्ण सूचना संबंधी डेटा सेट को अलग भी किया जा सकता है।** इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग जिम्मेदार तरीके से किया जा रहा है।
- **बेहतर सहयोग और समन्वय:** प्रौद्योगिकियां पृथक रूप से संचालित नहीं की जा सकती हैं। **प्रौद्योगिकी के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थान और सिविल समाज** जैसे अलग-अलग हितधारकों के साथ सहयोग करना चाहिए।
- **अनुसंधान और विकास में निवेश:** AI प्रौद्योगिकियों के ऐसे अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ाया जाए, जो AI उपयोग के सामाजिक और नैतिक विचारों को प्राथमिकता देते हैं।
- **विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना:** AI सिस्टम को विविध और समावेशी डेटा के आधार पर डिजाइन एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि भेदभाव को कम किया जा सके एवं न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित किये जा सकें।
- **जनता में विश्वास और समझ को बढ़ावा देना:** जनता के साथ बेहतर संवाद विकसित करना और उन्हें AI के बारे में शिक्षित करना चाहिए। इससे जनता में प्रौद्योगिकी के प्रति विश्वास एवं समझ में वृद्धि होगी, जो उनके लिए लाभदायक होगा।

निष्कर्ष

AI एक तेजी से आगे बढ़ता हुआ क्षेत्र है **जिसमें हमारे जीवन और अर्थव्यवस्थाओं के कई पहलुओं को बदलने की क्षमता है।** हालांकि, AI के लाभों का पूरी तरह से अनुभव करने और इसके नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए **उसके विकास तथा क्रियान्वयन में सतर्कता बरतना अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा AI के नैतिक और सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखना भी जरूरी है।**

7.3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन** को मंजूरी दी है।

मिशन के बारे में

- इसमें **भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में वैश्विक चैंपियन बनाना प्रस्तावित** किया गया है। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम किया जा सकेगा।
- **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)**[101] इस **मिशन के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश** तैयार करेगा।

[101] Ministry of New and Renewable Energy

मिशन के उप-घटक

- **हरित हाइड्रोजन की दिशा में आगे बढ़ने वाले कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (SIGHT)[102]:** इसके तहत, इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- **पायलट परियोजनाएं:** यह मिशन **उभरते हुए अंतिम उपयोग वाले क्षेत्रकों में पायलट परियोजनाओं का समर्थन** करेगा। बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन के उत्पादन और/या उपयोग का समर्थन करने में सक्षम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें हरित हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
- **सामरिक हाइड्रोजन नवाचार साझेदारी (SHIP)[103]:** इस **मिशन के तहत अनुसंधान एवं विकास के लिए** सार्वजनिक-निजी भागीदारी फ्रेमवर्क को **सुगम बनाया जाएगा**। यह फ्रेमवर्क लक्ष्य-उन्मुख होगा और इसे वैश्विक मानदंडों के अनुसार बेहतर किया जाएगा।
- **कौशल विकास:** इस मिशन के तहत इस क्षेत्रक में कार्यबल के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।

पारंपरिक ईंधन की तुलना में हाइड्रोजन के लाभ

- **उच्च कैलोरी मान:** हाइड्रोजन में **प्राकृतिक गैस की तुलना में प्रति टन लगभग 2.5 गुनी ऊर्जा होती है।** इससे प्राकृतिक गैस के आयात में कमी आएगी और हमारे जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
- **इस्पात उत्पादन में कोक और कोयले का विकल्प:** हाइड्रोजन संभावित रूप से **लोहे और इस्पात उत्पादन में कोयले एवं कोक की जगह ले सकता है।** इस क्षेत्रक को कार्बन मुक्त करने से भारत के जलवायु संबंधी लक्ष्यों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
- **इलेक्ट्रिक वाहनों में फ्यूल सेल:** हाइड्रोजन को **प्रभावी ढंग से भारी वाहनों के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।** कई ऑटोमोबाइल कंपनियों में इस दिशा में पहले से ही अनुसंधान एवं विकास कार्य तेज गति से चल रहे हैं।
    - ये वाहन उप-उत्पाद के रूप में जलवाष्प का उत्पादन करते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती होगी।

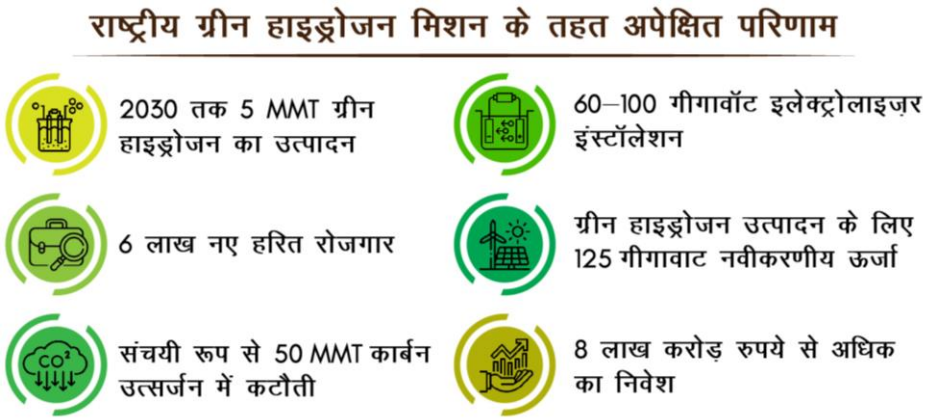

- **ईंधन भरने की तीव्र गति: हाइड्रोजन से चलने वाले फ्यूल सेल वाहनों में उसी गति से ईंधन भरा जा सकता है जिस गति से पेट्रोल/ डीजल से चलने वाले वाहनों में ईंधन भरा जाता है।** यह इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में एक **महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता** है।

[102] Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition Programme

[103] Strategic Hydrogen Innovation Partnership

निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाएं

- **महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना: भारत ने 60-100 गीगावॉट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।** इसे पूरा करने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रकों से अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- **उच्च पूंजी लागत:** इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक की लागत अत्यधिक आती है। साथ ही, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है।
- **ग्रीन हाइड्रोजन की उच्च कीमत:** वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत भारत में 320 रुपये से 330 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है। यह कीमत कई उद्योगों के लिए उपयोग की दृष्टि बहुत अधिक है।
- **हाइड्रोजन का भंडारण:** हाइड्रोजन **एक हल्का पदार्थ है जिसका परिवहन और भंडारण करना अत्यधिक मुश्किल है।** हाइड्रोजन को भंडारित करने के लिए, **इसे तरल रूप में परिवर्तित करके बेहद कम तापमान पर रखना पड़ता** है या उच्च दबाव पर गैस के रूप में रखना पड़ता है।

- **प्रौद्योगिकी का शुरुआती चरण:** यह प्रौद्योगिकी अभी भी अपने विकास के शुरुआती चरण में है। इस कारण निजी भागीदारों को इसके विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना कठिन है।

आगे की राह

- **अवसंरचना का निर्माण:** बेहतर अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इस मिशन के कार्यान्वयन के अनुरूप हाइड्रोजन भंडारण और परिवहन अवसंरचना का निर्माण किया जाना चाहिए।
- **MSMEs को प्रोत्साहन देना:** MSMEs को नए ईंधन को अपनाने से संबंधित लाभों से लाभान्वित करने के लिए सभी स्तरों पर प्रोत्साहनों की घोषणा की जानी चाहिए।
- **बेहतर समन्वय:** मिशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

इलेक्ट्रोलाइजर (Electrolyser)

- इलेक्ट्रोलाइजर एक **उपकरण है जो जल के अणुओं को** उनके घटक ऑक्सीजन (O_2) और हाइड्रोजन (H_2) परमाणुओं में **विभाजित करने में सक्षम होता है।**
- **विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके** O_2 और H_2 परमाणुओं को अलग करने की प्रक्रिया को **विद्युत-अपघटन (इलेक्ट्रोलाइसिस) कहा जाता है।**

इलेक्ट्रोलाइजर के प्रकार

- सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस सेल (SOEC)
- ऐल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर
- प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) इलेक्ट्रोलिसिस

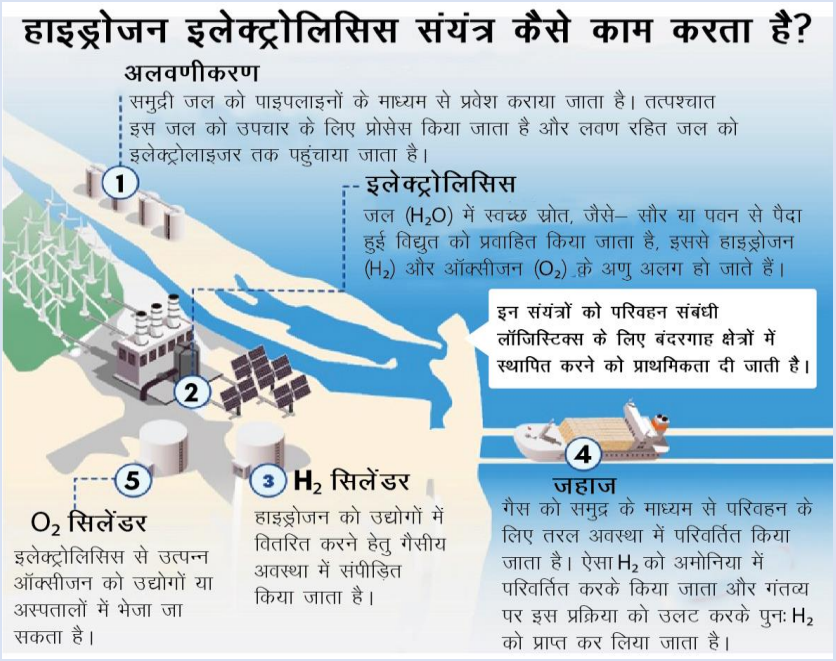

7.4. ट्रांस फैट (Trans Fat)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने "काउंटडाउन टू 2023: WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस-फैट एलिमिनेशन 2022" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह ट्रांस फैट के संबंध में WHO की चौथी वार्षिक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-फैटी एसिड (TFA) के वैश्विक उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में वैश्विक प्रगति की निगरानी करती है।
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:**
  - वर्तमान में, आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेलों (PHO)[104] में TFA की निर्धारित सीमा या TFA के उपयोग पर प्रतिबंध **60 देशों में प्रभावी है, जिनकी कुल आबादी 3.4 बिलियन है।**
    - इस रिपोर्ट के मुताबिक 43 देशों ने अब भोजन में ट्रांस-फैट की समस्या से निपटने के लिए सर्वोत्तम नीतियों को लागू किया है। इन देशों में 2.8 बिलियन लोग या वैश्विक आबादी का लगभग 36% हिस्सा रहता है।
  - 2022 में तीन देशों यथा भारत, ओमान और उरुग्वे ने सर्वोत्तम-पद्धतियों वाली TFA नीतियों को लागू किया है।
    - इससे **सर्वोत्तम-पद्धतियों वाली TFA नीतियों द्वारा संरक्षित आबादी बढ़कर दोगुनी यानी 2.8 बिलियन हो गई है।**
    - इस वृद्धि में 99% से अधिक का योगदान अकेले भारत की जनसंख्या का है।

आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेलों (PHO) के बारे में

- PHO **कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहते हैं और इनसे उत्पादों की उपयोग योग्य अवधि में वृद्धि होती है।**
- इनका उपयोग **मुख्य रूप से डीप फ्राई करने** और बेक किए गए खाद्य पदार्थों में एक घटक के रूप में किया जाता है।
- PHOs के उपयोग की शुरुआत **पहली बार 20वीं शताब्दी की आरंभ में खाद्य आपूर्ति में** मक्खन और चर्बी (lard) के स्थान पर की गई थी।
- ये **मानव आहार का प्राकृतिक हिस्सा नहीं हैं और इसलिए इनके उपयोग को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता** है।

सर्वोत्तम पद्धति वाली नीति

खाद्य पदार्थों में औद्योगिक रूप से उत्पादित TFA को सीमित करने वाले क़ानूनी या विनियामकीय उपाय। TFA के उन्मूलन के लिए दो सर्वोत्तम पद्धति वाली नीतियां हैं:

- **राष्ट्रीय स्तर पर** सभी खाद्य पदार्थों में कुल वसा के प्रति 100 ग्राम में **औद्योगिक रूप से उत्पादित TFA की 2 ग्राम की अनिवार्य सीमा लागू की गई है।**
- **राष्ट्रीय स्तर पर** सभी खाद्य पदार्थों में एक घटक के रूप में **PHO के उपयोग या उत्पादन प्रतिबंधित है।**

[104] Partially Hydrogenated Oils

- **वैश्विक स्तर पर 5 बिलियन लोग हानिकारक ट्रांस-फैट के संपर्क में हैं।** इसके कारण उनमें हृदय रोग और मृत्यु का जोखिम बढ़ रहा है।

ट्रांस फैट के बारे में

- ट्रांस फैट या ट्रांस-फैटी एसिड, असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं जो या तो **प्राकृतिक या औद्योगिक स्रोतों** से प्राप्त होते हैं।
  - **प्राकृतिक स्रोत के रूप ट्रांस-फैट** जुगाली करने वाले पशुओं (गायों और भेड़) से प्राप्त होते हैं।
  - **औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-फैट का निर्माण औद्योगिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है।** इस प्रक्रिया के अंतर्गत वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को मिलाया जाता है। इससे वनस्पति तेल तरल से ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार "आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत" तेल बनता है।
- खाद्य उद्योग में निम्नलिखित कारणों से ट्रांस फैट का उपयोग बड़े पैमाने पर होता रहा है:
  - **ये सस्ते होते हैं,**
  - **इनकी उपयोग करने योग्य अवधि (Shelf life) लंबी होती है,**
  - **ये खाद्य पदार्थों की बनावट (Texture) एवं स्वाद में सुधार भी कर सकते हैं।**
- ट्रांस-फैट से **दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है,** क्योंकि:
  - ये रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल, अर्थात् कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (LDL)[105] के स्तर को बढ़ाते हैं;
  - ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल, अर्थात् उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (HDL)[106] के स्तर को कम करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी सलाह देते हैं कि **कुल ऊर्जा के सेवन में ट्रांस फैट (औद्योगिक रूप से उत्पादित और जुगाली करनेवाला प्राणियों से प्राप्त) 1% से भी कम होना चाहिए।** 2,000 कैलोरी आहार के लिए इसकी मात्रा 2.2 ग्राम/दिन से भी कम होनी चाहिए।

वैश्विक पहल

- **REPLACE पहल:** यह पहल WHO ने शुरू की है। इस पहल को 2023 तक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित TFA के समापन को सुनिश्चित करने में सरकारों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **ट्रांस फैट के समापन के लिए WHO का प्रमाणन कार्यक्रम:** इसके तहत उन देशों को मान्यता दी जाती है, जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित TFA को समाप्त कर दिया है।

औद्योगिक रूप से उत्पादित TFA को समाप्त करने के लिए की गई पहल

- **विनियामकीय उपाय:** भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने औद्योगिक उत्पादों में **ट्रांस फैट को विनियमित करने के लिए कई महत्वपूर्ण नियमों को अधिसूचित किया है।** साथ ही, खाद्य तेल उद्योगों एवं खाद्य व्यवसाय संचालकों को अपने उत्पादों से ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है।
  - FSSAI खाद्य उद्योग में ट्रांस फैट के उपयोग को विनियमित करता है।
- **सर्वोत्तम पद्धति वाली नीति:** भारत 2022 में सर्वोत्तम पद्धति वाली नीति को लागू करने वाला पहला निम्न-मध्यम-आय वाला देश बन गया।
- **मास-मीडिया अभियान:** FSSAI ने ट्रांस फैट के हानिकारक प्रभावों के बारे

[105] Low Density Lipoproteins

[106] High Density Lipoproteins

में **जागरूकता पैदा** करने के लिए **एक सार्वजनिक मीडिया अभियान "हार्ट अटैक रिवाइंड" लॉन्च** किया है।

- **फूड लेबलिंग को अनिवार्य करना:** FSSAI ने पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर ट्रांस-फैटी एसिड का लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस प्रकार की जानकारी से उपभोक्ता के लिए खाद्य पदार्थों के विकल्पों में से अपने लिए बेहतर विकल्प का चुनाव करना आसान हो जाता है।

आगे की राह

- WHO ने सिफारिश की है कि देशों को TFA को खत्म करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है।
  - TFA की सीमा को निर्धारित करने या PHO पर प्रतिबंध लगाने के लिए **सर्वोत्तम पद्धति वाली नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।**
  - खाद्य पदार्थों में TFA सामग्री को मापने के लिए **निगरानी और निरीक्षण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।** इसके तहत प्रयोगशाला क्षमता को **बढ़ाने में निवेश जैसे उपाय किए जा सकते हैं।**
  - **तेल और वसा के स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों, देश-विशिष्ट वैकल्पिक तकनीकों पर चर्चा की जानी चाहिए।** साथ ही, TFA को खत्म करने के लिए **एक प्रतिस्थापन रोडमैप भी बनाना चाहिए।**
  - TFA से संबंधित नीतियों के लाभों का विस्तार करने के लिए **क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय विनियमों को प्रोत्साहित करना चाहिए।**
- **ट्रांस-फैट पर प्रतिबंधों को लागू करना:** FSSAI को निगरानी, खाद्य परिसरों के निरीक्षण, खाद्य उत्पादों के नमूने लेने, अधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण, खाद्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन आदि में सुधार के लिए स्थानीय सरकारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **ट्रांस-फैट को खत्म करने के लिए रेस्तरां को प्रोत्साहित करना:** कई खाद्य निर्माताओं ने स्वेच्छा से अपने उत्पादों से ट्रांस-फैट को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उदाहरण के लिए- McDonald's और KFC दोनों ने अपने तले हुए खाद्य पदार्थों में ट्रांस-फैट के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का संकल्प लिया है।
- **जनता को शिक्षित करना:** जनता को ट्रांस फैट के खतरों के बारे में शिक्षित और उन्हें स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सकता है।

7.5. उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Diseases: NTDs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (NTDs) पर वैश्विक रिपोर्ट- 2023 जारी की है।

NTDs के बारे में

- NTDs मुख्य रूप से **उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित 20 संक्रामक रोगों के एक विविधता युक्त समूह हैं।** इस क्षेत्र में रहने वाले करीब वंचित समुदायों के 1 बिलियन से अधिक लोग इन रोगों से प्रभावित होते हैं।
  - इन्हे "उपेक्षित" इसलिए कहा जाता है क्योंकि **वैश्विक स्वास्थ्य कार्य-योजना में इनपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है और ये उन योजनाओं में अनुपस्थित रहते हैं।**
- **NTDs** वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक और विषाक्त पदार्थों सहित **विभिन्न प्रकार के रोगजनकों के कारण होने वाले रोग हैं।** इनका महामारी विज्ञान (Epidemiology) संबंधी अध्ययन अत्यधिक जटिल है और अक्सर पर्यावरणीय दशाओं से संबंधित होता है।
- **NTDs मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में**, संघर्षरत क्षेत्रों में और दुर्गम क्षेत्रों में **फैलते हैं।** ये बीमारियां उन क्षेत्रों में अधिक फैलती हैं **जहां स्वच्छ जल और स्वच्छता तक लोगों की पहुंच सीमित होती है।** जलवायु परिवर्तन के कारण यह स्थिति और भी खराब हो गई है।
- **NTDs गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की कमी वाले क्षेत्रों को अधिक प्रभावित करती हैं।** इससे गरीब आबादी, इन दुर्लभ बीमारियों के साथ-साथ नए उभरते खतरों के प्रति संवेदनशील हो जाती है।

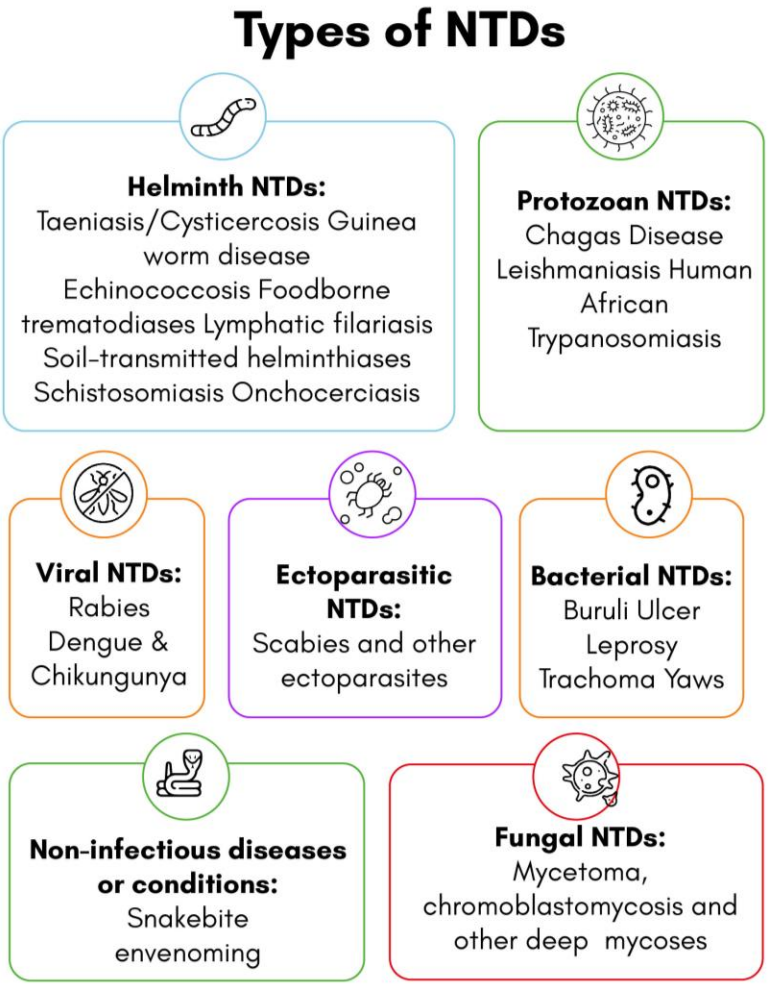

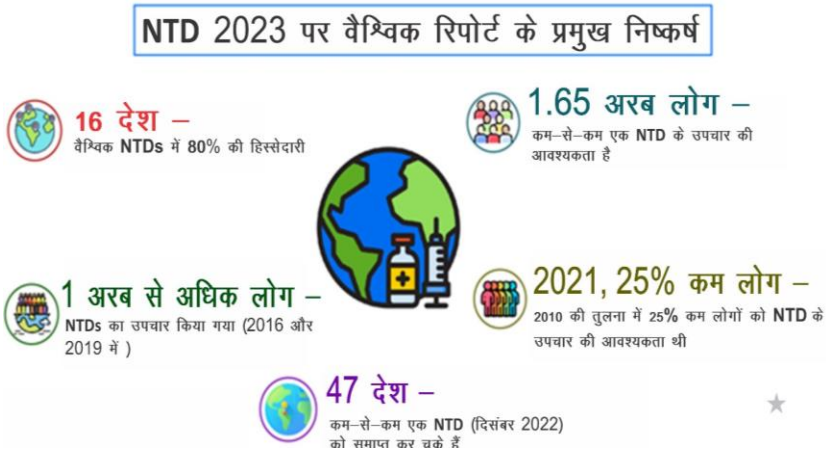

भारत और NTDs

- **भारत कम-से-कम 10 प्रमुख NTDs के मामले में विश्व में सर्वाधिक प्रभावित देश है।** इसमें डेंगू, लिम्फैटिक फाइलेरिया, कुष्ठ रोग, आंतों का लीशमैनियासिस या कालाजार और रेबीज जैसे रोग शामिल हैं।
  - भारत में **NTDs से संबंधित उच्च-रोग-भार** (High-disease-burden) **समान रूप से वितरित नहीं हैं**, बल्कि ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी वाले स्थानों में अधिक केंद्रित हैं। गौरतलब है कि रोग-भार (Disease Burden) स्वास्थ्य समस्या के कारण पड़ने वाले प्रभाव को कहते हैं जिसे वित्तीय लागत, मॉर्टेलिटी (मृत्यु दर) और मॉर्बिडिटी (रोग की व्यापकता) एवं अन्य संकेतकों द्वारा मापा जाता है।
  - हालांकि, **भारत में** गिनी वर्म, ट्रेकोमा और याज (Yaws) सहित **कई NTDs का पहले ही उन्मूलन किया जा चुका है।**

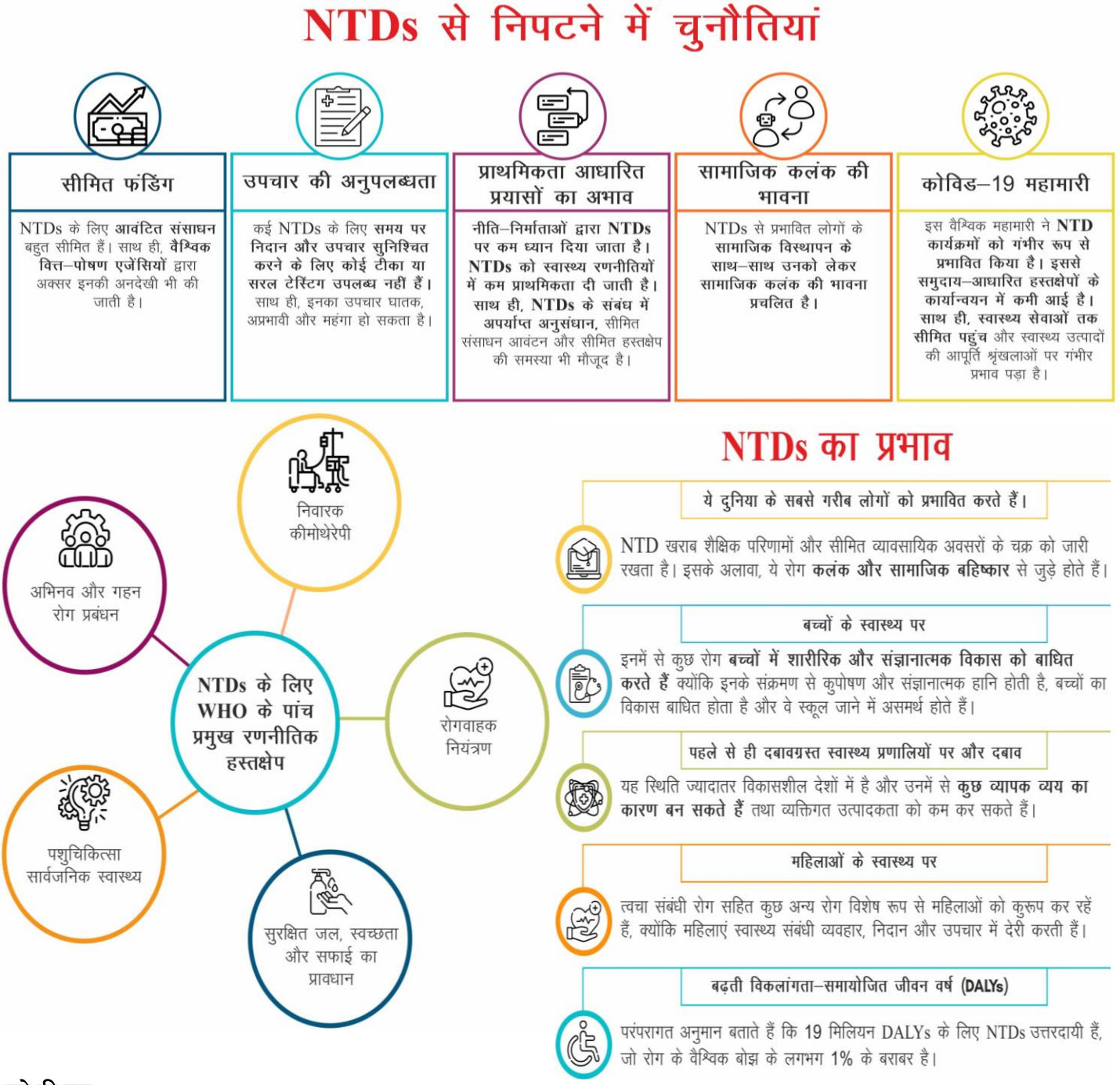

आगे की राह

- **रिपोर्ट में निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई हैं:**
    - एकीकरण और क्रॉस-सेक्टोरल सहयोग को बढ़ावा देने वाले **अभिनव परिचालन और वित्त-पोषण समाधानों** में निवेश करना।
    - सबसे अधिक भार वाले **देशों के लिए वैश्विक सहयोग** को बढ़ावा देना।
        - NTDs कार्यक्रमों में देश के स्वामित्व और संधारणीयता को सुगम बनाना।
- **NTDs के विरुद्ध प्रयासों को निम्नलिखित के माध्यम से अधिक कुशल बनाया जा सकता है:**
    - संपूर्ण-स्वास्थ्य-प्रणाली के लिए एकल दृष्टिकोण के माध्यम से **सभी NTDs को सामूहिक रूप से समाप्त करना।**
    - स्वास्थ्य क्षेत्र के बाहर {शिक्षा, पोषण, जल, साफ-सफाई और स्वच्छता (WASH), पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य} **क्रॉस कटिंग हस्तक्षेपों को बढ़ावा देना।**

- **परिचालन संबंधी अंतराल को भरना,** उदाहरण के लिए बेहतर दवाओं और बेहतर नैदानिक उपकरणों के विकास के माध्यम से।

- कोविड-19 के कारण हुए विलंब की भरपाई करने के लिए **अधिक प्रयास और निवेश करने की आवश्यकता है।** साथ ही, यह सुनिश्चित करना कि पिछली उपलब्धियां बेकार न हो जाएं और 2030 के रोड मैप लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दुनिया भर में NTDs कार्यक्रमों का समर्थन करने हेतु **संसाधनों का एक सतत प्रवाह आवश्यक है।**

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

मुख्यालय
जिनेवा, स्विट्जरलैंड

WHO के बारे में

- इसे 1948 में स्थापित किया गया था। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जो वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समर्पित है।
- WHO का संविधान **7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ था। इस तिथि को प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।**

उद्देश्य

- WHO **स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने और आपात स्थितियों का सामना करने के लिए** वैश्विक स्तर पर काम करता है।
- WHO के **तेरहवें जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क 2019–2023** का उद्देश्य ट्रिपल बिलियन लक्ष्यों को प्राप्त करना है:
  - **एक अरब और लोग** सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से **लाभान्वित हो रहे हैं।**
  - **एक अरब और लोग स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों** से बेहतर ढंग से सुरक्षित हैं।
  - **एक अरब और लोग बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण का लाभ** ले रहे हैं।
- WHO प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों और विस्थापित आबादी सहित आपात स्थितियों के दौरान भी सहायता करता है।

सदस्यता

- दुनिया के **194** देश इसके सदस्य हैं।
- WHO के सदस्य देशों को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: WHO अफ्रीका, WHO अमेरिका, WHO पूर्वी भूमध्यसागरीय, WHO यूरोप, WHO दक्षिण–पूर्व एशिया और WHO पश्चिमी प्रशांत।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

- **विश्व स्वास्थ्य सभा, WHO के मामले में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है।** इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं।
- **महानिदेशक WHO का मुख्य तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारी होता है।** महानिदेशक को पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

उठाए गए कदम

वैश्विक स्तर पर

- **WHO के पहले NTD रोड मैप (2012-2020)** में महत्वपूर्ण पड़ावों और लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। NTDs के लिए **नवीन रोड मैप (2021-2030)** के अंतर्गत 2030 तक NTDs से मुक्त विश्व की ओर आगे बढ़ने के लिए कई प्रमुख कार्रवाइयों और कार्यात्मक बदलावों को निर्धारित किया गया है।
- **विश्व NTD दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है।**
- **गिनी वर्म रोग के उन्मूलन पर अबू धाबी घोषणा-पत्र को अपनाया गया है।**
- उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों पर **किगाली घोषणा-पत्र को अपनाया गया है।**
- NTDs पर **लंदन घोषणा-पत्र।**

भारत में

- **लिम्फैटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए त्वरित योजना (Accelerated Plan for Elimination of Lymphatic Filariasis: APELF)**
- **बांग्लादेश, भारत और नेपाल** ने संयुक्त रूप से **कालाजार को खत्म करने के लिए** WHO द्वारा समर्थित एक **क्षेत्रीय गठबंधन की स्थापना की है।**
- मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और लिम्फैटिक फाइलेरिया (LF) जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम** चलाया जा रहा है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, 2027 तक LF को समाप्त करने के लिए हाल ही में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) शुरू किया गया है।
- केंद्र और राज्य सरकारों ने **कालाजार से पीड़ित लोगों की वेतन की भरपाई करने के लिए मुआवजा योजना की शुरुआत की है।**

7.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.6.1. लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (Large Hadron Collider)

- **CERN ने 2012 में 'गॉड पार्टिकल'** की खोज से ख्याति प्राप्त की थी। हाल ही में इसने अपने **लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC)** की ऊर्जा खपत को कम करने के लिए **उसके संचालन की अवधि को कम** कर दिया है।
  - हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल, **हिग्स फील्ड का बुनियादी बल वाहक कण** है। यह अन्य कणों को उनका द्रव्यमान बनाने के लिए उत्तरदायी है।
- LHC को पहली बार **2008** में शुरू किया गया था। यह **दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक** (particle accelerator) है। यह **प्रोटॉन या आयनों को प्रकाश की गति से गतिमान** करने में सक्षम है।
  - इसमें **त्वरण प्रदान करने वाली कई संरचनाओं के साथ सुपरकंडक्टिंग चुंबकों की 27 किलोमीटर की एक रिंग** है। यह रिंग कणों की ऊर्जा को बल देती है।
  - LHC का उपयोग **एक्सेलरेटेड प्रोटॉन या लीड आयनों** को टकराने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से **चार पार्टिकल डिटेक्टर्स (ATLAS, CMS, ALICE और LHCb)** में इन कणों की **ऊर्जा, दिशा और वेग का मापन** किया जाता है।
  - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल** में अनुत्तरित रह गए प्रश्नों का समाधान करना है, जैसे- **द्रव्यमान की उत्पत्ति; सुपरसिमेट्री, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के प्रमाण आदि।**
- CERN ने वर्तमान LHC के उत्तराधिकारी के रूप में **फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर (FCC)** विकसित करने का प्रस्ताव दिया है।
  - FCC उच्च प्रदर्शन करने वाले **पार्टिकल कोलाइडर की अगली पीढ़ी** है। इसके तहत **100 किमी की परिधि और 100 TeV (टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट) की टकराव ऊर्जा** (collision energy) तक पहुंच प्राप्त करने की योजना है।

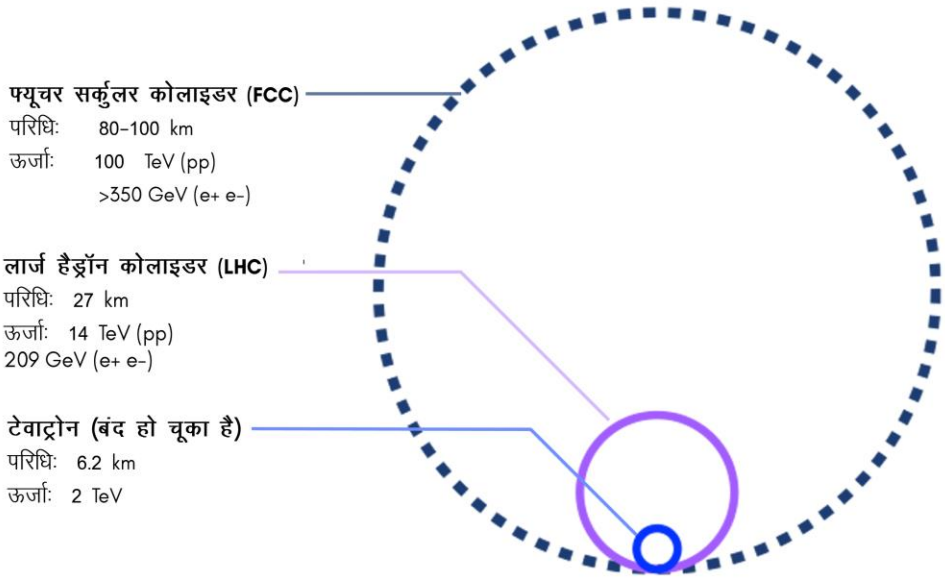

- CERN को 1954 में स्थापित किया गया था। यह **जिनेवा में स्थित एक कण भौतिकी प्रयोगशाला** है। यह **विशेष स्तर की कण त्वरक सुविधाएं** प्रदान करती है, जो मानव ज्ञान के विस्तार के लिए अनुसंधान को सक्षम बनाती हैं।
  - वर्तमान में इसके **23 सदस्य देश** हैं।
  - भारत अन्य देशों के साथ **CERN का एक एसोसिएट सदस्य है। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनेस्को और यूरोपीय संघ को पर्यवेक्षक का दर्जा (Observer status)** प्राप्त है।

7.6.2. स्मार्ट कार्यक्रम (Smart Program)

- **स्मार्ट कार्यक्रम** का पूरा नाम **स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स** है। इसे **भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCISM) और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS)** ने शुरू किया है। ये दोनों संस्थान **आयुष मंत्रालय (MoA) के अधीन** आते हैं।
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से **आयरन की कमी वाले एनीमिया, मोटापा जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा** देना है।
  - यह शिक्षकों को **स्वास्थ्य अनुसंधान के निर्धारित क्षेत्रों में परियोजनाओं को शुरू करने और एक बड़ा डेटाबेस तैयार** करने के लिए प्रेरित करेगा।

NCISM के बारे में	CCRAS के बारे में
• यह NCISM अधिनियम, 2020 द्वारा आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करना है। • यह **गुणवत्तापूर्ण और वहनीय चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने** की दिशा में काम करता है। साथ ही, यह देश के सभी हिस्सों में **भारतीय चिकित्सा प्रणाली के पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता** सुनिश्चित करता है।	• यह आयुष मंत्रालय की एक **स्वायत्त संस्था** है। • यह देश में **आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक विधि से शोध कार्य करने, उसमें समन्वय स्थापित करने, उसका विकास करने एवं उसे उन्नत करने** के लिए एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। • इसकी अनुसंधान गतिविधियों में **औषधीय पादप अनुसंधान** (मेडिको-एथनो बॉटनिकल सर्वे, फार्माकोग्नॉसी एंड टिश्यू कल्चर), **औषधि मानकीकरण** आदि शामिल हैं।

- **आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें**
  - केंद्रीय क्षेत्रक की योजना **आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (AOGUSY)** शुरू की गई है।
  - **गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस** का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की आयुष प्रणाली की प्रभावकारिता और क्षमता को दर्शाना था।

7.6.3. डिजिटल इंडिया अवार्ड्स (Digital India Awards: DIA)

- **राष्ट्रपति ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, 2022** प्रदान किए हैं।
- DIA का उद्देश्य सभी स्तरों पर अलग-अलग **सरकारी संस्थाओं द्वारा अभिनव डिजिटल समाधान/ उल्लेखनीय पहलों को प्रोत्साहित करना और सम्मानित** करना है। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, 2022 में स्टार्ट-अप्स को भी शामिल किया गया है।
  - DIA को **नेशनल पोर्टल ऑफ़ इंडिया** के तत्वावधान में **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा स्थापित किया गया है।
- **इस वर्ष के विजेताओं में शामिल हैं:**
  - **ई-नैम (e-NAM):** यह कृषि जिंसों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने हेतु अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है।
  - **ई-विवेचना ऐप (मध्य प्रदेश):** अपराध की जांच में मदद करने के लिए।
  - **माइन मित्र (उत्तर प्रदेश):** खनन योजना के ऑनलाइन अनुमोदन हेतु।
  - **दुआरे सरकार (पश्चिम बंगाल):** लोगों को उनके घर तक सेवा वितरण और कल्याणकारी योजनाओं के लिए।

7.6.4. XR (एक्सटेंडेड रियलिटी) स्टार्ट-अप प्रोग्राम {XR (Extended Reality) Startup Program}

- **MeitY स्टार्ट-अप हब और मेटा ने XR स्टार्ट-अप प्रोग्राम के लिए 120 स्टार्ट-अप्स तथा नवोन्मेषकों की सूची** की घोषणा की है। MeitY स्टार्ट-अप हब, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक पहल है।
- XR स्टार्ट-अप प्रोग्राम में एक **एक्सेलेरेटर और एक ग्रैंड चैलेंज** शामिल है।
  - एक्सेलेरेटर प्रोग्राम 40 प्रारंभिक चरण के स्टार्ट-अप्स का समर्थन कर रहा है।
  - **ग्रैंड चैलेंज** शिक्षा, लर्निंग और कौशल, स्वास्थ्य देखभाल, गेमिंग एवं मनोरंजन आदि जैसे क्षेत्रकों में शुरुआती चरण के नवोन्मेषकों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

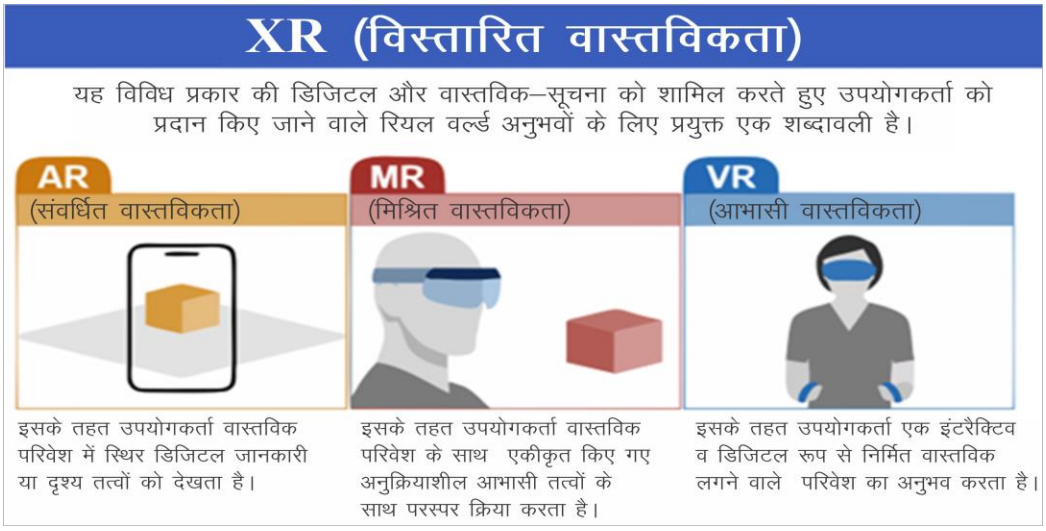

- XR कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और धारण करने योग्य उपकरणों द्वारा उत्पन्न सभी **वास्तविक एवं आभासी संयुक्त परिवेश को संदर्भित** करता है।
  - इसमें **ऑगमेंटेड रियलिटी**, **मिक्स्ड रियलिटी**, **वर्चुअल रियलिटी** आदि जैसे प्रतिनिधि रूप शामिल हैं।

7.6.5. क्वांटम सुसंगतता (Quantum Coherence)

- हाल ही में, वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने क्वांटम डॉट स्पिन क्यूबिट्स की **क्वांटम सुसंगतता (Coherence) को बनाए रखने में सफलता** हासिल की है।
- **क्वांटम सुसंगतता:** यह क्वांटम अवस्था द्वारा इंटरेक्शन के चरण में अपनी एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन को बनाए रखने की क्षमता है।
  - यह इस अवधारणा पर आधारित है कि **सभी ऑब्जेक्ट्स में तरंग जैसे गुण मौजूद होते हैं।**
  - यदि किसी ऑब्जेक्ट की तरंग-जैसी प्रकृति दो भागों में विभाजित हो जाती है और एक ही माध्यम में गति करते हुए दोनों तरंगें आपस में मिलकर एकल अवस्था का निर्माण करती हैं, तो इसे दो अवस्थाओं का सुपरपोजिशन कहते हैं। **क्यूबिट, 0 और 1 अवस्थाओं की सुपरपोजिशन है।**
- क्वांटम नेटवर्क्स के लिए स्पिन-फोटॉन इंटरफेस **आधारभूत निर्माण खंड** होते हैं। ये स्थैतिक क्वांटम सूचनाओं को प्रकाश **(अर्थात् फोटॉन्स)** में परिवर्तित करने में सक्षम बनाते हैं। इस प्रकार सूचनाओं को लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। स्थैतिक क्वांटम सूचनाएं स्पिन क्यूबिट के रूप में आयन की क्वांटम अवस्था या ठोस अवस्था में हो सकती हैं।
  - इस संदर्भ में एक **बड़ी चुनौती एक ऐसे इंटरफ़ेस** की खोज करने से संबंधित है, जो क्वांटम सूचनाओं को अच्छे तरीके से भंडारित कर सके और कुशलता से प्रकाश या फोटॉन्स में परिवर्तित कर सके।
- ऑप्टिकल रूप से सक्रिय **सेमीकंडक्टर क्वांटम डॉट्स, अब तक ज्ञात सबसे कुशल स्पिन-फोटॉन इंटरफ़ेस** हैं। हालांकि, उनके **भंडारण समय को कुछ माइक्रो सेकंड से बढ़ाना** भी भौतिकविदों के लिए दशकों के शोध के बावजूद भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
  - हालिया शोध इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। यह **क्वांटम सूचनाओं को 100 माइक्रोसेकंड से अधिक समय तक भंडारित करने का अवसर प्रदान** करता है।
- **क्वांटम डॉट्स (QDs) एक विशेष प्रकार के नैनोक्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर** होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल गुण, डॉट्स के आकार एवं बनावट पर निर्भर करते हैं। इनका उपयोग अग्रलिखित के लिए किया जा सकता है- **जैव-चिकित्सा और पर्यावरण के क्षेत्र में; फोटोकंडक्टर व फोटोडिटेक्टर में, लाइट-एमिटिंग डायोड (LED) और डिस्प्ले संबंधी उपयोग के लिए QDs में आदि।**

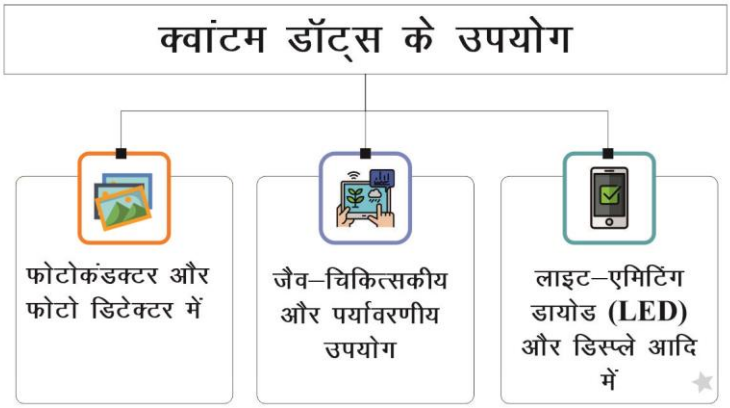

  - क्वांटम डॉट्स में स्पिन के लिए सुसंगतता समय की लघु अवधी क्वांटम प्रौद्योगिकी के उपयोग के समक्ष सबसे बड़ी बाधा थी।

7.6.6. BharOS ऑपरेटिंग सिस्टम (BharOS)

- BharOS एक **एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट (AOSP) आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम** है। इसमें **कोई भी गूगल ऐप या सेवाएं नहीं** हैं।
- इसे **JandK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड** ने विकसित किया है। यह **आई.आई.टी. मद्रास में इनक्यूबेट हुआ** एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- BharOS और गूगल के एंड्रॉयड OS के बीच **प्रमुख अंतर** यह है कि **BharOS में गूगल सेवाओं को शामिल नहीं** किया गया है।
- यह **एक ऐसा बेयरबोन ऑपरेटिंग सिस्टम** होगा, जो **उपयोगकर्ताओं को अपनी पसंद के ऐप को इंस्टॉल करने** की अनुमति देगा।

7.6.7. एकाकी तरंगें {Solitary Winds (SW)}

- भारतीय वैज्ञानिकों ने नासा के **मैवेन (MAVEN) अंतरिक्ष यान** द्वारा रिकॉर्ड किए गए डेटा की मदद से **मंगल ग्रह के चुंबकमंडल (Magnetosphere) में SW की उपस्थिति के प्रारंभिक प्रमाण की पुष्टि की है।**
  - SW विशेष विद्युत क्षेत्र में होने वाले उतार-चढ़ाव (द्विध्रुवीय या एकध्रुवीय) हैं, जो निरंतर आयाम-चरण संबंधों का अनुसरण करते हैं। उनके प्रसार के दौरान उनकी आकृति और आकार कम प्रभावित होते हैं।
- **मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन (MAVEN)** मंगल ग्रह के वायुमंडल व आयन मंडल का अध्ययन कर रहा है। साथ ही, ये मंडल सूर्य और सौर पवनों के साथ कैसे अभिक्रिया कर रहे हैं, इसका भी पता लगा रहा है।

7.6.8. C/2022 E3 (ZTF) धूमकेतु {C/2022 E3 (ZTF) Comet}

- हाल ही में खोजा गया यह धूमकेतु **50,000 वर्षों में पहली बार दिखाई देगा।** इस धूमकेतु को पालोमर ऑब्जर्वेटरी (यू.एस.ए.) ने खोजा है।
- धूमकेतु **धूल, चट्टान** और **हिम खण्डों के जमे हुए अवशेष** हैं। ये आकाशीय पिंड हैं जो ग्रहों और क्षुद्रग्रहों के साथ मिलकर सौर मंडल का गठन करते हैं।
  - हमारा सौरमंडल करीब 4.6 बिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया।
- जब **एक धूमकेतु अपनी कक्षा में गति करते हुए सूर्य के करीब** आता है, तो यह गर्म हो जाता है। इसके बाद यह अधिकांश ग्रहों की तुलना में **बड़े चमकदार शीर्ष से** धूल और गैसें मुक्त करता है। सामान्यत: धूमकेतु चमकीले शीर्ष और लंबी पूँछ वाले होते हैं।
- **कुइपर बेल्ट में अरबों की संख्या में धूमकेतु** हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें **लघु-अवधि के धूमकेतु** कहते हैं। हालांकि, कुछ धूमकेतु अधिक दूरी पर **ऊर्ट क्लाउड** में पाए जाते हैं। इन्हें **दीर्घ-अवधि के धूमकेतु** कहते हैं।

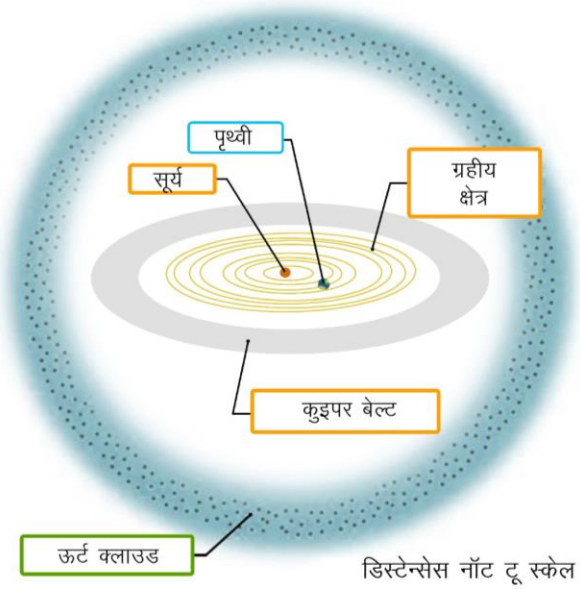

डिस्टेन्सेस नॉट टू स्केल

7.6.9. आर.आर. लिराए तारे (RR Lyrae Stars)

- मिल्की वे के तारकीय प्रभामंडल (Stellar halo) में 200 से अधिक दूरस्थ व परिवर्तनशील तारे खोजे गए हैं। इन्हें **आर.आर. लिराए (RR Lyrae)** तारों के रूप में जाना जाता है। ये आकाशगंगा के चारों ओर तारों का एक गोलाकार मेघ हैं।
- आर.आर. लिराए **तारे अपनी परिवर्तनशील चमक** के लिए जाने जाते हैं। इनकी यही विशेषता **दूरियों को मापने में मदद** करती है।
- एक आकाशगंगा वस्तुत: **गैस, धूल** और **अरबों तारों तथा उनके सौर मंडल का एक विशाल संग्रह** है। ये सभी **गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ बंधे** होते हैं।
  - एक आकाशगंगा **सर्पिल, अण्डाकार या अनियमित हो सकती** है।
  - हमारी आकाशगंगा (**मिल्की वे**) सर्पिल आकार की है। इसके मध्य में **एक सुपरमैसिव ब्लैक होल** भी है।

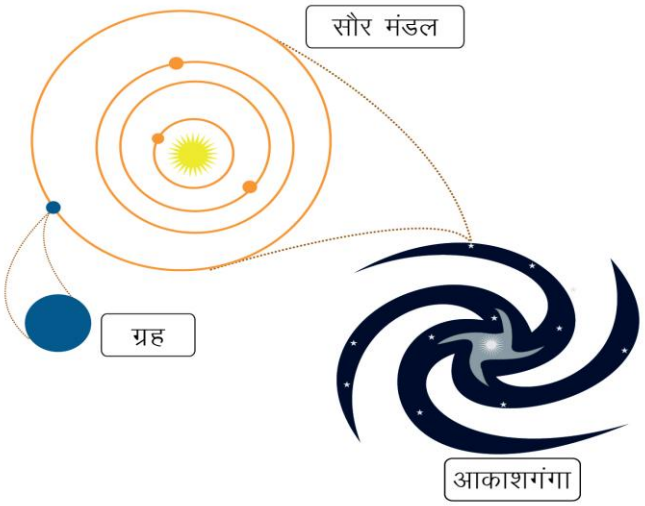

7.6.10. इम्यून इम्प्रिंटिंग (Immune Imprinting)

- हाल ही में हुए एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार, **इम्यून इम्प्रिंटिंग द्विसंयोजक (bivalent) बूस्टर को कम प्रभावी** बना सकती है।
  - **द्विसंयोजक बूस्टर टीकों के वेरिएंट-विशिष्ट बूस्टर शॉट्स हैं।** इन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतर प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए बनाया गया है।
- **इम्यून इम्प्रिंटिंग अपनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को दोहराने की शरीर की प्रवृत्ति है।** यह संक्रमण या टीकाकरण के माध्यम से **प्रथम संक्रमण की स्मृति** पर आधारित है।
  - **इम्प्रिंटिंग प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एक डाटाबेस** के रूप में कार्य करती है। इससे बार-बार होने वाले संक्रमणों के खिलाफ बेहतर प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है।
  - यह **वैरिएंट-विशिष्ट बूस्टर खुराक को अल्प प्रभावी** बनाती है।
- इम्यून इम्प्रिंटिंग की **अवधारणा पहली बार 1947 में सामने** आई थी।

8. कला और संस्कृति

8.1. राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक (Monuments of National Importance: MNI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)**[107] **ने 'राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक: युक्तिकरण की तत्काल आवश्यकता**[108]**'** रिपोर्ट जारी की है।

भारत की सांस्कृतिक विरासत और इसके संरक्षण के लिए किए गए प्रावधान

भारत के ऐतिहासिक स्मारक **भव्य और विविध सांस्कृतिक इतिहास** को दर्शाते हैं। ये देश भर में फैली भारत की **मूर्त सांस्कृतिक विरासत** का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन स्मारकों में से **32 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची** में शामिल हैं। गौरतलब है कि **यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची** में भारत से कुल 40 धरोहर शामिल हैं। इनमें से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित प्रकृति के हैं।

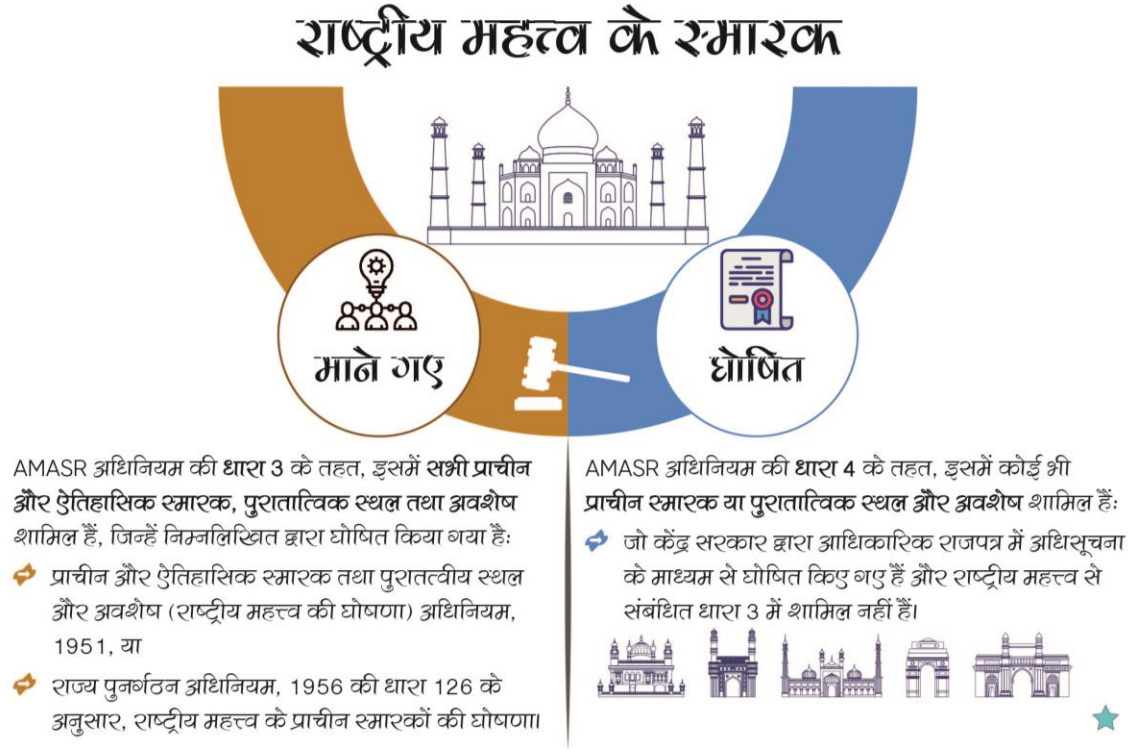

- **MNIs को कानूनी संरक्षण: भारत के संविधान के अनुच्छेद 49** में राज्य के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा करने का निर्देश है।
    - इस प्रकार, भारत के ऐतिहासिक और पुरातात्विक खजाने का बेहतर रूप से संरक्षण करने के लिए **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958**[109] को लागू किया गया है।
    - **AMASR अधिनियम (2010 में संशोधित)** उन प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान करता है, **जिन्हें कानून के तहत 'राष्ट्रीय महत्त्व' का माना या घोषित किया जाता है (इन्फोग्राफिक देखें)।**
- **MNI का प्रबंधन: संस्कृति मंत्रालय,** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय महत्त्व के सभी **केंद्रीय संरक्षित स्मारकों** (CPMs)[110] का प्रबंधन करता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India: ASI)

- इसकी **स्थापना 1861** में की गई थी। यह **संस्कृति मंत्रालय** का एक संलग्न कार्यालय है।
- यह **पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण** करने वाला देश का प्रमुख संगठन है।
- यह **राष्ट्रीय महत्त्व के केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/ स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।** इनमें **24 विश्व धरोहर संपत्तियां** भी शामिल हैं।
    - **अगस्त 2022** तक, भारत में **AMASR अधिनियम, 1958** के तहत **3,695** MNI थे।
    - इसके अलावा, देश में **4,500 से अधिक राज्य संरक्षित स्मारक** हैं।

[107] Economic Advisory Council to the Prime Minister

[108] Monuments of National Importance: Urgent Need for Rationalization

[109] Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (AMASR Act, 1958)

- **राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (NMA)[111] की स्थापना** 2010 में गई थी। इसे **'प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010'** के तहत स्थापित किया गया है। यह प्राधिकरण **राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों (MNI)[112]** की ग्रेडिंग और वर्गीकरण करने में केंद्र सरकार की मदद करता है।
- NMA **निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की सीमाओं की भी देखरेख** करता है।
  - **निषिद्ध क्षेत्र:** स्मारक के **100 मीटर (m) के दायरे में विनिर्माण संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध,** और
  - **विनियमित क्षेत्र: विनिर्माण पर विनियमों** के साथ निषिद्ध क्षेत्र से **200 मीटर** की दूरी तक का क्षेत्र।

MNI के संरक्षण में आने वाली चुनौतियां

- **कानूनी अस्पष्टता:** AMASR अधिनियम, 1958 में या संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति (2014) में 'राष्ट्रीय महत्त्व' की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है।
- **उपनियमों की कमी:** वर्ष 2010 के संशोधन के माध्यम से, NMA को सभी 3,695 स्मारकों के लिए उपनियम तैयार करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। हालांकि, तब से लेकर अब तक, केवल कुछ ही स्मारकों (2021 तक लगभग 126 MNI) के लिए उपनियम तैयार किए गए हैं। **इनमें से अधिकांश को अभी ASI की मंजूरी नहीं मिली है।**
- **चयन संबंधी त्रुटियां:** परिभाषा, मूल प्रक्रिया और मानदंडों की कमी से चयन संबंधी त्रुटियां होती हैं, जैसे:
  - औपनिवेशिक कब्रों और कब्रिस्तानों जैसे **गौण स्मारकों** को MNI के रूप में माना जाता रहा है।
  - **अस्थायी पुरातत्वों** जैसे शिलालेखों, पटलिकाओं या छोटी मूर्तियों को भी MNI के रूप में शामिल किया जाता है, जिनका कोई स्थायी पता नहीं है।
  - **पता नहीं लगाए जा सके या बिना जानकारी वाले स्मारकों** को अभी भी MNI के रूप में माना जाता है।
- **स्मारकों के सर्वेक्षण/ समीक्षा का अभाव:** यह पता लगाने के लिए कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं करवाया जाता है कि स्मारक राष्ट्रीय महत्त्व के हो सकते हैं या वे अपनी महत्ता खो चुके हैं।
- **स्मारकों का भौगोलिक रूप से विषम वितरण:** MNIs देश भर में फैले हुए हैं, फिर भी इनका भौगोलिक वितरण असंतुलित है:
  - **60 प्रतिशत** से अधिक MNIs केवल **पांच राज्यों** (उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र) में हैं।
  - अकेले **दिल्ली में 173** MNIs हैं, लेकिन **तेलंगाना** जैसे बड़े राज्य में केवल **8 MNIs** हैं।
- **स्मारकों के रखरखाव पर अपर्याप्त व्यय:** MNIs के संरक्षण और देखरेख के लिए बजटीय आवंटन बहुत कम तथा अपर्याप्त है। उदाहरण के लिए-

---

[110] Centrally Protected Monuments

[111] National Monuments Authority

[112] Monuments of National Importance

- वर्ष 2019-20 में, **3695 MNIs के "रक्षण, संरक्षण और पर्यावरण संबंधी विकास"** के लिए बजटीय आवंटन केवल 428 करोड़ रुपये या प्रति MNI 11 लाख रुपये था।
- इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय या ASI को टिकटिंग, फोटोग्राफी, फिल्मांकन आदि के माध्यम से स्मारकों पर एकत्र किए गए राजस्व का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इससे यह **राजकोषीय असंतुलन और बढ़ जाता है।**

- **ASI में रिक्तियां:** ASI में स्मारकों के दिन-प्रतिदिन के रखरखाव तथा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार **स्मारक परिचारकों और सुरक्षा गार्डों** की अत्यधिक रिक्तियां हैं।
- **NMA की भूमिका और जिम्मेदारी पर स्पष्टता की कमी:** ASI (स्मारकों का रखरखाव) और NMA (आस-पास के क्षेत्र का विकास) के बीच जिम्मेदारियों के पृथक्करण पर स्पष्टता का अभाव है।

भारत के ऐसे स्मारक जिनकी कोई जानकारी (नामौजूद) नहीं मिली

- **92 नामौजूद स्मारक:** वर्ष 2013 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के स्मारकों और पुरावशेषों के रक्षण एवं संरक्षण के प्रदर्शन ऑडिट में केवल 1,655 स्मारकों के भौतिक निरीक्षण के आधार पर 92 MNIs को नामौजूद पाया गया।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने **भौतिक रूप से अस्तित्व में रहे 42 स्मारकों, शहरीकरण के कारण प्रभावित 14 स्मारकों तथा जलाशय बांधों के नीचे डूबे हुए 12 स्मारकों** का पता लगाया है/उनकी पहचान की है।
  - **शेष 24 स्मारकों और स्थलों** का अभी तक कोई पता नहीं चला है। इनमें **उत्तर प्रदेश के 11 तथा दिल्ली और हरियाणा के दो-दो स्मारक** शामिल हैं।
- **नामौजूद स्मारकों की कोई अवधारणा नहीं:** CAG सर्वेक्षण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ASI को अपने अध्ययन से पहले इन स्मारकों का कोई संज्ञान नहीं था। इसके अलावा, AMASR अधिनियम में **नामौजूद स्मारकों की अवधारणा** शामिल नहीं है।
  - AMASR अधिनियम की **धारा 35** में उन स्मारकों को राष्ट्रीय महत्त्व की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है, जो किसी कारण से राष्ट्रीय महत्त्व के नहीं रह गए हैं।

आगे की राह

- स्मारकों को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने के लिए **उचित परिभाषा, स्पष्ट मानदंड और एक बहुस्तरीय प्रक्रिया** होनी चाहिए। **विश्व धरोहर स्थलों पर यूनेस्को के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश** इस संबंध में मदद कर सकते हैं।
- कैग के ऑडिट सर्वेक्षण में शामिल नहीं किए गए शेष CPMs के सर्वेक्षण के माध्यम से **MNI सूची की तत्काल जांच और युक्तिकरण** किया जाना चाहिए।
  - इसके अलावा, भविष्य में ASI प्रत्येक MNI की विशेषताओं (छवि, सटीक स्थान आदि) की **डिजिटल लॉगबुक** को बनाए रख सकता है। साथ ही, ASI से अनिवार्य निश्चित समय से सर्वेक्षण कराया जा सकता है।
  - इससे **स्मारक-विशिष्ट निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों** को बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही, स्मारकों के पास रहने वाले निवासियों के लिए संपूर्ण अनुमोदन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने में सहायता भी प्राप्त होगी।
- केन्द्र और राज्यों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों के समन्वय एवं समाधान के लिए **राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन करना चाहिए।**
  - साथ ही, **स्थानीय महत्त्व के स्मारकों** को उनके संरक्षण और रखरखाव के लिए संबंधित राज्यों को सौंप दिया जाना चाहिए।
- **वैज्ञानिक उपकरणों और अभिलेखीय रिकॉर्ड** का उपयोग करके **नामौजूद स्मारकों** का पता लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- पुराने राजस्व रिकॉर्ड, राजस्व मानचित्र तथा प्रकाशित रिपोर्ट्स की मदद से उपग्रहों का उपयोग करना चाहिए तथा क्षेत्र अन्वेषण और नियमित सर्वेक्षण किए जाने चाहिए।
- NMA को ASI के तहत एक **स्वायत्त निकाय बनाकर उसे सशक्त बनाना** चाहिए। साथ ही, स्मारकों के रखरखाव की जिम्मेदारी ASI से लेकर NMA को दी जानी चाहिए।
  - ASI का मुख्य ध्यान पुरातत्व अनुसंधान, उत्खनन, जीर्णोद्धार और संग्रहालयों के रखरखाव पर होना चाहिए।
- **रिक्त पदों को भरना चाहिए** तथा स्वच्छता के नियमित निरीक्षण के साथ MNIs पर चौबीसों घंटे नजर रखने के लिए **प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए।**
  - स्थानीय पंचायतों और पुलिस को भी स्मारकों की सुरक्षा में शामिल किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो, तो इस संबंध में AMASR अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है।
- MNIs की सुरक्षा, संरक्षण तथा जीर्णोद्धार हेतु विशेष बजट आवंटन के माध्यम से **निधि आवंटन में वृद्धि करनी चाहिए।**
  - टिकट, कार्यक्रमों, शुल्क आदि के माध्यम से MNI के लिए **नए राजस्व स्रोतों को आरंभ** करना चाहिए। साथ ही स्थानीय लोगों, गैर सरकारी संगठनों और समाजों (जैसे INTACH) की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। संस्कृति मंत्रालय और ASI के साथ पर्यटन मंत्रालय की **"अडॉप्ट ए हेरिटेज" पहल** इसका एक उदाहरण है।

8.2. चराइदेव मोइदाम (अहोम राजवंश की टीले वाली शवाधान प्रणाली) {Charaideo Maidams (Ahom Burial Mounds)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार ने यह तय किया है कि **असम के चराइदेव मैदाम या मोइदाम** को वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हेतु नामित किया जाएगा। चराइदेव मैदाम या मोइदाम **अहोम राजवंश का शाही कब्रगाह है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- यह घोषणा ऐसे समय पर की गई है, जब भारत महान अहोम **सेनापति लचित बोरफुकन** की 400वीं जयंती मना रहा है। इन्हें **ताई अहोम** के नाम से भी जाना जाता है।
- **यदि इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना जाता है, तो यह ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली सांस्कृतिक विरासत होगी।**

चराइदेव मोइदाम के बारे में

- चराइदेव मोइदाम **अहोम वंश के राजघराने के अवशेषों वाले टीले हैं।**
- **विशेषताएं और स्थान:**
  - ये मोइदाम **पटकाई पर्वत श्रृंखला** की तलहटी पर स्थित हैं।
  - इन्हें आमतौर पर **असम के पिरामिड** के नाम से भी जाना जाता है।
- **जानकारी का स्रोत:**
  - **चांगरुंग फुकन** ने मोइदाम के अलग-अलग पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। चांगरुंग फुकन अहोम द्वारा विकसित धर्मवैधानिक ग्रंथ है।
- **संरचना:**
  - ये **गुंबदाकार कक्ष होते** हैं। ये अक्सर दो मंजिला होते हैं।
  - इसके शीर्ष पर **मिट्टी का एक अर्धगोलाकार टीला** होता है, जो ईंटों की संरचना वाले कक्ष को ढके हुए होता है।
    - साथ ही, टीले के आधार पर **एक अष्टकोणीय चारदीवारी** और पश्चिम में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार होता है।
  - प्रत्येक **गुंबदाकार कक्ष** के केंद्र में एक **ऊंचा चबूतरा** होता है, जहां शव को रखा जाता था।
  - खुदाई से यह भी पता चला है कि अहोम राजाओं को **उनके खजाने तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ दफनाया** जाता था। जैसे राजवंशीय प्रतीक चिन्ह, लकड़ी या हाथी दांत या लोहे से बनी वस्तुएं, सोने के पेंडेंट आदि।
- **इस शवाधान प्रणाली का अस्तित्व कमजोर होने का कारण:** 18वीं शताब्दी के बाद बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अन्यों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपनाया शुरू कर दिया था।
  - फिर, उन्होंने अंतिम संस्कार की गई हड्डियों और राख को मोइदाम में दफनाना शुरू कर दिया था।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

- **विश्व धरोहर स्थल** के रूप में उन सांस्कृतिक स्थलों का चयन किया जाता है, जो मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के होते हैं। साथ ही, **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की विश्व धरोहर सूची** में सूचीबद्ध अलग-अलग क्षेत्रों या ऑब्जेक्ट्स के लिए भी सार्वभौमिक मूल्य के होते हैं।
- इन स्थलों को **1972 में अपनाए गए 'विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन'** के तहत विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया जाता है।
- **जनवरी 2023 तक, 1,157 विश्व धरोहर स्थल** थे। इन स्थलों को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: **सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल और मिश्रित स्थल।**
- **भारत में विश्व धरोहर स्थल**
  - वर्तमान में, **देश में 40 विश्व धरोहर स्थल** हैं। इनमें से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित **{कंचनजंगा (खांगचेन्दोंगा) राष्ट्रीय उद्यान: सिक्किम}** प्रकार का स्थल है।

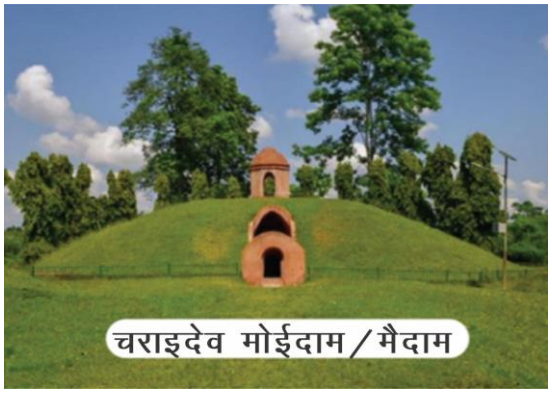

मोइदाम निर्माण के चरण		
अवधि	**13वीं शताब्दी ई. से 17वीं शताब्दी ई.**	**18वीं शताब्दी ई. के बाद**
उपयोग की जाने वाली सामग्री	निर्माण के लिए **लकड़ी** का उपयोग **प्राथमिक सामग्री** के रूप में किया जाता था।	निर्माण के लिए **अलग-अलग आकारों के पत्थर और पक्की ईंटों** का उपयोग किया जाने लगा था।

अहोम राजवंश

- **अहोम राजवंश** की स्थापना **छो लुंग सुकफा ने 1228 ई.** में की थी। वह **मोंग माओ का शान राजकुमार** था। वह पटकाई पर्वत को पार करके म्यांमार से असम आया था।
- अहोम वंश की **पहली राजधानी चराइदेव** (गुवाहाटी के पूर्व में) थी।
  - **चराइदेव का अर्थ है पहाड़ के ऊपर बना चमकदार नगर।**
- 16वीं शताब्दी में, सुहुंगमुंग के शासनकाल में, अहोमों ने **चुटिया और कछारी राज्यों के क्षेत्रों पर अधिकार** कर लिया था।

लचित बोरफुकन (अहोम राजवंश का महान सेनापति या सेनाध्यक्ष)
1662 ई. में, मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना ने असम पर आक्रमण किया और गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था। **सरायघाट की लड़ाई (1671)** में, लचित बोरफुकन ने मुगल सेना को हरा दिया था और मुगलों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को पुनर्प्राप्त कर लिया था।

प्रशासन:

- **अहोम** राजा को **स्वर्गदेव** के नाम से जाना जाता था।
- **मंत्रिपरिषद को पात्र मंत्री** कहा जाता था।
- **बोरबरुआ (सैन्य और न्यायिक प्रमुख) तथा बोरफुकन (सैन्य एवं असैन्य)** महत्वपूर्ण अधिकारी थे।
- उन्होंने **भुइयां (जमींदारों)** की पुरानी राजनीतिक प्रणाली को बदल दिया था।

समाज और धर्म:

- समाज को **कुलों या खेलों** में विभाजित किया गया था। एक खेल अक्सर कई गांवों को नियंत्रित करता था।
- उन्होंने हिंदू धर्म के कई तत्वों जैसे वर्ण व्यवस्था को अपनाया हुआ था।
- शुरुआत में, वे **आदिवासी देवताओं** की पूजा करते थे।
- उन्होंने **सुदांगफा** (1397-1407) के शासनकाल के समय **हिंदू धर्म को अपनाया था।** हालांकि, उन्होंने अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था।
- राजा ने **मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि दान** दिया था।

अर्थव्यवस्था:

- उन्होंने **पाइक प्रणाली** का पालन किया, जिसमें लोग एक **बंधुआ मजदूर (अवैतनिक या बलपूर्वक श्रम)** के रूप में कार्य करते थे।
- उन्होंने **ऊपरी असम में नम चावल की खेती** शुरू की थी। यह काफी हद तक दलदली और कम **आबादी वाली भूमि** थी।

सेना:

- अहोम सेना में पैदल सेना, नौसेना, तोपखाने, हाथी, घुड़सवार सेना और गुप्तचर शामिल थे।
- पाइक प्रणाली के तहत भर्ती किए गए वयस्कों का **लड़ाकों के रूप में** उपयोग किया जाता था। इसके लिए उन्हें भूमि का एक भाग दिया जाता था।
- अहोम सैनिक **गुरिल्ला लड़ाई** में निपुण थे। इस रणनीति से वे शक्तिशाली मुगलों को पराजित करने में सफल रहे थे।

अंत/ पतन:

- अहोम शासन 1826 ई. में अंग्रेजों द्वारा असम के कब्जे **(यान्डाबू की संधि)** के साथ समाप्त हो गया था।

8.3. सम्मेद शिखर और शत्रुंजय पहाड़ी (SAMMED Shikhar and Shetrunjay Hill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

झारखंड में **पारसनाथ पहाड़ी पर सम्मेद शिखर और गुजरात के पालीताणा में शत्रुंजय पहाड़ी जैन धर्म** के धार्मिक स्थल हैं। इन धार्मिक स्थलों पर हस्तक्षेप को लेकर जैन समुदाय ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- झारखंड में, यह विरोध **पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने से संबंधित है।**

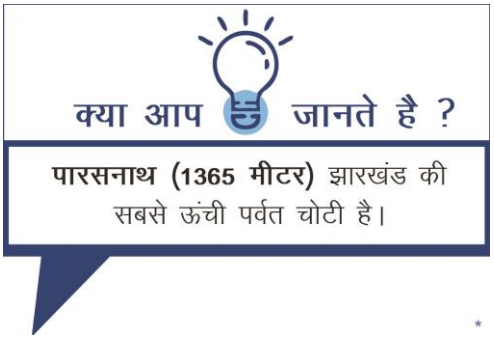

- जैन समुदाय झारखंड सरकार की **पर्यटन नीति** का विरोध कर रहा है। इस नीति का **उद्देश्य पारसनाथ पहाड़ियों में सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित** करना है।
- इसके अलावा, 2019 में **पारसनाथ पहाड़ी को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित** किया गया था। मंत्रालय ने यहां पर एक इको-टूरिज्म विकसित करने की योजना बनाई है।
- जैन समुदाय का मानना है कि **इससे उनके धार्मिक स्थल की पवित्रता भंग होगी।**

संथालों ने पारसनाथ पहाड़ी पर अपना दावा किया है

- जैन समुदाय द्वारा विरोध करने पर **केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** ने पारसनाथ पहाड़ी के 10 किलोमीटर के दायरे में **शराब तथा मांसाहारी भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध** लगा दिया है।
- इस फैसले का झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय **संथालों ने विरोध** किया है।
  - वे **पारसनाथ पहाड़ी को अपना मरंग बुरू (पहाड़ी देवता)** मानते हैं।
  - इस फैसले से उनके पशु बलि जैसे धार्मिक अनुष्ठान प्रभावित होंगे।
- ब्रिटिश काल के दौरान, **पारसनाथ पहाड़ी पर संथाल और जैनियों के बीच विवाद की सुनवाई प्रिवी काउंसिल** द्वारा की गई थी। प्रिवी काउंसिल **ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्च अदालत थी।**
  - परिषद ने संथाल जनजाति के पक्ष में फैसला सुनाया था।

- गुजरात में, यह विवाद **प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के पैरों का प्रतिनिधित्व करने वाली संगमरमर की नक्काशी आदिनाथ दादा के पगला** में तोड़फोड़ को लेकर है।
  - जैन समुदाय ने **शत्रुंजय पहाड़ी के अवैध व्यवसायीकरण व खनन** पर भी चिंता व्यक्त की है।
  - जैन समुदाय की मांग है कि शत्रुंजय पहाड़ी और उसके आस-पास के क्षेत्र की रक्षा की जाए, ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे।

सम्मेद शिखर के बारे

- इसे **सम्मेत शिखरजी (शाब्दिक अर्थ आदरणीय शिखर) या शिखरजी** के नाम से भी जाना जाता है।
  - इसे **जैन धर्म में 'सिद्ध क्षेत्र' और 'तीर्थराज'** भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 'तीर्थों का राजा'।
- यह झारखंड में **पारसनाथ पहाड़ी** पर स्थित है।
  - इसका नाम **23वें जैन तीर्थंकर 'पार्श्वनाथ'** के नाम पर रखा गया है।
- ऐसा माना जाता है कि **24 जैन तीर्थंकरों में से 20 (भगवान ऋषभदेव, भगवान वासुपूज्य, भगवान नेमिनाथ और भगवान महावीर को छोड़कर) इस शिखर पर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं।**
  - तीर्थंकर का अर्थ है **'पूर्णिमा', जो केवल ज्ञान** के लिए एक रूपक है।
  - तीर्थंकर **भगवान का अवतार नहीं है।**
  - वह एक साधारण आत्मा है, जो एक मानव के रूप में पैदा होती है। वह तपस्या, समता और ध्यान की गहन प्रथाओं के परिणामस्वरूप तीर्थंकर की अवस्था को प्राप्त करती है।
- शिखरजी की पूजा **दिगंबर और श्वेतांबर** दोनों द्वारा की जाती है।
- शिखरजी **'श्वेतांबर पंचतीर्थ'** (पांच प्रमुख तीर्थस्थल) का भी हिस्सा है। अन्य चार **अष्टपद, गिरनार, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर और शत्रुंजय हैं।**

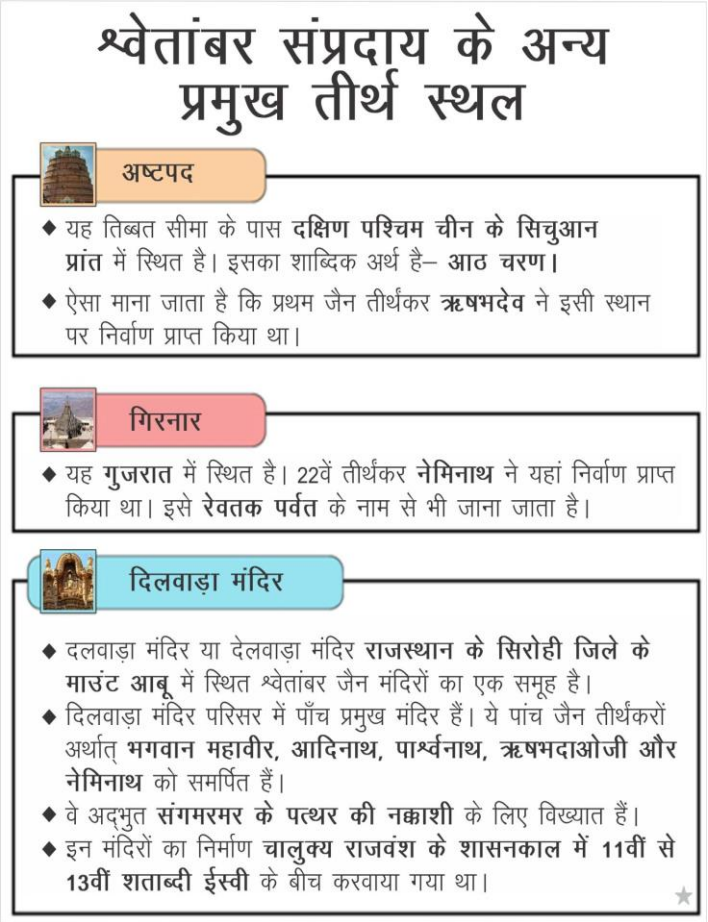

शत्रुंजय पहाड़ी के बारे में

- यह **गुजरात के भावनगर जिले के पालीताणा** में स्थित है।
- इसे **पुंडरीक गिरि** के नाम से भी जाना जाता है। पुंडरीक **आदिनाथ के पोते थे।**
- यह **शेत्रुंजी नदी के तट** पर स्थित है।
  - इसका उद्गम स्थल **जूनागढ़ जिले के गिर वन में चचाई पहाड़ियां हैं।**
  - यह एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और कैम्बे की खाड़ी में जाकर गिरती है।
- **आदिनाथ या ऋषभनाथ** जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। उन्होंने इस पहाड़ी पर अपना पहला उपदेश दिया था।
- इस पहाड़ी पर मंदिर **ग्यारहवीं और बारहवीं** शताब्दी में बनाए गए थे।

8.4. भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें (Roots of Democratic Values in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मन की बात के एक हालिया एपिसोड में प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत प्रकृति से एक लोकतांत्रिक समाज है और लोकतंत्र सदियों से हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है।

प्रधान मंत्री द्वारा उल्लिखित संस्थान/ प्रथाएं

विवरण	के बारे में	लोकतांत्रिक मूल्य
उत्तरमेरूर शिलालेख	• यह शिलालेख **परांतक चोल-प्रथम (907-955 ईस्वी)** के शासनकाल में लगभग **920 ईस्वी** का है। • यह एक **प्राचीन चोल गांव** है। इसे कभी **चतुर्वेदीमंगलम्** के नाम से जाना जाता था। यह तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित है। • चोल स्वशासन का निर्माण गांवों की **'आम सभाओं' या 'सभाओं' या 'महासभा'** पर किया गया था। • **चोल कुदावोलाई चुनाव प्रणाली पर उत्तरमेरूर शिलालेख के अनुसार:** ○ प्रत्येक गांव को **कुडुम्बु (वर्तमान में प्रचलित प्रशासन इकाई वार्ड)** के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यहां **महासभा के प्रतिनिधि चुने** जाते थे। • **चुनाव लड़ने के लिए पात्रता:** उम्मीदवार को **भू-स्वामी होना चाहिए,** कानूनी रूप से **स्वामित्व वाली जगह पर बने घर का मालिक** होना चाहिए, **वैदिक मंत्रो का जानकार** होना चाहिए तथा **35 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम आयु** का होना चाहिए। • **अयोग्यता:** यदि निर्वाचित सदस्य कदाचार का दोषी पाया जाता था, तो उसे भविष्य में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। ○ कदाचार के कृत्यों में रिश्वत लेना, दूसरे की संपत्ति का गबन करना आदि शामिल थे।	निर्वाचित प्रतिनिधि, मतदान अधिकार, निर्वाचित प्रतिनिधियों का आचरण आदि।
भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडप	• इसकी स्थापना **भगवान बसवेश्वर ने दर्शनशास्त्र और अनुभव के लिए लोगों को एकत्रित** करने हेतु की थी। • **अनुभव मंडप, मानव जाति के इतिहास में सबसे शुरुआती संसदों** में से एक थी। ○ असाधारण उपलब्धि वाले एक महान योगी **प्रभुदेव इसके अध्यक्ष** थे। **भगवान बसव ने इसके प्रधान मंत्री** के रूप में कार्य किया था। • वर्तमान संसद और अनुभव मंडप के बीच केवल यही अंतर है कि अनुभव मंडप के **सदस्यों को लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं** किया जाता था। उन्हें **मंडप के उच्च अधिकारी चुनते या मनोनीत** करते थे। **भगवान बसवेश्वर (1105-1167)** • वे **12वीं शताब्दी के महान कवि** थे। उनका **जन्म वर्तमान कर्नाटक में** हुआ था। • वे दक्षिण भारत में **सामाजिक-धार्मिक सुधार, अनुभव मंडप, वचन साहित्य और लिंगायत आंदोलन** के लिए जाने जाते हैं। • 13वीं शताब्दी में **पलकुरिकी सोमनाथ ने बसव पुराण** की रचना की थी। इसमें बसवन्ना के जीवन और विचारों का पूरा विवरण मिलता है।	संसदीय लोकतंत्र।
काकतीय परंपरा	• इस राजवंश ने **12वीं से 14वीं शताब्दी तक वर्तमान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित आस-पास के क्षेत्र** पर शासन किया था। इनकी राजधानी **वारंगल** थी। • तालाबों, नहरों और जलाशयों के निर्माण की निगरानी एवं रख-रखाव के लिए **गाँवों में निर्वाचित समितियां** होती थीं।	स्थानीय स्वशासन।
भक्ति आंदोलन	• भक्ति आंदोलन ने **स्वतंत्रता और समानता की व्याख्याओं के समायोजन की सुविधा प्रदान की** थी। साथ ही, **एक पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाज के उद्भव** का मार्ग प्रशस्त किया था। • इसका उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र के आधार पर **समतावादी समाज की स्थापना करना, महिलाओं**	समानता का अधिकार, पंथनिरपेक्षता, अवसर की समानता, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना आदि।

	का सशक्तीकरण करना और सामुदायिक विकास का समर्थन करना था।	

प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के अन्य प्रमाण

विवरण	के बारे में	लोकतांत्रिक मूल्य
प्राचीन भारत में लोकतंत्र	• **अथर्ववेद में 'सभा' और 'समिति'** नामक दो गणतांत्रिक समितियों का उल्लेख मिलता है। विद्वानों के अनुसार वे वर्तमान लोक सभा और राज्य सभा के समान थीं। • **बौद्ध और जैन ग्रंथों में उस समय के कई गणतांत्रिक राज्यों** की सूची है। **वैशाली के लिच्छवी राज्य** का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। • **गांवों पर उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन** था। इस प्रकार, स्वायत्त और स्व-शासन करने वाली प्रशासनिक इकाइयां मौजूद थीं। • **महाभारत के शांति पर्व में, गणतंत्रों** का उन्हें प्रशासित करने वाली आवश्यक विशेषताओं के साथ **उल्लेख** किया गया है।	वयस्क मताधिकार, निर्वाचित निकाय, स्थानीय स्वशासन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण आदि।
प्राचीन शास्त्रों में लोकतंत्र के सिद्धांत	• **वेदों में गणतांत्रिक शासन के कम से कम दो रूपों का वर्णन किया गया है।** पहले में निर्वाचित राजा शामिल होंगे और दूसरा जहां शक्ति एक परिषद या सभा में निहित होगी। **ऐतरेय ब्राह्मण**: • इसमें अलग-अलग प्रकार के राज्यों का तार्किक विभाजन है। इसमें **स्वराज्य (Swarajya) को शासन का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार** माना गया है। **धर्मशास्त्र**: • उन्होंने **राजाओं से आग्रह किया कि वे प्रजा को भगवान के रूप में देखें** और प्रेम एवं श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करें। **अथर्ववेद**: • सभी मनुष्यों को **भोजन और जल पर समान अधिकार** है। **स्मृति और पुराण तथा वैदिक संहिताएं**: • वे नागरिक अधिकारों और आपराधिक देयताओं के साथ-साथ राजधर्म (संवैधानिक कानून) सहित **धर्म के नियमों** का संग्रह हैं। • **राजा को धर्म के अनुसार शासन करना होता था** (अनुच्छेद 13 के समान जो लोगों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है)। • प्रजा की **सुरक्षा** और कल्याण में **असफल राजाओं को प्रजा** (उदाहरण के तौर पर दसपुरुष राजवंश का राजा दुस्थिरीतु) **द्वारा अपदस्थ कर दिया जाता था।** • **प्रणालियों के एकात्मक और संघीय** दोनों रूपों का उल्लेख मिलता है। **कौटिल्य का अर्थशास्त्र**: • **अलग-अलग विभाग** - रक्षा, राजस्व और कृषि सहित अन्य।	राजा के कर्तव्य (आज के प्रधान मंत्री की तरह), मंत्रिमंडल प्रणाली, संघवाद, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण, अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार आदि।
पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों के बीच लोकतांत्रिक परंपरा	• **मोनपा** अरुणाचल प्रदेश का एक नृजातीय समुदाय है। इस समुदाय ने 11वीं शताब्दी के दौरान विकेंद्रीकृत स्व-शासी परिषदों के साथ **लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित ग्राम प्रमुखों की एक प्रणाली स्थापित करना शुरू की थी।** • **आदि जनजाति के गांव** (अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में) **स्व-शासित** हैं तथा विधायी और कार्यकारी शक्तियों के साथ **एक स्वतंत्र प्रशासन है।**	त्रिस्तरीय सरकार, स्थानीय स्वशासन तथा मुख्य प्राधिकरण की जिम्मेदारियां, चुनाव, कर्तव्य।

	• **खासी जनजाति की पारंपरिक राजनीति में तीन स्तरीय व्यवस्था है।** सबसे निचले स्तर पर **गांव** है, मध्यम स्तर पर **दरबार रैड** है और शीर्ष पर **दरबार हिमा** या राज्य विधान सभा है। • **कई नागा जनजातियों में,** गांव में प्रमुख के पास सर्वोच्च अधिकार होने के बावजूद, उसे प्राप्त अधिकार ग्राम परिषद की अनुरूपता के अधीन है।	

8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.5.1. गुजरात में हड़प्पा स्थल पर उत्खनन (Excavation at Harappan Site in Gujarat)

- कच्छ जिले के **जूना खटिया गाँव में हुए उत्खनन में शवाधानों की कतारें** मिली हैं। इन शवाधानों से **कंकाल के अवशेष, चीनी मिट्टी के बर्तन, मनके के आभूषण, जानवरों की हड्डियां आदि प्राप्त** हुए हैं।
  - प्राप्त अवशेष **3,200 ई.पू. से 2,600 ई.पू. (पूर्व-नगरीय हड़प्पा) काल** के हैं। इसका अर्थ है कि ये राज्य में स्थित कई अन्य हड़प्पा स्थलों से पूर्व तिथि के हैं।
- **उत्खनन के मुख्य निष्कर्ष:**
  - धोलावीरा जैसे अन्य स्थलों में नगर के भीतर और उसके आस-पास शवाधान प्राप्त हुए हैं, लेकिन **यहां कोई बड़ी बस्ती नहीं मिली है।**
  - यह स्थल **मिट्टी के टीले वाले शवाधानों से पत्थर से निर्मित शवाधानों की ओर संक्रमण** को दर्शाता है।
  - **यहां से प्राप्त मृदभांडों की विशेषताएं और शैली, सिंध व बलूचिस्तान** के प्राक् हड़प्पा स्थलों से मिले मृदभांडों के **समान** हैं।
  - **शवाधानों के निर्माण के लिए स्थानीय चट्टान, बेसाल्ट आदि के पत्थरों का उपयोग** किया गया है। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए क्ले (मृत्तिका) का उपयोग किया गया है।

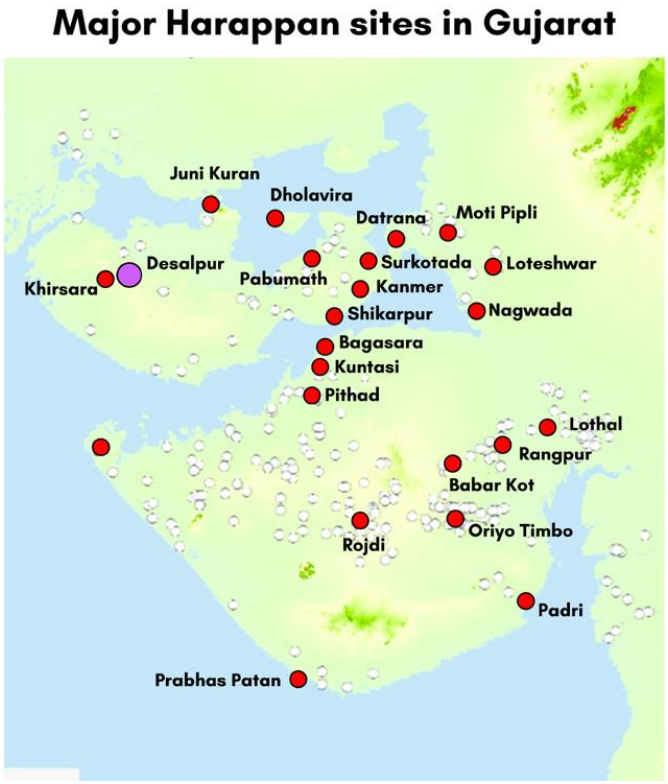

- **सिंधु घाटी सभ्यता (हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी विख्यात) में शवाधान संस्कार की प्रमुख प्रथाएं:**
  - अलग-अलग स्थलों पर शवाधान की भिन्न-भिन्न पद्धतियां प्रचलित थीं। यहां शवाधान की तीन प्रथाएं प्रचलित थीं: **पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान एवं कलश शवाधान** (दाह संस्कार के बाद राख को दफ़नाना)।
  - **सबसे आम शवाधान प्रथा** के तहत मृतक को एक साधारण गड्ढे या ईंट से निर्मित एक कक्ष में दफनाया जाता था। मृतक का सिर **उत्तर दिशा की ओर** किया जाता था।
  - **मृतक के साथ अनाज, मृदभांड, औजार और आभूषण** जैसी वस्तुएं भी दफनाई जाती थीं।
  - **लोथल से युग्म शवाधान (पुरुष और महिला को एक साथ दफनाना)** के साक्ष्य मिले हैं।

8.5.2. नालंदा महाविहार (Nalanda Mahavihara)

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा में 1200 साल पुराने दो दानात्मक (वर्तानुष्ठित) (Votive) लघु स्तूपों की खोज की है।
- **बिहार में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीला नामक टीले के निकट** दानात्मक लघु स्तूपों की प्राप्ति हुई है। इन लघु स्तूपों को मन्नत पूरी होने पर बनवाया जाता था।
- **स्तूप** शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ **"ढेर"** होता है। **यह टीले की तरह** (अर्द्धगोलीय) की **समाधि संरचना** है। इसमें **बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे** होते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **सांची स्तूप** बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित है।

- **स्तूप की स्थापत्य कला से संबंधित विशेषताएं:**
    - इसमें गुंबद के आकार जैसा **एक अर्द्ध गोलाकार टीला या अंड** होता है।
    - **इसमें एक वर्गाकार रेलिंग या हर्मिका** बनी होती है।
    - **केंद्रीय स्तंभ तीन छतरी (छत्र) जैसी** संरचना को आधार प्रदान करता है। यह संरचना बौद्ध धर्म के **त्रिरत्नों** का प्रतिनिधित्व करती है।
    - यह चारदीवारी से घिरा होता है और चारों दिशाओं में **अलंकृत प्रवेश द्वार (तोरण)** बने होते हैं।
    - आनुष्ठानिक परिक्रमा के लिए अंड के चारों ओर एक गोलाकार चबूतरा (मेढ़ी) बना होता है।
- **नालंदा महाविहार के बारे में**
    - **यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है।** इसमें **तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी** तक के एक मठ और शैक्षिक संस्थान के **पुरातात्विक अवशेष** प्राप्त हुए हैं।
        - नालंदा में **गौतम बुद्ध और महावीर**, दोनों ने कुछ समय के लिए निवास किया थे।
        - **नागार्जुन, धर्मपाल, दिङ्नाग, जिनमित्र, शान्तरक्षित** जैसे विद्वान नालंदा महाविहार से संबंधित थे।
        - **ह्वेनसांग और इत्सिंग** जैसे बौद्ध विदेशी यात्री भी इस स्थान पर आए थे।
    - नालंदा महाविहार **गुप्त राजवंश, कन्नौज के हर्ष और पाल राजवंश** के संरक्षण में काफी समृद्ध हुआ था।
    - इसमें **स्तूप, चैत्य और विहार** (आवासीय एवं शैक्षिक भवन) शामिल हैं तथा **स्टुको प्लास्टर, पाषाण और धातु कला** की महत्वपूर्ण विशेषताएं मौजूद हैं।

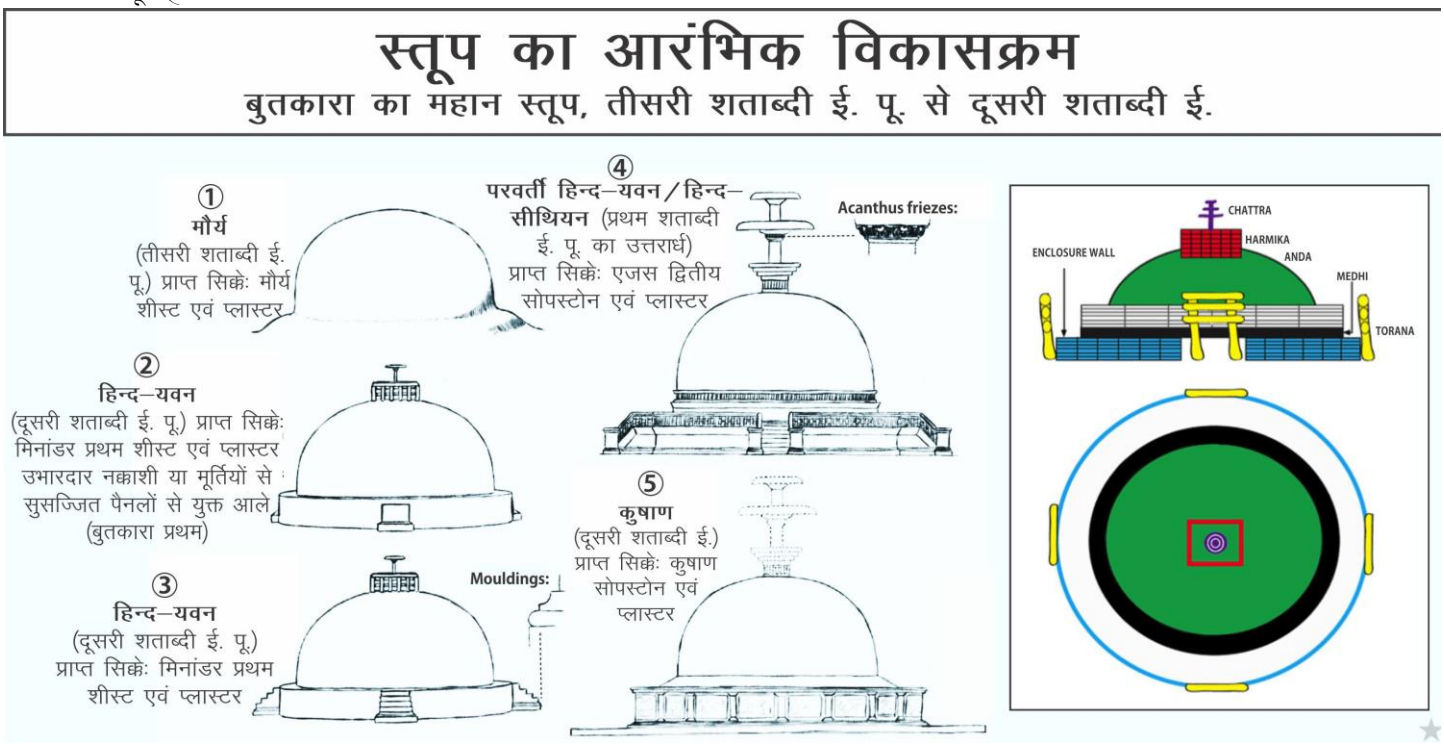

8.5.3. फसल कटाई त्यौहार (Harvest Festivals)

- मकर संक्रांति पूरे देश में **मनाया जाने वाला प्रमुख फसल कटाई त्यौहार** है। यह त्यौहार अलग-अलग राज्यों में **भिन्न-भिन्न नामों, परंपराओं और उत्सवों** के साथ मनाया जाता है।
    - यह त्यौहार **भगवान सूर्य को समर्पित** है। यह **मकर राशि में सूर्य के प्रवेश का पहला दिन** भी है।
    - मकर संक्रांति **सर्द मौसम के अंत और सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही लंबे दिनों की शुरुआत** का भी सूचक है।

मकर संक्रांतिः अनेक नाम

देश के अलग–अलग हिस्सों में शीतकालीन फसल कटाई त्यौहार को विविध नामों से जाना जाता है

8.5.4. थुल्लाल (Thullal)

- ओट्टनथुलाल (या थुल्लाल) **केरल का गायन और नृत्य कला का एक रूप** है। यह कला अपने **हास्य और सामाजिक व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध** है।
  - इसकी **शुरुआत 18वीं सदी** में **महान कवि कुंचन नांबियार** ने की थी।
- कथकली और कूडियाट्टम जैसे अधिक **जटिल नृत्य-रूपों** के विपरीत, यह कला **अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध** है।
- इसके प्रदर्शन के दौरान **थुल्लाल कलाकार को एक गायक** द्वारा **सहयोग** दिया जाता है। वह गायक छंदों को दोहराता है। गायक के साथ मृदंगम या थोपीमद्दलम (थाप) और झांझ का एक वाद्य-समूह होता है।
- इस कला का सृजन **तीन अलग-अलग संस्करणों** में हुआ है। इसमें **ओट्टनथुल्लाल, सीतांकन थुल्लाल** और **परायण थुल्लाल** शामिल हैं।

8.5.5. राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए (Padma Awards Presented by the President)

पुरस्कार के बारे में	• पद्म पुरस्कार **भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक** हैं। • **पद्म पुरस्कारों को 1954 में स्थापित** किया गया था। इनकी घोषणा **गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या** पर की जाती है। 1978, 1979 और 1993 से 1997 के दौरान आए कुछ व्यवधानों को छोड़कर ये पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाते हैं। • ये पुरस्कार किसी टाइटल या उपाधि के सूचक नहीं होते हैं और इन्हें नाम के आगे या पीछे उपयोग नहीं किया जा सकता है।
श्रेणियां	• **ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं:** ○ **पद्म विभूषण-** असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए; ○ **पद्म भूषण-** उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए; तथा ○ **पद्म श्री-** विशिष्ट सेवा के लिए।
पुरस्कार देने का उद्देश्य	• यह **ऐसी सभी विषयों/ गतिविधियों के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान** करता है, जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्त्व शामिल हो। ○ इन क्षेत्रों में **कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, सिविल सेवा, खेल** आदि शामिल हैं।
सिफारिशें / नामांकन	• ये पुरस्कार **'पद्म पुरस्कार समिति' द्वारा की गई सिफारिशों के आधार** पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है। ○ इनके तहत **स्व-नामांकन भी किया** जा सकता है। ○ हालांकि, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों में काम करने वालों सहित **सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं** हैं।
अन्य संबंधित तथ्य	• एक वर्ष में दिए जाने वाले **पुरस्कारों की कुल संख्या** (मरणोपरांत पुरस्कारों और NRI/ विदेशियों/ OCI को प्रदायगी को छोड़कर) **120 से अधिक नहीं होनी चाहिए।** ○ ये पुरस्कार **आम तौर पर मरणोपरांत नहीं दिए जाते** है। हालांकि, अत्यधिक पात्र मामलों में सरकार मरणोपरांत भी पुरस्कार प्रदान करने पर विचार कर सकती है। ○ **उच्चतर श्रेणी का पद्म पुरस्कार केवल उसी मामले में प्रदान** किया जा सकता है जिस मामले में पूर्व पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने के समय से **कम-से-कम पांच वर्ष की अवधि बीत** गई हो। हालांकि, अत्यधिक पात्र मामलों में पुरस्कार समिति द्वारा इस अवधि में छूट प्रदान कर सकती है। • पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा **हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाण-पत्र) और एक पदक** प्रदान किया जाता है। इसके तहत **कोई नकद पुरस्कार** शामिल नहीं है।

8.5.6. परमवीर चक्र {Param Vir Chakra (PVC)}

- पराक्रम दिवस पर **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े मानव-रहित द्वीपों के नाम 21 परमवीर चक्र (PVC) पुरस्कार विजेताओं** के नाम पर रखे गए हैं।
  - पराक्रम दिवस **नेताजी सुभाष चंद्र बोस** की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है।
- PVC **भारत का सर्वोच्च सैन्य पदक** है। इसे युद्ध के दौरान अद्भुत वीरता प्रदर्शित करने पर दिया जाता है।
  - इसे श्रीमती **सावित्री खानोलकर** ने डिजाइन किया था।
- यह पदक कांस्य से बना होता है। इसके सामने के हिस्से पर **"इंद्र के वज्र" की चार प्रतिकृतियां** बनी होती हैं, जो **शिवाजी की तलवार से घिरी** हुई हैं। पदक के **मध्य भाग में राजकीय चिन्ह** बना हुआ है।
  - **मेजर सोमनाथ शर्मा** (मरणोपरांत) प्रथम PVC पुरस्कार विजेता थे।

8.5.7. खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2022 {Kehlo India Youth Games (KYIG), 2022}

- मध्य प्रदेश के भोपाल में **'खेलो इंडिया यूथ गेम्स'** का आयोजन किया जा रहा है।
  - इसमें भाग लेने वाले एथलीटों, प्रशिक्षकों, सहायक कर्मचारियों आदि की **संबंधित जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च** किया गया है।
- **KIYG के बारे में:**
  - KIYG का **आयोजन पहली बार 2018 में नई दिल्ली** में किया गया था।
  - KIYG के वर्तमान **संस्करण (पांचवें) में अंडर-18 आयु वर्ग** में भाग लेने वाले एथलीट भी शामिल होंगे।
    - इसके अलावा, **खेलों के इतिहास में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स** को भी इसमें शामिल किया जा रहा है।

8.5.8. जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार-2022 (Jeevan Raksha Padak Series of Awards-2022)

- राष्ट्रपति ने 43 लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार-2022 प्रदान करने को मंजूरी दी है।
- **यह पुरस्कार किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में सराहनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है।**
  - यह पुरस्कार निम्नलिखित तीन श्रेणियों में दिया जाता है:
    - सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक;
    - उत्तम जीवन रक्षा पदक और
    - जीवन रक्षा पदक।
- जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं।
- इसे **मरणोपरांत भी प्रदान** किया जा सकता है।

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1 उत्पादों के विज्ञापन में इन्फ्लुएंसर की नैतिकता (Ethics of Influencer Endorsements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र ने **मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए "एंडोर्समेंट्स नो-हाउ!**[113]" शीर्षक से **एंडोर्समेंट दिशा-निर्देशों** का एक सेट जारी किया है। ये दिशा-निर्देश **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के समग्र दायरे के अधीन जारी किए गए हैं।

गौरतलब है कि **एंडोर्समेंट्स नो-हाउ! शीर्षक** उत्पादों के विवेकपूर्ण समर्थन अर्थात् उत्पादों के प्रचार-प्रसार से पहले उनकी जांच परख करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट क्या हैं?

एंडोर्समेंट, **उत्पादों के विज्ञापन का एक तरीका** है। इसके तहत उत्पादों के विज्ञापन हेतु **प्रसिद्ध व्यक्तियों अथवा मशहूर हस्तियों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का उपयोग** किया जाता है। ऐसे लोगों की जनसामान्य के बीच ख्याति अधिक होती है तथा सामान्य जनता का ऐसे लोगों पर भरोसा अधिक होता है। साथ ही, लोगों के बीच ये अत्यधिक सम्मानित या प्रचलित होते हैं।

एंडोर्समेंट करने वाली मशहूर हस्तियों या इन्फ्लुएंसर्स में **खरीदारों को प्रभावित करने या उत्पादों के उपयोग हेतु राजी करने की क्षमता अधिक** होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें समाज में रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है।

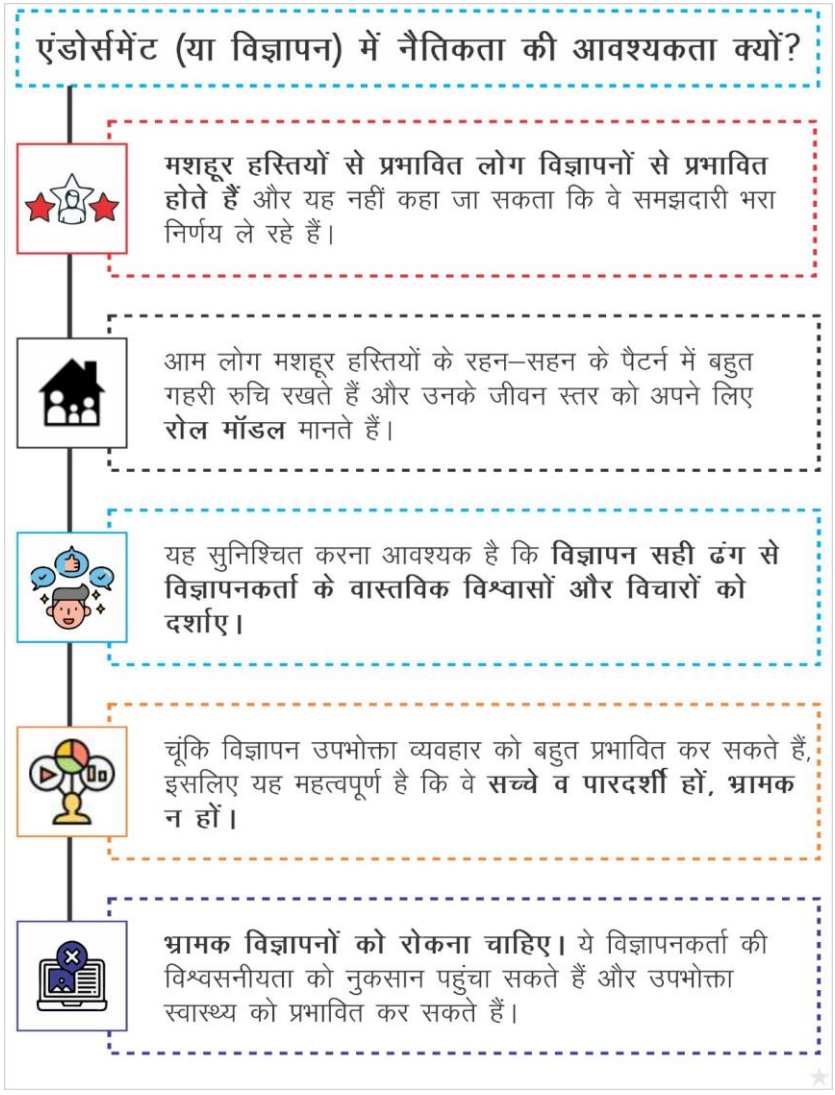

इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट के समक्ष नैतिक मुद्दे क्या हैं?

- **विश्वास के दुरुपयोग का मामला:** इन्फ्लुएंसर्स के साथ **प्रशंसक (Followers) अत्यधिक घनिष्ठता से जुड़े** हुए होते हैं। अतः ऐसे में प्रशंसकों की इन्फ्लुएंसर के प्रति यह धारणा होती है कि वे ऐसे किसी भी चीज की अनुशंसा नहीं करेंगे जो हानिकारक या निम्न गुणवत्ता वाली हो। हालांकि, **ब्रांड मार्केटिंग के मामले में** इन्फ्लुएंसर्स द्वारा **ऐसा नहीं किया जाता है।**
- **उच्च प्रभाव के बावजूद अल्प उत्तरदायित्व:** इन्फ्लुएंसर्स में **उपभोक्ताओं को उत्पादों के उपयोग हेतु राजी करने की क्षमता अधिक होती है।** हालांकि, ऐसा **कोई भी तंत्र मौजूद नहीं है जो एंडोर्स किए गए उत्पादों की जांच-पड़ताल के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाता हो।**
- **वाणिज्यिक संदेश को अलग करना कठिन अर्थात् एंडोर्समेंट में स्पष्टता (प्रायोजित या पेड प्रमोशन) का अभाव:** इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किया जाने वाला प्रचार अक्सर विज्ञापनों की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य सलाह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
  - विज्ञापन **किसी भी तरह के प्रकटीकरण (Disclosure) के बिना** पोस्ट किए जाते हैं, जहां उन्हें चिन्हित या अलग कर पाना (प्रायोजित है या नहीं) कठिन हो जाता है।
- **इन्फ्लुएंसर्स में उत्पाद की प्रकृति या गुणवत्ता की समझ का अभाव:** कभी-कभी इन्फ्लुएंसर के पास स्वयं **उस उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में सीमित जानकारी होती है** जिसका वे प्रचार कर रहे होते हैं। गौरतलब है कि **फायर फेस्टिवल (Fyre Festival) फ्रॉड** इसका एक उदाहरण रहा है।

[113] Endorsements Know-hows!

- **हितों का टकराव और भ्रामक मार्केटिंग:** उत्पादों का विज्ञापन यह दिखाते हुए किया जाता है कि उन्हें उपभोक्ता के लाभों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन वास्तव में उत्पादों का प्रचार **केवल लाभ के उद्देश्य** से किया जाता है।
- **बच्चों या किशोरों जैसे संवेदनशील समूहों को लक्षित करना:** इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किए जाने वाले उत्पादों के विज्ञापन का **तार्किक मूल्यांकन करने में** बच्चे या किशोर **असमर्थ होते हैं।**

इन्फ्लुएंसर्स का पक्ष

- **विस्तृत जांच-पड़ताल संबंधी अनुचित अपेक्षा:** सेलिब्रिटीज को अक्सर उन ब्रांड्स की उचित जांच-पड़ताल न करने के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिनका वे प्रचार करते हैं। **यथोचित जांच-पड़ताल की इस अपेक्षा का कोई ओर-छोर नहीं होता है और यह अक्सर अनुचित होती है।**
  - साथ ही, एक पक्ष यह भी है कि इस तरह की यथोचित जांच-पड़ताल के लिए आवश्यक डेटा, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होता है।
- **ब्रांड की जिम्मेदारी:** इन्फ्लुएंसर समूहों ने तर्क दिया है कि सबसे पहले भ्रामक विज्ञापन तैयार करने वाले **ब्रांड्स को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।**
- **नैतिक सीमाएं:** कार्बोनेटेड बेवरेज (Beverages) और फेयरनेस क्रीम जैसे उत्पादों के मामले में, सेलिब्रिटी को स्वयं ही नैतिक सीमाएं तय करनी चाहिए।
  - उदाहरण के लिए- पी. गोपीचंद ने कार्बोनेटेड शीतल पेय के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों के कारण ऐसे पदार्थों का प्रचार नहीं करने का फैसला किया था।
- किसी ब्रांड के एंडोर्समेंट में **इन्फ्लुएंसर्स की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता दांव पर लगी होती है।** इसलिए, वे स्वयं प्राय: विज्ञापन संबंधी निर्णयों के बारे में सचेत रहते हैं, क्योंकि उनका नाम लंबे समय तक ब्रांड छवि से जुड़ा रहता है।

एंडोर्समेंट्स नो-हाउ: गाइडलाइन्स फॉर सेलिब्रिटी एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स

- **उन सभी उत्पादों या ब्रांड्स के मौद्रिक या भौतिक लाभों का प्रकटीकरण अनिवार्य है,** जिन्हें इन्फ्लुएंसर्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं।
  - **उपर्युक्त भौतिक लाभों में शामिल हैं-**
    - लाभ और प्रोत्साहन तथा मौद्रिक या अन्य क्षतिपूर्ति,
    - यात्राएं या होटल में ठहरने जैसी सुविधाएं,
    - मीडिया सौदेबाजी, कवरेज और पुरस्कार,
    - शर्तों के साथ या बिना शर्तों के मुफ्त उत्पाद, छूट, उपहार और
    - कोई भी पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत या रोजगार संबंध आदि शामिल हैं।
- **जुर्माना:** अनिवार्य प्रकटीकरण में विफल रहने पर **50 लाख रुपये तक का जुर्माना** लगाया जा सकता है।
  - यदि नियमों का कोई उल्लंघन होता है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA)[115] 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों के लिए निर्धारित जुर्माना लागू होगा।

CPA 2019 के तहत जुर्माना

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)[114] **विनिर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और एंडोर्सर्स पर 10 लाख रुपये** तक का जुर्माना लगा सकता है तथा बार-बार उल्लंघन करने वालों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।
- CCPA एक **भ्रामक विज्ञापन के एंडोर्सर को एक वर्ष तक के लिए कोई भी एंडोर्समेंट करने से रोक सकता है।** बाद के उल्लंघन के लिए निषेध को **तीन साल तक के लिए बढ़ाया जा** सकता है।

- **स्पष्ट सूचना:** एंडोर्समेंट में प्रकटीकरण को सरल और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। साथ ही, 'विज्ञापन', 'प्रायोजित' या 'पेड प्रमोशन' जैसे शब्दों का उपयोग सभी प्रकार के एंडोर्समेंट के लिए किया जाना चाहिए।
- **उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से विज्ञापन करना:** मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को किसी भी ऐसे उत्पाद या सेवा का समर्थन नहीं करना चाहिए, जिनकी उन्होंने यथोचित जांच-पड़ताल न की हो या जिनका उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उपयोग न किया हो।

आगे की राह

- **सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए आचार संहिता:** इसके तहत उन पर उत्पादों की प्रामाणिकता के आकलन संबंधी अनिवार्यता तथा उन पर अपने प्रशंसकों के लिए सुरक्षित और लाभकारी उत्पादों के प्रचार-प्रसार जैसी शर्तों को लागू किया जाना चाहिए।

[114] Central Consumer Protection Authority

[115] Consumer Protection Act

- **सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर समूहों द्वारा स्व-नियमन:** इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्वयं दिशा-निर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं के एक सेट के साथ आगे आना चाहिए। ऐसे दिशा-निर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुसरण कर इन्फ्लुएंसर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके विज्ञापन/एंडोर्समेंट नैतिक और पारदर्शी हैं।
- **आयु प्रतिबंध और पैरेंटल कंट्रोल्स को लागू करना:** इस तरह के उपाय से बच्चों या किशोरों पर भ्रामक विज्ञापनों के पड़ने वाले प्रभाव को रोका जा सकता है।
- **एक सरकारी यथोचित जांच-पड़ताल प्रणाली का निर्माण करना:** उत्पादों या सेवाओं से संबंधित दावों की लगातार जांच करने के लिए सरकार एक समिति या फोरम का गठन कर सकती है। यह सेलिब्रिटीज पर यथोचित जांच-पड़ताल के दायित्व को सीमित करेगा और **ब्रांड उत्तरदायित्व की भावना को उत्पन्न** करेगा।

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. पी.एम. स्वनिधि (PM Svanidhi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना की समय-सीमा को बढ़ाकर 2024 दिया है।

उद्देश्य	विशेषताएं
• रियायती ब्याज दर पर 10,000 रुपये तक की **कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा** प्रदान करना। • **ऋण के नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित** करना; और • **डिजिटल लेन-देन को पुरस्कृत करना।**	• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • इसे **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2020 में** लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य **स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान** करना था ताकि वे कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सकें। • शुरुआत में इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक थी। • अब इसे **दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया** गया है। साथ ही, योजना के तहत निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: ○ ऋण देने की अवधि का विस्तार दिसंबर 2024 तक; ○ क्रमशः 10,000 रुपये और 20,000 रुपये के पहले और दूसरे ऋण के अलावा **50,000 रुपये तक के तीसरे ऋण की शुरुआत।** ○ देश भर में पी.एम. स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए **"स्वनिधि से समृद्धि"** घटक का विस्तार। • **ब्याज सब्सिडी:** इस योजना के तहत ऋण लेने वाले वेंडर्स 7% की दर से ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं। • **लक्षित लाभार्थी:** यह योजना 24 मार्च, 2020 या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स/हॉकर्स वेंडिंग सहित आस-पास के पेरी-अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों के वेंडर्स के लिए उपलब्ध हैं। • **वेंडर्स के लिए पात्रता मानदंड:** ○ शहरी स्थानीय निकायों **(ULBs)**[116] द्वारा जारी किए गए वेंडिंग सर्टिफिकेट/पहचान पत्र वाले स्ट्रीट वेंडर्स। ○ ऐसे वेंडर्स, जिन्हे सर्वेक्षण में चिन्हित किया गया है, परंतु उन्हें वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है। • **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पात्रता:** यह योजना केवल उन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया है। ○ हालांकि, मेघालय के लाभार्थी, जिनका अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, योजना में भाग ले सकते है। • **डिजिटल लेन-देन:** यह योजना कैश बैक सुविधा के माध्यम से वेंडर्स द्वारा डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करेगी। • **ऋण देने वाली संस्थाएं:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय

[116] Urban Local Bodies

	कंपनियां, सूक्ष्म-वित्त संस्थाएं और स्वयं सहायता समूह (SHG) बैंक। **स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम** • **स्वनिधि से समृद्धि** पी.एम. स्वनिधि का एक अतिरिक्त कार्यक्रम है, जिसे 4 जनवरी 2021 से शुरू हुए चरण-1 में 125 शहरों में लॉन्च किया गया था। • **उद्देश्य** ○ पी.एम. स्वनिधि के लाभार्थियों और उनके परिवारों की **सामाजिक-आर्थिक स्थिति** का आकलन करना, और ○ **अलग-अलग केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनकी संभावित पात्रता का आकलन करना** और इन योजनाओं के साथ उनके जुड़ाव को सुगम बनाना। पात्र योजनाओं के लिए (इन्फोग्राफिक्स देखें)। • भारतीय गुणवत्ता परिषद **(QCI)**[117] इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन भागीदार है।

10.2. जल जीवन मिशन {Jal Jeevan Mission (JJM)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि देश के 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन हैं।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• **प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)**[118] प्रदान करना। • गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा प्रवण और मरुस्थलीय क्षेत्रों के गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के अधीन आने वाले गांवों आदि में **FHTC के प्रावधान को प्राथमिकता देना।** • **स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों,** स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों के लिए **कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना।** • **नल कनेक्शन की कार्यक्षमता की निगरानी** करना। • नकद, वस्तु और/या श्रम और स्वैच्छिक श्रम (श्रमदान) में योगदान के माध्यम से **स्थानीय समुदायों में स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देना** और सुनिश्चित करना। • इस क्षेत्रक में **मानव संसाधन को सशक्त और विकसित करना।** • **सुरक्षित पेयजल के अलग-अलग पहलुओं और महत्व पर जागरूकता सृजित** करना।	• इस कार्यक्रम को राज्य सरकारों के सहयोग से **जल शक्ति मंत्रालय** द्वारा लागू किया जाता है। • **प्रमुख विशेषताएं:** ○ जलापूर्ति के लिए **"बस्तियों से घरों"** पर ध्यान केंद्रित करना। ○ सार्वजनिक उपयोगिता के लिए **"सेवा वितरण और कार्यक्षमता"** ध्यान देना। ○ जलापूर्ति योजनाओं की 'दीर्घकालिक संधारणीयता' सुनिश्चित करने के लिए **सामुदायिक स्वामित्व** बल देना। ○ जलापूर्ति के प्रबंधन में **महिलाओं और कमजोर वर्गों की केंद्रीय भूमिका** सुनिश्चित करना। ○ **बच्चों पर विशेष ध्यान** देते हुए स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में पाइपलाइन से जलापूर्ति करना। ○ गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में **पीने योग्य जल की आपूर्ति करना।** ○ महिलाओं को शामिल करते हुए स्थानीय समुदाय के माध्यम से **जल की गुणवत्ता की निगरानी करना।** • **JJM के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र** ○ राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM) ○ राज्य जल और स्वच्छता मिशन (State Water and Sanitation Mission: SWSM) ○ जिला जल और स्वच्छता मिशन (District Water and Sanitation Mission: DWSM) ○ ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (Village Water & Sanitation Committee: VWSC)/ उपयोगकर्ता समिति

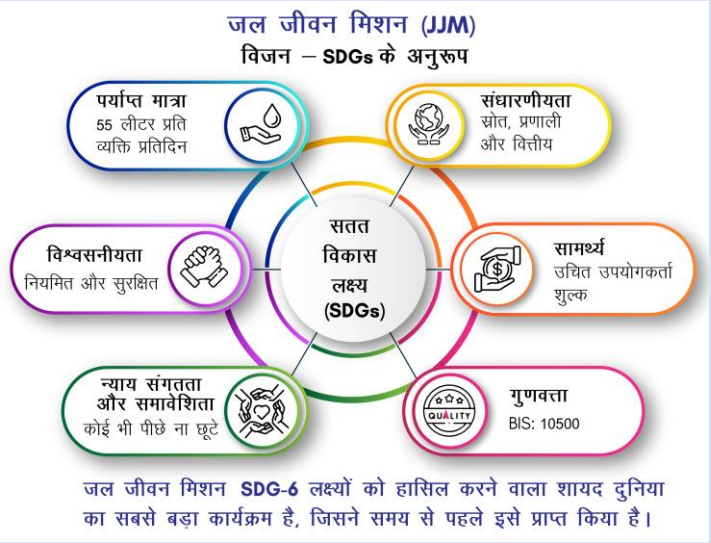

[117] Quality Council of India

[118] Functional Household Tap Connections

	• **JJM के अधीन घटक:** ○ **अलग-अलग स्रोतों/ कार्यक्रमों से धन प्राप्त करने** के प्रयास करना और अभिसरण महत्वपूर्ण है ○ प्रत्येक **ग्रामीण परिवार को नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए गांव में पाइपलाइन से जलापूर्ति अवसंरचना** का विकास करना। ○ जलापूर्ति प्रणाली की दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए **विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास करना** और/या मौजूदा स्रोतों का संवर्धन करना। ○ जहां भी आवश्यक हो, प्रत्येक ग्रामीण परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए **थोक जल अंतरण, शोधन संयंत्र और वितरण नेटवर्क तैयार करना।** ○ जहां जल की गुणवत्ता खराब हो, वहां दूषित जल के शोधन के लिए **तकनीकी हस्तक्षेप** करना। ○ 55 lpcd के न्यूनतम सेवा स्तर पर FHTC प्रदान करने के लिए पूर्ण हो चुकी और **चल रही योजनाओं की रेट्रोफिटिंग करना।** ○ **ग्रेवाटर प्रबंधन।** ○ इसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग-अलग हितधारकों और सहायक गतिविधियों में **क्षमता निर्माण** करना। • **वित्त साझाकरण प्रणाली:** ○ केंद्र द्वारा विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% योगदान किया जाएगा; ○ पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 योगदान किया जाएगा; तथा ○ शेष राज्यों के लिए 50:50 योगदान किया जाएगा। • **जल गुणवत्ता निरीक्षण और निगरानी (Water Quality Monitoring & Surveillance: WQM&S):** JJM के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र WQM&S गतिविधियों के लिए अपने वार्षिक आवंटन के 2% तक का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों की खरीद आदि शामिल हैं।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

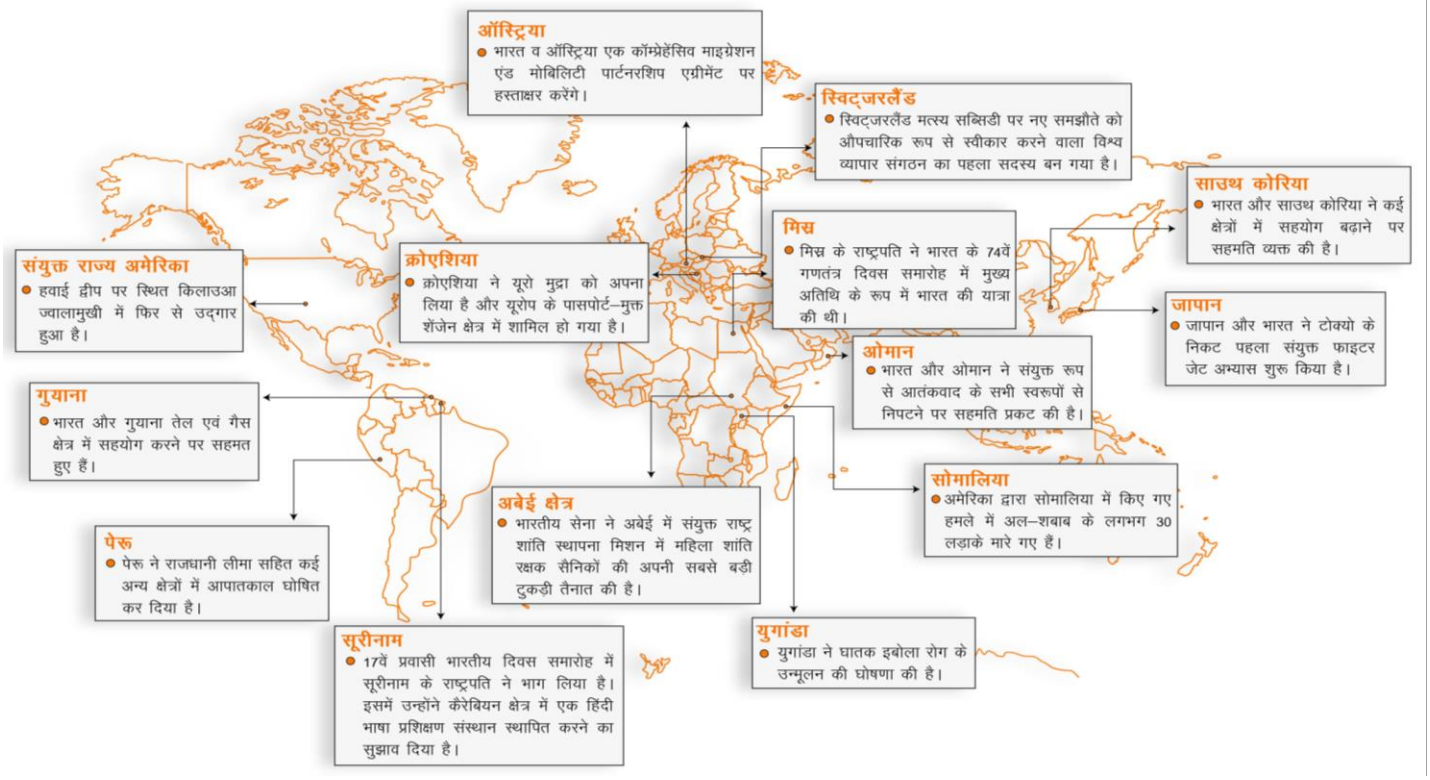

ऑस्ट्रिया
- भारत व ऑस्ट्रिया एक कॉम्प्रेहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे।

स्विट्जरलैंड
- स्विट्जरलैंड मत्स्य सब्सिडी पर नए समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का पहला सदस्य बन गया है।

साउथ कोरिया
- भारत और साउथ कोरिया ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।

मिस्र
- मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा की थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका
- हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ है।

क्रोएशिया
- क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है और यूरोप के पासपोर्ट–मुक्त शेंजेन क्षेत्र में शामिल हो गया है।

जापान
- जापान और भारत ने टोक्यो के निकट पहला संयुक्त फाइटर जेट अभ्यास शुरू किया है।

ओमान
- भारत और ओमान ने संयुक्त रूप से आतंकवाद के सभी स्वरूपों से निपटने पर सहमति प्रकट की है।

गुयाना
- भारत और गुयाना तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं।

सोमालिया
- अमेरिका द्वारा सोमालिया में किए गए हमले में अल–शबाब के लगभग 30 लड़ाके मारे गए हैं।

अबेई क्षेत्र
- भारतीय सेना ने अबेई में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में महिला शांति रक्षक सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात की है।

पेरू
- पेरू ने राजधानी लीमा सहित कई अन्य क्षेत्रों में आपातकाल घोषित कर दिया है।

सूरीनाम
- 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में सूरीनाम के राष्ट्रपति ने भाग लिया है। इसमें उन्होंने कैरेबियन क्षेत्र में एक हिंदी भाषा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया है।

युगांडा
- युगांडा ने घातक इबोला रोग के उन्मूलन की घोषणा की है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

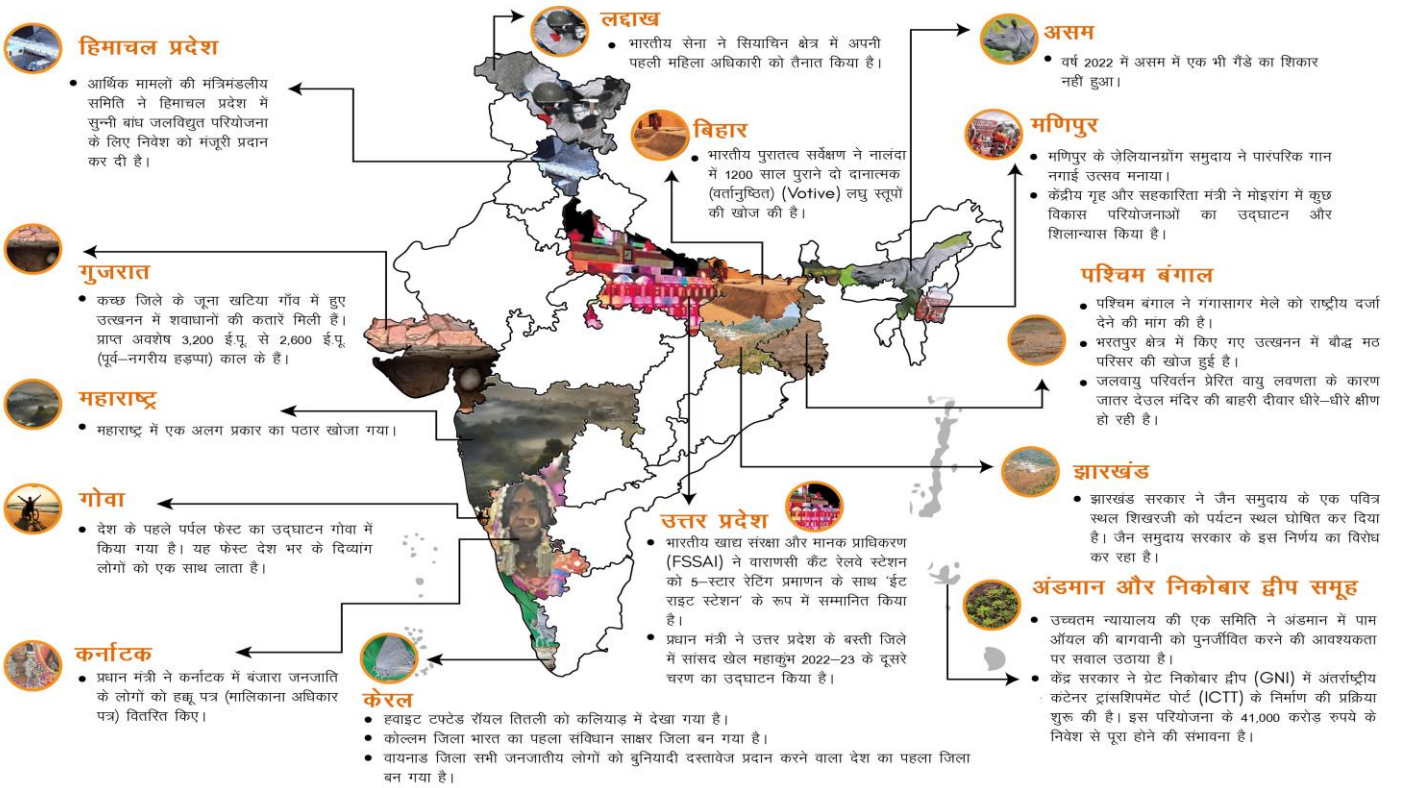

लद्दाख
- भारतीय सेना ने सियाचिन क्षेत्र में अपनी पहली महिला अधिकारी को तैनात किया है।

असम
- वर्ष 2022 में असम में एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ।

हिमाचल प्रदेश
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिमाचल प्रदेश में सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना के लिए निवेश को मंजूरी प्रदान कर दी है।

बिहार
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा में 1200 साल पुराने दो दानात्मक (वर्तानुष्ठित) (Votive) लघु स्तूपों की खोज की है।

मणिपुर
- मणिपुर के जेलियानग्रोंग समुदाय ने पारंपरिक गान नगाई उत्सव मनाया।
- केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने मोइरांग में कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है।

गुजरात
- कच्छ जिले के जूना खटिया गाँव में हुए उत्खनन में शवाधानों की कतारें मिली हैं। प्राप्त अवशेष 3,200 ई.पू. से 2,600 ई.पू. (पूर्व–नगरीय हड़प्पा) काल के हैं।

पश्चिम बंगाल
- पश्चिम बंगाल ने गंगासागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है।
- भरतपुर क्षेत्र में किए गए उत्खनन में बौद्ध मठ परिसर की खोज हुई है।
- जलवायु परिवर्तन प्रेरित वायु लवणता के कारण जातर देउल मंदिर की बाहरी दीवार धीरे–धीरे क्षीण हो रही है।

महाराष्ट्र
- महाराष्ट्र में एक अलग प्रकार का पठार खोजा गया।

झारखंड
- झारखंड सरकार ने जैन समुदाय के एक पवित्र स्थल शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। जैन समुदाय सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहा है।

गोवा
- देश के पहले पर्पल फेस्ट का उद्घाटन गोवा में किया गया है। यह फेस्ट देश भर के दिव्यांग लोगों को एक साथ लाता है।

उत्तर प्रदेश
- भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5–स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ 'ईट राइट स्टेशन' के रूप में सम्मानित किया है।
- प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022–23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- उच्चतम न्यायालय की एक समिति ने अंडमान में पाम ऑयल की बागवानी को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया है।
- केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTT) के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। इस परियोजना के 41,000 करोड़ रुपये के निवेश से पूरा होने की संभावना है।

कर्नाटक
- प्रधान मंत्री ने कर्नाटक में बंजारा जनजाति के लोगों को हक्कू पत्र (मालिकाना अधिकार पत्र) वितरित किए।

केरल
- हवाइट टफ्टेड रॉयल तितली को कलियाड़ में देखा गया है।
- कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है।
- वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है।

सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख व्यक्ति

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
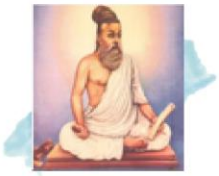 **तिरुवल्लुवर**	• तिरुवल्लुवर दिवस **15 जनवरी** को मनाया जाता है। यह **दिवस तिरुवल्लुवर की जयंती** को चिन्हित करने के लिए **पोंगल समारोह** के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। • उन्हें **वल्लुवर के नाम से भी जाना** जाता है। वह **एक तमिल कवि–संत और दार्शनिक** थे। ▸ ऐसा माना जाता है कि **उनका जन्म मयलापुर** में हुआ था। यह स्थल वर्तमान में चेन्नई के निकट स्थित है। मयलापुर चौथी शताब्दी और छठी शताब्दी के बीच विकसित हुआ था। ▸ 16वीं शताब्दी की शुरुआत में, **मयलापुर में एकंबरेश्वर मंदिर परिसर के भीतर एक मंदिर बनाया** गया था। यह **मंदिर तिरुवल्लुवर को समर्पित है।** ▸ वर्ष 1976 में, **वल्लुवर कोटम नामक एक मंदिर–स्मारक** चेन्नई में बनाया गया था। यह एशिया के सबसे बड़े सभागारों में से एक है। ▸ **कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित** की गई है। ▸ वह अपनी **कृति 'तिरुक्कुरल' के लिए सर्वाधिक विख्यात** हैं। यह कृति राजनीति, प्रेम, नैतिकता और अर्थशास्त्र से संबंधित मामलों पर दोहों का एक संग्रह है।	**नैतिक जीवन के प्रति प्रतिबद्धता** • उन्होंने **मानव इतिहास में नैतिकता पर अब तक की पहली पुस्तक** लिखी। • उन्होंने **व्यक्ति और समाज का कल्याण** सुनिश्चित करने में **पेशेवर एवं व्यक्तिगत नैतिकता दोनों के महत्व** का वर्णन किया।
 रानी वेलु नचियार (1730 – 1796)	• रानी वेलु नचियार को **वीरमंगई (तमिल में इसका अर्थ होता है बहादुर महिला)** के नाम से भी जाना जाता था। वह **रामनाथपुरम के राजा चेल्लामुतु विजयरघुनाथ सेतुपति की पुत्री थी।** • वह वर्ष 1780–1790 तक **शिवगंगा रियासत** (वर्तमान तमिलनाडु में) **की भी रानी रही थी।** • उसने **महिलाओं की एक सेना का गठन** किया था। इस सेना को **'उदैयाल'** कहा जाता था। • वह **ईस्ट इंडिया कंपनी** के खिलाफ युद्ध घोषित करने वाली **पहली शासिका** थी। • उसने वर्ष 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ **हैदर अली के साथ गठबंधन** किया था।	**दृढ़ता और आत्मविश्वास** • किंवदंती के अनुसार, रानी वेलु नचियार का आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला करने का फैसला किया लेकिन बाद में उन्हें दूसरों के साथ गठबंधन करने की सलाह दी गई। इसके पश्चात् उन्होंने शत्रुओं को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। • वह **कई भाषाओं (अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू आदि) में दक्ष** थीं। इसके अलावा वह एक प्रशिक्षित योद्धा, **अदम्य साहसी, बहादुरी और दृढ़ संकल्प के गुणों से युक्त** थीं। वह **महिला सशक्तीकरण का एक प्रतीक** हैं।
 वीर नारायण सिंह	• छत्तीसगढ़ सरकार ने वीर नारायण सिंह के सम्मान स्वरूप एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम **"शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम"** रखा है। • वह **सोनाखान (छत्तीसगढ़) के एक जमींदार** थे। • उन्होंने छत्तीसगढ़ में **1857 की क्रांति का नेतृत्व** किया था। उन्हें **"प्रथम छत्तीसगढ़ी स्वतंत्रता सेनानी"** माना जाता है। • उनके **पूर्वज गोंड जनजाति** से थे। बाद में, उन्होंने गोंड से अपनी संबद्धता को त्याग दिया था और बिंझवार जनजाति से संबद्ध हो गए थे।	**दृढ़ संकल्प और साहस** • महत्वपूर्ण चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के बावजूद, **वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने और बदलाव लाने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयास** करते रहे। • अंग्रेजों ने उन्हें 1856 में **एक व्यापारी के अनाज के भंडार को लूटने और अकाल के दौरान गरीबों में बांटने के आरोप में गिरफ्तार** कर लिया।
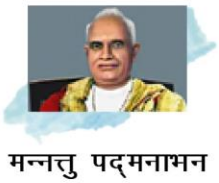 **मन्नत्तु पद्मनाभन (1878 – 1970)**	• उनका जन्म **केरल के कोट्टायम जिले के पेरुन्ना गांव** में हुआ था। • उन्होंने 1893 ई. में एक शिक्षक के रूप में अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की थी। बाद में वे मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में वकालत भी करने लगे थे। • वर्ष 1915 में उन्होंने **नायर सर्विस सोसाइटी** का गठन किया था। इसका उद्देश्य **समुदाय को आधुनिक शिक्षा, सकारात्मक दृष्टिकोण, उद्देश्य के प्रति समर्पण का भाव और प्रतिस्पर्धी बढ़त** प्रदान करना था। • वे वर्ष 1947 में **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** में शामिल हुए थे। उन्होंने **त्रावणकोर राज्य कांग्रेस के आंदोलन** में भाग लिया था। • उन्हें **वर्ष 1966 में पद्म भूषण पुरस्कार और भारत केसरी की उपाधि** से सम्मानित किया गया था।	**सामाजिक सुधार और सामुदायिक सशक्तीकरण** • वह **सामाजिक सुधार के प्रबल पक्षधर** थे और उन्होंने **केरल में मौजूद जाति–आधारित भेदभाव व असमानताओं** को समाप्त करने के लिए काम किया। • वह **नायर समुदाय को सशक्त बनाने में** विश्वास करते थे और उनकी **शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए काम** करते थे।

सत्येंद्र नाथ बोस
(1894– 1974)

- **1 जनवरी को उनकी 129वीं जयंती मनाई** गई है।
- **प्रमुख उपलब्धियां:**
  - उनका कार्यक्षेत्र **सैद्धांतिक भौतिकी** से संबंधित था। उन्होंने **क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम सांख्यिकी के विकास** में मौलिक अवधारणात्मक योगदान दिया था।
  - उन्होंने **आइंस्टीन के साथ काम** किया था और दोनों ने मिलकर **बोस–आइंस्टीन सांख्यिकी** विकसित की थी।
  - क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स (विद्युत गतिकी) के संदर्भ के बिना **ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए प्लैंक का नियम प्रतिपादित** किया था। यह नियम **किसी भी गर्म वस्तु/पिंड द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के स्पेक्ट्रम** को संदर्भित करता है।
  - **वे मौरिस डी ब्रोगली की प्रयोगशाला** से जुड़ गए थे। यहां उन्होंने **एक्स–रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रिस्टलोग्राफी** की तकनीक सीखी थी।
  - उन्हें **वर्ष 1954 में पद्म विभूषण** से सम्मानित किया गया था।

वैज्ञानिक सोच और ज्ञान

- उन्होंने **क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में अपने शोध के जरिए लगातार योगदान** दिया।
- बाद में 1986 में उनके शोध के आधार पर कलकत्ता में संसद के एक अधिनियम द्वारा **एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज** की स्थापना की।

Emphasis on conceptual clarity to train the aspirants for developing an understanding to solve ethics case study from basic to advance level

Case studies covers all the exclusive topics from contemporary and current issues as well as previous Year UPSC Paper Case studies

To discuss on Various techniques on writing scoring answers.

One to one mentoring session

ETHICS
Case Studies Classes
ADMISSION OPEN

Focus on contemporary issues and interlinking case studies with topics of current interest.

Regular Doubts clearing session and personal guidance for the ethics paper throughout your preparation

Daily Class assignment and discussion

Comprehensive & updated ethics material

वीकली फोकस

प्रत्येक सप्ताह एक मुद्दे का समग्र कवरेज

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
भारत में पूंजी बाजार: संवृद्धि के लिए वित्त जुटाना	भारतीय पूंजी बाजार ने उदारीकरण के बाद के युग में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। साथ ही, यह वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लचीला बना रहा है। चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अवश्यंभावी सुधारों की ओर बढ़ रही है, ऐसे में पूंजी जुटाना पूरे भारत में एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गई है। वर्तमान में पूंजी बाजार की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक हो गई है। यह डॉक्यूमेंट पूंजी बाजार की संरचना और भूमिका पर चर्चा करने का प्रयास करता है। इसके अलावा यह भारत में पूंजी बाजार की क्षमता का दोहन करने में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों का विश्लेषण करता है।	
भारत की आर्थिक कूटनीति पर एक नज़र	उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग की शुरुआत के साथ, भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। ये परिवर्तन विशेष रूप से विदेशी व्यापार से संबंधित रहे हैं। यह विदेशों में भारत के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय व्यापार उद्यमों की सफलता की शुरुआत थी। यह डॉक्यूमेंट आर्थिक कूटनीति के सिद्धांतों की समझ प्रदान करता है। साथ ही, यह बताता है कि भारत किस हद तक दुनिया भर में अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।	
संवैधानिक लोकाचार: सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए लोकतंत्र	भारत का संविधान हमारे समाज और शासन में एक नैतिक आचार संहिता लागू करने का निर्देश देता है। इसके हिस्से के रूप में, यह लोकतंत्र और सामाजिक-आर्थिक कल्याण जैसे सिद्धांतों के माध्यम से न्याय को सुरक्षित करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। यह डॉक्यूमेंट भारतीय संदर्भ में इन सिद्धांतों को अमल में लाने, अन्य मूल्यों के साथ उनकी अंतःक्रियाओं, संबंधित सरोकारों और न्याय के विचार की सामूहिक उपलब्धि के तरीकों का पता लगाने का प्रयास करता है।	
निकट भविष्य में खाद्य की स्थिति: 8 अरब लोगों के लिए खाद्य संधारणीयता	वर्ष 2050 तक 10 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए, हमें संधारणीयता, खाद्य सुरक्षा, खाद्य-कुशलता और पहले से उत्पादित भोजन का बेहतर उपयोग करने के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि, हमारी खाद्य प्रणालियां पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्य पर स्वस्थ आहार के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने में विफल हो रही हैं। वे प्राकृतिक पर्यावरण- मृदा, जल और वायु की गुणवत्ता, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन के क्षरण का कारण भी बन रही हैं। यह डॉक्यूमेंट मानवता के भविष्य के लिए एक संधारणीय और लचीली खाद्य प्रणाली के अर्थ और आवश्यकता दोनों की पड़ताल करता है।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए सोशल मीडिया पर फॉलो करें

/c/VisionIASdelhi

/VisionIAS_UPSC

/vision_ias

/Vision_IAS

/visionias.upsc

www.visionias.in

8 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2021

from various programs of VisionIAS

CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

1 AIR

SHUBHAM KUMAR

2 AIR

ANKITA AGARWAL

3 AIR

GAMINI SINGLA

4 AIR

AISHWARYA VERMA

5 AIR

UTKARSH DWIVEDI

6 AIR

YAKSH CHAUDHARY

7 AIR

SAMYAK S JAIN

8 AIR

ISHITA RATHI

9 AIR

PREETAM KUMAR

YOU CAN BE NEXT

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066

Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

DELHI

JAIPUR 9001949244 | **HYDERABAD** 9000104133 | **PUNE** 8007500096 | **AHMEDABAD** 9909447040 | **LUCKNOW** 8468022022 | **CHANDIGARH** 8468022022 | **GUWAHATI** 8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC